(18)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक:11] दसवीं विधान सभा के ग्यारहवें सत्र का पच्चीसवां दिवस [संख्या:17

गुरुवार,

30 जुलाई, 1998

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री समर्थलाल मीणा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न । श्री मदनमोहन ।

जिला अलवर के विद्यालयों का परीक्षा परिणाम प्रकरण

376. श्री मदन मोहन (लक्ष्मणगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) अलवर जिले के ऐसे कितने विद्यालय हैं, जिनका आठवीं कक्षा का परीक्षा परिणाम पच्चीस प्रतिशत से कम रहा है ? परिणाम के न्यूनतम स्तर से नीचे रहने के क्या कारण रहे हैं ?

(2) क्या सरकार राज्य में न्यूनतम परिणाम वाले स्कूलों के प्रबन्धन के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या ?

(3) क्या सरकार ऐसे विद्यालयों में विशेष कक्षाएं लगाने का विचार रखती है ?

शिक्षा मंत्री (श्री गुलाबचन्द कटारिया) : (1) अलवर जिले के कुल 1217 विद्यालयों के विद्यार्थी कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित हुए। इनमें से 285 विद्यालयों का आठवीं कक्षा का बोर्ड परीक्षा परिणाम 25 प्रतिशत से कम रहा। परीक्षा परिणाम न्यून रहने की समीक्षा की जा रही है। समीक्षा के पश्चात् ही वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सकेगा।

(2) जी हां। न्यून परीक्षा परिणाम वाले संस्था प्रधान, विषय अध्यापकों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का विचार किया जा रहा है।

(3) जी हां। ऐसे विद्यालयों में विशेष कक्षा लगाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

श्री मदन मोहन : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के नम्बर से ही आपको विदित हो गया होगा, इस प्रश्न का नम्बर 376 है और आई.पी.सी. में 376 धारा

Page No.2

(15)

(श्री मदन मोहन)

जिस काम पर लगाई जाती है वही आठवीं कक्षा के बोर्ड के विद्यार्थियों के साथ हुआ है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी इस राजस्थान में प्राइवेट विद्यालय हैं, आठवीं कक्षा के बोर्ड में जो उनका परिणाम रहा है उनके परिणाम को यदि हटा दिया जाए तो राज्य का 10 प्रतिशत ही कुल रिजल्ट रहा है। मेरे इलाके में कम से कम 10 विद्यालय ऐसे हैं जिनका 5 प्रतिशत परिणाम रहा है, एक-एक विद्यार्थी ही पास हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, द्वितीय सत्र चालू हो गया और अभी तक इस परीक्षा परिणाम के न्यून रहने के कारणों की समीक्षा की जा रही है जबकि, मेरा मानना ऐसा था कि मुझे यह प्रश्न लगाने की जरूरत ही नहीं थी, इससे पहले इन संस्था प्रधानों के खिलाफ कार्यवाही हो जानी चाहिए थी। जो भी अध्यापक इसमें दोषी था उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए थी। उसके बाद जो विद्यार्थी इस वर्ष फेल हो गये और जो इस परिणाम में मारे गये, उनके साथ कैसा व्यवहार हुआ है? मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जिन-जिन विद्यालयों का परीक्षा परिणाम न्यून रहा, उनमें अभी तक अतिरिक्त कक्षाएं चालू करके उन विद्यालयों का परीक्षा परिणाम सुधारने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। राज्य सरकार जिन भी विद्यालयों के संस्था प्रधानों की इसमें लापरवाही हुई है, उनके खिलाफ क्या-क्या तो कार्यवाही करने का विचार रखती है, नम्बर एक?

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि जहां 25 प्रतिशत से न्यून है, लेकिन 10 प्रतिशत से न्यून है उनको ट्रांसफर के आधार पर यह काम मत करना। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि ट्रांसफर कोई सजा नहीं होगी। यदि आपने इनको किसी को चार्जशीट इश्यू की, यदि आपने इनके किसी के खिलाफ निलम्बन की कार्यवाही की तो उससे अन्य विद्यालयों का परीक्षा परिणाम सुधरेगा। आपके माध्यम से एक और निवेदन करना चाहूंगा कि जितने प्राइवेट विद्यालय हैं उनमें तनख्वाह मिलती है तीन सौ, चार सौ और हजार रुपये। यहां पर एक-एक विद्यालय में एक अध्यापक को छह, सात और आठ हजार रुपये तक तनख्वाह मिलती है। एक विद्यालय में एक लाख रुपये की तनख्वाह दी जाती है, उनका परिणाम रहता है पांच प्रतिशत और जिनकी तनख्वाह मात्र दो हजार है जिसमें छह अध्यापक काम कर रहे हैं उनका प्रतिशत है 58, 60 और 70 के बीच। उन्होंने सारा मेनीपुलेट करके किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि मंत्री महोदय इस व्यवस्था को सुधारें, अन्यथा ये सरकारी विद्यालय बंद हो जाएंगे और प्राइवेट स्कूलों में बच्चे जाना चालू कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। मंत्री महोदय।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिन्ता और सारे सदन की चिन्ता स्वाभाविक है। मैं इसको नकारता नहीं, लेकिन जितना इसको बढ़ा-चढ़ा कर बताया

Page No.3

(२०)

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

गया, वैसी स्थिति नहीं है। राजकीय विद्यालयों और निजी शिक्षण संस्थाओं के परीक्षा परिणाम का सारे राजस्थान का चार्ट मेरे पास है, प्रत्येक जिले का है और व्यक्तिगत रूप से बहुत पहले, महीना भर पहले से मैं इसकी बराबर मानीटरिंग करके इसको समझने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर यह परीक्षा परिणाम का इतना अन्तर क्यों आया। गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं का परीक्षा परिणाम राजस्थान सारे का जोड़ लें तो 69 प्रतिशत रहा और सारे राजस्थान के राजकीय विद्यालयों का अगर प्रतिशत जोड़ें तो 47 प्रतिशत रहा। दोनों मिलाकर राजस्थान का 58 प्रतिशत इस बोर्ड का परीक्षा परिणाम बना। मैं इस बात को नहीं नकार रहा हूं कि यह परीक्षा परिणाम न्यून क्यों रहा। लेकिन यह पहली बार मिडल बोर्ड को एक बोर्ड के रूप में बनाने की कोशिश की, बोर्ड के सेंटर तय किये, एग्जामिनर भी दूसरा रहा, कापियां भी दूसरे व्यक्ति ने जांचीं। पिछले साल तो हमने जो 1996-97 का बोर्ड का जो प्रयोग किया, उसमें हमने नीचे के जो परीक्षा परिणाम थे उनमें हर साल जो हाफ ईयरली और तीनों टेस्ट का उसका बराबर वेटेज था, सौ नम्बर की परीक्षा वह और सौ नम्बर की वार्षिक परीक्षा, दोनों को जोड़ कर उत्तीर्ण किया, इसलिए परीक्षा परिणाम फिर भी काफी अच्छा बना। हमने इसमें और सुधार करने की कोशिश की कि नहीं, जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड लोकल परीक्षा के 10 प्रतिशत अंक ही जोड़ता है, तो हमने मिडल बोर्ड में भी 20 प्रतिशत अंक ही जोड़ने का काम किया, और उसके कारण से भी स्वाभाविक है कि कुछ परीक्षा परिणाम में गिरावट आई है।

माननीय सदस्य की जो भावना है कि उन्हें क्या दण्डित किया जाए, तो मैंने पहले भी घोषणा की है। 360 स्कूल राजस्थान में ऐसे आये हैं जिनका परिक्षा परिणाम जीरो प्रतिशत रहा। मैं पहले शुरूआत....

एक माननीय सदस्य : जीरो।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : जीरो प्रतिशत, हां, कोई छिपाने की बात नहीं। क्योंकि हम जिस सुधार को चाहते हैं उसके लिए हम हकीकत में कहां खड़े हैं, इसकी जानकारी कर लेना कोई अपराध वाली बात नहीं है। कुल 13800 स्कूल हैं उनमें से 360 स्कूल ऐसे हैं जिनका परिणाम 1.9 प्रतिशत है। ग्रेडवाइज मैंने बना रखा है कि दस प्रतिशत में कितने आते हैं, उसके बाद बीस से तीस में कितने आते हैं। लगभग 44 प्रतिशत विद्यालय ऐसे हैं जिन विद्यालयों का परीक्षा परिणाम 50 प्रतिशत से अधिक रहा। मैंने हर चीज को समझने की कोशिश की, मैं इसको छिपाना नहीं चाहता हूं, पर मैं आप सब की मदद जरूर चाहता हूं। बच्चा कहां खड़ा है इसकी सही जानकारी लेकर ही हम माता-पिता की सही मदद कर पाएंगे, केवल आंख बंद करके नहीं कि रिजल्ट बहुत अच्छा रह रहा है और मां बाप भी खुश हैं और हम भी खुश हैं। उसको छोड़ कर हमने प्रयास किया है।

Page No.4

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

इसलिए मैंने कहा है कि जिनका भी जीरो प्रतिशत रिजल्ट रहा है, कम से कम वह छह महीने उस विद्यालय में ठहरा हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह एक महीने पहले ही ट्रांसफर होकर आया हो। उसको हम सजा दे देंगे तो उस अध्यापक के साथ न्याय नहीं कर सकेंगे। इसलिए हमने एक राइडर लगाया कि यदि छह महीने से वही संस्था प्रधान है तो अब वह मिडल स्कूल का हैड मास्टर नहीं रहेगा, वह किसी सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी स्कूल में सैकण्ड ग्रेड के टीचर के रूप में ही पढ़ाएगा और उसको भी कम से कम एक बार सजा के रूप में अपने जिले से बाहर के जिले में ट्रांसफर करके हम दण्डित करेंगे। इसी तरह से हमने दूसरा और किया, कि 40 प्रतिशत तक जिनका परिणाम आया उन 40 प्रतिशत के परिणाम आने वालों को सब को शो-कॉज नोटिस दे रहे हैं ताकि उनको सुन लें कि उनकी क्या समस्या थी।

कुछ बात यह भी सच है कि हमारी तरफ से भी कुछ कमियां हैं, लेकिन हैं जिनको हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। अकेले अध्यापक का दोष हो, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। हमारी तरफ से भी कुछ कमियां रहीं, जिनके कारण से मिडल बोर्ड का जैसा परीक्षा परिणाम बनना चाहिए, वह नहीं बना। पहली कमी तो यह है कि आज दिन तक इस मिडल में कोई भी सबजैक्ट पढ़ाने का एक अच्छा अध्यापक वहां नियुक्त नहीं है। उसको गणित पढ़ाने दे देते हैं, वह स्वयं गणित पढ़ा हुआ नहीं होता है। उसको आठवीं की अंग्रेजी पढ़ाने दे देते हैं, वह स्वयं अंग्रेजी को उस प्रकार से पढ़ नहीं सकता है, यह व्यवस्था है। इसलिए हम पिछले आठ-नौ महीने से इस बारे में लग रहे हैं कि प्रत्येक मिडल स्कूल में कम से कम थर्ड ग्रेड के तीन अध्यापक जरूर हों, विषयवार अध्यापक हों एक गणित का, एक अंग्रेजी का और एक हिन्दी- संस्कृत का दोनों मिलाकर, ताकि वे निश्चित रूप से ठीक पढ़ा सकें।

दूसरा, एक कमी और रही है मिडल स्कूलों में कि बालक 350 और अध्यापक छह। अब वे छह अध्यापक उस विद्यालय को ठीक प्रकार से संचालित कर सकेंगे, यह सम्भव नहीं है। इस बार मैं कोशिश कर रहा हूं कि विद्यालयवाइज शिक्षकों की तनख्वाह बने ताकि विद्यालय से अध्यापक इधर-उधर से कहीं भी जाकर सड़क के ऊपर नहीं बैठ जाए। क्योंकि टोटल उस डिप्टी डी.ई.ओ. के पास पोस्टें रहती हैं वह चाहे जिसको जिधर लगा देता है, यह अधिकार उसके हाथ में रहता है। इसको तोड़कर विद्यालय के बच्चों की संख्या के आधार पर अध्यापक लगें, मैं उस प्रक्रिया में चल रहा हूं। मैं कोई नया पद सृजित कर पाऊंगा, यह तो मैं नहीं कहता लेकिन जो मेरे पास हैं उनसे मिडल स्कूल को स्ट्रेंथन करने के प्रयास में लगा हुआ हूं पिछले 6 महीने से। इसीलिए मैंने 10+2 में जितने थर्ड ग्रेड के अध्यापक हैं उन सबको तोड़ कर मिडल स्कूल में देने का प्रस्ताव पहले ही कर दिया है तथा जो मैं लागू कर चुका हूं।

Page No.5

(22)

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

इसी तरह से जहां शहरों में अधिक अध्यापक हैं थर्ड ग्रेड के, उनको भी तोड़ कर गांवों की मिडल स्कूलों में जहां जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार अध्यापक लगाने की प्रक्रिया मैं कर रहा हूं। मेरा यह विश्वास है, मैं निश्चित रूप से आपके दर्द के साथ अपने-आपको मिला रहा हूं और निश्चित रूप से हमारे बच्चे ठीक प्रकार से तैयार हों, उसके लिए बराबर प्रयासरत हूं।

एक मिनट आपका मैं और लूंगा, ताकि सारी चीज मेरी स्पष्ट हो जाए। प्रत्येक ब्लाक सेंटर पर अब तक हमारे केवल एस.डी.आई. रहते हैं जो प्राइमरी स्कूल को सम्भालते हैं, लेकिन हमारी मिडल स्कूल और उनकी व्यवस्था देखने के लिए कोई नहीं रहता इसलिए एक ब्लाक एजुकेशन आफिसर के नाम से हम एक डिप्टी डी.ई.ओ. की पोस्ट क्रीएट कर रहे हैं जिसके लिए हमने स्वीकृति ली है और हम प्रोसेस में हैं ताकि वह ठीक प्रकार से उसके निरीक्षण का काम कर सके।

निदेशालय स्तर पर भी हमने इन अधिकारियों की एक कमेटी बनाई है। वह हर संभाग पर जाकर मिडल का परीक्षा परिणाम क्या रहा, इसको देखेगी। पूरा डिटेल में देख करके उसके अनुसार क्या हम प्रयोग कर सकते हैं और कैसे इसको सुधार सकते हैं, इसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। माननीय सदस्य को मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि मिडल तक अपने बच्चों का स्तर अच्छा बने इसके लिए हर तरह से हर सम्भव प्रयास कर रहा हूं और इसमें आपका सहयोग भी अपेक्षित है। मैं आपके सहयोग की कामना करता हूं कि आप मुझे सहयोग दें ताकि हम बच्चों का अच्छा स्तर बना सकें।

श्री मदन मोहन : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने संस्था प्रधान और जिन-जिन विषयों के अध्यापकों की लापरवाही की वजह से ऐसा परिणाम रहा है उनके तबादले के बारे में कहा है। जिले से बाहर तबादले की जो बात करते हैं, तो माननीय अध्यक्ष महोदय, कम से कम एक लाख अध्यापकों के ट्रांसफर होंगे, क्या वह सम्भव है राज्य सरकार द्वारा ?

श्री अध्यक्ष : आपका मतलब क्या है ? आप दण्डित करना चाहते हैं उनको, और आपका मतलब क्या है ?

श्री मदन मोहन : मैं यह चाहता हूं और मैं क्या चाहता हूं पूरा सदन चाहता है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक लाख का कोई सवाल ही नहीं है। 360 विद्यालय हैं जिनका 0% रिजल्ट है, केवल उन्हीं को दण्डित किया जा रहा है, और किसी को नहीं।

श्री अध्यक्ष : 60 केवल।

श्री मदन मोहन : नहीं, इसका क्राइटेरिया तय करें कि 25%. या 50%. के खिलाफ क्या होगा।

Page No.6

(23)

श्री अध्यक्ष : राजेन्द्र जी । बिराजिये । ... (व्यवधान) — मैंने राजेन्द्र जी को टाइम दिया है, माननीय सदस्य, कृपया बिराजें ।

श्री मदन मोहन : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट । केवल एक मिनट लूंगा आपका । रोड के ऊपर जितने स्कूल चलते हैं, मैंन रोड के नजदीक जितने भी विद्यालय हैं उनमें जितना स्टाफ एक्सेस है और उनमें भी जितनी महिलाएं लगाई हुई हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि उनके अन्दर यदि स्कूल साढ़े आठ बजे लगता है तो साढ़े दस बजे महिलाएं पहुंचती हैं और स्कूल की छुट्टी यदि तीन बजे हो तो वे दो बजे वहां रोड के ऊपर खड़ी हुई मिलती हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि रोड के स्कूलों में जितने स्टाफ की जरूरत है उतना तो लगाया जाए, लेकिन जितनी महिलाएं लापरवाही बरतती हैं उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जाए । उसमें जरूरी नहीं कि उनकी उस स्कूल में उपस्थिति ही हो । केवल उपस्थिति के नाम के ऊपर इस सरकार को धोखा दें, यह सम्भव नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : कृपया, श्री राजेन्द्र जी पारीक ।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं का परीक्षा परिणाम 70% से कम रहने पर उनके अनुदान की 10% राशि काटने का कोई ऐसा आदेश आपने जारी किया है ? यदि हां, तो वही आदेश राजकीय शिक्षण संस्थाओं में किस रूप में लागू होगा?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा कि रोड साइड पर अधिक अध्यापक लगे हुए हैं, मैंने पहले ही अपने उत्तर में इस बात को स्वीकार किया कि मैं इसको सामान्यीकरण करने की प्रक्रिया में हूं । पिछले साल भी मैंने 6 हजार अध्यापकों के पदों को एक जगह से दूसरी जगह किया और इस बार मैं विद्यालयवाइज अध्यापक के पद और उनकी तनख्वाह बने इस बात की पुख्ता व्यवस्था कर रहा हूं ताकि कोई भी बिना किसी बच्चों की संख्या के सड़क पर आकर अपनी नौकरी न कर सके ।

सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा कि आपने राजकीय विद्यालय को कोई इस तरह से बांधने की कोशिश की । श्रीमान्, यह बिलकुल सच है कि हमने इस बार एक आदेश जरूर दिया है कि जिस राजकीय विद्यालयों का तीन साल का औसत परीक्षा परिणाम बोर्ड का यदि 70% नहीं आता है तो उनका 10% अनुदान कम किया जाए और उनको एक मौका दिया जाए कि अगली बार वे अपने रिजल्ट प्रतिशत को बढ़ाएं तो हम उन्हें वापस दे देंगे । लेकिन यह नहीं हो सकता कि निजी शिक्षण संस्था अनुदान ले और यह 0% उनका भी रिजल्ट आये । दुर्भाग्य तो यह है कि ऐसी संस्थाओं का भी 0% रिजल्ट आया है जिनको 80%, 90% पैसा दे रहे हैं ।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : एक सवाल ।

श्री अध्यक्ष : आगे बढ़ने दो ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : तो आखिर जो अनुदान दे रहे हैं उसकी वास्तविकता का उपयोग हो रहा है कि नहीं..

श्री अध्यक्ष : एक सवाल पर 15 मिनट खतम हो गये । कृपया आगे चलने दो ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : ..इसको देखना तो आवश्यक है । मैं आपको यह विश्वास दिलाता हू कि अगले साल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का रिजल्ट और मिडल बोर्ड का रिजल्ट 70% के ऊपर निश्चित रूप से जाएगा, इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये । नेक्स्ट, श्री हरेन्द्र मिर्धा, श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत ।

राष्ट्रीय उद्यान रणथम्भोर में पेड़ों की अवैध कटाई

377. श्री हरेन्द्र मिर्धा (नागौर) व श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत (श्रीमाधोपुर) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राष्ट्रीय उद्यान, रणथम्भोर में राष्ट्रीय पार्क आरक्षित वन क्षेत्र में रास्ता बनाने के लिए गत एक वर्ष में पेड़ काटे गये हैं ? यदि हां, तो कब, कितने तथा किसके द्वारा ?

(2) क्या वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अनुसार आरक्षित वन क्षेत्र में गैर वानिकी कार्यों पर रोक है तथा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा 2 (बी) के अनुसार आरक्षित वनों में रास्ता बनाना गैर वानिकी कार्य नहीं है ?

(3) क्या उक्त पेड़ों की कटाई के लिए राशि उक्त परियोजना से उपलब्ध करवायी गयी है ? यदि हां, तो कितनी ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त पेड़ों की कटाई में उक्त परियोजना से राशि उपलब्ध कराये जाने के कारण दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अधिनियम की धारा 3 (बी) के अन्तर्गत कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों ?

श्री अध्यक्ष : स्थगित ।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : क्यों ?

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, आप सब्जेक्ट टीचर कब तक प्रोवाइड कर देंगे ? आप ये सब्जेक्ट टीचर्स आगामी शैक्षणिक सत्र में कब तक प्रोवाइड कर देंगे ?

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजें आप । बीच में उठकर कहां से आ गये बिना आज्ञा के ? कृपया । मामला न्यायालय में विचाराधीन है ।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आप प्रश्न पढ़ लें ।

Page No.8

(35)

श्री अध्यक्ष : पढ़ा है ।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : इसमें न्यायालय से सम्बन्धित नहीं हो वह तो बता दें । न्यायालय से सम्बन्धित क्या है ?

श्री अध्यक्ष : नहीं, विचाराधीन है मामला ।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : नहीं, उसके अलावा क्या न्यायालय में विचाराधीन है यह तो देख लें आप इसमें । आप खुद पढ़ लें प्रश्न ।

श्री अध्यक्ष : स्थगित कर दिया ।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : नहीं तो आप पढ़ तो लें, इसमें क्या न्यायालय में विचाराधीन है । कुछ है ही नहीं ।

श्री अध्यक्ष : मैंने इसको पढ़ने के बाद ही स्थगित किया है ।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आप देखें तो सही इस प्रश्न को ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आप प्रश्न तो देख लें, इसमें न्यायालय वाली कोई बात नहीं बनती । न्यायालय वाली कोई बात ही नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । प्रश्न संख्या 379. श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा ।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आप यह कह दें कि कब आ जाएगा । अध्यक्ष महोदय, यह कब आ जाएगा ?

श्री अध्यक्ष : श्री खेतसिंह राठौड़ ।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यह कब आ जाएगा, यह तो बता दो ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट टर्न में ।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : नेक्स्ट टर्न कब ?

श्री अध्यक्ष : जब भी आए ।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : आप तारीख दे दीजिए, तीन या चार तारीख को यह लगवा रहे हो तो ।

श्री अध्यक्ष : मैं प्रयास करूंगा ।

प्रश्न संख्या 378

श्री रमाकान्त शर्मा

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें)

नेक्स्ट ।

सरपंच, ग्राम पंचायत हाथीदेह (खण्डेला) का निलम्बन प्रकरण

379. श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा (बयाना) व श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत (श्रीमाधोपुर) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरपंच ग्राम

(श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा)

पंचायत हाथीदेह पंचायत समिति खण्डेला जिला सीकर के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो क्या एवं कब ? शिकायतों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या उक्त शिकायतों की जांच की गई ? यदि हां, तो कब एवं किसके द्वारा और जांच के क्या परिणाम रहे ? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि उक्त सरपंच को जांच में दोषी पाया गया और सरकार द्वारा सरपंच को निलम्बित भी कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त सरपंच को निलम्बित किये जाने के पश्चात् पुनः निलम्बन स्थगित कर दिया गया ? यदि हां, तो किसके द्वारा, कब एवं क्यों ?

राज्य मंत्री, पंचायती राज (श्री नाथू सिंह गुर्जर) : (1) जी हां । सरपंच ग्राम पंचायत हाथीदेह, पंचायत समिति खण्डेला के विरुद्ध सहायता विभाग से एक शिकायत दिनांक 3-7-96 एवं एक अन्य शिकायत 27-1-97 को अकाल राहत कार्यों में अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्राप्त हुई । शिकायतों की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) जी हां, उपरोक्त शिकायतों की प्राथमिक जांच सहायक कलक्टर, श्रीमाधोपुर से करवाई गई । विस्तृत जांच रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(3) जी हां, उक्त सरपंच को राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 1029-33 दिनांक 24-3-98 द्वारा निलम्बित किया गया था ।

(4) जी हां, सरपंच द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 (1) के अन्तर्गत राज्य सरकार को पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र पेश किया गया । सरपंच को व्यक्तिगत रूप से सुनने के पश्चात् राज्य सरकार ने आदेश क्रमांक 1294-97 दिनांक 27-4-98 से बहाल कर दिया गया ।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि सरपंच के खिलाफ शिकायतों की सहायक कलक्टर, श्रीमाधोपुर द्वारा जांच की गई और विस्तृत जांच रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है । मैं एक निवेदन यह करूंगा कि जांच जो ए. सी. एम. ने जांच की है, उसकी प्रति सदन के पटल पर मुझे नहीं मिली और उसके बदले में मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव जिला परिषद, सीकर को भेज दी गई है । इससे वह चीज स्पष्ट नहीं होती है जो

Page No.10

(27)

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत)

ए. सी. एम. ने लिखी है। इसमें लीपापोती की गई है।

दूसरी चीज, आपने इसको दोषी माना है असिस्टेंट कलक्टर की रिपोर्ट पर और दोषी मानते हुए सरपंच को आपने 24-3-98 को निलम्बित किया। उसके बाद उससे एप्लीकेशन लेकर और व्यक्तिगत सुनवाई से 17-4-98 को वापस बहाल कर दिया। तो दोषी नहीं था तो सस्पेंड क्यों किया? और यदि दोषी माना तो फिर बहाल क्यों कर दिया, एक ?

दूसरा, यदि सरपंच दोषी नहीं है तो क्या ए. सी. एम. के खिलाफ कार्यवाही करेंगे, जिसने जांच की है? और यदि ए. सी. एम. की जांच सही है तो क्या सरपंच के खिलाफ कार्यवाही करेंगे? सरपंच पर स्पेसिफिक चार्जेज हैं, करप्शन के चार्जेज हैं। ए. सी. एम. की जांच हुई है, कलक्टर ने स्वीकार किया है। शिकायत के आधार पर जांच के पश्चात आपने सस्पेंड किया है और फिर आपने दरख्वास्त लेकर लीपापोती कर के उसको बहाल कर दिया। अब आप क्या करने वाले हैं?

श्री नाथूसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरे यहा फाइल में न बी. जे. पी. होती है न कांग्रेस, जो सही होती है वह सही है।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : यह सही है कि पहले आपको पता नहीं था कि बी.जे.पी. का है या कांग्रेस का है, इसलिए सही-सही देखकर आपने उसको सस्पेंड कर दिया, लेकिन जब पता लगा आपको कि बी. जे. पी. का समर्थक बन गया तब आपने उसको बहाल कर दिया।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : आप सुनिए तो सही जो मैं बोल रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, पहले शिकायत आते ही हम प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी करवाते हैं, पी. ई., बोलते हैं जिसे। इस केस में अकाल राहत कार्यों में गड़बड़ करने की, कि इन्होंने मजदूरों को पेमेंट नहीं दिया, गड़बड़ की है, यह शिकायत प्राप्त हुई। प्राप्त होते ही ए. सी. एम. से जांच करवायी प्राइमरी जांच प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी में जो भी शिकायत आती है, जो भी वहां मिलता है, जो अफेक्टेड पार्टी होती है उसमें, उसका उसमें रोल नहीं होता। प्रिलिमिनरी में तो आफिसर जाता है, जो शिकायत प्राप्त होती है उसी के अनुसार कर कराके तुरत-फुरत में एक पी. ई. करके भेज देता है। पी. ई. होने के बाद जो हमको रिपोर्ट दी ए. सी. एम. ने, उसने खिलाफ दी कि इसमें कुछ गड़बड़ियां हैं। इस तरह की पी. ई. आई तो हमने तुरन्त उसको सस्पेंड कर दिया और तुरन्त (डी. ई.) डिपार्टमेंट इन्क्वायरी के लिये सी. ई. ओ. को अधिकृत कर दिया कि आप विस्तृत जांच करके भेजें। अध्यक्ष महोदय, उसके पहले सरपंच ने मेरे पास प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया पुनरावलोकन के लिये, राज्य सरकार को पेश करते हैं जैसे। आप सुनिए तो सही, पहले पूरा जवाब सुन लीजिए,

(श्री नाथूसिंह गुर्जर)

मेरी पार्टी का या आपको पार्टी का सवाल नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, उसके बाद सरपंच ने दो बातें कहीं कि अकाल राहत के कार्य में मैंने तो पेमेंट ही नहीं किया, पेमेंट तो नायब तहसीलदार के द्वारा किया गया है। जो दो आरोप थे कि पेमेंट नहीं किया और कार्य में चपला किया, तो उन्होंने कहा कि जो पेमेंट किया गया है अकाल राहत कार्यों का वह नायब तहसीलदार ने किया है और उसमें पटवारी, ग्राम सेवक, बी. डी. ओ. और नायब तहसीलदार इन सबके दस्तखत हैं। उन्होने कहा कि मेरा तो कुछ लेना-देना ही नहीं है इसमें।

दूसरा, जिन मजदूरों के लिये शिकायत में कहा गया था कि इनको पैसा नहीं दिया गया, उन्होंने एफीडेविट दिया कि हमको पैसा दिया गया है। यह कि यह बात, जब हमारी डी. ई. आई. सी. ई ओ. से जांच हुई है उसमें उन्होंने इन फैक्ट्स को रिपोर्ट में लिखा है। राज्य सरकार के पास पी.ई. में पूरा रिकार्ड नहीं आता है, सारी डिटेल नहीं आती है। लेकिन जब पुनरावलोकन में सरपंच ने हमारे सामने एक यूटिलाइ-जेशन सर्टिफिकेट रखा तो उसमें भी था कि जो पैसा मिला है इसका काम पूरा नहीं हुआ है। ये दो आरोप थे, दोनों के यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट और उनके शपथ-पत्र, ये दोनों चीजें उन्होंने प्रस्तुत कीं, इस कारण हमने सरपंच को बहाल किया।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं जानना चाहूंगा, क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि मस्टर रोल में काट-पीट करके नाम चेंज किये गये हैं ?

श्री नाथूसिंह गुर्जर : सवाल यह नहीं है, अध्यक्ष महोदय। जिन लोगों का शिका-यत में दिया कि इनको मजदूरी नहीं दी गई, ये काम पर नहीं गये, उन्होंने सबने कहा कि हमने काम किया है, हमने यह पेमेंट लिया है। अब क्या बचता है ?

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : मंत्री महो-दय, मस्टर रोलों की पूछ रहा हूं। क्या आपको जानकारी है कि मस्टर रोलों में काट-पीट करके नाम बदले गये हैं ?

श्री नाथूसिंह गुर्जर : मेरे को इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। अध्यक्ष महो-दय, एक और निवेदन करना चाहता हूं माननीय सदस्य को, सरपंच ने यह भी कहा है कि जो मस्टर रोल भरी गई है, मैंने नहीं भरी है, यह मस्टर रोल ग्राम सेवक ने भरी है।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : तो क्या आपने ग्राम सेवक के खिलाफ कार्यवाही की है ?

श्री नाथूसिंह गुर्जर : जब जांच में कुछ आया ही नहीं तो किसके खिलाफ कार्यवाही करूं ?

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : ए.सी.एम. की जांच में स्पष्ट सबूत हुए हैं उसके बाद

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत)

में मेनिपुलेशन होकर जांच चेंज करवायी है और जांच चेंज होने के एक महीने बाद सारी कार्यवाही आपने बदली है।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, सी.ई.ओ. सीनियर ऑफिसर होता है..

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अध्यक्ष महोदय, ए.सी.एम.जूनियर ऑफिसर होता है। ए.सी.एम. ने जो रिपोर्ट दी वह गलत दी। आपके अनुसार ए.सी.एम. ऐसी जांच जल्दी-जल्दी करके ले आता है बिना सोचे-समझे, बिना देखे-समझे। इसलिए उसके खिलाफ आपको कार्यवाही करनी चाहिये। अगर आपका ए.सी.एम. एक ऑफिसर बिना जानकारी किये रिपोर्ट दे देता है किसी के खिलाफ, इसका मतलब आपका ए.सी.एम. गलत है।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : ऐसा नहीं है, अध्यक्ष महोदय, जो डी.ई. होती है, उस पार्टी को जिसके खिलाफ आरोप लगाया जाता है उसको भी पूछा जाता है कि आपके पास कोई रिकार्ड है या कोई तथ्य है तो प्रस्तुत करिए, जो शिकायत करते हैं उनको भी कहा जाता है और विभाग की जो पत्रावली है वह भी देखी जाती है। पी.ई. में यह सारी डिटेल नहीं आती, इसलिए ए.सी.एम. के खिलाफ कार्यवाही करने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : ए.सी.एम. ने जांच करने से पहले न उस सरपंच से बात की और न वहां पर कोई जांच की, रिपोर्ट दे दी खिलाफ में। मंत्री महोदय, एक बात आप..

श्री अध्यक्ष : कृपया, माननीय सदस्य, मैं निवेदन करना चाहता हूं प्रश्नकर्ता पूछ रहे हैं। आप विराजिए, उसके बाद।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अध्यक्ष महोदय, मैं उन्हीं के बारे में पूछ रही हूं कि एक रिपोर्ट आई है वह ए.सी.एम. जैसे सीनियर ऑफिसर ने दी है और वह रिपोर्ट ये कह रहे हैं कि ऐसे ही बना दी जल्दी में, बिना पूछे हुए सरपंच से, बिना जांच किये हुए, बिना कागज देखे हुए। यह बात अगर सही है तो ए.सी.एम. के खिलाफ जांच होनी चाहिये और उनके बारे में जानना चाहिये कि ऐसी रिपोर्ट कैसे दे दी।

श्री अध्यक्ष : आप इनकी मदद कर रहे हैं ?

श्री नाथूसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य यह भलीभांति जानते हैं कि कई बार preliminary inquiry is not a final inquiry. शिकायत मिलते ही तुरन्त कार्यवाही सरकार की आवश्यकता है। (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : एक महीने पहले तो आपने दोषी मान लिया और एक महीने बाद मेनिपुलेशन हुआ तो आपने बरी कर दिया। मस्टर रोल में काट-पीट कर नाम बदल दिये। जिन लोगों के नाम मजदूरी दिखाई गई है उनके अलावा दूसरे लोगों को पेमेंट कर दिया, मजदूरों का मस्टर

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत)

रोल में नाम बदल दिया। ए.सी.एम. ने स्पष्ट जांच की है, ए.सी.एम. की जांच रिपोर्ट आपने प्रस्तुत नहीं की है। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : दबाव डालकर अधिकारियों से रिपोर्ट बदलवा दी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया विराजें। एक साथ 5-6 माननीय सदस्य न बोलें। हां। फरमाइए।

श्री हरिसिंह (महुवा) : अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री ने यह जवाब दिया कि मस्टर रोल ग्राम सेवक द्वारा भरी गई थी। सिकराय पंचायत समिति की ग्राम पंचायत ठिकरिया के सरपंच पंछीलाल की मस्टर रोल ग्राम सेवक द्वारा भरी गई थी और मंत्री जी ने उस सरपंच को पद से हटाकर पद मुक्त कर दिया। क्या उस समय यह आपका मापदण्ड काम नहीं आया?

श्री नाथूसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल अलग है। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : सवाल तो यही है।

श्री परसादी लाल मीणा : आप उसको बचाना चाह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : आपके विभाग की पोल खुल रही है। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अधिकारियों पर दबाव डालकर रिपोर्ट बदलवा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया विराजें। पहले आप बैठ जाएं, माननीय सदस्य, कृपया। प्रश्नकर्ता, माननीय रामस्वरूप जी।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से केवल दो स्पेसिफिक सवाल करूंगा। मस्टर रोलों में काट-पीट हुई है? मंत्री जी को इसकी जानकारी नीचे वालों ने नहीं दी हो तो वे कर लें। जब ए.सी.एम. एक आर.ए.एस. आफिसर ने जांच की है, दोषी पाया है उसके बाद दूसरे से जांच बदलवा कर और हेराफेरी कर वापस चेंज करने की कोशिश की गई है। क्या इस सारे प्रकरण की निष्पक्ष रूप से किसी वरिष्ठ अधिकारी को जयपुर से भेजकर जांच करवाना पसन्द करेंगे? एक निवेदन मेरा यह है। दूसरा निवेदन यह है कि आपने एक महीने पहले सस्पैंड कर दिया ए.सी.एम. की जांच पर, दुबारा बहाल कर दिया दूसरी जांच पर। ए.सी.एम. ने यदि गलत जांच की है तो क्या उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे?

श्री नाथूसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले कहा है, कानून में यह प्रोविजन इसलिए डाला गया, राज्य सरकार के पास अंतिम सुनवाई का अवसर होता है। पुनरावलोकन याचिका जिसे हम बोलते हैं, रिव्यू पिटीशन, अध्यक्ष महोदय, इसलिए डाला गया कि (पी.ई.) प्रिलिमिनरी इन्क्वा-

(श्री नाथूसिंह गुर्जर)

यरी को कभी भी फाइनल नहीं माना जाता। पी.ई. में कई फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो नहीं आते और यह आफिसर की भी मजबूरी होती है और जांचकर्ता अधिकारी की भी मजबूरी होती है। पी.ई. के आधार पर हमने ही सस्पेंड किया। लेकिन बाद में जब उन्होंने पुनरावलोकन याचिका दी और उसमें उन्होंने स्पेसिफिक लिखा—मैं बता रहा हूं आप सुनिए।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : ए.सी.एम. की जांच को आपने गलत माना है क्या ? गलत मान लिया हो तो यह कह दीजिए।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : एक मिनट बिराजें तो सही, मैं बोल रहा हूं। Let me finish अब आप सुनना ही नहीं चाहते तो मैं क्या करूं ?

श्री अध्यक्ष : कृपया, माननीय सदस्य, सुनिए।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, दो शिकायत आईं मेनली उन शिकायतों के आधार पर प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी ए.सी.एम. ने करके भेज दी। सरकार संवेदनशील है, कहीं हमको करप्शन की शिकायत आती है तो तुरन्त एक्शन लेते हैं एक बार ताकि सरपंच जांच को प्रभावित नहीं करें। इसलिए हमने सस्पेंड किया। उसके बाद सी.ई.ओ. को जांच दी जो कि सीनियर आफिसर होता है, ए.सी.एम. से बड़ा। मैं माननीय सदस्य को यह विश्वास दिलाता हूं, यदि आपके पास और कोई भी फैक्ट्स हों इस मामले में, कोई कागज हों, आप मुझे दीजिए, आप कहेंगे उस समय करवा लूंगा।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : मस्टर रोल की काट-पीट आपके सामने है, मस्टर रोलों की हेरा-फेरी आपके सामने है, रिकार्ड चेंज किया हुआ भी आपके रिकार्ड में उपलब्ध है, इन सारे तथ्यों के बावजूद क्या आप जांच करवाएंगे, मैं यही तो पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। नैक्स्ट।

प्रश्न संख्या 380

श्री खेतसिंह राठौड़।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री सुखलाल सेंगवा, अनुपस्थित। श्री हरिसिंह महुवा। माननीय सदस्य, कृपया बिराजें। बहुत समय लग गया है इसमें, बिराजें। (व्यवधान) श्री हरिसिंह महुवा। कृपया बिराजें।

श्री हरिसिंह (महुवा) : प्रश्न संख्या 382.

श्री अध्यक्ष : सुखलाल जी, बिराजें। (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, एक महीने पहले तो हटा दिया और एक महीने बाद बहाल कर दिया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने दूसरा सवाल ले लिया। (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : कोई जांच दुबारा वहां पर... (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : दूसरा सवाल पुकार लिया, माननीय मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : मस्टर रोल में हेरा-फेरी ऐसे होती है, मंत्री जी। सस्पैंड करने के और बहाल करने के पंचायती राज विभाग में ...(व्यवधान) ...

श्री अध्यक्ष : बिराजें, बिराजें। (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : तय किया जाता है कितने में बहाल होंगे, कितने में सस्पैण्ड होंगे। यह हालत है, अध्यक्ष महोदय... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया आप बिराजें। (व्यवधान) माननीय मंत्री महोदय, कृपया बैठें। (व्यवधान) माननीय सदस्य, कृपया बिराज जाएं। माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है, कृपया आप बैठें पहले।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, आज इन्होंने जो आरोप लगाया है....

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : आज नहीं, अभी भी कह रहा हूं....

श्री नाथूसिंह गुर्जर : सुनिये तो सही....

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : पंचायत डिपार्टमेंट में खुलेआम बोली लगती है और आपको पता ही नहीं लगता, क्या हो रहा है। खुलेआम लूट मची हुई है डिपार्टमेंट में, सस्पैण्ड कराने के नाम पर लूट है; बहाल कराने के नाम पर लूट है। (व्यवधान)

श्री नाथूसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास रोज आकर दबाव डालते हैं ये बहाल करने के लिए, मैं दबाव में काम नहीं करूंगा (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय सदस्य सही कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें, बिराजें। श्री सुखलाल सेणचा, बोल दिया क्या ? (व्यवधान)

श्री नाथूसिंह गुर्जर : इनका यह आरोप राजनीति से प्रेरित है। ये दबाव डालना चाहते हैं। (व्यवधान) ये दबाव डाल-डाल कर भ्रष्ट सरपंचों को बचाना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपके विभाग में भ्रष्टाचार है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : आपने बचाया है और कई सरपंचों को बचाया है। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप+++ हैं, +++ हैं। (व्यवधान)

श्री नाथूसिंह गुर्जर : मैंने नहीं बचाया। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : केवल इसलिए बचाया है, भ्रष्टाचारी सरपंचों को बचाने का काम किस आधार पर किया? (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : खुलेआम भ्रष्टाचार है, हाइयेस्ट बिडर है उसका काम होता है। जो हाइयेस्ट बिडिंग देगा उसका काम होगा। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : उसके लिए तो धन्यवाद लेकिन उसको जो बचा रहे हो उनके लिए क्या कर रहे हो आप? (व्यवधान)

श्री नाथूसिंह गुर्जर : आपने बचाया। (व्यवधान) 30-30 साल की इन्क्वायरी पेंडिंग पड़ी हुई थीं आप लोगों की, 30-30 साल की। (व्यवधान) आप क्या बात कर रहे हो? हां, हमने इन्क्वायरी की थी। (व्यवधान)

श्री रामगोपाल बैरवा : ये नहीं चाहें कि सदन का सदस्य....(व्यवधान)....

श्री नाथूसिंह गुर्जर : जो भ्रष्ट सरपंच से जांच करायी, उनसे पैसा वसूल किया। और बोलो, 80 लाख रुपये...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, ये दबाव डालकर भ्रष्ट सरपंचों को बचाने के लिए आते हैं और नहीं करते हैं तो फिर ये उठाते हैं मामले। यह क्या बात है? मैं दबाव में आकर काम नहीं करूंगा ....(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : अध्यक्ष महोदय, पंचायत के निर्माण कार्यों में जो एकीकृत ग्रामीण विकास की तरफ से धनराशि दी जाती है उसमें 60:40 का रेश्यो है। (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : कांग्रेस राज में होता था इसलिए आप कर रहे हैं यह सब? (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : 60 परसेंट लेबर पर और 40 परसेंट मैटीरियल पर। अध्यक्ष महोदय, यह दुधारी तलवार है, विभाग जिस पर चाहता है उस सरपंच के गले पर चला देता है और जिसको बचाना चाहता है उसको बचा लेता है। यह नीति सही नहीं है। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : चरम सीमा पर भ्रष्टाचार है। (व्यवधान)

श्री भंवरसिंह शेखावत : इसके पीछे क्या राज है, जो प्राइवेट आकर ....(व्यवधान)..

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री हरिसिंह (महुवा) : यह दुधारी तलवार है। (व्यवधान)

श्री भंवरसिंह शेखावत : ये दो बातें नहीं हो सकतीं। (व्यवधान) ये स्थितियां दोनों सरपचों के सामने हैं।

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराज जाएं। माननीय सदस्य, कृपया अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं हो रहा है, अंकित नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, श्री सुखलाल सेणचा। यातायात मंत्री महोदय। कृपया बिराजें, माननीय सदस्य।

तहसील रायपुर (पाली) के ग्रामों हेतु निगम बस सेवा

381. श्री सुखलाल सेणचा (रायपुर) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि जिला पाली की तहसील रायपुर के ग्राम चांग, चित्ताड़, रेडला, नालड़ा, गिरही खेड़ा में राज्य पथ परिवहन निगम की बस नहीं चलायी जा रही है? क्या सरकार उक्त ग्रामों में निगम की बस सेवा चालू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, यातायात (श्री रोहिताश्व शर्मा) : जी हां, इन गांवों को जोड़ने वाले मार्ग अराष्ट्रीयकृत हैं। निगम द्वारा इन मार्गों का सर्वे करवाया जाएगा। समुचित यात्री भार उपलब्ध होने पर नियमानुसार अनुज्ञा पत्र प्राप्त कर बस संचालन प्रारम्भ किया जाएगा।

श्री सुखलाल सेणचा : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि राज्य सरकार की नीति है कि तहसील हैडक्वार्टर और ग्राम पंचायतों को निगम की बसों से जोड़ा जाए। अभी रायपुर के अन्दर संचालन हुआ है जो द्रुतगामी बस हैं, वहां रायपुर में रुक नहीं रही हैं। वहां पर काफी लाठीचार्ज की नौबत रायपुर में आयी है तो बसों के रुकने की व्यवस्था करें। इस मार्ग पर सारा डामर रोड बन गया है, कोई 2-4 किलोमीटर का ही मामला है, प्राइवेट बसें आपको....

श्री अध्यक्ष : कृपया आपस में बातचीत न करें।

श्री सुखलाल सेणचा : आपके अधिकारियों को पैसा देकर इस पर हिन्दुस्तान आजाद होने के बाद में भी रोडवेज नहीं चलने देते हैं, प्राइवेट बस वाले ही पैसों से खरीद लेते हैं। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि एक तो रायपुर के अन्दर द्रुतगामी बसों के रुकने की व्यवस्था हो। इस रूट पर अभी-अभी डामरीकरण हो चुका है, 2-4 किलोमीटर का बाकी है, इससे निगम को बहुत आय होगी। अधिकारी मिले हुए हैं, मैंने पहले भी आपको लिखा था और प्रश्न किये थे लेकिन इसमें कार्यवाही नहीं हुई। अब आप जैसे होनहार हमारे यातायात मंत्री से मेरी आशा है।

श्री रोहिताश्व शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस रूट की चर्चा की है यह रूट पंचम अध्याय का रूट है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचम अध्याय से मेरा

(श्री रोहिताश्व शर्मा)

मतलब है अराष्ट्रीयकृत रूट है, नेशनलाइजेशन पालिसी से बाहर का रूट है, 42 किलोमीटर का रूट है। यह केवल 17 किलोमीटर पक्का रूट है, 25 किलोमीटर कच्चा रूट है और पहाड़ी क्षेत्र है। माननीय सदस्य ने मुझे पिछले साल एक पत्र लिखा था और इस रूट पर बस चलाने की बात की थी। इनका पत्र मुझे 25-1-97 को प्राप्त हुआ था और 30-1-97 को मैंने माननीय सदस्य को सूचित किया कि इस रूट का सर्वे करा रहा हूं। सर्वे कराने पर, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे जानकारी मिली कि 5 किलोमीटर तो यह रूट अब बना है। जब मैंने सर्वे कराया, केवल 11 किलोमीटर ही यह रूट पक्का था। इस रूट पर हमने 6 रिटर्न ट्रिप प्राइवेट आपरेटर्स को परमिट जारी किये हुए हैं, 6 बसें जाती हैं और 6 बसें आती हैं। रोडवेज की बसों का जहां तक सवाल है, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो छोटे टायर वाली गाड़ियां हैं वही इस पर अभी तक चल रही हैं। लेकिन माननीय सदस्य ने जैसा कि मुझे फिर इस क्वेश्चन के जरिये अवगत कराया, मैं इसका फिर सर्वे करा लेता हूं, क्योंकि हमारे गतिमान पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर साहब का कोई भरोसा नहीं, कहीं फिर से अच्छी सड़क बन गयी हो। पहले भी यह सड़क थी नहीं। अब जहां से पी. डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर साहब गुजर जाते हैं, सड़क समझो थोड़ा पछाड़ बन जाती है, अच्छी सड़क बन जाती है। तो इनका कोई दौरा हुआ इसलिए मैं फिर जांच करा लेता हूं। अगर यह सड़क बन गयी होगी तो निश्चित तौर पर नियमानुसार अनुज्ञा पत्र प्राप्त करके बस चला दी जाएगी।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंह महुवा।

श्री मदन मोहन : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट में अपनी बात कहूंगा।

श्री अध्यक्ष : मैंने दूसरा सवाल पुकार लिया है, नो, नो, बिराजें।

श्री सुखालाल सेणचा : एक ये जो बसें हैं इनकी रायपुर में रुकने की व्यवस्था कराएं।

श्री अध्यक्ष : बिराजें, बिराजें, जवाब नहीं आएगा, कृपया। श्री हरिसिंह महुवा।

सहायक अभियन्ता, कृषि का चयन प्रकरण

382. श्री हरिसिंह (महुवा), श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) व श्री अर्जुनलाल जीनगर (गंगरार) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सहायक कृषि अभियन्ता पद हेतु सीधी भर्ती/विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयन का निर्धारित मानदण्ड क्या है? वर्तमान में कितने सहायक कृषि अभियन्ता कार्यरत हैं?

(2) उक्त पदों में से कितने पद विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा भरे गये तथा

(श्री हरिसिंह)

कितने पद राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती से भरे गये ?

(3) नियमानुसार वर्षवार कितने पद विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर एवं कितने पद राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती से भरे जाने चाहिए थे ?

(4) क्या यह सही है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा पैनल में चयनित अभ्यर्थियों के स्थान पर विभागीय पदोन्नति समिति के पैनल में चयनित अभ्यर्थियों को सहायक कृषि अभियन्ता पद पर नियुक्ति दी जा चुकी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस गलती को सुधारने का विचार रखती है ?

राज्य मंत्री, कृषि (श्री अमराराम चौधरी) : (1) सहायक कृषि अभियता पद हेतु सीधी भर्ती/विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयन का निर्धारित मानदण्ड 50:50 का है। दिनांक 2-12-71 से 1-12-84 तक यह अनुपात 75 और 25 प्रतिशत था दिनांक 2-12-71 से पूर्व पद 100 प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाते थे। वर्तमान में 265 सहायक कृषि अभियन्ता कार्यरत हैं।

(2) 265 कार्यरत अभियन्ताओं में से 163 अभियन्ता विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित हैं एवं 102 सहायक कृषि अभियन्ता सीधी भर्ती द्वारा चयनित हैं।

(3) यह सूचना अभी तैयार नहीं हो पायी है। तैयार होने पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि अलग अलग विभाग में जहां भेजे हैं हमने उनकी पूरी लिस्ट नहीं आयी है और जो काम कर रहे हैं वे 8-10 विभाग हैं जैसे एस.एस.ओ. है और भी हैं, कोई माही प्रोजेक्ट में भेजे हैं, चहल परियोजना में भी भेजे, इसी प्रकार से हमने डवलपमेंट में भी भेजे हैं, फोरेस्ट में भी भेजे हैं पर लिस्ट अभी आयी नहीं है। मैं आपको पेश कर दूंगा।

श्री हरिसिंह (महुवा) : कृषि मंत्री जी, आपके विभाग की कार्मिक शाखा देखती होगी यह काम तो ?

श्री अमराराम चौधरी : मैं अर्ज कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : पूरा करने दो।

श्री अमराराम चौधरी : (4) यह सही नहीं है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा पैनल में चयनित अभ्यर्थियों के स्थान पर विभागीय पदोन्नति समिति के पैनल में चयनित अभ्यर्थियों को सहायक कृषि अभियन्ता के पद पर नियुक्ति दी गयी। विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 19-7-97 को हुई थी जिसके आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिनांक 1-9-97 एवं 16-10-97 तक दी गयी। जबकि लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थियों की सूची दिनांक 2-4-98 को प्राप्त हुई तथा मुख्य सूची के 47

Page No.20

(37)

(श्री ग्रमराराम चौधरी)

ग्रभ्यार्थियों को नियुक्ति दिनांक 21-5-98 को दी गयी तथा एक पद न्यायालय के स्थगन के कारण रिक्त रखा गया है। उपलब्ध रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति के पैनल में रिव्यू रिवो-जन के ग्रन्तर्गत चयनित ग्रभ्यर्थियों में से तीन ग्रभ्यर्थियों को भी सहायक कृषि ग्रभि-यंता के पद पर तदर्थ नियुक्ति दी गयी थी। ये नियुक्तियां राजस्थान लोक सेवा आयोग के चयनित ग्रभ्यर्थियों की सूची एवं पैनल प्राप्त होने से पूर्व दी गयी थीं। इन्हें राजस्थान लोक सेवा ग्रायोग से चयनित ग्रभ्यर्थियों के उपलब्ध होने पर ग्रादेश क्रमांक 1066-71, दिनांक 20-6-98 एवं ग्रादेश क्रमांक 920-81, दिनांक 3-6-98 द्वारा पदावनत करने के ग्रादेश पारित किये जा चुके हैं। सीधी भर्ती एवं पदोन्नति में जो ग्रसंतुलन हुआ है उसे ग्रतिशीघ्र सुधारने का प्रयास किया जा रहा है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : ग्रध्यक्षजी, ग्रापके माध्यम से मैं मंत्रीजी से सिर्फ दो प्रश्न पूछना चाहूंगा। मंत्रीजी, जैसा कि ग्रापने स्वीकार किया है, कृषि विभाग में 2-12-71 से पूर्व सम्पूर्ण पद सहायक ग्रभि-यंताओं के विभागीय पदोन्नति सिस्टम से भरे जाते थे। यानि जे ईएन. को ए.ईएन. बनाने के लिए सम्पूर्ण पद विभागीय सिस्टम से क्रमोन्नत होते थे। 2-12-71 से 1-12-84 तक ग्रापके क्रमोन्नयन का यह रेशो विभाग से 75 प्रतिशत ग्रौर सीधे चयन भर्ती से 25 प्रतिशत रखा तथा 1-12-84 के बाद से ग्रब तक यह रेशो ग्रापने 50:50 का कर दिया।

1984 से ग्रब तक, 14 वर्ष हो गये, ग्रापने कुल सहायक ग्रभियंताओं के जितने पद हैं उनमें से 163 पद तो विभागीय पदोन्नति से भरे हैं और 102 सीधे लोक सेवा चयन ग्रायोग से भर्ती करवाकर भरे हैं। ग्रापका यह गैप 61 सहायक ग्रभियंताओं का है। मैं ग्रापसे यह पूछना चाह रहा हूं कि लोक सेवा ग्रायोग ने जो ग्रब लास्ट में चयन किया है, उसने कितने ग्रभियंताओं को चयन करके भेजा ग्रौर ग्रापने कितने मांगे थे, नम्बर-एक ?

नम्बर-दो, ग्रापकी विभागीय चयन समिति की जो ग्रन्तिम बैठक हुई है उसमें कितने जे.ईएन. को ग्रापने ए.ईएन. के पद पर क्रमोन्नत करने की सूची बनायी ? कितने की, यह नम्बर चाहिए मेरे को।

श्री ग्रमराराम चौधरी : माननीय ग्रध्यक्षजी, यह सारी बात स्पष्ट हो चुकी है कि किस प्रकार से हमने डी.पी.सी. की मार्फत ग्रौर ग्रार.पी.एस.सी. से जो हमारे ग्रभ्यर्थि ग्राए उनको नियुक्ति दी। मैं ग्रापसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह संख्या 163 है ग्रौर 102 हमने ग्रार.पी.एस.सी. से ग्राए व्यक्तियों को हमारे यहां नियुक्ति दी है। ग्रार.पी.एस.सी. में जो ग्रभ्यर्थी चय-नित हुए उनकी लिस्ट हमारे पास बहुत देरी से ग्रायी ग्रौर उस दौरान, आपको मालूम है कि हमने उनको नियुक्ति दे दी। इनमें से तीन व्यक्तियों को हमने रिवर्ट

(38)

(श्री अमराराम चौधरी)

कर दिया और रिवर्ट करके वापस जे.ईएन. बना दिया।

अब मैं आपका मकसद जान गया हूं कि आर.पी.एस.सी. की जो रिजर्व लिस्ट है उनको भरने के लिए, आपका जो 50:50 का कोटा है उस हिसाब से यह कम संख्या है। लोक सेवा आयोग से जो आए हैं वे कम आए हैं और यहां से जो आए हैं वे ज्यादा हैं। माननीय सदस्य, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आवश्यकतानुसार और नियमानुसार जो भी हमारे पास में यह आपकी रिजर्व लिस्ट है उनमें से जो खाली स्थान हैं या जो भी आवश्यकता पड़ेगी, उनको भरने की पूरी कोशिश की जाएगी।

श्री परसादी लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने कहा सवाल के अपने जवाब में आखिर में कि इस गेप को हम यथाशीघ्र भरेंगे। आपने जैसे कहा, आर. पी. एस. सी. की लिस्ट आपको कब मिली ? उसकी अवधि कब पूरी हो रही है ? उसकी अवधि पूरी होने से पहले आपका जो गेप रह गया है, उसको आप भरने का विचार रखते हैं या नहीं रखते हैं ? उसकी अवधि निकल गयी, तो फिर आप आर.पी.एस.सी. को लिखेंगे और फिर दो साल लग जाएंगे। फिर आप डी.पी.सी. करके पद भर देंगे। इसलिए आर.पी.एस.सी. से जो सीधे सलेक्शन के सहायक कृषि अभियंता हैं, उनको आपका विभाग जान-बूझकर वंचित करने की साजिश कर रहा है। अगर आप वहां बैठकर इनका उद्धार करें तो 2-3 महीने का काम है, आपको लोग याद करेंगे।

श्री अमराराम चौधरी : माननीय अध्यक्षजी, मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं को समझ गया हूं और उनको विश्वास दिलाता हूं कि ये जो 2 महीने बाकी रहे हैं, 4 महीने हो चुके हैं, आपका कहना है कि इन दो महीनों में आप क्या करेंगे, मैं बिलकुल न्याय करूंगा, नियमानुसार, आवश्यकतानुसार जो भी होगा। जो नियम में आएगा, उन सबको नौकरी दूंगा। जो नियम में नहीं आएगा उनको नहीं दूंगा।

श्री परसादी लाल मीणा : नहीं, अवधि पूरी कब हो रही है इसकी आर.पी.एस.सी. की सूची की ? अवधि पूरी होने के बाद करेंगे तब क्या न्याय करेंगे ?..(व्यवधान) यह अवधि कब पूरी हो रही है ?

श्री अमराराम चौधरी : दो महीने के अन्दर-अन्दर। (व्यवधान) दो महीने के अन्दर-अन्दर।

श्री परसादी लाल मीणा : आपको सूची कब भेजी ? उसकी अवधि कब पूरी हो रही है ?

श्री अमराराम चौधरी : माननीय अध्यक्षजी, दो महीने के अन्दर-अन्दर जो रिजर्व लिस्ट है, नियम के अनुसार, आवश्यकतानुसार मैं उनको नियुक्ति देने की पूरी कोशिश करूंगा।

श्री अध्यक्ष : विराजिए। श्री हरजी राम बुरड़क।

ग्रामीण श्रम निरीक्षक के कार्य क्षेत्र का राज-पत्र में प्रकाशन

383. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नागौर जिले के लिए ग्रामीण श्रम निरीक्षक नियुक्त हैं ? यदि हां, तो कब से और इनको कार्य/अधिकार देने की विज्ञप्ति राजपत्र में कब प्रकाशित हुई ? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि राजपत्र में विज्ञप्ति के प्रकाशन के अभाव में इनको कोई कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है ? यदि हां, तो विज्ञप्ति प्रकाशित क्यों नहीं की गयी ?

(3) बिना राजपत्र में प्रकाशित किये इनको नियुक्ति दिये जाने के क्या कारण हैं ? इनके वेतन भत्तों व अन्य खर्चों पर अब तक कुल कितनी राशि व्यय हुई है ? इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं ?

राज्य मंत्री, श्रम (श्री नन्दलाल मीणा): (1) जी हां। सहायक श्रम आयुक्त, नागौर कार्यालय में श्री पी.एल.बाहेती. ग्रामीण श्रम निरीक्षक को आदेश संख्या 12474-49, दिनांक 14-11-96 के द्वारा पदस्थापित किया गया है। कार्य अधिकार दिए जाने की अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित नहीं की गयी है।

(2) जी हां। राजपत्र में कार्यक्षेत्र आवंटित किए जाने की विज्ञप्ति इस कारण से प्रकाशित नहीं की गई कि कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय जांच कार्यवाही विचाराधीन थी जिसके दौरान श्री बाहेती को निलम्बन से बहाल करते हुए नागौर कार्यालय में पदस्थापित किया गया था।

(3) श्री बाहेती को निलम्बन से पूर्व कार्यक्षेत्र आवंटित किया हुआ था, परन्तु इनके कार्य की शिकायत प्राप्त होने पर इनको निलम्बित कर दिया गया। इनका निलम्बन समाप्त करके कार्यालय कार्य हेतु प्रशासनिक दृष्टि से नागौर में पदस्थापित कर दिया गया था। श्री बाहेती को वेतन व अन्य भत्तों के रूप में 77,257/–रुपये का भुगतान किया जा चुका है। चूंकि कोई निष्फल व्यय नहीं हुआ है, अतः जिम्मेदारी का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपना जो उत्तर दिया है उसमें यह बताया है कि इस श्रम निरीक्षक को 14-11-96 को नागौर में लगाया गया। जब तक उनको गजट नोटिफिकेशन करके अधिकार नहीं देते तब तक वे कोई काम नहीं कर सकते। आपने यह बताया है कि अधिसूचना अधिकार देने की इसलिए आवंटन नहीं की कि उनके खिलाफ कार्यवाही चल रही है और वह कार्यवाही नागौर लगाने से पहले की चल रही थी तो पहली बात तो यह है कि उसको नागौर लगाने का क्या औचित्य था अगर वह काम करने लायक नहीं समझ रहे थे ? उसके खिलाफ कार्य-

(श्री हरजीराम बुरड़क)

चाही चल रही थी, अधिकार उसको देना नहीं चाहते थे तो आप अपने हैडक्वार्टर पर लगाते, नागौर में लगाने का क्या औचित्य था ? और क्या करना चाहते थे आप ?

प्रश्न के भाग तीन के उत्तर में आपने कहा है कि कोई निष्फल व्यय नहीं हुआ, तो क्या इस व्यय का फल मिला ?

श्री नन्दलाल मीणा : क्या ?

श्री हरजीराम बुरड़क : इसका क्या औचित्य था ? वहां बैठकर आपने लाख रुपये खर्च कर दिये और अधिकार आपने उसको दिये नहीं तो वहां लगाने का कारण क्या था ? अगर आपके पास कोई आदमी दूसरा नहीं था तो वह खाली जगह रखते । इन इन्स्पैक्टरों को लगाने का, उनको पद-स्थापित करने का औचित्य क्या है, यह तो आप बताइये ।

श्री नन्दलाल मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रम निरीक्षकों का कार्य श्रम नियमों की पालना हो, उसकी व्यवस्थित निगरानी रखी जाए, इस दृष्टि से होता था । परन्तु उक्त श्रम निरीक्षक ने अपने सेवाकाल के दौरान 1992 से अब तक....

श्री हरजीराम बुरड़क : मैं उसकी पैरवी नहीं कर रहा हूं । मैं तो यह कह रहा हूं कि नागौर में लगाने का औचित्य क्या था और नागौर में उस कार्य को कौन कर रहा है ?

श्री नन्दलाल मीणा : इनकी शिकायतें प्राप्त होने की वजह से माननीय अध्यक्ष महोदय, उनसे वह काम लेकर उनको आफिस में क्लेरीकल जाब में लगा दिया । अब माननीय सदस्य का यह कहना है कि नागौर में उसका काम कार्यालय में लिया जा रहा है और फील्ड में श्रम निरीक्षकों की आवश्यकता है । अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना ही आश्वस्त कर सकता हूं सदन में कि आज ही यदि वहां पर श्रम निरीक्षक के कार्य की आवश्यकता है, इस तरह के उद्योग और दुकानों के कामों का अवलोकन करने का सवाल है....

श्री हरजीराम बुरड़क : आपको पता ही नहीं था कि आवश्यकता है कि नहीं, तो फिर वहां लगाये क्यों ? यह ग्रामीण क्षेत्र का श्रम निरीक्षक है ।

श्री नन्दलाल मीणा : आपकी भावना के अनुसार यदि अतिरिक्त एक पद... (व्यवधान) ...

श्री हरजीराम बुरड़क : नहीं, आपको यही जानकारी नहीं है कि आवश्यकता है कि नहीं है और आपने उसको दो साल से वहां पर बैठा रखा है । इससे पहले भी वह कार्यालय था ।

श्री नन्दलाल मीणा : आज श्री बाहेती को कार्यालय में बैठा रखा है और उसके एवज में सप्ताह भर के अन्दर-अन्दर दूसरा श्रम निरीक्षक वहां नागौर में लग जायेगा ।

श्री हरजीराम बुरड़क : ठीक है ।

Page No.24

(40)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री गोविन्द सिंह गुर्जर ।

उप–खण्ड मुख्यालय, नसीराबाद में कैम्प कोर्ट की स्थापना

384. श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या विधि राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) 1 जनवरी, 1990 से 1 जुलाई, 1998 तक नसीराबाद स्थित न्यायालयों में कितनी बार व कितने दिन वकील समुदाय द्वारा हड़ताल की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या हड़ताल मुख्यतः नसीराबाद में सब-डिवीजन हैडक्वार्टर घोषित कर वहां सस्ता न्याय सुलभ कराने के लिये, कैम्प कोर्ट लगाने के सम्बन्ध में की जाती रही है ? यदि हां, तो वहां न्यायोचित सुविधा मुहैया नहीं कराने के क्या कारण हैं ?

राज्य मंत्री, विधि (श्री कालीचरण सराफ) : (1) नसीराबाद स्थित न्यायालयों में दिनांक 1-1-1990 से दिनांक 1-7-1998 तक130 बार व कुल 805 दिन वकील समुदाय द्वारा हड़ताल की गई । विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है ।

(2) जी हां । केवल दिनांक 9-1-1995 से दिनांक 22-7-1995 तक 195 दिन ए. डी. जे. न्यायालय, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, उपखण्ड अधिकारी, उप पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) की स्थापना नसीराबाद में करने की मांगों के समर्थन में हड़ताल की गई व शेष दिनों में अन्य कारणों से हड़ताल की गई जो परिशिष्ट "क" पर उल्लेखित है ।

हड़ताल नसीराबाद को सब डिवीजन हैडक्वार्टर घोषित करने व कैम्प कोर्ट की स्थापना के लिये नहीं की गई । अतः इस संबंध में सुविधा मुहैया कराने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के भाग संख्या दो में आपने कहा है कि 9-1-1995 से 22-7-1995 तक 195 दिन ए. डी. जे. न्यायालय वह आगे वाला महत्वपूर्ण है कार्यपालक मजिस्ट्रेट, उपखण्ड अधिकारी, एस.डी.ओ., उप पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) की स्थापना के लिये हड़ताल की गयी और उसी भाग में आप लिखते हैं कि हड़ताल नसीराबाद को सब डिवीजन हैडक्वार्टर घोषित करने व कैम्प कोर्ट की स्थापना के लिये नहीं की गयी है, ये दोनों कोण्ट्राडिक्टरी हैं । आपने प्रश्न जब तैयार किया तो इन दोनों कोण्ट्राडिक्शन को एक साथ ही लिख दिया ?

अध्यक्ष महोदय, आठ साल में 805 दिन हड़ताल, तो लगभग एक साल में सौ दिन हड़ताल रही । एक साल का तिहाई हिस्सा हड़ताल में गुजर रहा है और वह हड़ताल मुख्यतः इन बातों के लिये हो रही है, यह आप भी मानते हैं । 195 दिन और एक और है जो आपने दिया है, वह

Page No.25

(42)

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

है 279 दिन, 10–3–1992 से पूरे वर्ष 31–12–1992 तक यह हड़ताल रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां एस. डी. ओ. लगे हुए हैं। एस. डी. ओ. का अजमेर में कोई काम नहीं है, जो वी. आई. पी. आते हैं उनकी सेवा करने के अलावा। उसका सारा क्षेत्र नसीराबाद और पुष्कर का पड़ता है। कोर्ट हमारे नसीराबाद में लगते हैं जो जुडीशियल कोर्टस हैं। आपके यहां ए. सी. एम. बैठता है, अजमेर में और सुनवाई करता है हमारे मुकदमों की। डीवाई. एस. पी. का जो क्षेत्र है वह अजमेर नहीं है लेकिन बैठता अजमेर में है, इलाके हमारे हैं। यह मैं गृह मंत्रीजी से भी कहना चाहूंगा।

श्री कैलाश मेघवाल : पहले तो आपने नहीं बताया।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : तो इन तीन आदमियों के कार्यालय, वे वहां पर बेकार बैठ रहे हैं, उनको दूसरे कामों में प्रशासन लगा देता है और हम लोगों को न्याय मिलता नहीं है। यहां के लोग जाते हैं, तारीख पेशी पड़ती है, वापस आ जाते हैं। और नसीरबाद तारीख पड़ती है तो वकील हड़ताल कर देते हैं, वे वापस आ जाते हैं। अब उनकी व्यथा को कौन समझेगा? इसलिए मेरा निवेदन है कि....

श्री कैलाश मेघवाल : पहली बार कह रहे हैं आप।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : मेरा निवेदन यह है कि आप इन तीनों कार्यालयों को नसीराबाद स्थानान्तरित कर दें। पहले डीवाई.एस.पी. का ही तो था, वहां पर ये दो कोर्ट हैं, इन दो कोर्ट में वहां लगा दीजिये। भवन उपलब्ध है, और भी आपको जो जरूरत होगी वह हम आपको उपलब्ध करा देंगे। इसलिए इस सम्बन्ध में जो कुछ भी आप कर सकते हैं, वह करिये। थोड़ा समय बचा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री कालीचरण सराफ : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने न्यायालय किसी भी स्थान पर खोलने हेतु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से एक नीतिगत निर्णय लिया हुआ है और उसी के अनुसार प्रति वर्ष नार्म्स को ध्यान में रखते हुए तीस न्यायालय विभिन्न स्तर के खोले जाते रहे हैं। अब जो हम तीस न्यायालय खोलेंगे, उसमें भी....

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : राजस्थान हाई कोर्ट से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री कालीचरण सराफ : सुन तो लो।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : यह तो रेवेन्यू का कार्ट है, आपको करना है।

श्री अध्यक्ष : आप सुन लें। पहले आप पूरा सुनें। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : रेवेन्यू का कोर्ट है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया, माननीय सदस्य।

श्री कालीचरण सराफ : हमने न्यायालय खोलने के लिये नार्म्स बना रखे हैं, उन नार्म्स में नसीराबाद में आपने जो कोर्ट चाहे हैं वे यदि होंगे तो इस बार जो तीस न्यायालय हम खोल रहे हैं, उसमें निश्चित रूप से विचार करेंगे और खोल देंगे। नार्म्स में होगा तो ही खुलेंगे।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : एस.डी.ओ. की बात कर रहे हैं, कौनसी न्यायालय की बात है ? (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : एस.डी.ओ. कोर्ट की बात कर रहा हूं। हाई कोर्ट की बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हाई कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : हाई कोर्ट से आर्डर लेंगे, यह कह रहे हैं। आप तो यह नहीं.. (व्यवधान)....

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका प्रोटेक्शन चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : यह रेवेन्यू डिपार्टमेंट से सम्बन्धित.... (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : एस.डी.ओ. कोर्ट के लिये हाई कोर्ट की परमिशन, नार्म्स की कोई जरूरत नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दे रहे हैं उत्तर।

श्री कालीचरण सराफ : माननीय सदस्य, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह मेरे विभाग से सम्बन्धित प्रश्न नहीं है, रेवेन्यू विभाग से है। तो आपने यह गलत दे दिया। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अब यह क्या करना है ? किसी को भी दे दीजिये। उनको दे दीजिये। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : आप विधि मंत्री हैं। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : ट्रांसफर कर देते सीधा इनको, इनका नहीं है तो..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री हरजीराम बुरड़क : इनको यही ध्यान नहीं है कि यह प्रश्न मेरा है कि दूसरे का है और ये विधि मंत्री हैं, राजस्थान की विधि का क्या होगा ?

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, तीन महीने के मंत्री बनेंगे तो स्थिति यही रहेगी। तीन महीने में..(व्यवधान)..

प्रश्न संख्या 385

श्री अध्यक्ष : श्री अर्जुनदास मदान। एबसेंट।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें)

श्री शांतिलाल चोईवाल।

श्री जगदीप धनखड़ : तीन महीने में क्या ज्ञान प्राप्त करेंगे ? (व्यवधान)

श्री परसादी लाल मीणा : जवाब तो दिलवाइये, साहब, इनसे ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, जवाब तो दिलवाइये ।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : वे दे सकते हैं जवाब तो ।(व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इतना महत्वपूर्ण सवाल है और यह..

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : रेवेन्यू मिनिस्टर जवाब दें, साहब ।

श्री जगदीप धनखड़ : कानून मंत्री को प्रताड़ित किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : सम्बन्धित विभाग को ट्रांसफर कर दिया जाएगा । बिराजिये ।

श्री जगदीप धनखड़ : विधि मंत्री ऐसी स्थिति रखते हैं । शुरू में कह देते । ये प्रश्न का जवाब नहीं दे पाये, पूरी तरह से असहाय हो गये तो कहा कि मेरे विभाग से सम्बन्धित नहीं है ।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : पड़ौस के दूसरे मंत्रीजी ने बताया तो इनको अपनी गलती का अहसास हुआ ।

श्री रामस्वरूप मीणा : मंत्री बनने से क्या फायदा जो आप जवाब ही नहीं दे सकते ? बन गये मंत्री, जवाब आपसे लगता नहीं है ।

श्री जगदीप धनखड़ : यह तो मंत्रीजी को..(व्यवधान) ...

श्री रामस्वरूप मीणा : क्या फायदा ऐसा विभाग लेने से ? (व्यवधान)

मृत राज्य कर्मी के आश्रित को भुगतान प्रकरण

386. श्री शांतिलाल चोईवाल (राजसमंद) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि आयुर्वेद कम्पाउंडर स्व. श्री यदुनन्दन सिंह वर्मा, आयुर्वेद औषधालय, फलवा (चित्तौड़गढ़) की आठ वर्ष पूर्व मृत्यु हो जाने के बाद भी उनकी विधवा पत्नी को अभी तक पेंशन, ग्रेच्युटी बीमा एवं जी.पी.एफ. की राशि का भुगतान नहीं किया गया है ?

(2) क्या सरकार अब राज्य कर्मचारी की विधवा पत्नी को बकाया भुगतान शीघ्र कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

राज्य मंत्री, आयुर्वेद (श्री अचलाराम मेघवाल) : (1) जी नहीं । राजकीय आयुर्वेद औषधालय, फलवा (चित्तौड़गढ़) से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्राप्त कम्पाउण्डर स्वर्गीय श्री यदुनन्दन वर्मा की विधवा को

Page No.28

(45)

(श्री प्रचलाराम मेघवाल)

राज्य बीमा का भुगतान किया जा चुका है तथा प्रोविजनल पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की जा चुकी है। जमा जी.पी.एफ. एवं देय ग्रेच्युटी का भुगतान शीघ्र ही करने की कार्यवाही की जा रही है।

(2) जी हां। बकाया भुगतान की राशि शीघ्र किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री शांतिलाल खोईवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह स्वर्गीय श्री यदुनन्दन सिंह वर्मा, प्रायुर्वेद प्रोषधालय का कम्पाउण्डर जो फलवा में काम करता था, उसने अपनी बीमारी के कारण स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति प्राप्त की बारह साल पहले। दस साल पहले उसकी मृत्यु हो गयी। आज दिन तक उसकी विधवा को पेंशन का, ग्रेच्युटी का और बीमा राशि का भुगतान नहीं हुआ है। दस साल से आज दिन तक भुगतान नहीं हुआ है। मंत्री जी कह रहे हैं कि हमने प्रोविजनल पेंशन तो बनवा दी है। प्रोविजनल पेंशन से काम नहीं चलेगा। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि जिनके ड्यूज हैं पेंशन के एक तो रेगुलर पेंशन तैयार करवा दें, उसकी समय सीमा भी निर्धारित करें और दूसरे ड्यूज हैं उनका कब तक पेमेंट कर देंगे, इसमें भी समय सीमा निर्धारित करें तो मैं समझता हूं कि उस विधवा महिला को आप राहत पहुंचाएंगे।

(12.00 बजे)

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री प्रचलाराम मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, फिलहाल इन्हें 380 रुपये प्रोविजनल पेंशन के प्राप्त हो रहे हैं और राज्य बीमा की राशि 2,330/- रुपये उन्हें प्राप्त हो चुकी है।

श्री शांतिलाल खोईवाल : यह अभी प्राप्त होने वाली बात आ रही है।

श्री प्रचलाराम मेघवाल : माननीय सदस्य की पीड़ा को मैं खुद समझता हूं कि एक विधवा को प्रोविजनल पेंशन जो 380 रुपये मिल रहे हैं, उसमें उनका गुजारा नहीं हो सकता। इसके लिए हमने एक जिला अधिकारी को नियुक्त कर दिया था। उसने ढिलाई क्यों की? उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी और उप निदेशक स्तर के किसी अधिकारी को नियुक्त करके महीने भर के अन्दर यह कार्यवाही निपटाने की मैं निर्देश दूंगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

अल्प बचत योजनान्तर्गत जिला कलक्टर अलवर द्वारा कराये गये विकास कार्य

378. श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी): क्या उप मुख्य (वित्त) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

Page No.29

(५८)

(श्री रमाकान्त शर्मा)

(1) क्या यह सही है कि जिला कलक्टर्स को अल्प बचत योजना की उपलब्धि के अनुरूप कुछ धनराशि जिले के विकास कार्यों पर व्यय करने हेतु अधिकृत किया हुआ है ?

(2) अलवर जिले में वर्ष 1997-98 में उक्त योजना हेतु कितनी धनराशि जिला कलक्टर के पास उपलब्ध थी एवं इस धनराशि को किन-किन कार्यों पर व्यय किया गया ? व्यय करने के मानदण्ड क्या रखे गये ?

(3) क्या इसमें से कोई धनराशि विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में व्यय की गई ? यदि हां, तो कितनी और किन-किन कार्यों पर ?

उत्तर

(1) हां।

(2) वर्ष 1997-98 में अल्प बचत योजनान्तर्गत जिला कलक्टर, अलवर के पास रु. 40.06 लाख उपलब्ध थे। वर्ष 1997-98 में जिला कलक्टर, अलवर द्वारा विभिन्न कार्यों पर 19.30 लाख रुपये व्यय किए गए, जिसका ब्योरा परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प.6(2) वित्त/राले-1/89 दिनांक 10-6-96 के द्वारा जिला प्रोत्साहन पुरस्कार योजना में वर्णित विकास कार्यों हेतु निर्धारित मापदण्ड के अनुसार धनराशियां व्यय की गई। 'शून्य' पंचायत समिति थानागाजी से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं है।

(ब्योरा विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

सचिव, फल मण्डी जोधपुर द्वारा अनियमितताएं

380. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सचिव, फल-मण्डी जोधपुर ने पावटा फल मण्डी के गेट न. 1 व 2 के पास सरकारी जमीन नियम विरुद्ध ढंग से अपने रिश्तेदारों को बेच दी है तथा उनके नाम पर दुकान भी आवंटित कर रखी है ? क्या मुख्य द्वार पर भी अवैध कब्जा करवा रखा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि मण्डी सचिव द्वारा लोगों को आतंकित किया जा रहा है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त प्रकरण में क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह भी सही है कि सचिव द्वारा कोल्ड स्टोरेज की जमीन किसी के नाम आवंटित कर दी गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

Page No.30

(47)

उत्तर

(1) जी नहीं। मेन गेट पर कोई अवैध कब्जा नहीं है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। मण्डी समिति ने मुख्य मण्डी प्रांगण मदवासिया में कोल्ड स्टोरेज हेतु भू-खण्ड आवंटन नियमानुसार किया है। अतः कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

बेरोजगारी समस्या के निराकरण हेतु योजना

385. श्री अर्जुनदास मदान (लाडपुरा) : क्या रोजगार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वर्ष 1993-94 से 1997-98 के दौरान राज्य में बेरोजगारों को रोजगार देने के कितने अवसर सुलभ कराये गये ? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या बढ़ती हुई बेरोजगारी को दूर करने के लिये सरकार ने अल्पकालीन अथवा दीर्घकालीन योजना बनाई है ? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो योजना की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1993-94 से 1997-98 के दौरान राज्य में रोजगार कार्यालयों द्वारा 610948 आशार्थियों के नाम नियोक्ताओं को संप्रेषित कर उन्हें रोजगार के अवसर सुलभ कराये गये। जिलेवार सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं। बढ़ती हुई बेरोजगारी दूर करने के लिये रोजगार विभाग द्वारा कोई अल्पकालीन अथवा दीर्घकालीन योजना नहीं बनाई गई है, क्योंकि इस विभाग का मूल कार्यक्षेत्र रोजगार सृजन करना नहीं है। यह विभाग सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं द्वारा रोजगार कार्यालयों को ज्ञापित रिक्तियों के लिये पंजीकृत आशार्थियों में से योग्य आशार्थियों के नाम भिजवाता है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राज्य का विकास व्यय प्रकरण

513. श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या उप मुख्य (वित्त) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य के वर्ष 1990-91 से 1997-98 तक कुल व्यय में विकास व्यय का क्या प्रतिशत रहा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1998-99 के बजट में कुल व्यय में विकास व्यय का प्रस्तावित प्रतिशत क्या है ?

उत्तर

(1) राज्य के वर्ष 1990-91 से 1997-98 तक कुल व्यय से विकास व्यय का प्रतिशत 66.25 प्रतिशत से 73.69 प्रतिशत रहा है। विवरण इस प्रकार है।

(राशि करोड़ों में)

वर्ष	कुल व्यय (लोक ऋण को छोड़कर)	विकास व्यय	कुल व्यय से प्रतिशत
1990-91	4245.48	3061.23	72.11
1991-92	5620.09	4141.37	73.69
1992-93	6141.75	4421.34	71.99
1993-94	7174.55	5103.50	71.13
1994-95	8212.86	5629.33	68.54
1995-96	10606.26	7027.52	66.25
1996-97	10381.33	7211.27	69.46
1997-98 (संशोधित अनुमान)	12165.78	8498.90	69.86

(2) वर्ष 1998-99 के परिवर्तित बजट में कुल व्यय (लोक ऋण को छोड़कर) 14046.36 करोड़ रुपये एवं विकास व्यय 9360.29 करोड़ रुपये हैं जो कुल व्यय का 66.64 प्रतिशत है।

Page No.32

(497)

राज्य बुनकर सहकारी संघ द्वारा अनियमितता

514. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या उप मुख्य (उद्योग) मंत्री यह बताने की, कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ लि. में 31 अक्टूबर, 1994 की रात को प्रबन्धक द्वारा बिना कपड़ा देखे फर्जी निरीक्षण प्रमाण-पत्रों से कपड़ा पास किया गया ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

जी नहीं। पुनश्चय बुनकर संघ में इस प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई है।

सरकारी कार्यालयों हेतु सी.एस.पी. ओ. द्वारा फर्नीचर की खरीद पर रोक

515. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडा-भीम) : क्या उप मुख्य (उद्योग) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार ने सी.एस.पी.ओ. द्वारा सरकारी कार्यालयों में उपयोग हेतु फर्नीचर की खरीद पर वर्ष 1993-94 में रोक लगा दी थी ? यदि हां, तो ऐसा निर्णय क्यों व किसकी शिकायत पर लिया गया ? वर्ष 1994 से 1997 तक कार्यालयों में फर्नीचर की खरीद किस नीति के अंतर्गत की गई ?

(2) सी.एस.पी.ओ. में जिन ठेकेदारों के विरुद्ध सरकार को शिकायतें प्राप्त हुईं, उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अन्तर्गत राजस्थान सरकार को गत वर्षों में केन्द्र सरकार से कितनी राशि शिक्षा क्षेत्र में विद्यालयों के स्तर को ऊंचा उठाने हेतु प्राप्त हुई ?

(4) क्या यह सही है कि आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत की गई खरीद में भारी घोटाला किया गया था ? यदि हां, तो क्या वर्ष 1997-98 में आपरेशन ब्लैक बोर्ड की बची हुई राशि से फर्नीचर खरीद के लिये राजसिको को इसका ठेका दिया गया है ?

(5) क्या राजसिको द्वारा जिस प्राईवेट कम्पनी से फर्नीचर का निरीक्षण करवाकर फर्नीचर खरीदा गया है, वह रद्दी एवं घटिया किस्म का होने के बावजूद ऊंचे दामों पर खरीद कर सरकार को लगभग 5 करोड़ की हानि पहुंचाई गई है ?

(6) क्या राजसिको व सरकार उक्त प्राईवेट कम्पनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(7) क्या यह सही है कि उपरोक्त शिकायतों के बावजूद सरकार ने वर्ष 1998-99 के लिए सभी सरकारी व अर्द्ध सरकारी कार्यालयों में फर्नीचर खरीदने के

Page No.33

(50)

(श्री रामस्वरूप मीणा)

लिये राजसिको को अनुबंधित किया है एवं उसी प्राईवेट कम्पनी द्वारा निरीक्षण किया जाना है जो पूर्व में की गई खरीद के लिये दोषी है ? यदि हां, तो ऐसा किये जाने के पीछे क्या कारण हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(8) क्या यह सही है कि राजसिको को उपयुक्त खरीद में नियमानुसार तीन प्रतिशत राशि कमीशन के रूप में मिलती है ? यदि हां, तो कमीशन से अधिक राशि लिये जाने का क्या कारण था ?

उत्तर

(1) जी नहीं। सी.एस.पी.ओ. ने स्टील फर्नीचर की खरीद पर रोक नहीं लगाई अपितु स्टील फर्नीचर को दिनांक 27-10-94 से केन्द्रीय क्रुत सूची से विलोपित किया गया। यह निर्णय प्राप्त शिकायतों व पूर्व अनुभव के आधार पर लिया गया। इसके पश्चात इसकी खरीद सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अध्याधीन रहते हुए करने के निर्देश परिपत्र संख्या 68/94 आदेश क्रमांक प. 7 (88) वित्त/सी.एस.पी ओ./94 दिनांक 28-10-94 से दिये गये।

(2) स्टील फर्नीचर प्रदायकों के विरुद्ध लगभग 100 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई थी उनके विरुद्ध विभाग द्वारा संबंधित क्रय कर्ता कार्यालयों के माध्यम से निम्नलिखित कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

1. पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज कराना

2. उपभोक्ता फोरम में वाद दायर करवाना

3. उद्योग विभाग से मान्यता (पंजीकरण) समाप्त करवाना

4. कुछ प्रकरणों में सी.एस.पी.ओ. द्वारा जमानत राशि जब्त करना।

(3) आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजनान्तर्गत राजस्थान सरकार को केन्द्र सरकार से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण सामग्री व पुस्तकालय सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 1993-94 में राशि रुपये 480.50 लाख व 1994-95 में राशि रुपये 376.80 कुल 857.30 लाख रुपये प्राप्त हुये। उक्त राशि से 31 जिलों के 1927 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को दरीपट्टी, दरीफर्श, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, कुर्सियां, मेज बेन्च, आलमारियां, खेल सामग्री, शिक्षाक्रम, अध्यापक गाइड्स, बाल साहित्य, संदर्भ पुस्तकें, चार्ट, नक्शे आदि प्रदान किये गये।

(4) जी नहीं। आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजनान्तर्गत निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्र दिनांक 31-3-97 के द्वारा राजसीको, जयपुर को फर्नीचर आपूर्ति के आदेश दिये गये थे।

(5) राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा वस्तुओं की खरीद खुली निविदा के आधार

(उप मुख्य (उद्योग) मंत्री)

पर प्रतियोगी दरों पर की गयी है। आदेशित माल का निरीक्षण अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था मैसर्स एस.जी.एस. इण्डिया लिमिटेड द्वारा करवाया गया है जो पूर्व में ही राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल व राज्य सरकार के जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में निरीक्षण का कार्य करती है। इस कम्पनी की नियुक्ति प्रतियोगी दरों पर की गयी है। अतः रद्दी एवं घटिया किस्म का माल ऊंची दरों पर क्रय कर हानि पहुंचाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(6) जब घटिया किस्म का माल ऊंची दरों पर क्रय ही नहीं किया गया है तो कार्यवाही का कोई प्रश्न नहीं है।

(7) यह सही नहीं है।

(8) जी नहीं। निगम द्वारा लघु औद्योगिक इकाइयों द्वारा उत्पादित माल की आपूर्ति हेतु क्रेता विभाग से सेवा-शुल्क प्राप्त किया जाता है। सेवा-शुल्क के विषय में निर्णय सरकार/क्रेता विभाग के स्तर पर लिया जाता है।

न्यायालयों के आदेश से अधिकारियों/कर्मचारियों को किये भुगतान का दोषियों से वसूली प्रकरण

516. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि न्यायालयों के निर्णयों की पालना में विभागीय कर्मचारियों एवं अन्यों को भुगतान किया गया है? यदि हां, तो गत तीन वर्षों में कितना-कितना किस-किस को तथा किस न्यायालय के आदेश से? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जिन अधिकारियों की गलती से सरकार को भुगतान करना पड़ा है, उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो किन के विरुद्ध क्या और कब तथा नहीं, तो क्यों?

(3) क्या कुछ मामलों में माननीय उच्च न्यायलय ने यह भी निर्णय दिया है कि जिन अधिकारियों की गलती से सरकार को भुगतान करना पड़ा है उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाये? यदि हां, तो कौन-कौन से मामलों में और उनमें क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी हां। गत वर्षों में किस-किस व्यक्ति/कर्मचारी को कितना-कितना भुगतान किस न्यायालय के आदेश की पालना में किया गया, इसका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। एक अधिकारी को दिनांक 5-6-96 तथा दूसरे को 28-6-98 को दंडित किया गया है। सात अधिकारियों को आरोप पत्र दिये जाकर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की गई तथा बारह अधिकारियों के विरुद्ध जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(राज्य मंत्री, वन)

(3) जी हां । प्रकरणवार विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" में दर्शाया गया है ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

सहायक कृषि अभियन्ताओं को पदोन्नति का प्रकरण

517. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि वन विभाग में सहायक कृषि अभियन्ता अभियांत्रिकी की सेवाओं के अधिकारी 15 वर्षों से अधिक समय से इस पद पर कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो उनको अब तक पदोन्नति नहीं देने के क्या कारण हैं ।

(2) क्या यह भी सही है कि कृषि अभियन्ता की पदोन्नति के लिये विभागीय समिति की बैठक बुलाई गई थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि विभाग के कई सहायक कृषि अभियन्ताओं को माह जनवरी, 1998 से वेतन नहीं मिल रहा है ? यदि हां, तो क्यों और उन्हें अब कब तक वेतन का भुगतान करा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) स्वीकृत पदों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुये समय-समय पर कृषि अभियन्ता के पद पर पदोन्नतियां की गई है ।

(2) कृषि अभियन्ताओं से कनिष्ठ पद पर पदोन्नत अधिकारियों का माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रसारित स्थगन आदेश की वजह से नियमितिकरण न होने से विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक नहीं बुलाई जा सकी है ।

(3) जी हां । माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश की वजह से सहायक अभियन्ताओं की पदोन्नति को नियमित नहीं किया जा सका है । पदोन्नति के नियमितिकरण होने पर वेतन भुगतान किया जाना संभव होगा ।

वन विभाग के कर्मचारियों का वेतन निर्धारण प्रकरण

518. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर में ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनके वेतनमान 9, 18 एवं 27 का लाभ तथा उनको वेतनमान का निर्धारण अभी तक नहीं किया गया है ? क्या सरकार इन कर्मचारियों को निर्धारित वेतनमान देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर के कर्मचारियों के पांचवे

Page No.36

(53)

(श्री रामस्वरूप मीणा)

वेतन आयोग की राज्य सरकार द्वारा घोषणा की गई है ? यदि हां, तो क्या उक्त विभाग के कर्मचारियों का वेतन निर्धारण कर दिया गया है और अब ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनका वेतन निर्धारण किया जाना शेष है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार शेष कर्मचारियों का वेतन निर्धारण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर में कुल 180 कर्मचारी पदस्थापित हैं जिनमें से 172 को 9, 18, 27 वर्ष का लाभ दिया जा चुका है शेष 8 कर्मचारियों को उनकी ए. सी. आर. व अन्य पूर्तियां न होने के कारण से अभी तक उक्त लाभ नहीं दिया गया है। शेष कर्मचारियों की पूर्तियां होते ही 9, 18, 27 का लाभ दे दिया जावेगा।

(2) प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय में कार्यरत 180 कर्मचारियों में से 171 को नवीन वेतनमान, 1998 के अन्तर्गत वेतन स्थरीकरण किया जाकर लाभ दिया जा चुका है। शेष 9 कर्मचारियों को विकल्प एवं जांच एवं अन्य सेवाभिलेख पूर्ण नहीं होने आदि के कारण दिया जाना अभी तक सम्भव नहीं हो सका है। वांछित पूर्तियां होते ही वेतन निर्धारण का लाभ दे दिया जावेगा। जिन कर्मचारियों का वेतन निर्धारण होना है उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां। शेष कर्मचारियों के सम्बन्ध में बकाया पूर्तियां होने पर विकल्प के आधार पर वेतन निर्धारण किया जावेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

जिला करौली में जल ग्रहण विकास हेतु स्वीकृत योजनाएं

519. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जल ग्रहण क्षेत्र के विकास के लिये सरकार ने इस वर्ष करौली जिले में कहां-कहां, क्या-क्या योजनाएं बनाई हैं और उनमें से कितनी क्रियान्वित हुई हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार इन योजनाओं को शीघ्र पूरा करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण खण्ड सवाई माधोपुर के अन्तर्गत इस वर्ष जिला करौली में चार योजनाएं राष्ट्रीय जलग्रहण क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत एवं 19 जलग्रहण क्षेत्र, आस्वासित रोजगार योजना अन्तर्गत तैयार कर स्वीकृत किये गये हैं

(34)

(राज्य मंत्री, कृषि)

इन स्वीकृत जलग्रहण क्षेत्रों में कार्य प्रगति पर है जिनका ब्यौरा परिशिष्ट एक पर संलग्न है।

(2) जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण खण्ड सवाई माधोपुर को जिला करौली में चार जलग्रहण क्षेत्र राष्ट्रीय जलग्रहण क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 97-98 में स्वीकृत किये गये हैं, जिन्हें वर्ष 2002 तक (पांच वर्ष) पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। आश्वासित रोजगार योजनान्तर्गत जिला करौली में वर्ष 1997-98 में स्वीकृत जलग्रहण क्षेत्रों में योजनानुसार चार वर्ष में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

(ब्यौरे के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

पंचायत समिति लाडनूं के कर्मचारियों का मुख्यालय पर ठहराव

520. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति लाडनूं जिला नागौर क्षेत्र में कृषि विभाग के कर्मचारी/अधिकारी नियुक्त हैं? यदि हां, तो कहां-कहां पर कब–कब से कौन-कौन ?

(2) क्या लाडनूं के अलावा भी किसी कर्मचारी का इस क्षेत्र में मुख्यालय है? यदि हां, तो किन-किन का, कहां-कहां पर तथा इसका क्या कार्य है ?

(3) क्या उक्त कर्मचारी/अधिकारी अपने–अपने मुख्यालय पर उपस्थित रहते हैं? यदि हां, तो माह में कितने दिन और वहां पर रहने का सत्यापन किस प्रकार किया जाता है ?

(4) क्या यह सही है कि अधिकतर कर्मचारी अपने मुख्यालय पर आते ही नहीं हैं? यदि हां, तो क्यों और इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है तथा नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र. सं.	कहां–कहां पर	कब-कब से	कौन-कौन
1	2	3	4
1.	लाडनूं	1-9-95	रिक्त पद सहायक कृषि अधिकारी (श्री दयालराम कुमावत सहायक कृषि अधिकारी कार्यवाहक)

Page No.38

(55)

(राज्य मंत्री, कृषि)

1	2		3
2.	लाडनूं	7-11-97	श्री दयालराम कुमावत, कृषि पर्यवेक्षक
3.	खामियाद	15-4-95	श्री किशोरसिंह खाची, कृषि पर्यवेक्षक
4.	बाकलिया	8-8-95	श्री बजरंगलाल मीणा, कृषि पर्यवेक्षक
5.	निम्बिजोधा	24-11-95	श्री रामप्रसाद कलाल, कृषि पर्यवेक्षक
6.	सावराद	7-11-97	श्री सुजानसिंह, कृषि पर्यवेक्षक
7.	रोडू	15-10-97	रिक्त पद, कृषि पर्यवेक्षक
8.	जसवंतगढ़	18-10-97	रिक्त पद कृषि पर्यवेक्षक

(2) जी हां। लाडनूं के अलावा पंचायत समिति क्षेत्र में निम्नलिखित कर्मचारी कार्यरत है :–

क्र.सं.	किन-किन का	कहां–कहां पर (मुख्यालय)
1.	श्री किशोरसिंह खाची, कृषि पर्यवेक्षक	खामियाद
2.	श्री बजरंग लाल मीणा, कृषि पर्यवेक्षक	बाकलिया
3.	श्री रामप्रसाद कलाल, कृषि पर्यवेक्षक	निम्बिजोधा
4.	श्री सुजान सिंह, कृषि पर्यवेक्षक	सावराद
5.	रिक्त पद कृषि पर्यवेक्षक	रोडू
6.	रिक्त पद कृषि पर्यवेक्षक	जसवंतगढ़

इनके कार्य परिशिष्ट एक पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, कृषि)

(3) जी हां। सभी कर्मचारी/अधिकारी पूरे माह मुख्यालय पर उपस्थित रहते हैं। उपस्थिति का सत्यापन कार्यवाहक सहायक कृषि अधिकारी, लाडनूं द्वारा सत्यापित कर सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार) कुचामनसिटी को भेजी जाती है।

(4) जी नहीं।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

जिला टोंक की कृषि उपज मण्डियों में सरसों की खरीद प्रकरण

521. श्री बनवारी लाल (निवाई): क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला टोंक में किस-किस स्थान पर किस-किस श्रेणी की कौन-कौन सी कृषि उपज मण्डी समितियों की कब-कब स्थापना की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मण्डी समितियों द्वारा गत दो वर्षों में कितनी-कितनी मात्रा में किस-किस मूल्य पर सरसों की खरीद की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला टोंक में वर्तमान में कार्यरत श्रेणीवार मण्डी समितियों की स्थापना का विवरण निम्न प्रकार है:—

क्र.सं.	नाम कृषि उपज मण्डी समिति	श्रेणी	स्थापना तिथि
1.	टोंक	"ब"	5-4-67
2.	मालपुरा	"ब"	18-8-66
3.	निवाई	"ब"	12-9-66
4.	देवली	"स"	5-4-67
5-	उनियारा	"द"	29-1-79

(2) कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा सरसों की खरीद नहीं की जाती है।

(57)

जल ग्रहण विकास विभाग द्वारा कराये गये कार्यों का भुगतान प्रकरण

522. श्री गोपीराम बाट (आमेर) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1998 में जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग दौसा के माध्यम से जल ग्रहण क्षेत्र में पड़ने वाले ग्राम चकालीसाड व थूमड़ी में उक्त विभाग द्वारा कार्य करवाये गये थे ? यदि हां, तो किस माह से किस माह तक और किनके द्वारा ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या उक्त विभाग के द्वारा मजदूरों से कराये गये कार्य का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो किस मद से और कब-कब तथा किस-किस को, कितनी कितनी राशि का ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या उक्त प्रकरण के संबंध में मजदूरों द्वारा पूर्ण भुगतान करवाये जाने हेतु प्रार्थना-पत्र जिला कलक्टर एवं विभागीय उच्च अधिकारियों को दिये गये थे ? यदि हां, तो किस-किसको और कब ? क्या सरकार द्वारा उन प्रार्थना-पत्रों पर कार्यवाही कर मजदूरों को पूरा भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या सरकार उक्त विभाग में मजदूरों से कराये गये कार्य की मजदूरी का पूर्ण भुगतान कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(5) क्या सरकार उक्त कार्य के भुगतान में हुये विलम्ब के लिए किसी अधिकारी/कर्मचारी को दोषी मानती है ? यदि हां, तो सरकार दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । चकालीसाड में जलग्रहण समिति, जिसके अध्यक्ष श्री रामस्वरूप मीणा के द्वारा तथा थूमड़ी ग्राम में जलग्रहण समिति, जिसके अध्यक्ष श्री सीताराम मीणा के द्वारा माह जनवरी, फरवरी, 98 एवं मई, जून, 98 में कार्य कराये गये ।

(2) भू-संरक्षण के कार्यों हेतु मजदूरों को लगाने का कार्य जलग्रहण समिति के द्वारा किया जाता है । विभाग द्वारा कार्य के अनुसार भुगतान जलग्रहण समिति को दिया जाता है, जलग्रहण समिति किये गये कार्य का भुगतान उनके द्वारा लगाये गये मजदूरों को करती है। विभाग द्वारा आश्वासित रोजगार योजना के मद से जलग्रहण समिति द्वारा मजदूरों को जनवरी, फरवरी, 98 का भुगतान चकालीसाड में दिनांक 20-4-98 व 23-4-98 को तथा थूमड़ी में दिनांक 21-4-98 को कर दिया गया है । मई, जून, 98 का भुगतान अभी शेष है क्योंकि सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी दर में दिनांक 1-5-98 से वृद्धि के आदेश जारी किये हैं । बढ़ाई हुई दर के आदेशों की पालना करते हुए भुगतान की कार्यवाही

(राज्य मंत्री, कृषि)

प्रगति पर है। भुगतान शीघ्र कर दिया जावेगा।

(3) जी हां। मजदूरों द्वारा पूर्ण भुगतान कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र विभाग को मुख्य मंत्री सचिवालय के माध्यम से दिनांक 15-7-98 को प्राप्त हुआ है जिसकी वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त करली गई है, जिसके अनुसार माह मार्च तक के कार्यों की भुगतान योग्य कोई राशि बकाया नहीं है। शेष भुगतान शीघ्र कराया जाना प्रस्तावित है।

(4) जी हां। माह मार्च, 98 तक के कार्यों का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है। माह मई, जून, 98 के कार्यों के भुगतान की कार्यवाही प्रगति पर है।

(5) जी नहीं। क्योंकि माह मार्च, 98 तक के कार्यों का भुगतान कर दिया गया है एवं माह मई, जून, 98 के कार्यों के भुगतान की प्रक्रिया प्रगति पर है। अतः कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है।

शिक्षकों की राज्यव्यापी हड़ताल प्रकरण

523. श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे –

(1) राज्य में परीक्षा के दिनों में शिक्षको ने राज्यव्यापी जो हड़ताल की थी उसमें मुख्य मांगें क्या थीं ? मांग पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य सरकार और शिक्षक संघ के मध्य जो समझौता हुआ वह क्या था ? क्या यह समझौता 30 मार्च, 1998 को नहीं हो सकता था ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) राज्य सरकार और शिक्षकों के मध्य जो समझौता हुआ उनकी लम्बित मांगों पर हुए निर्णय की क्रियान्विति कब तक सम्भव है ?

(4) क्या सरकार ने इस हड़ताल से छात्रों को हुए नुकसान के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया है ? यदि हां, तो उस सर्वेक्षण की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्यव्यापी हड़ताल में शिक्षकों की मुख्य मांग पांचवे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप केन्द्र के समान अध्यापकों के वेतनमान स्वीकृत करने बाबत थी। मांग पत्र की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट-"क")

(2) समझौते की प्रति परिशिष्ट-"ख" पर उपलब्ध है। 30 मार्च, 98 से पूर्व काफी प्रयास किये गये, संघर्ष समिति के सदस्यों से वार्ता भी की गई परन्तु कोई निर्णय नहीं हो सका।

(3) समझौते में हुये निर्णय राज्य

Page No.42

(59)

(शिक्षा मंत्री)

सरकार के पास विचाराधीन है। शीघ्र ही आदेश प्रसारित कर दिये जावेंगे।

(4) जी नहीं।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सचिव राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड द्वारा की गई अनियमितताएं

524. श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार को सचिव, राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड द्वारा की गई भारी अनियमितताएं व पद दुरुपयोग के संबंध में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो ज्ञापन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त प्रकरण में उल्लेखित आरोपों की निष्पक्ष जांच कराई गई है ? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो जांच रिपोर्ट व उस पर की गई कार्यवाही की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। श्री सत्यनारायण मेठी, सचिव, राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड के विरुद्ध 27-11-95 से 5-6-96 की अवधि में कुल 11 (ग्यारह) ज्ञापन प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त अन्य कोई ज्ञापन की जानकारी विभाग को नहीं है। ज्ञापन की प्रतियां सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(2) ज्ञापन की प्रतियां प्राप्त होने पर संबंधित अधिकारी से टिप्पणी मांगी गई तथा प्रभारी निदेशक, शिक्षाकर्मी बोर्ड को परीक्षण करने के निर्देश दिये गये। अधिकांश शिकायतें गुमनाम हैं। शिकायतकर्ताओं के अंकित पते के संबंध में जानकारी करने पर शिकायतकर्ता का कोई कार्यालय नहीं पाया गया। सचिव, शिक्षा कर्मी बोर्ड द्वारा इन ज्ञापनों में उल्लेखित आरोपों पर विस्तृत टिप्पणी दी जिसके परीक्षण पश्चात् प्रभारी निदेशक शिक्षाकर्मी बोर्ड ने सभी आरोप निराधार पाये। प्रथम दृष्टिया सभी आरोप निराधार पाये जाने के कारण आगे जांच कराना आवश्यक नहीं समझा गया।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गोविन्दपुरा का स्थानान्तरण प्रकरण

525. श्री गोपीराम जाट (आमेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में किसी संस्था प्रधान का स्थानान्तरण हो जाने के बाद नियमानुसार शाला के रेकार्ड और सामान का चार्ज कब तक देना चाहिए ? इस संबंध में सरकारी आदेश/नियम की प्रति सदन की मेज पर रखें।

Page No.43

(६०)

(श्री गोपीराम जाट)

(2) क्या किसी शाला के प्रधानाध्यापक द्वारा चार्ज नहीं देने की सूचना उपलब्ध होने पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा कार्यवाही नहीं करने पर, सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की जाती है ? यदि हां, तो क्या एवं कब तक ?

(3) क्या यह सही है कि प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च प्राथनिक विद्यालय गोविन्दपुरा (प्रथम) तहसील आमेर का स्थानांतरण गुढ़ा सुर्जन (आमेर) में होने के एक साल बाद भी शाला के रेकार्ड व सामान का चार्ज नहीं दिया गया है ? क्या इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारियों को जानकारी हो जाने के बाद भी अभी तक कोइ कार्यवाही नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार गोविन्दपुरा (प्रथम) के उच्च प्राथमिक विद्यालय का चार्ज कार्यरत प्रधानाध्यापक को दिलवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान सेवा नियमों के अन्तर्गत संस्था प्रधान के पास जो चार्ज सन्निहित है वह कार्यमुक्ति के दिन दिये जाने का प्रावधान है । नियम की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) जी हां । यदि चार्ज न दिये जाने का औचित्यपूर्ण कारण उपलब्ध हो तो जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा सम्बन्धित के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का कारण नहीं बनता तथा न ही जिला शिक्षा अधिकारी को दोषी ठहराया जा सकता है ।

(3) जी हां । चार्ज लेने एवं देने वाले दोनों शाला प्रधानों द्वारा स्थानान्तरण के विरुद्ध न्यायिक अपील अधिकरण के वाद संख्या 1649/97 द्वारा स्थगन लिया हुआ है । व दोनों संस्था प्रधानों के पास पूर्व स्थान का चार्ज निहित है । प्रकरण न्यायालय के विचाराधीन है । निर्णय के पश्चात् ही आगामी कार्यवाही किया जाना संभव हो सकेगा ।

(4) प्रश्न के भाग तीन के अनुसार ।

(नियम के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

जिला डूंगरपुर के विद्यालय भवन

526. श्री शंकरलाल अहारी (चोरासी): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जिला डूंगरपुर के कई उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के भवनों में कमरों की कमी है ? यदि हां, तो किस–किस ग्राम के विद्यालयों में सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार शिक्षा कोष से उक्त विद्यालयों के कमरे बनवाने हेतु राशि अलग–अलग विद्यालयों के नाम से आवंटित

(64)

(श्री शंकरलाल पहारी)

कर कार्य करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। विद्यालयों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) विद्यालयों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर राज्य सरकार के उपलब्ध वित्तीय प्रावधानान्तर्गत गुणावगुण के आधार पर अतिरिक्त निर्माण हेतु राशि आवंटन बाबत विचार किया जाता है। स्कूलों में कमरों की कमी डी.आर.डी.ए. द्वारा जवाहर रोजगार योजना, अपना गांव अपना काम आदि योजनाओं द्वारा भी दूर की जाती हैं। सांसद तथा विधायक फण्ड से भी कमरे बनाये जा सकते हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

पंचायत समिति उदयपुर वाटी (झुन्झुनू) में अनिवार्य शिक्षा योजना के अन्तर्गत विद्यालय की स्थापना

527. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

झुन्झुनू जिले की उदयपुर वाटी पंचायत समिति क्षेत्र में अनिवार्य शिक्षा योजना के अन्तर्गत किन-किन स्थानों पर नये प्राथमिक विद्यालय खोले जाने के प्रस्ताव हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

झुन्झुनू जिले में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किये जाने हेतु मानदण्डों के अनुसार वांछित शैक्षिक सुविधाओं का आंकलन किया गया है। उपलब्ध वित्तीय प्रावधानों के अन्तर्गत झुन्झुनू जिले को प्राथमिकता देते हुए जिले की समस्त पंचायत समितियों में नवीन प्राथमिक विद्यालय खोले जाने पर विचार किया जायेगा।

संस्कृत महाविद्यालय गनोड़ा में व्याख्याताओं के रिक्त पद

528. श्री जितेन्द्र मीणामा (घाटोल) : क्या संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) विधान सभा क्षेत्र घाटोल की राजकीय एकलिंग नाथ संस्कृत महाविद्यालय गनोड़ा (बांसवाड़ा) में व्याख्याताओं के कितने-कितने पद कब से रिक्त हैं ?

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र घाटोल की राजकीय एकलिंग नाथ संस्कृत महाविद्यालय, गनोड़ा (बांसवाड़ा) में व्याख्याताओं के पद निम्न विवरणानुसार रिक्त हैं।

(राज्य मंत्री, संस्कृत शिक्षा)

क्र. सं.	नाम पद	तिथि रिक्त रहने की
1.	व्याख्याता हिन्दी (एक)	3–12–1997
2.	व्याख्याता व्याकरण (एक)	8-9-1997

(2) जी हां, सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है। उक्त दोनों पदों की दिनांक 24-6-98 को डी. पी.सी. हो चुकी है। डी.पी.सी. की कार्यवाही, अनुमोदन के लिये कार्यालय लोक सेवा आयोग, अजमेर को प्रेषित की हुई है। अनुमोदन प्राप्ति पर दोनों पदों को भरा जा सकेगा।

मुन्सिफ न्यायालय लाडनूं में दर्ज मुकदमा संख्या 215/89

529. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या विधि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मुन्सिफ न्यायालय लाडनूं, जिला नागौर में भूमि घोटाले का मामला संख्या 215/89 दर्ज हुआ था। यदि हां, तो इसमें क्या फैसला हुआ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पत्रावली में जो भूमि के असली पट्टे थे वो पत्रावली में नहीं हैं? यदि हां, तो क्यों?

(3) उक्त पत्रावली से असली पट्टे कैसे और कहां पर गायब हुये तथा इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई और आगे क्या कार्यवाही की जानी है, जो कब तक की जावेगी?

उत्तर

(1) जी हां। यह मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है।

(2) जी हां। इस सम्बन्ध में मा. उच्च न्यायालय व जिला एवं सत्र न्यायाधीश मेड़ता के मध्य पत्र व्यवहार जारी है।

(3) असली पट्टे कैसे और कहां गायब हुए, इस सम्बन्ध में मा. उच्च न्यायालय व जिला एवं सत्र न्यायाधीश मेड़ता के मध्य पत्रव्यवहार जारी है। मा. उच्च न्यायालय से निर्देश प्राप्त होने पर यथा समय अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

मैसर्स विकास कामर्शियल कारपोरेशन द्वारा शीरे का क्रय प्रकरण

530. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम): क्या डेयरी राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि डेयरी फेड-

(63)

(श्री रामस्वरूप मीणा)

रेशन के प्रबन्ध संचालक ने मैसर्स विकास कामर्शियल कारपोरेशन द्वारा वर्ष 1994 में की गई शीरे की आपूर्ति के संदर्भ में पंच निर्णय नवम्बर, 1995 में किया ?

(2) क्या पंच निर्णय के दौरान पार्टी ने गुणवत्ता के आधार पर डेयरी फैडरेशन द्वारा की गई कटौती का मामला एक तरफा वापस लेने के पश्चात् भी प्रबन्ध संचालक ने पंच निर्णय में डेयरी फैडरेशन के हितों के विरुद्ध गुणवत्ता का फैसला होने के पश्चात् ही दूसरे बिन्दुओं पर निर्णय के लिए लिखा ?

(3) क्या इस संदर्भ में वर्ष 1996 में पारित पंच निर्णय का लगभग 3 लाख रुपये डेयरी फैडरेशन अभी तक वसूल नहीं कर पाई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) यद्यपि यह सही है कि पार्टी द्वारा पंच निर्णय के दौरान गुणवत्ता के आधार पर डेयरी फैडरेशन द्वारा की गई कटौती का मामला वापस लिया गया था। परन्तु सुनवाई के दौरान आर.सी.डी.एफ. द्वारा उठाये गये मुद्दों के आधार पर पंच निर्णायक (प्रबन्ध संचालक, आरसीडीएफ) द्वारा अपने पंच निर्णय में दिनांक 22-11-1995 में निर्णय को तब तक के लिये स्थगित किया गया जब तक कि आर.सी.डी.एफ. एवं मैसर्स विकास कामर्शियल के मध्य गुणवत्ता का मामला सुलट नहीं जाता। अतः यह कहना कि प्रबन्ध संचालक आर सीडीएफ द्वारा डेयरी फैडरेशन के हितों के विरुद्ध निर्णय लिखा गया सही नहीं है।

(3) जी हां। विकास कामर्शियल कारपोरेशन की सम्पत्तियों का विवरण प्राप्त नहीं हो सका है, जिसके कारण वसूली नहीं की जा सकी है। प्रयास जारी है।

सहकारी कोआपरेटिव सोसायटी एक्ट 1965 में संशोधन प्रकरण

531. श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राजस्थान सहकारी कोआपरेटिव सोसायटी एक्ट, 1965 में संशोधन कर अधिकारियों को उनकी गलती के कारण कोर्ट में जिम्मेदारी ठहराने व सजा दिलाने के प्रावधान करने बाबत कोई पत्र दिनांक 3 जनवरी, 1996 को सहकारिता मंत्री को दिया गया है ? यदि हां, तो विभाग द्वारा इस स्टेट्स रिपोर्ट व प्रस्तावित संशोधनों पर क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इस पत्र में वर्णित "श्री मोनोकरहन" की खरीद में हुए भ्रष्टाचार की सरकार द्वारा निष्पक्ष जांच कराई गई ? यदि हां, तो रिपोर्ट मय उस पर की गई कार्यवाही के सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

झालावाड़ में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन की स्वीकृत प्रकरण

532. श्री जगन्नाथ (मनोहरथाना) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला–झालावाड़ में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन (एन.एम.ए.पी.) की स्वीकृति के कितने प्रकरण हैं, जिनके झालावाड़ कोषाधिकारी द्वारा अभी तक पी.पी.ओ. जारी नहीं किये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पेंशन प्रकरण झालावाड़ कोषालय में कब से लम्बित हैं ?

(3) अब सरकार पी.पी.ओ. कब तक जारी कराने का विचार रखती है ?

(4) क्या अब वृद्धावस्था पेंशन बंद कर दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला झालावाड़ में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना की स्वीकृति के 448 प्रकरणों में कोषाधिकारी झालावाड़ द्वारा अभी तक पी.पी.ओ. जारी नहीं किये गये हैं सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) पंचायत समितिवार दिनांक सहित प्रकरण लम्बित रहने का विवरण निम्नानुसार है :—

1. मनोहरथाना	149	4-6-98
2. खानपुर	55	7-11-97
3. झालरापाटन	179	20-12-97
4. बकानी	44	27-11-97
5. सुनेल	21	27-11-97

(3) भारत सरकार से प्राप्त निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप प्राप्ति पूर्व में कर ली गई है, अतिरिक्त लक्ष्यों के आवंटन हेतु भारत सरकार को लिखा गया है प्राप्त होने पर इनकी स्वीकृत जारी हो सकेगी।

(4) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

सेवानिवृत्त विकास अधिकारी, देवली का वेतन निर्धारण प्रकरण

533. श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम): क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री लक्ष्मण सिंह रावत)

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 28 फरवरी, 1994 को एक विकास अधिकारी पंचायत समिति देवली (टोंक) पद से सेवानिवृत हुए थे ?

(2) क्या उक्त विकास अधिकारी का वेतन स्थरीकरण पंचायती राज विभाग द्वारा कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) अब उक्त विकास अधिकारी का वेतन निर्धारण कब तक कर दिया जायेगा?

(4) क्या सरकार उक्त वेतन स्थरीकरण के साथ-साथ संशोधित पेंशन व ग्रेच्युटी की स्वीकृति प्रदान करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) वेतन निर्धारण कर दिया गया है।

(4) संशोधित पेंशन शीघ्र जारी करने के लिये प्रकरण निदेशक, पेंशन विभाग को पत्र क्रमांक 3161 दिनांक 27-7-98 के द्वारा प्रेषित किया जा चुका है।

ग्राम पंचायत नरेना के सरपंच के विरुद्ध जांच प्रकरण

534. श्री बाबूलाल (दूदू) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत नरेना के सरपंच के विरुद्ध जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा जांच करने के आदेश तहसीलदार फुलेरा को दिये हैं ? यदि हां, तो कब एवं उक्त जांच रिपोर्ट में क्या-क्या अनियमितताएं पाई गई ? जिला कलक्टर द्वारा जारी आदेश एवं जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जांच रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई है ? यदि हां, तो कब एवं सरकार द्वारा अब तक उक्त जांच रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई ? प्राप्त जांच रिपोर्ट एवं सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अब उक्त दोषी सरपंच के विरुद्ध कार्यवाही कर पंचायत कोष की राशि जो अवैध रूप से सरपंच द्वारा हड़प ली गई है, को वसूल करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा जांच करने के आदेश तहसीलदार

(राज्य मंत्री, पंचायती राज)

फुलेरा को पत्रांक 1136 दिनांक 5-7-97 द्वारा दिये गये थे। जांच रिपोर्ट में पायी गयी अनियमितताओं का आरोप पत्र सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। जांच रिपोर्ट दिनांक 23-7-98 को प्राप्त हुई तथा आरोप पत्र जारी कर सरपंच से स्पष्टीकरण चाहा गया है। स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) इस प्रश्न के भाग संख्या 2 में उत्तर अंकित है।

(आरोप पत्र विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

आंगनवाड़ी केन्द्रों में कार्यरत कर्मियों को देय सुविधायें

535. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडा-भीम) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा राज्य में आंगन बाड़ी केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है? यदि हां, तो कब से तथा आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने के क्या मानदण्ड निर्धारित किये हुये हैं?

(2) आंगनवाड़ी केन्द्रों में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायकों को नियुक्ति करने के क्या कोई नियम बने हुये हैं। यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायकों को विभाग द्वारा कितना-कितना मानदेय (वेतन) एवं किस-किस प्रकार का कितना-कितना भत्ता प्रतिमाह दिया जाता है। विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या इन पदों पर कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायकों को अन्य लोगों की तरह ही वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाता है। यदि हां, तो यह कब से दिया जाता है तथा इसके क्या नियम/मानदण्ड निर्धारित किये हुये हैं। कितने वर्षों के पश्चात् नियुक्ति पर कितनी-कितनी राशि वार्षिक वृद्धि के रूप में दी जाती है। तथा नियुक्तिकाल की कितनी सेवा अवधि पर यह लाभ दिया जाता है। विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) विभाग द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायकों को वर्ष में कितने-कितने अवकाश किस-किस प्रकार के दिये जाते हैं? दिये जाने वाले अवकाशों की संख्या एवं उनके नाम तथा अवकाश दिये जाने के नियमों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार इस वर्ग के लोगों को भी मेडिकल बिलों के पुनर्भरण की सुविधा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(श्री रामस्वरूप मीणा)

(7) तहसील दौसा में विभाग द्वारा गत तीन वर्षों से अब तक कितने कार्यकर्ताओं/सहायकों को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया गया ? लाभ पाने वाले व्यक्तियों के एवं इस लाभ से वंचित लोगों के नाम, पदनाम, केन्द्र का नाम, राशि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में वर्ष 1975 से समेकित बाल विकास सेवा बांसवाड़ा जिले की गढी पंचायत समिति में प्रारम्भ की गई। आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने का मानदण्ड जनसंख्या है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में औसतन 1000 की जनसंख्या पर तथा जनजाति क्षेत्र में 700 की आबादी पर एक केन्द्र खोला जाता है। अत्यधिक रेगिस्तानी, पहाड़ी एवं दूर-दूर फैली ढाणियों में 300 की जनसंख्या पर भी केन्द्र खोले जा सकते हैं। इसमें आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक परिवेश का भी ध्यान रखा जाता है।

(2) जी हां। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के चयन के आदेश दिनांक 30-11-95 की प्रति सदन की मेज पर प्रस्तुत है। (परिशिष्ट "अ")

(3) आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को मानदेय एवं यात्रा भत्ता दिया जाता है। इनकी दरें निम्न प्रकार है :—

(I) आंगनवाड़ी कार्यकर्ता

क.सं.	केटेगरी	भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय	
1	2	3	
1.	नॉन मैट्रिक	438-00	प्रतिमाह
2.	नॉन मैट्रिक (5 वर्ष अनुभव प्राप्त)	469-00	"
3.	नॉन मैट्रिक (10 वर्ष का अनुभव प्राप्त)	500-00	"

(68)

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)

1	2	3	
4.	मैट्रिक	500–00	प्रतिमाह
5.	मैट्रिक	531–00	,,
	(5 वर्ष अनुभव प्राप्त)		,,
6.	मैट्रिक	563–00	,,
	(10 वर्ष का अनुभव प्राप्त)		
(II)	सहायिका	260–00	
(III)	मासिक बैठकों में भाग लेने हेतु आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं को वास्तविक यात्रा व्यय एवं 30/– प्रति दिन की दर से विश्राम भत्ता देय होता है। प्रशिक्षण आदि में जाने के लिए वास्तविक यात्रा भत्ता जिसमें अधिकतम राशि बस अथवा रेल द्वारा द्वितीय श्रेणी का किराया देय होता है।		

(4) जी नहीं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं राज्य कर्मचारी नहीं है। अतः इन्हें प्रतिवर्ष वेतन वृद्धि देय नहीं है। इन्हें मानदेय दिया जाता है। यह मानदेय राशि भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। समय-समय पर 5 वर्ष व 10 वर्ष की नियमित सेवा अवधि पूर्ण करने पर वृद्धि की जाती है जो बिन्दु संख्या 3 पर दी गई दर से स्वीकृत की जाती है।

(5) आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका को भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रतिवर्ष 20 दिवस का आकस्मिक अवकाश एवं 3 माह का प्रसूती अवकाश देय है। 20 दिवस के आकस्मिक अवकाश में से 10 दिवस का आकस्मिक अवकाश बीमारी के आधार पर चिकित्सक का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय है, शेष 10 दिवस का अवकाश किन्हीं कारणों से लिया जा सकता है। प्रसूती अवकाश दो ही बार देय है। इसके अतिरिक्त गर्भपात की स्थिति में चिकित्सा के प्रमाण पत्र के आधार पर 42 दिवस का अवकाश देय है। यह एक ही बार देय है। प्रसूती एवं गर्भपात अवकाश

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)

—एक वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही देय है।

(6) जी नहीं। भारत सरकार से विभाग को कोई निर्देश प्राप्त नहीं है। साथ ही इन्हें राज्य कर्मचारी नहीं माने जाने के कारण सेवा नियम लागू नहीं होते हैं।

(7) तहसील दौसा जिला दौसा के अन्तर्गत बाल विकास परियोजना दौसा वर्ष 92-93 से संचालित है। विभाग के परिपत्र सं. प- 11 /3/25/मो./मबावि/96/56345-61 दिनांक 3-10-96 के अनुसार 5 वर्ष एवं 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय वृद्धि दी जाती है। अभी तक किसी कार्यकर्ता को यह लाभ नहीं दिया गया है। यह वेतन वृद्धि सहायिकाओं को देय नहीं है। परियोजना दौसा में जिन कार्यकर्ताओं ने यह अवधि पूर्ण कर ली है। उन्हें परियोजना दौसा के आदेश क्रमांक 382 दिनांक 14-7-97 के द्वारा संलग्न सूची अनुसार कार्यकर्ताओं को मानदेय वृद्धि लाभ स्वीकृत किया गया है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

सालासर-लालगढ़(चूरू) मार्ग में संचालित बसों का नियंत्रण

536. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि चूरू जिले में सालासर- लालगढ़ बस मार्ग पर निजी बसें संचालित हैं ? यदि हां, तो इस मार्ग पर कितनी बसों को परमिट दिये हुये हैं तथा रोजाना कितने चक्र बसें चल रही हैं तथा उनका समय क्या है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सालासर से लालगढ़ के बीच कौन-कौन से ग्राम आते हैं तथा उनका किराया प्रति यात्री क्या है ? ग्रामवार अलग-अलग किराये की सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा चालू कलेण्डर वर्ष में कब—कब व कितना-कितना किराया बढ़ाया व घटाया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या इस बस मार्ग पर चलने वाली बसों द्वारा अधिक किराया वसूल करने, मनमाने मार्ग से बसें चलाने आदि की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो कब—कब किस-किसके द्वारा और उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। चूरू जिले में सालासर-लालगढ़ व सुजानगढ़-लालगढ़ एकीकृत बस मार्ग पर निजी बसें संचालित हो रही हैं। इस मार्ग पर 13 निजी बसों को परमिट जारी किये हुए हैं। इन बसों की

(राज्य मंत्री, यातायात)

सूची परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है। मार्ग की बसों द्वारा सालासर से सुजानगढ़ मार्ग पर 9 वापसी सेवा, सुजानगढ़-लालगढ़ वाया सारोठिया- मूंदड़ा, भासीणा मार्ग पर 5 वापसी सेवा, सुजानगढ़-लालगढ़ वाया खानपुर, लाडनूं, सुनारी हिरावती, खारा, मंगलवासी, जिली, गेडाप, जोगलसर, मार्ग पर 3 वापसी सेवा व सुजानगढ़-लालगढ़ मार्ग पर एक वापसी सेवा तथा सुजानगढ़ से मालासी वाया कोलासर लालपुरा, चारिया खुरी के लिए एक वापसी सेवा प्रतिदिन सचालित हो रही है। इस एकीकृत मार्ग की समय सारणी परिशिष्ट "ख" पर उपलब्ध है।

(2) सालासर से लालगढ़ के बीच 27 ग्राम आते हैं, जिनका अलग-अलग प्रति यात्री ग्रामवार किराये का विवरण परिशिष्ट "ग" पर उपलब्ध है।

(3) चालू कलेण्डर वर्ष में निजी बसों के किराये में न तो किसी प्रकार की वृद्धि की गई है और न ही इन बसों का किराया घटाया गया है।

(4) मार्ग पर अधिक किराया लिये जाने के सम्बन्ध में ग्राम मलसीसर तहसील सुजानगढ़ (चूरू) के ग्राम वासियों से दिनांक 25-6-98 को एक शिकायत जिला परिवहन अधिकारी, चूरू को प्रस्तुत की थी। प्राप्त शिकायत की जांच कराये जाने पर यह पाया गया कि किराया निर्धारित किराया सूची के अनुसार ही लिया जा रहा है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की उपाधियों का जांच प्रकरण

537. श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग/इलाहाबाद द्वारा दी गई उपाधियों की जांच हेतु सरकार ने एक समिति का गठन किया था? यदि हां, तो कब, क्यों और किस आदेश से?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त समिति ने जांच रिपोर्ट सरकार को दे दी है? यदि हां, कब और क्या?

(3) क्या उक्त जांच रिपोर्ट पर सरकार ने कोई निर्णय लिया है? यदि हां, तो क्या?

(4) क्या अब उक्त संस्थान की उपाधियों के आधार पर बोर्ड द्वारा पंजीयन की कार्यवाही की जायेगी? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार ने आदेश

Page No.54

(74)

(राज्य मंत्री, आयुर्वेद)

क्रमांक प.8 (2) आयु/94 दिनांक 14-8-97 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान, जयपुर के निर्णय दिनांक 5-7-97 को ध्यान में रखते हुए हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग एवं इलाहाबाद एक ही संस्थान है और समान है के संबंध में परीक्षण कर राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु एक समिति का गठन किया गया था।

(2) जी हां। समिति द्वारा दिनांक 8-12-97 को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई थी। जो माननीय उच्च न्यायालय के विचाराधीन है।

(3) जी नहीं। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार रिपोर्ट उन्हें उपलब्ध करा दी गई है। फैसला होने पर तदनुसार कार्यवाही संभव हो सकेगी।

(4) जी नहीं। हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग/इलाहाबाद संस्थाओं की उपाधियों के संबंध में प्रकरण राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में विचाराधीन है। समिति की रिपोर्ट याचिका सं. 4100/97 के प्रकरण में दिनांक 26-3-98 को राजस्थान उच्च न्यायालय के जयपुर में प्रस्तुत कर दी गई है। उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय होने तक पंजीयन संबंधी कोई कार्यवाही करना सम्भव नहीं है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 15 जुलाई, 1998)

कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, कोटा में कनिष्ठ विशेषज्ञ (पैथोलोजी) पद का सृजन

15. श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार कोटा स्थित कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय में श्रमिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु कनिष्ठ विशेषज्ञ (पैथोलोजी) का पद स्वीकृत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं। कराबी निगम द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार कोटा अस्पताल के लिये केवल अंशकालीन (पार्ट टाइम) पैथोलोजिस्ट के पद का ही प्रावधान है, जिसकी स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 14 जुलाई, 1998)

करौली में प्रस्तावित न्यायालय

170. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : क्या विधि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार करौली जिले की तहसील टोडाभीम एवं नादोती मुख्यालय पर मुन्सिफ न्यायालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या यह सही है कि टोडाभीम में मुन्सिफ न्यायालय खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई थी ? यदि हां, तो अब तक नहीं खोलने के क्या कारण हैं ?

(3) जिला करौली में कितने मुन्सिफ एवं ए.डी.जे. कोर्ट हैं और मुन्सिफ एवं ए. डी.जे. के कितने पद हैं, उनमें कितने पद भरे हुए हैं एवं कितने पद रिक्त हैं ? अब रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा ?

(4) उक्त अदालतों में वर्ष 1996 से जून, 1998 तक कितने मामले विचाराधीन हैं ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत

(1) जी नहीं । उक्त न्यायालय की स्थापना हेतु मा. उच्च न्यायालय से अभी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(2) जी नहीं । किसी स्थान पर नवीन मुंसिफ न्यायालय की स्थापना उस क्षेत्र के 1700-2000 प्रकरण लम्बित होने पर तथा मा.उच्च न्यायालय से परामर्श प्राप्त होने पर की जाती है । अभी तक मा. उच्च न्यायालय से उक्त न्यायालय की स्थापना हेतु प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण वहां पर मुंसिफ न्यायालय स्थापित नहीं किया जा सका है ।

(3) जिला करौली में एक ए.डी.जे. न्यायालय तथा 5 मुंसिफ न्यायालय (सिविल न्यायाधीश, कनिष्ठ-खण्ड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय) है ।

जिला करौली में एक पद ए.डी.जे. का तथा 5 पद मुंसिफ (सिविल न्यायाधीश, कनिष्ठ-खण्ड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट) के हैं । जिनमें से 2 पद मुंसिफ (सिविल न्यायाधीश, कनिष्ठ–खण्ड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट) के रिक्त हैं । राजस्थान न्यायिक सेवा के अधिकारी उपलब्ध होने पर इन्हें सुविधानुसार तथा शीघ्र भरा जा सकेगा ।

(4) ए.डी.जे. न्यायालय व मुंसिफ न्यायालयों में वर्ष 1996 से 1998 तक विचाराधीन मामलों की सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है :—

वर्ष	ए.डी.जे. न्यायालय में लम्बित मामले	मुंसिफ न्यायालयों में लम्बित मामले
1996	684	8756
1997	775	7670
1998	952	7900

Page No.56

(73)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 20 जुलाई, 1998)

कुशलगढ़ में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना

216. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या विधि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कुशलगढ़ उपखण्ड क्षेत्र के बागीदोरा एवं कुशलगढ़ क्षेत्र की अदालतों के क्षेत्राधिकार में दर्ज होने वाले अपील एवं दीवानी प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावों की सुनवाई हेतु उपखण्ड मुख्यालय पर अपर जिला एवं सत्र न्यायालय बांसवाड़ा का केम्प पूरे सप्ताह लगाए जाने के आदेश सरकार द्वारा किये गये हैं ? यदि हां, तो कब ?

(2) उक्त अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, केम्प कुशलगढ़ में उपखण्ड क्षेत्र कुशलगढ़ एवं बागीदोरा के कितने प्रकरण लम्बित हैं ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार कुशलगढ़ उपखण्ड मुख्यालय पर उक्त न्यायालय की स्थापना करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां । कुशलगढ़ में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, बांसवाड़ा का केम्प प्रत्येक माह में एक सप्ताह लगाने की अधिसूचना दिनांक 20-10-93 को जारी की गई ।

(2) उक्त अपर जिला एवं सत्र न्यायालय केम्प कुशलगढ़ में उपखण्ड क्षेत्र कुशलगढ़ के 142 प्रकरण तथा बागीदोरा के 48 प्रकरण लम्बित हैं । सूची परिशिष्ट 'क' पर प्रस्तुत है ।

(3) जी नहीं । कुशलगढ़ में नवीन अपर जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना के लिए निर्धारित मानदण्ड 1000-1200 से बहुत कम प्रकरण लम्बित होने के कारण कुशलगढ़ उपखण्ड मुख्यालय पर उक्त न्यायालय स्थापित करना संभव नहीं है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री बनवारीलाल बैरवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से टोंक जिले के निवाई कस्बे में राजकीय महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में ।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव की विषय वस्तु पर शिक्षा विभाग की मांग पर सदन

(श्री अध्यक्ष)

में चर्चा हो चुकी है, अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(2) श्री रतनलाल ताम्बी एवं 10 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से जहाजपुर तहसील की पंचायत ऊंचा के ग्राम कुचलवाड़ा कलां की आराजी नम्बर 599 रकबा 331 बीघा भूमि को देवली राजस्व ग्राम अथवा नगरपालिका में मिलाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है, अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। मुख्य प्रस्तावक माननीय सदस्य को प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है :-

(1) श्री हीरालाल विश्नोई, सदस्य, विधान सभा की ओर से पश्चिमी राजस्थान में वर्षा नहीं होने से अभाव एवं अकाल की स्थिति उत्पन्न होने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव की विषय वस्तु पर एक अन्य माननीय सदस्य के प्रस्ताव पर सदन में चर्चा हो चुकी है, अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(2) श्री लक्ष्मण सिंह रावत एवं 15 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों की दशा शोचनीय होने तथा उनमें शैक्षणिक वातावरण का पूर्णतः अभाव होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अवलोकन से समाधान हुआ है कि उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है एवं शिक्षा विभाग की मांग पर सदन में चर्चा भी हो चुकी है, अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। मुख्य प्रस्तावक माननीय सदस्य श्री लक्ष्मण सिंह रावत को प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री हरिसिंह (कुम्हेर), सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र कुम्हेर की सड़कों की दुर्दशा एवं इससे जनता को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(2) श्री मोहनलाल बारूपाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसील आयस के गांव तसाऊ से ढेरी व किशनाऊ से कुचेरा तक सड़क बनाने के सम्बन्ध में।

(3) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य, विधान सभा की ओर से जोधपुर स्थित सूचना केन्द्र एवं जन सम्पर्क कार्यालय में सुविधाओं के विस्तार के सम्बन्ध में।

73

(श्री अध्यक्ष)

(4) श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से नगरपालिका, गंगापुर के अध्यक्ष के खिलाफ राज्य अन्वेषण ब्यूरो में दर्ज अभियोग में पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं करने के सम्बन्ध में।

(5) श्री नाथूराम अहारी, सदस्य, विधान सभा की ओर से विशिष्ट योजना संगठन विभाग के अन्तर्गत 1983 से चालू बायोगैस कार्यक्रम में लगे 47 मिस्त्रियों को नौकरी से हटा देने के संबंध में।

(6) श्री मोहन मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से पंचायती राज संस्थाओं में जन प्रतिनिधियों के रिश्तेदारों द्वारा कथित अनधिकृत हस्तक्षेप करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री हबीबुर्रहमान, सदस्य, विधान सभा की ओर से नागौर जिले के कस्बा बासनी में रसोई गैस एजेन्सी नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री मोहनलाल मोदी, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र सीमकाथाना में पेयजल की गंभीर समस्या के संबंध में।

(9) श्री शंकरलाल अहारी, सदस्य, विधान सभा की ओर से डूंगरपुर जिले में कृषि फव्वारा सेटों की संख्या में बढ़ोतरी करने के सम्बन्ध में।

(10) श्री बनवारीलाल शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से धौलपुर जिले में केशर बाग वाइल्ड एनिमल सैंक्चुरी की सीमाओं पर पुनर्विचार करने के संबंध में।

(11) श्री हरजीराम बुरड़क, सदस्य, विधान सभा की ओर से नागौर जिले में खारे पानी को मीठा करने के लगे हुए संयंत्र के काम नहीं करने के संबंध में।

(12) श्री श्रवण कुमार, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत दिनों राज्य में शिक्षकों की हड़ताल एवं तत्पश्चात् सब के साथ हुए लिखित समझौते की पालना नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(13) श्री शांतिकुमार धारीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य में होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति की दुर्दशा एवं सरकारी स्तर पर अध्ययन की कोई व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। श्री रतनलाल ताम्बी। (व्यवधान) जब एक माननीय सदस्य खड़े हो गए तो फिर आपको खड़े होने की क्या जरूरत है? वे कुछ कह रहे हैं, सुनिये उनकी बात को। विराजें आप।

श्री बनवारीलाल बैरवा : मेरा स्थगन प्रस्ताव था।

श्री अध्यक्ष : पहले आप विराजिए।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, किशनगढ़ नगरपालिका की साधारण सभा बुधवार को होनी थी कल, और स्वाभाविक रूप से चुने हुए पार्षदों को वहां जाना था। मान्यवर, हमीर सागर एक महत्वपूर्ण सागर है, वहां पर उसकी चादर को तोड़ दिया क्योंकि पानी में बदबू आ रही थी, बहुत गन्दा हो गया था।

श्री अध्यक्ष : क्या है यह ? किन नियमों के अन्तर्गत बोल रहे हैं आप ? नियमों का कोई हवाला ?

श्री जगदीप धनखड़ : नहीं-नहीं, पाइंट आफ इन्फार्मेशन दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : नियमों की कोई जानकारी है न आपको ?

श्री जगदीप धनखड़ : नहीं-नहीं, मैं यह दे रहा हूं कि किशनगढ़ में पुलिस का भारी आतंक है, महिला पार्षदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एक अनुसूचित जाति की महिला पार्षद है, एक अल्पसंख्यक जाति की महिला पार्षद है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) ये कौन-से नियम के तहत बोल रहे हैं ?

श्री जगदीप धनखड़ : एक साधारण मुकदमा राजनीति से प्रेरित होकर पचास महिलाओं के खिलाफ कर दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, रात भर की स्थिति यह रही कि छोटे-से मुकदमे को लेकर पुलिस अधीक्षक आ गये। महिलाएं घर से पलायन कर गयी हैं, एक आतंक की स्थिति बनी हुई है। ऐसी स्थिति में, मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि जो पीड़ित पार्षद (व्यवधान) आप मुझे कहने तो दीजिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन कोई नियम-प्रक्रिया से संचालित हो, ये वरिष्ठ सदस्य हैं..

श्री जगदीप धनखड़ : मैं इन्फार्मेशन दे रहा हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : काफी बुद्धिमान हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। नियमों में बहुत प्रक्रिया है। कहीं कुछ हो रहा है तो..

श्री जगदीप धनखड़ : आपका तो टेप यही चलता है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : प्रक्रिया से आना चाहिए। अभी आपने स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था दी है, श्रीमान् रतनलाल जी ताम्बी को पुकारा है। उनको नहीं बोलने देकर बिना व्यवस्था के ही.. (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, नियमों के.. (व्यवधान)

Page No.60

(77)

श्री जगदीप धनखड़ : +++ हर बार एक ही टेप रिकार्डर.. (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट नहीं बोलने दूंगा। ये +++ । जिस प्रकार से यह कहा कि इनको चाहे +++ ही। इसके अलावा इनको नियमों से कोई मतलब नहीं है। बिलकुल ये तो +++

श्री मदन दिलावर (राज्य मंत्री, समाज कल्याण) : +++ ।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस गम्भीर समस्या की ओर आकर्षित कर रहा हूं कि एक क्रांतिकारी कदम उठाकर महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया। अब उन महिलाओं के खिलाफ पुलिस मुकदमे होते हैं, रातों-रात पुलिस उनके घर जाती है, उनको घर से पलायन करना पड़ता है। आन्दोलित उन 70-80 महिलाओं के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया, ऐसी परिस्थिति में सरकार की तरफ से बयान आना चाहिए, स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। सब अखबारों के अन्दर यह लिखा है। कल से लोग परेशान हैं। आज प्रातः काल कुछ को गिरफ्तार कर लिया गया। मान्यवर, जब इस प्रकार की आतंक की स्थिति हो गयी है, समझ नहीं आता किसी और के खिलाफ करो, पर गरीब महिलाओं के खिलाफ, आन्दोलन कर रही उन महिलाओं के खिलाफ, महिला पार्षद के खिलाफ, अनुसूचित जाति की पार्षद के खिलाफ.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बार-बार पुनरावृत्ति कर रहे हैं। विराजें आप।

श्री जगदीप धनखड़ : गृह मंत्रीजी को इस विषय में कुछ कहना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : विराजें। उन्होंने सुन ली बात, माननीय सदस्य, सुन ली।

श्री जगदीप धनखड़ : नहीं, पर गृह मंत्री इस पर कब बयान देंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री बयान कब देंगे इस पर?

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : बहुत गंभीर मामला है, अध्यक्ष महोदय।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : यह मामला साधारण नहीं है, आप इसको बड़ा संवेदनशील मामला मानें। अपने डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए सलैक्टेड पार्षद गये, उन पर इस तरह का हमला हुआ और उनके खिलाफ फाल्स एण्ट्री करके मुकदमे बनाये जा रहे हैं। फौजदारी मुकदमे हैं, विक्टीमाइजेशन किया जा रहा है। पोलिटिकली विक्टीमाइजेशन किया जा रहा है। आपसे प्रोटेक्शन के लिए अपील की जाती है।

श्री अध्यक्ष : सुनिये आप सुनिये।

+++अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री जगदीप धनखड़ : बड़ी घटना हो जाती है ।

श्री अध्यक्ष : सुनिये न ।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि महिलाओं के प्रति आपकी इतनी सहानुभूति है. मेरी भी है और सारे सदन की है । लेकिन क्या माननीय विधायक जो किशनगढ़ से आते हैं, उनको यह जानकारी नहीं है कि इन सब महिलाओं ने वहां की नगरपालिका की महिला चेयरमैन के ऊपर हमला किया और उनको ठोका, बुरी तरह से उनके लात-घूंसे मारे और सारे कार्यालय में अव्यवस्था फैला दी ? वहां की खिड़कियां तोड़ दीं, वहां और सारा कर दिया, तो झगड़ा किन के बीच में हुआ है, जरा सही ढंग से बताएं । और मैं निवेदन करना चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय... (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : मंत्री महोदय यह गलत बयान दे रहे हैं । (व्यवधान) ऐसी कोई स्थिति नहीं हुई, वास्तविकता इससे परे है । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप महिला विरोधी हैं । (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : जगदीपजी धनखड़ और इस तरह से कहें ... (व्यवधान)....

श्री शैलेन्द्र जोशी : मंत्री महोदय गलत बयान दे रहे हैं । (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : आप कह दीजिये, कुछ नहीं हुआ । (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : तथ्यों की जानकारी नहीं, मंत्री महोदय, आपको ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, गृह मंत्रीजी कुछ कह रहे हैं, आप सुन तो लें । कृपया सुनें ।

श्री कैलाश मेघवाल : इस तरह सदन में सनसनीखेज रूप से किसी घटना का वर्णन देना, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि विधिवत रूप से आप नोटिस लीजिये और नोटिस लेने के बाद व्यवस्था दीजिये । व्यवस्था देने के बाद मैं सम्पूर्ण जानकारी मंगाकर इस सदन के सामने रख दूंगा । इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है ।(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : एक तरफ गिरफ्तार किया जा रहा है और आप जानकारी करेंगे । आपकी पुलिस जा रही है और उनको गिरफ्तार किया जा रहा है ।

श्री कैलाश मेघवाल : लेकिन यह नहीं हो सकता कि ये जिस तरह चाहें उस तरह बोल लें, जैसे चाहें वैसे बोल लें । (व्यवधान) सरकार को मौका भी नहीं दें । (व्यवधान) एक महिला चेयरमैन के साथ गुंडागर्दी की गयी, उनको ठोका गया । एक महिला चेयरमैन के साथ ....(व्यवधान) ....जिन महिलाओं के प्रति आप सहानुभूति रखते हैं, एक महिला चेयरमैन है... (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप पुलिस के एक्शन को रोकिये, जांच कीजिये । (व्यवधान) मुकदमा बना लो फिर जांच किस बात की । (व्यवधान)

Page No.62

(79)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, तथ्यों को तोड़–मरोड़कर प्रस्तुत कर रहे हैं, इनको तथ्यों की बिलकुल जानकारी नहीं है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : गृह मंत्रीजी तथ्यों से परे बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को स्वायत्तशासी संस्थाओं में और पंचायती राज संस्थाओं में भागीदारी दी है। उस भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए हमको महिलाओं को प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपको तथ्यों की जानकारी नहीं है। (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : और इस तरह महिलाओं के साथ जो गुंडागर्दी होती है उसको हर लेवल पर रोकना पड़ेगा। इसलिए कहना चाहता हूं कि आप इनको रोकिये।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : गृह मंत्रीजी बिना बात के ही आवेश में आकर, इनको कुछ मालूम है नहीं, कृपया इनसे कहिये कि ये जाकर स्टेटमैंट तैयार करें, जानकारी प्राप्त करें। बिना जानकारी के ही यहां पर ....(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : इस विषय पर विधिवत प्रक्रिया के अनुसार नोटिस लें, उसके बाद सरकार को निर्देश दें। मैं पूरी स्थिति इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। लेकिन इस तरह सनसनीखेज घटना बनाना, मुझे अफसोस है। किशनगढ़ से आने वाले माननीय विधायक नियमों को भी जानते हैं, सब मर्यादाओं को जानते हैं, व्यवस्थाओं को जानते हैं लेकिन खड़े हो गये और सनसनीखेज बना दिया। यह नहीं कहा उन्होंने कि वार किस पर किया है, इन्होंने कहा, महिलाओं को पकड़ा जा रहा है। यह भी कहते उसमें कि महिलाओं ने ठोका भी एक महिला चेयरमैन को है। उसके लातें मारीं, घूंसे मारे, सारे कार्यालय को तोड़ा, ये अगर यह कहते तो इनकी ईमानदारी होती। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : कोई लातें नहीं मारी गयीं, कोई घूंसे नहीं मारे गये यह बिलकुल बढ़ा–चढ़ाकर कह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, गलत तथ्यों का वर्णन कर रहे हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्रीजी बीमार हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं, इनको कहो ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : अब विराजें आप, माननीय सदस्य। आदरणीय मुख्य सचेतक जी, कृपया विराजें। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : +++ करते हैं ....(व्यवधान)....

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

Page No.63

(80)

श्री अध्यक्ष : यह चर्चा समाप्त । बिराजिये आप कृपया । (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप भी बिराजें । कृपया आप भी बिराज जाएं । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह महिला अधिकार का दुरुपयोग है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया आप भी बिराज जाएं । आप भी बिराजें ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : +++ करते हैं । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराज जाएं । अंकित नहीं होगा ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ×××

श्री बनवारी लाल बैरवा (निवाई) : अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम स्थगन प्रस्ताव भेजा था और आपने मुझे समुचित समय नहीं दिया । मेरा बहुत महत्वपूर्ण....

श्री राजेन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने विशेषाधिकार का नोटिस दिया है ।

श्री अध्यक्ष : इसके बाद सुन लूंगा । आप बिराजें ।

श्री बनवारी लाल बैरवा : अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र की एक बहुत प्रमुख समस्या मैंने अपने स्थगन प्रस्ताव के अन्तर्गत रखी है । निवाई बहुत बड़ा कस्बा है और उसका स्कूल बहुत अच्छा स्कूल है, कन्याओं का बहुत अच्छा स्कूल है । वहां पर कस्बे के ही नहीं आसपास के छात्र भी पढ़ते हैं, बल्कि आसपास के जो जिले हैं उनके छात्र भी आकर मेरे निवाई के अन्दर पढ़ते हैं । लेकिन सीनियर हायर सैकण्डरी पास करने के बाद में उनके पास कोई विकल्प नहीं रह जाता है या तो वे टोंक जाएं या जयपुर जाएं या सवाईमाधोपुर जाएं । मेरा जो क्षेत्र है उसमें अनुसूचित जाति के लोग बहुत हैं, अनुसूचित जनजति के भी लोग बहुत हैं और गरीबी भी बहुत ज्यादा है, अगर निवाई के अन्दर महाविद्यालय हो। तब तो वे अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं अन्यथा तो उनको ड्राप आउट करना पड़ता है। आपके माध्यम से मेरा शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन है कि आप हमारे यहां पर महाविद्यालय खोलने की कृपा करें । धन्यवाद ।

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने कल विशेषाधिकार का नोटिस दिया है आपके कार्यालय में । अब मैं व्यवस्था चाहूंगा कि उस पर चर्चा की अनुमति प्रदान करें ।

श्री अध्यक्ष : कृपया, माननीय सदस्य, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मेरे चैम्बर में पधारें, मैं और आप बातचीत करेंगे, इस पर गम्भीरता से विचार करेंगे । श्री लक्ष्मण सिंहजी रावत ।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

Page No.64

(80)

श्री रामस्वरूप मीणा : मैं भी चेम्बर में हाजिर हो जाऊंगा, मेरा महत्वपूर्ण विषय है ।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी रूल 57 के अन्दर एक प्रिविलेज नोटिस दिया था । दैनिक भास्कर के खिलाफ एक प्रिविलेज इश्यू दिया था कि 15 तारीख को डिबेट, साढ़े पांच घण्टे की डिबेट को सप्रेस किया था, कृपया उस पर मैं रूलिंग चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मण सिंहजी, आप कहां बोल रहे हैं ? आदरणीय श्री लक्ष्मण सिंहजी, राज्य के विभिन्न विश्व-विद्यालय की दशा शोचनीय, इस पर बोलिये ।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, यह मेरा एडजोर्नमेंट मोशन राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में जो शैक्षणिक वातावरण दूषित हो रहा है, उसके संबंध में रिजेक्ट हुआ । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज अजमेर यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी की बहुत दयनीय व्यवस्था है । रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए नहीं हैं और विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में डूबता जा रहा है । राजस्थान यूनिवर्सिटी में आप जानते हैं कि अशैक्षणिक कर्मचारियों की हड़ताल के कारण न तो प्रवेश और न ही शिक्षा के परिणाम, ये दोनों ही कार्य ठीक ढंग से नहीं हो पा रहे हैं ।

जहां तक वाइस चांसलर, अजमेर यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी का प्रश्न है, दोनों जगहों पर पूर्णतः असंतोषजनक स्थिति है । अजमेर यूनिवर्सिटी का जब से एक्सटेंडेड समय दिया गया है वाइस चांसलर +++ को, जब से उनको वहां पर वाइस चांसलर बनाया गया है तब से अजमेर यूनिवर्सिटी का भट्टा बैठ गया है । उनको पहले 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया, फिर तीन महीने का एक्सटेंशन दिया गया । वहां न तो शैक्षणिक गतिविधियां चल रही हैं, वातावरण पूरी तरह दूषित है । मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि एक जो चयन समिति बनती है उसके अन्दर +++ इसलिए सरकार इसको गम्भीरता से ले और इस विषय में भी कोई ठोस कदम उठाए ।

श्री अध्यक्ष : श्री रतन लाल ताम्बी ।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम): अध्यक्ष महोदय, इसी स्थगन प्रस्ताव में हमारा भी था ।

श्री अध्यक्ष : देखिये, नाम है लेकिन स्थगन प्रस्ताव के नियमों को आप भली प्रकार जानते हैं ।

श्री किशन मोटवानी : उन 50 में हम भी एक हैं ।

श्री अध्यक्ष : जो मुख्य प्रस्तावक होता है केवल उसी को बोलने की अनुमति होती है ।

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

श्री किशन मोटवानी : ऐसा कोई रैस्ट्रिक्शन नहीं है। आपने रिजेक्ट कर दिया उसको सर्वमान्य करूंगा लेकिन मैं रिक्वेस्ट तो कर सकता हूं आपसे।

अजमेर का मसला है विश्वविद्यालय का और इससे हमारे कई हजार छात्रों का भविष्य जुड़ा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : आप एक मिनट में अपनी बात कहिये।

श्री किशन मोटवानी : एक मिनट में बात कहूंगा। +++ (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप बैठिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, क्या गवर्नर की यहां चर्चा होगी ?

एक माननीय सदस्य : बैठिये आप। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : पांइट आफ आर्डर, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : सुनिये, उन्होंने आपका ध्यान आकर्षित किया है। (व्यवधान) महामहिम गवर्नर के बारे में जो आप कुछ कह रहे हैं वह शायद ठीक नहीं है।

श्री किशन मोटवानी : हमने कोई गाली दी नहीं। (व्यवधान) पूर्व के राज्यपालों की महिमा पर अंकुश आये, वह ठीक है ?

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : कुल मिलाकर गवर्नर महोदय का अपमान हुआ है। हम तो गवर्नर महोदय के पद का सम्मान बढ़ाना चाहते हैं, हम गवर्नर महोदय की इज्जत करते हैं।

श्री किशन मोटवानी : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो शैक्षणिक वातावरण है ...

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, चाहे कार्यवाहक हो, राज्यपाल राज्यपाल है।

श्री किशन मोटवानी : उसका मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि इस वर्ष किस तरह परिणामों में घपला हुआ। मैं ज्यादा नाम नहीं लूंगा, एक मंत्री पुत्र का भी नाम आया कि किस तरह रिजल्ट को प्रभावित करने का षड्यंत्र वहां चला। यह सब क्या दिग्दर्शन करता है? यह दिग्दर्शन करता है कि विश्वविद्यालय में जो शैक्षणिक स्थितियां हैं वे बहुत बुरी हैं, सोचनीय हैं और राज्य सरकार को इसकी ओर ध्यान देना चाहिये।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट मैं भी लूंगा। मैंने भी इस पर दस्तखत किये हैं।

एक्ट में प्रावधान है कि शिक्षाविद् को ही कर सकते हैं। (व्यवधान) जो शिक्षाविद् हैं उनका ही नोमीनेशन हो सकता है।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजें। श्री रतन लाल ताम्बी। (व्यवधान) नहीं-नहीं, इस पर इस तरह की व्यवस्था नहीं हो सकती। प्रत्येक माननीय सदस्य नहीं बोल सकता। माननीय सदस्य, मुख्य प्रस्तावक बोल लिये, अब आप बिराज जाएं। इससे ज्यादा चर्चा होती नहीं है। श्री रतनलालजी ताम्बी।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि गांव कुचलवाड़ा कलां पंचायत ऊंचा जिसमें आर.आर.ई. नम्बर 599, 331 बीघा मेवाड़ गवर्नमेन्ट के टाइम से ही पंचायत की सम्पत्ति है। पहले भी राजस्व विभाग से उसको देवली में मिलाने के लिए कार्यवाही की गयी थी। उस पर रिट संख्या 3081, 6-11-86 के द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की कार्यवाही को निरस्त कर दिया। निरस्त करने के बाद कभी स्वायत्त शासन विभाग, कभी पंचायत विभाग उस पंचायत की जमीन को जो करोड़ों रुपये की है, इसलिए हड़पना चाहते हैं कि वहां पर एक आदर्श विद्या मन्दिर आर.एस.एस. का है जिसने नाजायज तौर से कब्जा कर लिया। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (राज्य मंत्री, समाज कल्याण) : अध्यक्ष महोदय, क्या कहना चाह रहे हैं ये ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह तरीका है आपका ?

श्री रतनलाल ताम्बी : आप सुन लीजिये। आप सुनना क्यों नहीं चाहते हो ? आप क्यों बोल रहे हो बीच में ? क्या अधिकार है आपका ? हम कहना चाहते हैं। जो कहेंगे, कहेंगे, हमारा अधिकार है। (व्यवधान) हमारी अरबों रुपये की सम्पत्ति है, नहीं हड़पने देंगे।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : क्या अधिकार है आपका ? आप मंत्री हो।

श्री रतनलाल ताम्बी : आपको सुनना चाहिए। यह कोई तरीका है क्या आपका ? आप सुनें। बैठिये आप। आपको अधिकार नहीं है बात करने का। आप नाजायज कार्यवाही के जरिये नाजायज कब्जा करके ....(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय ये कैसे मंत्री बना दिये ? (व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कैसे मंत्री... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराज जाएं, उनको बोलने दें। माननीय वृद्ध सदस्य महोदय। माननीय श्री मोहन लालजी मोदी, कृपया बिराजें। (व्यवधान) कृपया बोलने दें इनको। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : समाज कल्याण का छात्रावास है, शिलान्यास हुआ था। (व्यवधान) अनुसूचित जाति के लोग कहां जाएंगे ?

श्री रतनलाल ताम्बी : पंचायत की आबादी की है। ऊंचा पंचायत कुचलवाड़ा कलां तहसील जहाजपुर (व्यवधान)...

श्री राम रिछपाल नुवाल (भीलवाड़ा) : इस बारे में आप बोलने वाले कौन होते हैं ?

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक बीघा जमीन पंचायत से मांगी थी, पंचायत नियमानुसार देने को तैयार है लेकिन पैसा जमा कराने के पहले उस पर कब्जा करते–करते नौ बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया और जब उसकी कार्यवाही शुरू की तो....

श्री राम रिछपाल नुवाल : नाजायज कब्जा किसी की जमीन पर नहीं है। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपने सारी शैक्षणिक संस्थाओं का भी + + + ले लिया है क्या ?

श्री रतनलाल ताम्बी : पंचायत मंत्रीजी वहां के विधायक हैं, उन्होंने इसको पंचायत से....(व्यवधान) अपने पद का उपयोग करके उसको पंचायत विभाग के माध्यम से देवली में मिलाने के लिए नगरपालिका में लेने की कार्यवाही कर रहे हैं। एक विद्यालय के नाजायज कब्जे अतिक्रमण की कार्यवाही को लेकर 331 बीघा जमीन को लेकर वहां पर पूरी की पूरी जमीन का रकबा ट्रांसफर कराने की कार्यवाही करने से वहां की पंचायत में, वहां के आसपास के गांवों में अशांति का वातावरण बना हुआ है। वहां पर कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है। 331 बीघा वह जमीन देवली नगरपालिका से लगी हुई करोड़ों रुपये की है और आज इस विद्या मन्दिर ने 50 लाख की नौ बीघा जमीन पर कब्जा कर रखा है, जो वहां की आसपास की रेट है। हम कहते हैं कि उस विद्यालय को नियमानुसार पैसा जमा कराकर पंचायत पट्टा देने को तैयार है। वह तो लेना चाहते नहीं और राज्य सरकार के मंत्रियों के पद और प्रभाव के कारण छोटी पंचायत जिसकी अरबों रुपये की सम्पत्ति है, मुफ्त में देवली के महाविद्यालय के लिए जमीन दी, अन्य कामों के लिए जमीन दी। जहां विकास का काम करने के लिए हम देना चाहते हैं वहां इसके खातिर करोड़ों रुपये की जमीन को इस तरह की गलत कार्यवाही करके पद और प्रभाव में आकर लेना चाहते हैं। इस बात को लेकर सम्पूर्ण जहाजपुर तहसील की जनता आन्दोलित है, इसको लेकर कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब होगी इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि....

श्री मदन दिलावर : वहां आदर्श विद्या मन्दिर है इसलिए आन्दोलित हैं ?

श्री रतनलाल ताम्बी : ....कि राज्य सरकार, नैतिकता की बात करने वाले लोग पैसा देकर लो कौन मना करता है ? पंचायत की जमीन हमने दी।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(85)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपने जमीन दी ? आप लेकर आये हो आपके वहां से ? आपकी पारिवारिक सम्पत्ति है ? (व्यवधान) सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले लोग कालेज और छात्रावास का.... (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : हां, बिलकुल जहाजपुर तहसील की है और हमने दी है ।

श्री मदन दिलावर : छात्रावास के शिलान्यास को पट्टिका किसने तोड़ी है ? छात्रावास क्यों नहीं बनने दे रहे हो ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : कह रहे हैं कि हमने दे दी, जैसे कोई आपकी स्वयं की जमीन हो । (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : आपको जानकारी नहीं है, आप बैठ जाओ । अध्यक्ष महोदय, कालेज के लिए पंचायत द्वारा पट्टा दिया गया है ।

श्री मदन दिलावर : वहां छात्रावास का निर्माण होने जा रहा था । (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : पंचायत द्वारा वहां के बिजली विभाग को पट्टा दिया गया, जहां-जहां भी आवश्यकता थी वहां-वहां पट्टे देकर जमीन दी गयी । (व्यवधान) पट्टा देकर जमीन देने में कोई हर्ज नहीं है । आर.एस.एस. के स्कूल जिससे.... (व्यवधान) यह इल्लीगल कार्यवाही हो रही है ।

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराज जाएं । माननीय मंत्री महोदय, बिराजें । अब आप बिराज जाएं, बहुत चर्चा हो गयी । (व्यवधान) 295, श्री हरिसिंह (कुम्हेर)

श्री नाथू सिंह गुर्जर (राज्य मंत्री, पंचायती राज) : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट । जब ये बोल रहे थे तो इन्होंने मेरा नाम रेफर किया इसलिए मैं मेरा क्लेरिफिकेशन देना चाहता हूं । अध्यक्ष महोदय, ये जिस जमीन की चर्चा कर रहे हैं वह मेरे विधान सभा क्षेत्र का मामला है और कुछ इनके विधान सभा क्षेत्र का मामला है । अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं कि वहां का कालेज देवली में है । वहां के कई आफिसेज बीसलपुर के.... (व्यवधान) आपको मालूम ही नहीं ।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठे-बैठे नहीं बोलें, नारायणसिंहजी ।

श्री नाथू सिंह गुर्जर : वहां पर बीसलपुर का गेस्ट हाउस है और उनकी कालोनी है, वहां का हमारा हास्पिटल का कुछ भाग है, कालेज है और बहुत सारे लोग बस गये हैं । इनको मालूम है देवली की पेराफेरी । अध्यक्ष महोदय, जो देवली शहर है उस देवली शहर के तीन तरफ जहाजपुर की पंचायत की लगती सीमा है । पहले तो शहर छोटा था अब वह बढ़ने लग गया । और बढ़ने लग गया तो शहर में सब लोग आते हैं । लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से दिक्कतें इतनी होती हैं कि शहर के अन्दर सफाई कौन करे, शहर में गन्दगी हो जाए तो ?

(श्री नाथू सिंह गुर्जर)

वहां रोड बनाने का मामला आता है नेशनल हाई-वे जमीन के पास होकर है, तो प्रशासनिक दिक्कतें बहुत ज्यादा आयीं। यह मामला आज से नहीं चल रहा, शायद आपको मालूम होगा ?

श्री रतनलाल ताम्बी : मालूम है, हाई कोर्ट से फैसला हुआ है।

श्री नाथू सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, कई बार भीलवाड़ा और टोंक के कलक्टर्स ने बैठकर एक साथ बैठकें कीं आपस में। उन्होंने चिट्ठियां लिखीं और कहा कि प्रशासनिक दृष्टि से देवली की जो सीमा है जिसमें शहर आ गया है, उस एरिये को भीलवाड़ा से हटाकर टोंक की सीमा में लेकर देवली शहर को दिया जाना चाहिए। यह कोई मेरी रिकमण्डेशन नहीं है, यह कोई जन प्रतिनिधि की रिकमण्डेशन नहीं है, यह प्रशासनिक अधिकारियों ने बैठकर अपने स्तर पर रिकमण्डेशन की है। उन्होंने वहां से पत्रावलियां भिजवायीं। फिर क्वैरीज की गयीं कि क्या-क्या कारण हैं, क्या-क्या दिक्कतें हैं। आज ये कह रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये अभी आरोप लगा रहे थे, मैं सदन में आरोप लगाना नहीं चाहता वरना मैं भी आरोप लगा सकता हूं। मेरे पास भी आरोपों की कमी नहीं है, तथ्यों की कोई कमी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने उधर बैठकर बहुत झेला है और झेल सकता हूं मुकाबला किया है और कर सकता हूं। आज ये आरोप लगा रहे थे, मैं यह जानना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, इनसे ही जानना चाहूंगा कि उस ऊंचा की पंचायत की जमीन पर किन-किन प्रभावशाली लोगों के कब्जे हैं ? मैं लिस्ट दूं आपको कि किन-किन के कब्जे हैं ? और वे किस पार्टी से सम्बन्धित हैं ? (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, ये लोग उस जमीन को खाना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : बिलकुल, हाई कोर्ट ने पंचायत से कार्यवाही करायी है। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गूजर : अध्यक्ष महोदय, ये भूमि का विवाद खड़ा कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह तरीका ठीक नहीं है। उनको बोलने दें आप।

श्री राजेन्द्र चौधरी : मंत्री महोदय आरोप लगा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय राजेन्द्र सिंहजी, आप बिराज जाएं। (व्यवधान)

श्री नाथू सिंह गुर्जर : राजेन्द्रजी, यह जोधपुर का मामला नहीं है, देवली का मामला है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय, आप इधर देखिये न। जो कहना है वह कहिये।

श्री नाथू सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कलक्टर्स ने मीटिंग की। वे इस सीमा को देवली नगर पालिका में इसलिए मिलाना चाहते हैं ताकि लोग इस जमीन पर कब्जा नहीं करें, उस जमीन को खा नहीं जाएं। आज आधी जमीन पर तो कब्जा हो गया और यह सरकार कार्यवाही नहीं करेगी तो पूरी जमीन को प्रभावशाली लोग हजम कर जाएंगे। इसलिए प्रशासन ने इन चीजों को देखते हुए मीटिंग की और मीटिंग के अन्दर निर्णय लिया। माननीय ताम्बीजी अभी आरोप लगा रहे थे। (व्यवधान) मैं इनको चुनौती देता हूं कि एक भी गलत काम मेरे खिलाफ साबित कर दें उस दिन विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र देकर चला जाऊंगा। (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : पंचायत की विधि विभाग से आपने....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पहले आप सुनें, माननीय सदस्य। इस तरह की व्यवस्था ठीक नहीं है। सुन लें पहले। आप चाहेंगे तो आपको भी अवसर दे दूंगा।

श्री नाथू सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं आरोप नहीं लगाना चाहता लेकिन अब मेरा नाम ले ही दिया तो मेरे पास सबूत हैं कि ताम्बी जी ने कितनी-कितनी जमीनों पर कब्जा किया है। कोर्ट ने इनके खिलाफ दिया है। वे कागजात आप कहोगे तो मैं लाकर दिखा दूंगा। (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : अध्यक्ष महोदय, एक इंच का जमीन का भी कब्जा निकल आएगा तो मैं इस्तीफा देकर चला जाऊंगा। ..(व्यवधान)

श्री नाथू सिंह गुर्जर : आपने इल्लीगल रजिस्ट्री करवायी..(व्यवधान) आपके भाई ने आपके खिलाफ केस कर दिया।

श्री रतनलाल ताम्बी : अध्यक्ष महोदय, या तो मन्त्री जी इस्तीफा देंगे या मैं इस्तीफा दूंगा। एक इंच का भी अगर कब्जा निकल आएगा तो। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मन्दिर की जमीन पर ताम्बी जी ने कब्जा किया है और सरकार ने कब्जा हटवाया है, अभी-अभी हटवाया है। बालाजी का मन्दिर..(व्यवधान)..

श्री रतनलाल ताम्बी : अध्यक्ष महोदय, मुझे चुनौती दी है..(व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, यह हटाया जाए। बगैर, नोटिस के आरोप लगाये हैं मंत्री महोदय ने रतन लाल जी ताम्बी के ऊपर, नोटिस के बगैर आरोप लगाये हैं, आप कृपया इनको प्रोसीडिंग से हटवाइये।

श्री नाथू सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, एस.डी.एम. ने इनके खिलाफ फैसला दिया।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं या मन्त्री जी इस्तीफा देंगे, फैसला इनको करना है। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने खुद ने डेढ़ बीघा जमीन पर कब्जा किया है मन्दिर की जमीन पर और सरकार ने कब्जा हटाया है। खुद +++ नाजायज कब्जा करते हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, ये सारे आरोप जो लगाये जा रहे हैं इस सारे मामले की जांच की जाए ।..(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : इन्होंने कब्जा कर रखा है.. (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, आदर्श विद्या मंदिर को जमीन देने के मामले में ये अपनी आर.एस.एस. की वहां पर शाखा स्थापित करना चाहते हैं। इन्होंने हाई कोर्ट की अवमानना की है। हाई कोर्ट का निर्णय हो चुका है कि इसको देवली नगर में नहीं मिलाया जाए। हाई कोर्ट के निर्णय की अवमानना की गयी है। ये सिर्फ आर.एस.एस. की शाखा बनाने के लिये वहां पर इस जमीन को अपने देवली नगर में मिलाना चाहते हैं आदर्श विद्या मन्दिर के नाम पर इस जमीन को यह हड़पना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, यह मामला बहुत गम्भीर हो गया, इसकी पूरी जांच करवाकर इन सबको हटाना चाहिये। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : समाज कल्याण मंत्री महोदय, आप सुनिये। आपको तथ्यों की जानकारी नहीं है। हाई कोर्ट की अवमानना हुई है ...(व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, ताकि बार-बार यह मुद्दा सदन में आए नहीं और सदन का अमूल्य समय नष्ट नहीं हो।..(व्यवधान).. अध्यक्ष महोदय, जब माननीय सदस्य कब्जा कर करके यहां सदन में उठाते हैं तो आम जनता का क्या होगा? ..(व्यवधान).. अध्यक्ष महोदय. प्रत्येक गांव ढाणी में क्या होगा इस तरह की बात अगर सदन में आती रहेंगी तो? .:(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजें, काफी चर्चा हो गयी।

श्री रतनलाल ताम्बी : अभी पंचायत विभाग की विधि शाखा के माध्यम से..

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजें। चर्चा काफी हो गयी, बहुत चर्चा हो गयी। पर्याप्त चर्चा है, यह चर्चा समाप्त। श्री हरिसिंह (कुम्हेर)..(व्यवधान) कृपया बिराजें, माननीय सदस्य।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं चैलेंज कर रहा हूं मन्त्री जी को कि अगर एक इंच जमीन पर भी कब्जा निकल आए तो..

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजें, माननीय सदस्य। कृपया, बात खतम हो गयी।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री अध्यक्ष)

(व्यवधान).. विराजें, माननीय सदस्य । श्री कालूलाल जी, कृपया विराजें ।

श्री राजेन्द्र चौधरी : ये आरोप लगा रहे हैं । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उन्होंने कह दिया। उन्होंने खंडन कर दिया आरोपों का ।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैंने चुनौती दी है उनको । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं अनुमति नहीं दूंगा, विराजें आप । श्री हरिसिंह (कुम्हेर)

श्री रतनलाल ताम्बी : उसकी जांच करवाएं दोनों मामलों की, कमेटी बनवा–कर जांच करवाएं ।

श्री अध्यक्ष : कृपया विराजें । कृपया विराजें ।

श्री बनवारी लाल बैरवा : आप हाउस की कमेटी से जांच करवाएं ।

श्री अध्यक्ष : कृपया विराजें, माननीय सदस्य । आपने अपनी बात कह दी, मंत्री महोदय ने अपनी बात कह दी । आपने कह दिया था । आपने आरोपों का खण्डन कर दिया और क्या कहना है इसमें ? आरोप प्रत्यारोप चलते रहें, यह ठीक नहीं है । कृपया विराजें, माननीय सदस्य ।

श्री रतनलाल ताम्बी : उन सबके खिलाफ कार्यवाही की जाए ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री रतनलाल ताम्बी, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, कृपया विराजें । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : शास्त्रों में यह कहा गया है कि जर, जमीन, जोरू, जोर की.. . (व्यवधान)

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, दोनों माननीय सदस्य और माननीय मन्त्री महोदय ने....

श्री अध्यक्ष : कृपया विराजें, माननीय सदस्य । मेरा यह निवेदन है कि आरोप-प्रत्यारोपों का जवाब मंत्रीजी ने भी दे दिया, माननीय सदस्य ने भी दे दिया ।

श्रीमती कमला : दोनों तरफ के व्य–क्तिगत आरोपों और प्रत्यारोपों को निकाला जाए ।

श्री अध्यक्ष : वह मैं देख लूंगा । अगर वे असंसदीय होंगे तो मैं देख लूंगा । अब आप विराज जाएं कृपया ।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं अब आरोपों की बात नहीं करके दूसरी बात, तथ्यों की बात करूंगा ।

श्री अध्यक्ष : नहीं, अब कुछ नहीं पढ़ना है । नो-नो, मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं, माननीय सदस्य, विराजें । कृपया विराजें । कृपया विराज जाएं । समय बर–बाद न करें ।

व्यवस्था का प्रश्न

नियम 295 के तहत किये गये विशेष उल्लेख का सरकार द्वारा प्रसंज्ञान

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 295 पढ़ने से पहले रूल 295 पढ़ना चाहता हूं और इसलिये पढ़ना चाहता हूं कि 295 एक नियम है उसके अन्तर्गत हम कोई बिजनस हाउस के सामने रखते हैं। विशेष रूप से आपके सामने आकर्षित करना चाहता हूं कि यह सरकार नियमों का निश्चित रूप से उल्लंघन करना चाहती है, इस हाउस को हाउस मानकर नहीं चलाना चाहती। नियम 295 में यह लिखा हुआ है :—

"A Member who wishes to bring to the notice of the House any matter which is not a point of order shall give notice to the Secretary in writing stating briefly the point which he wishes to raise in the House together with reasons for wishing to raise it, and he shall be permitted to raise it only after the Speaker has given his consent and at such time and date as the Speaker may fix."

अब आपने, श्रीमान्, मेरे नोटिस पर आज का टाइम फिक्स कर दिया, समय दिया है, मुझे अनुमति दी है कि मैं 295 को पढ़ूं, और 295 से सम्बन्धित मंत्री महोदय लेट होते हैं तो वे एब्सेंट हैं हाउस के अन्दर।

श्री अध्यक्ष : वह कोई जरूरी नहीं। जरूरी नहीं।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : मैं अर्ज करूं आपसे। जरूरी इसलिये है कि यह बिजनस है हाउस का और अभी दस मिनट तक हाउस में जो आपके सामने चर्चा हो रही थी वह कोई हाउस का बिजनस नहीं था, श्रीमान। उस पर मन्त्री जी भी बोल रहे थे और लोग भी बोल रहे थे, आप अलाउ भी कर रहे थे। चर्चा हो रही थी। मेरी पूरी बात सुन लें, मैं मेरे मन की बात कहना चाहता हूं। इस हाउस के अन्दर मैं देखता हूं कि this House has become free for all. मैं देखता हूं कि कोई बिजनस जो लिस्ट आती है उस पर तो काम होता नहीं। मैं खड़ा हो गया, हाउस को कंण्वर करता हूं, बोलता रहूंगा आधा घंटे तक। अब यह एक बिजनस है हाउस का। आप यह कहेंगे कि आवश्यक नहीं है तो यह 295 काहे के लिये बनाया गया है? इसलिये बनाया गया है कि यह जो होता था हड़कम्प अब तक, इसको एक प्रकार से रेगुलर किया जाए। आप इसको नोटिस देंगे, हमको भी नोटिस देंगे। सरकार का कोई जवाब नहीं है। 295 के अन्दर पढ़ा हुआ मान लिया जाता है कुछ सुना ही नहीं जाता है इसके लिये। क्या मतलब हुआ फिर 295 का? मैं पढ़ देता हूं। 295 का जो नियम बनाया गया है इसलिये बनाया गया है कि व्यवस्थित रूप से सरकार के सामने, हाउस के सामने कोई बात रखी जाए।

श्री अध्यक्ष : सरकार बैठी है, आप कहिये।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : सरकार बैठी तो है। कहां सरकार है ? इस सरकार से मेरा मतलब है इस सरकार को जिस रूप में मैं देखना चाहता हूं, जिस +++ को मैं सुनाना चाहता हूं वह +++ तो है ही नहीं। सड़कों वाले तो हैं ही नहीं, पानी वाले बैठे हैं, बिजली वाले बैठे हैं, वे क्या सुनेंगे ? जवाब आएगा नहीं इसका। इसका जवाब नहीं आया, अध्यक्ष महोदय। अभी तक कोई जवाब नहीं आये इनके।

श्री रामस्वरूप मीणा : मन्त्री जी को बुला लो।

श्री अध्यक्ष : कृपया व्यवधान नहीं।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : हम यह निवेदन करना चाहेंगे, अध्यक्ष महोदय, आप आरोपों प्रत्यारोपों को तो अलाउ कर सकते हैं....

श्री अध्यक्ष : आप पढ़ना चाहते हैं या नहीं पढ़ना चाहते हैं ? पढ़िये ना तो। समय का सदुपयोग करिये आप। मैं दूसरा नाम पुकारूं।

श्री किशन मोटवानी : माननीय अध्यक्ष जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : कृपया विराजें आप। कृपया, उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया।

श्री जोगेश्वर गर्ग : मैं आपसे एक मिनट, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : कृपया विराजें। माननीय सदस्य, क्या फरमा रहे हैं आप ?

श्री जोगेश्वर गर्ग : मैं इसी के सम्बन्ध में फरमा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, इस सम्बन्ध में चर्चा समाप्त कर दी, विराजें आप। आप विराजें माननीय सदस्य।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

विधान सभा क्षेत्र कुम्हेर (भरतपुर) की सड़कों की दुर्दशा

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत लोक महत्व के निम्नलिखित विषय का सदन में विशेष उल्लेख आसन की अनुमति से करता हूं।

यह कि राजस्थान सरकार की सड़क नीति के अनुसार मेजर डिस्ट्रिक्ट सड़कों पर 12,600/- से 14,200/- रुपया प्रति साल व्यय होना चाहिये। सरकार का यह दायित्व भी है कि वह अपनी सड़कों का रख-रखाव सही रखे जिससे यातायात सुविधापूर्वक चल सके।

मुझे माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का ध्यान कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र में सड़कों की दुर्दशा और जनता को हो रही भारी परेशानी की ओर आकर्षित

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री हरिसिंह)

करना है। जैसा कि मुझे विधान सभा में प्रश्न संख्या 709/सा.नि.दिनांक 17-7-98 के उत्तर में बतलाया गया है, निम्नलिखित सड़कों की मरम्मत पर 1996-97 व 1997–98 में एक पैसा भी व्यय नहीं किया गया तथा उनकी मरम्मत नहीं की गयी है :–

क्र.सं.	सड़क का नाम	लम्बाई (कि.मी.)
1.	पपरेरा मरावली	4
2.	सेन किसनसिनी	6
3.	सेवर हेलक	8
4.	पपरेरा चितोकरी	7
5.	सम्पर्क सड़क कुम्हा	1
6.	सम्पर्क सड़क लखन	1
7.	सम्पर्क सड़क शहर से सातकूक	1.50
8.	सम्पर्क सड़क ताखा	4.00
9.	सम्पर्क सड़क बांदू	1.00
10.	हेलक रेलवे स्टेशन से गांधीनगर	4.00
11.	सम्पर्क सड़क महुवा	2.00
12.	सम्पर्क सड़क कासोट	3.00
13.	सम्पर्क सड़क भाजऊ	1.00
14.	बोकई से पवार	1.50

इसके अतिरिक्त जहांगीरपुर से उसरानी, गांगरेली से मरावली, उसरानी से अनूपर, मोती का नगला से भाजऊ पर 1998 में मरम्मत पर एक पैसा भी व्यय नहीं किया गया है, इस कारण से सड़कों की दशा बहुत खराब हो चुकी है।

Page No.76

93

(श्री हरिसिंह)

माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर आग्रह है कि जो मरम्मत कार्य पूर्व वर्षों में होना था उसे इस वर्ष अविलम्ब कराने का कष्ट करें और कृपया यह भी बतलावें कि मरम्मत कार्य कब तक करा दिया जाएगा। धन्यवाद, आपने समय दिया उसके लिये।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहन लाल बाकपाल।

जायल तहसील के ग्रामों में सड़क निर्माण

श्री मोहन लाल बाकपाल (जायल) : अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के तहत जायल तहसील के गांव तसाऊ से डामर सड़क, डेरी व किशनाऊ से कुचेरा तक सड़क बनाने के बारे में आपके माध्यम से सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी को ध्यान में दिलाना चाहता हूं कि 101 मील छावटा से खड़खड़ तक डामरीकरण करवाना है। मंत्रीजी को आगे भी मैं कई बार निवेदन कर चुका हूं। दो-तीन साल में भी हमारे तहसील जायल में एक ही सड़क का डामरीकरण नहीं हुआ है। आपसे मेरा निवेदन है कि गोड़ माग-लोद से रातंगा 6 किलोमीटर सड़क पक्की बन गयी है मगर रातंगा से रोल 8 किलोमीटर सड़क और बनानी है। अब मैं आपकी कृपा से मंत्रीजी को निवेदन कर रहा हूं, क्या पता इस बार सुन लें, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि बोलेमो तो आपड़ा मोरीया के हाथ है मेह आवों मेह आवों, मगर बरसणों तो राजा इन्दर के हाथ है।

इस विषय में गोरखनाथजी कहते हैं--

खेलो चोसर रखो बगल में जीती बाजी हारी क्या।

जबान जैसी प्यारी जगत में जबान जैसी खारी क्या।

साधु होकर चेली रखता वो साधु तपधारी क्या।

विधवा नारी अंतर लगावे उसने आत्मा मारी क्या।

ब्राह्मण होकर वेद नहीं जाने वो ब्राह्मण ब्रह्मचारी क्या।

वैदिक होय नब्ज नहीं जाने उसका वैद पसारी क्या।

मित्र होकर करे बुराई उसकी मित्राचारी क्या।

अपने पति को जहर पिलावे वो पतिव्रता नारी क्या।

जिस नगरी में दया, धर्म नहीं उस नगरी में रहना क्या।

कहे मछन्दर सुण रे गोरख नहीं माणे जीणे कहना क्या।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

जोधपुर स्थित सूचना केन्द्र एवं जन-सम्पर्क कार्यालय में सुविधाएं

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : नियम 295 के अंतर्गत प्रस्ताव-जोधपुर स्थित सूचना केन्द्र एवं जन सम्पर्क कार्यालय में सुविधाओं के विस्तार के क्रम में।

मान्यवर, जोधपुर शहर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है एवं राज्य की बौद्धिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। भारत-पाक की अन्तरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक होने से सूचनाओं के प्रसार में इसका महत्व और भी बढ़ गया है। जोधपुर में सूचनाओं के आदान-प्रदान एवं जन सम्पर्क हेतु राज्य सरकार का एक सूचना केन्द्र कार्यरत है, वहीं जन सम्पर्क कार्यालय में जन सम्पर्क अधिकारी एवं सहायक जन सम्पर्क अधिकारी के क्रमश: एक व दो पद सृजित हैं। इन कार्यालयों में उपलब्ध सुविधाएं शहर की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए बौनी गलती हैं। पिछले कुछ वर्षों में विदेशी पर्यटकों की इस क्षेत्र में बढ़ोतरी एवं जैसलमेर जैसे पर्यटक स्थल की पृष्ठभूमि के कारण इस क्षेत्र का महत्व दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है।

महोदय, अब हम बीसवीं सदी में प्रवेश कर रहे हैं एवं आगामी सदी में जन मानस को त्वरित गति से सूचनाएं उपलब्ध करवाना राज्य सरकार का प्रमुख ध्येय है। इसी क्रम में मेरा आपके माध्यम से माननीय जन सम्पर्क मंत्री से निवेदन है कि जोधपुर स्थित सूचना केन्द्र को इंटरनेट से जोड़ा जाए तथा यहां स्थाई कला दीर्घा की व्यवस्था की जाए जिससे स्थानीय कला का विदेशी पर्यटकों में उचित प्रसार हो। साथ ही यहां एक सामुदायिक हाल अथवा भवन का निर्माण हो जिसमें राजस्थान और विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान की लोक संस्कृति एवं विकास यात्रा का पूर्ण उल्लेख हो सके।

महोदय, इसके अतिरिक्त जोधपुर जन सम्पर्क कार्यालय में एक पद सहायक निदेशक व एक पद फोटोग्राफर मय डार्क रूम का भी तुरंत प्रभाव से सृजित किया जाए। इस कार्यालय में एवं सूचना केन्द्र में सेमीनार एवं सम्मेलनों के लिये उचित फर्नीचर भी उपलब्ध करवाएं एवं सभागार को एयर कूल्ड करवाने की व्यवस्था करवाएं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं पहले तो एक सूचना देना चाहता हूं। वह सूचना जरूरी है, नहीं तो अलग से दे देता कि गंगापुर नगर पालिका के वार्ड नं. 35 के पार्षद विजय सिंह ने 18 तारीख को यह घोषणा गंगापुर में की है कि अगर गंगापुर नगरपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार, कमेटीज का चुनाव नहीं कराया तो 15 अगस्त के दिन आत्मदाह कर लूंगा। यह सारे अखबारों के अन्दर है।.... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैंने तो सूचना दी है। यह मंत्रीजी क्या करते हैं, स्वायत्त शासन मंत्रीजी क्या करते हैं, यह इनके सोचने का विषय है। मैं तो 295 आपके सामने पढ़ देता हूं। मैंने सूचना दी है कि 15 अगस्त

Page No.78

(95)

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

के दिन वह आत्मदाह कर लेगा। .... (व्यवधान) आपकी पार्टी के हैं, हमारी पार्टी के नहीं हैं....

श्री टीकमचन्द कान्त : बहुत ज्यादा आत्मदाह करोगे तो फिर कीमत ही नहीं रहेगी, सारी संवेदना खतम हो जाएगी, इसको छोड़ो।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : आप ही का है, चिन्ता मत करो। अब मैं आगे इसी में बता देता हूं....

श्री अध्यक्ष : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं सदन के माननीय सदस्यों से कि इस आत्मदाह शब्द का प्रयोग आप इस सदन में न करें तो अच्छा है। यह ठीक नहीं है, इसका प्रचार-प्रसार न करें। यह सदन के लिये ठीक नहीं है कृपया।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : अध्यक्ष महोदय, हम तो नहीं करना चाहते हैं। हम थोड़े ही कर रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : कर तो रहे हैं, और क्या है ?

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : अखबारों में आ रही है, हम थोड़े ही कर रहे हैं ? आत्मदाह का तो वैसे ही हो गया। अगर सदन में हम सूचना नहीं देंगे....

श्री अध्यक्ष : 295 पढ़िये आप।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : सदन में नहीं करें। अच्छा, नहीं करेंगे, अध्यक्ष महोदय। अब आइंदा नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष : मैंने कहा, प्रचार नहीं करेंगे।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : नहीं करेंगे।

गंगापुर नगरपालिका के खिलाफ राज्य अन्वेषण ब्यूरो में दर्ज अभियोग

राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत माननीय उप मुख्य मंत्री एवं स्वायत्त शासन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। नगरपालिका गंगापुर में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है। एक नहीं अनेक शिकायतें स्वायत्त शासन विभाग में विचाराधीन हैं, लेकिन निष्कर्ष जीरो है।

माननीय, राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो ने अध्यक्ष व अन्य के खिलाफ शिकायतों की जांच की। जांच में सत्यता उजागर होने पर राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो ने अपने थाने में अभियोग संख्या 211/97 दिनांक 10 दिसम्बर, 1997 को मुकदमा दर्ज किया है। आज मुकदमा दर्ज किये सात माह हो चुके हैं लेकिन किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की।

श्रीमानजी, इसी क्रम में मैंने विधान सभा में तारांकित प्रश्न दिया था जिसके

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

उत्तर में मुझे बताया गया है कि अभियोग दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है। 21 अप्रेल, 1998 को मुझे प्रश्न का जवाब मिला।

श्रीमानजी, गंगापुर सिटी से प्रकाशित दैनिक सांध्य झरोखा दर्पण ने अध्यक्ष के भ्रष्टाचार की पोल अपने अखबार में प्रकाशित करना प्रारम्भ किया तो उसके सम्पादक श्री नारायण लाल को बुरी तरह से पीटा गया व गाली गलौच की गयी। पीटने में स्वयं अध्यक्ष व अन्य लोग थे। इस घटना का मुकदमा थाना गंगापुर में दिनांक 27 फरवरी, 1998 को अभियोग सख्या 101/98 धारा 347, 325, 504 एवं 379 लगाकर दर्ज किया, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी। आश्चर्य है कि डी.एल.बी. ने भी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की।

माननीय मंत्रीजी, आज नगरपालिका गंगापुर के पार्षदों एवं जनता में भारी आक्रोश है। यहां तक कि श्री विजयसिह उर्फ बब्बी पार्षद ने तो इस भ्रष्टाचारी के खिलाफ 15 अगस्त के पूर्व जांच कार्यवाही नहीं की तो 15 अगस्त के दिन आत्मदाह करने की घोषणा कर दी है।

अतः मैं आपसे मांग करता हूं कि तुरन्त कार्यवाही कराएं।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूराम अहारी।

बायोगैस कार्यक्रम में लगे मिस्त्री

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत निवेदन करना चाहता हूं कि वर्ष 1983 से बायो गैस का कार्यक्रम चालू है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पूरे राजस्थान में 47 बायो गैस मिस्त्री कार्यरत थे लेकिन विशिष्ट योजना विभाग ने दिनांक 30–5–97 से इन सबको नौकरी से निकाल दिया है। श्रीमान् 15 वर्षों तक कार्यरत कर्मचारियों को निकालना इनके साथ विश्वासघात है। ये लोग यह समझ रहे थे कि अब हमको अपना जीवन यापन करना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अचानक इस प्रकार के निर्णय से सारे राजस्थान के बायो गैस कर्मचारियों के सामने समस्या खड़ी हो गई है।

अतः मैं सरकार से और विशिष्ट योजना मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इन्हें पुनः नौकरी दिलाने के आदेश करें।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहन मेघवाल।

पंचायती राज संस्थाओं में जन प्रतिनिधिओं के सम्बन्धियों द्वारा अनधिकृत हस्तक्षेप

श्री मोहन मेघवाल (सुरसागर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायती राज संस्थाओं में जन प्रतिनिधियों के रिश्तेदारों द्वारा अनधिकृत रूप से संस्थाओं के क्रिया-कलापों में हस्तक्षेप किया

(श्री मोहन मेघवाल)

जाता है। पंचायत समिति मण्डोर में प्रधान के पुत्र द्वारा पंचायत नियमों के प्रतिकूल कार्य जैसे स्टाफ को अवांछित रूप से डराना, धमकाना एवं ऐसा नहीं करने पर उन्हें सेवा से निष्कासित करने तक की धमकी देना आम बात हो गई है। कार्यालय की पत्रावली में टिप्पणी करना, टेलीफोन, वाहन आदि का दुरुपयोग करना यह अपना अधिकार समझता है। इसमें सहयोग नहीं करने वाले कर्मचारी, अधिकारियों की आधारहीन तथ्यों से शिकायत कर ब्लैकमेल करना यह इसका रोजमर्रा का कार्य हो गया है।

मैं माननीय मंत्री जी से ऐसे कृत्यों को तुरन्त रोकने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का निवेदन इस विशेष उल्लेख के जरिये करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री हबीबुर्रहमान।

श्री मोहन मेघवाल : अध्यक्ष महोदय पंचायत मंत्री जी से थोड़ा निवेदन है इसमें....

बासनी कस्बे (नागौर) में रसोई गैस एजेंसी

श्री हबीबुर्रहमान (मूण्डवा) :-माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया संचालन के नियम 295 के अंतर्गत माननीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रीजी का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं....

श्री नाथू सिंह गुर्जर (राज्य मंत्री, पंचायत राज) : इस सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने ...

श्री हबीबुर्रहमान : ... कि बासनी कस्बे की आबादी करीब 25 हजार है तथा नागौर जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 10 किलोमीटर है। यह आर्थिक दृष्टि से संपन्न गांव है तथा अल्पसंख्यक बाहुल्य गांव है। वर्तमान में यहां पर करीब 700 रसोई गैस कनेक्शन हैं जो नागौर एजेन्सी से संबंधित हैं। इससे गांव वालों को खाली सिलेण्डर भरवाने हेतु नागौर जाना पड़ता है जिससे ग्रामीणों को परेशानी उठानी पड़ती है। भारत सरकार की नीति के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र में गैस एजेन्सी खुलना अति आवश्यक है।

अतः ग्रामीण जनता की परेशानी दूर करने हेतु माननीय मंत्री जी से पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि बासनी गांव में गैस एजेन्सी की विज्ञप्ति जारी कराकर गैस एजेन्सी की नियुक्ति कराने की कृपा करें।

श्री मोहन मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, थोड़ा मंत्री जी कह रहे हैं, दो मिनट....

श्री अध्यक्ष : हां, मंत्री महोदय।

श्री नाथू सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने...

श्री हीरालाल बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, यह अब आप....

श्री मोहनलाल मोदी : यह चीज गलत हो जाएगी, हरेक ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने समय दिया है।

श्री मोहनलाल मोदी : फिर हरेक पर उत्तर देना चाहिये।

श्री हीरालाल बिश्नोई : .... जो सदस्य होता है वह बोलता है, उनके जवाब देते हैं।

श्री अध्यक्ष : यह परम्परा ठीक नहीं है। बिराजें आप।

श्री शैलेन्द्र जोशी : हमारे का कभी जवाब नहीं आता है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय अपने विभाग से सम्बन्धित किसी बात का जवाब देना चाहते हैं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय मंत्री महोदय खुद के सदस्यों का जवाब दें और पक्षपात करें, हम जब बोलें तब जवाब नहीं दें।

श्री अध्यक्ष : आप कृपया सुनिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं होगा ?

श्री अध्यक्ष : आप कृपया सुनिये। कृपया, माननीय सदस्य।

श्री शैलेन्द्र जोशी : मैं आपका आदर करता हूं लेकिन पक्षपातपूर्ण रवैये को....

श्री अध्यक्ष : कृपया, माननीय सदस्य, बिराजें आप, आसन पैरों पर है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : मैं आपका आदर करता हूं लेकिन पक्षपातपूर्ण....

श्री अध्यक्ष : कृपया आप बिराज जाएं। बार-बार नहीं आसन की अवहेलना नहीं की जाती है। नहीं, नहीं, बैठे-बैठे भी नहीं बोलते हैं, कृपया, जब आसन पैरों पर है। आदर कहां हो रहा है ? मंत्री महोदय।

श्री नाथू सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया है और इस प्राब्लम की कई बार हमको भी शिकायतें मिलती हैं कि जो महिलाएं सरपंच या प्रधान हैं उनके रिश्तेदार, उनके पति या लड़का, ये कई बार मीटिंग के अंदर इंटरफियर करते हैं। यह कई जगह से शिकायतें आती हैं। आप लोगों के पास भी आते होंगे, मेरे पास भी आते हैं। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, हमने विभाग में पहले भी इस तरह के निर्देश दिये हैं सब जगह कि यदि कोई महिला सरपंच है अथवा प्रधान है या प्रमुख है तो उनके पति को उस मीटिंग में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। इस तरह के पहले भी हमने इंस्ट्रक्शंस दिये है, माननीय सदस्यों ने आज मुद्दा उठाया है, वापस इसको रिपीट करके और सख्ती से इसका पालन करवाएंगे कि सरपंच या अन्य पदों पर महिलाएं हैं वे ही उस बैठक में आएंगी बाकी लोग इंटरफियर नहीं करेंगे, मैम्बर्स में भी।

Page No.82

(७५)

श्री शिवनाथसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं....

श्री अध्यक्ष : श्री मोहन मोदी। इसमें वाद-विवाद नहीं होगा, विराजें। ... बैठें-बैठें, माननीय सदस्य। मोहन जी मोदी बोल रहे हैं, कृपया।

नीमकाथाना विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की गम्भीर स्थिति

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत माननीय जन स्वास्थ्य मंत्री जी का नीमकाथाना विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की गम्भीर स्थिति की ओर ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में निम्नलिखित ग्रामों में व ढाणियों में खारा पानी है या पेयजल का अभाव है, शुद्ध पेयजल मिलने की व्यवस्था कराएं।

1. पुरानावास की 11 ढाणियों में खारा पानी है। पुरानावास में पाइप स्कीम द्वारा पेयजल सप्लाई होता है। इन ढाणियों में इस स्कीम से या अलग ट्यूब वैल बनाकर पेयजल सप्लाई का प्रबन्ध कराएं।

2. सिरोही में कुछ ढाणियों में खारा पानी है, सिरोही में पाइप स्कीम से पानी सप्लाई हो रहा है। इन ढाणियों को भी इससे जोड़ा जाए।

3. रामपुरा व बेगा का नांगल दो राजस्व गांव हैं इनकी जनसंख्या दो हजार के आसपास है, दोनों राजस्व गांव आपस में मिले हुए हैं, इसलिये इनमें पाइप स्कीम बनाकर जल सप्लाई का प्रबन्ध करें।

4. धाधेला में ट्यूब वैल में पानी भी काफी मात्रा में है। राजपुरा आधा किलोमीटर पर है, पुरानी लाइन से राजपुरा में सार्वजनिक नल लग रहे थे। पाइप लाइन बदलवा कर घरों में पानी मिले इसकी व्यवस्था कराएं।

5. जिन विद्यालयों में हैण्ड पम्प स्वीकृत नहीं हुए हैं उनको स्वीकृत कर हैण्ड-पम्प लगाये जाएं।

6. रायपुर पाटन का सोर्स कावरड़ा से आधा किलोमीटर पर है, कावरड़ा को इस सोर्स से पाइप लाइन डालकर पानी सप्लाई की व्यवस्था कराएं।

7. बोपया की 3.34 लाख की विभाग मे योजना बनाई है, ट्यूब वैल सांसद कोटे से बना दिया गया है, इसकी स्वीकृति कराकर शुद्ध पेयजल मिल सके, यह व्यवस्था कराएं।

8. विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना में आपके विभाग की सूचनानुसार 308 हैण्ड-पम्प नकारा हो चुके हैं, उनके विरुद्ध 24 हैण्ड पम्प लगा दिये हैं। बाकी हैण्ड पम्प तुरन्त लगाएं।

(13.00 बजे)

9. अनुसूचित जाति, जनजाति बहां

Page No.83

(66)

(श्री मोहनलाल मोदी)

पाइप योजना चालू है उन मोहल्लों को पाइप लाइन से जोड़ा जाए।

10. ढाणी गुमानसिंह, नगरपालिका कीमकाथाना से जुड़ी हुई है, उसमें 300 मीटर पाइप लाइन डालकर इस ढाणी को जोड़ा जाए।

11. गावोली में अनुसूचित जाति-जनजाति के अधिकतर व्यक्ति रहते हैं, पानी खारा है, इसलिए पाइप स्कीम स्वीकृत कर लाभांवित करें।

12. मावंडा खुर्द पाइप स्कीम द्वारा पानी सप्लाई किया जाता है। एक दिन खारा पानी मिलता है, एक दिन आधा घण्टा मीठा पानी मिलता है, एक नया नलकूप खुदवाकर व्यवस्था करें।

13. ग्राम करजों व रामसिंहपुरा में ग्रामीण जनता के सहयोग से टंकियां बनी हुई हैं, उनको जनता जल योजना में सम्मिलित किया जाकर विद्युत कनेक्शन कराएं।

14. बहुत-से गांवों में हैण्ड पम्प नहीं हैं, उनमें हैण्ड पम्प लगाए जाएं तथा सांसद व विधायक कोटे से स्वीकृत हैण्ड पम्प शीघ्र लगाए जाएं।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल अहारी।

डूंगरपुर जिले में कृषि फव्वारा सैट संख्या में बढ़ोतरी

श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत निवेदन है कि डूंगरपुर जिले के किसानों में काफी असंतोष है। पिछले समय में जो कृषि फव्वारा सैट लगवाने हेतु सरकार द्वारा अलाट किए गये थे वे बहुत ही कम थे। वर्तमान में जिले में पांच पंचायत समितियां हैं, चार तहसील हैं। यह एक अच्छा सुअवसर है कि आदिवासी कृषकों को ऋण अनुदान तौर पर फव्वारा सैट लगाने का मौका प्राप्त होता है।

अतः माननीय सहकारिता मन्त्री महोदय से प्रार्थना है कि वर्तमान में डूंगरपुर जिले के किसानों के लिए ज्यादा से ज्यादा फव्वारा सैट की संख्या से बढ़ोतरी कर लाभान्वित कराएं।

श्री अध्यक्ष : श्री बनवारीलाल शर्मा।

केशरबाग वाइल्ड एनिमल सैंक्चुरी (धौलपुर) की सीमाओं का पुर्नानिर्धारण

श्री बनवारी लाल शर्मा (धौलपुर) : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत निवेदन है कि धौलपुर जिले में केशरबाग वाइल्ड एनिमल सैंक्चुरी की जो सीमाएं दर्शाई गई हैं, वह स्थान सैंक्चुरी के लायक कतई नहीं है। केशरबाग वाइल्ड

(श्री बनवारी लाल शर्मा)

एनिमल सैंक्चुरी के बीचोंबीच धौलपुर से बाड़ी जाने वाली मुख्य सड़क निकलती है, वहीं केसरबाग स्कूल व न्यू स्कूल रेजीडेन्सी केम्पस व बच्चों के खेल के मैदान व ग्रामीण आबादी क्षेत्र है। साथ ही इस केम्पस के पूर्व, पश्चिम एवं उत्तर की ओर खनन एरिया है जिससे गरीब ग्रामीण खनन कार्य द्वारा अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं।

मान्यवर, इस सैंक्चुरी के नाम पर बनागढ़ गांव के ताल को भी लिया जा रहा है जिससे गांव की भूमि सिंचित होने से वंचित रह जाएगी। इसकी वजह से बनागढ़ गांववासियों में भुखमरी की स्थिति पैदा हो जाएगी। साथ ही यह क्षेत्र सैंक्चुरी के लिए किसी भी प्रकार से प्राकृतिक व भौगोलिक दृष्टि से भी उपयुक्त नहीं है एवं आज तक वन्यजीव अभयारण्य के प्रयोग में नहीं आया है। यह क्षेत्र वन्यजीव अभयारण्य के लिए सुरक्षित भी नहीं है।

अतः सरकार सभी दृष्टियों को मद्दे नजर रखते हुए इस पर पुनर्विचार करने का कष्ट करें एवं उक्त वन्य अभयारण्य क्षेत्र की सीमाएं धौलपुर से बाड़ी की ओर जाने वाली मुख्य सड़क के बांयीं ओर निर्धारित करवाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवण कुमार।

(अनुपस्थित)। श्री शांतिकुमार धारीवाल।

राज्य में होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के सरकारी स्तर पर अध्ययन की व्यवस्था का अभाव

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली): अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मैं राज्य सरकार एवं माननीय आयुर्वेद मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992-1997 में यह प्रावधान रखा था कि एक होम्योपैथिक मेडिकल कालेज का सरकार अधिग्रहण करेगी एवं सरकारी स्तर पर होम्योपैथिक अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि जहां राज्य सरकार एक तरफ होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने का ढोंग रच रही है, वहीं सरकारी स्तर पर होम्योपैथिक मेडिकल कालेज राज्य में एक भी नहीं बनाया गया है जबकि भारत के अधिकांश राज्यों में कम से कम एक तथा उत्तरप्रदेश में तो 10 से भी अधिक होम्योपैथिक मेडिकल सरकारी कालेज हैं।

राज्य में जयपुर स्थित डाक्टर मदन प्रताप खुंटेटा होम्योपैथिक अस्पताल एवं मेडिकल कालेज विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त एकमात्र संस्थान है जिसमें प्रवेश परीक्षा (पी.एच.टी.) को पास करने के बाद छात्रों को प्रवेश दिया जाता है, परन्तु इसका शुल्क इतना अधिक है कि छात्रों द्वारा वहन नहीं किया जा सकता। सामान्य वर्ग की तो बात ही क्या है, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

भी फीस में कोई रियायत नहीं है। इस होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में विभिन्न विषयों के स्थायी स्टाफ का नितान्त अभाव है एवं योग्यता प्राप्त उच्च स्तर के प्रोफेसरों का भी अभाव है। मेडिकल कालेज में स्थित पुस्तकालय में बुक बैंक की पर्याप्त सुविधा नहीं है, प्रयोगशाला में पर्याप्त उपकरण नहीं हैं जिसके कारण छात्रों को प्रयोगात्मक अध्ययन में कठिनाई होती है। कालेज में क्रिड़ा स्थल का अभाव है तथा खेलकूद की कोई सामग्री कभी उपलब्ध नहीं कराई जाती।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को बोलने में कठिनाई हो रही है।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) : मुंह में छाले हो रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय सदस्य को बोलने में कठिनाई हो रही है और नियमों का उल्लंघन भी हो रहा है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : और चीज में तो दिक्कत नहीं हो रही न ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : वह क्या है कि आपका पान का पीक बाहर आ जाता है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप टोंक के हो, इसीलिए मुझे ज्यादा जनाते हो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपके आगे एक महिला सदस्य बैठी हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप समझ कर बोला करो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ध्यान रखिए।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : टोंक वालों की बात ही अलग है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : टोंक का आपको अच्छा अनुभव है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इसीलिए तो मैं कह रहा हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप पकड़े गए थे।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उस चीज में दिक्कत नहीं है मुझे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप पकड़े गए थे। जब आप खरबूजे खरीद रहे थे तब आप पकड़े गए थे वहां।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : वे कौनसे वहां देखने गए थे ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : खरबूजे वाले ने आपको क्या कहा, माननीय सदस्य ? (व्यवधान) पैसे लेने से ही मना कर दिया, अध्यक्ष महोदय।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आज महावीरजी को मजा आ रहा है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, घर की बातें नहीं यहां पर।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ....इतना ही नहीं, इस होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावास की कोई व्यवस्था नहीं है जबकि अधिकांश छात्र-छात्राएं जयपुर शहर के बाहर के दूर-दराज ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं। इस कारण छात्रावास की व्यवस्था नहीं होने से छात्राओं में असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो रही है तथा अभिभावकगण को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस मेडिकल कालेज के मैनेजमेंट में जो लोग हैं वे इस महाविद्यालय की प्रगति एवं होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने में कतई ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। पिछले चार वर्षों से कभी भी परीक्षाएं नियत समय पर नहीं हो रही हैं जिससे परीक्षा परिणाम भी देरी से निकलते हैं और जो कोर्स पांच साल का है उसको पूरा करने में सात-आठ साल तक छात्र-छात्राओं को लग रहे हैं। इसके अलावा इंटर्नशिप एवं एम.डी. में कोई मासिक भत्ता भी नहीं दिया जा रहा है जिसकी वजह से छात्र-छात्राओं को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है।

अतः उपरोक्त विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर मैं राज्य सरकार एवं आयुर्वेद राज्य मंत्रीजी से पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि जयपुर स्थित डाक्टर मदन प्रताप खुंटेटा होम्योपैथिक मेडिकल कालेज को राज्य सरकार के अधीन अधिग्रहण किया जाकर इसकी सारी व्यवस्था को सुचारु रूप दिया जाए एवं छात्र-छात्राओं के पठन-पाठन की समुचित व्यवस्था की जाए, छात्रावास का निर्माण कराया जाए, पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला को आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त किया जाए। आशा है कि राज्य सरकार होम्योपैथिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए मेरे इस प्रस्ताव पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर समुचित कार्यवाही करेगी। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरड़क।

खारे पानी को मीठे पानी में बदलने के संयंत्र पुनः चालू करवाना

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत निवेदन है कि राज्य में पीने के लिए जहां पर पानी खारा था, वहां खारे पानी को मीठा करने के संयंत्र राज्य सरकार ने कई वर्ष पूर्व लगाये थे जिसमें नागौर जिले में कई संयंत्र लगाए थे। जिनमें से कुछ मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी हैं परन्तु ये संयंत्र स्थापना के समय से बेकार पड़े हैं, वे कोई कार्य नहीं कर पा रहे हैं।

वास्तविकता यह है कि ये संयंत्र सरकार ने एक सप्लायर से लगवाए और उनको 98 प्रतिशत भुगतान पूर्व में ही कर दिया गया, और दो प्रतिशत राशि गारंटी

(श्री हरजीराम बुरड़क)

समय दो वर्ष तक रोकने की व्यवस्था की थी कि दो वर्ष तक संयंत्र सही रूप से चलाने के बाद दो प्रतिशत राशि देंगे। परंतु सप्लायर संयंत्र लगाते ही 98 प्रतिशत राशि लेकर गायब हो गया और संयंत्र उसी समय बेकार हो गए। दो प्रतिशत राशि के लिए दो वर्ष तक संयंत्र चालू रखने के बजाय दो प्रतिशत राशि छोड़ना उचित समझा।

अतः इस विशेष उल्लेख के जरिए सरकार से मांग है कि उन संयंत्रों को चालू करवाया जाए और जिन अधिकारियों की गलती से ये संयंत्र खराब व बंद पड़े रहे, उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाए।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती कमला। जयपुर जिले में डार्क जोन।

श्री भंवरलाल शर्मा (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, नीमकाथाना से आने वाले माननीय सदस्य ने अपनी जो पानी की मांग रखी थी उसमें कुछ विद्यालयों में हैण्ड पम्प नहीं लगाने की बात कही। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा, पानी की मांग पर हमने जो व्यवस्था का जिक्र किया था उसमें स्कूल, महिलाओं के विद्यालय, श्मशान, बस स्टैण्ड आदि-आदि पर हैण्ड पम्प लगाने की व्यवस्था हमने की है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जिन माननीय सदस्यों के क्षेत्र में इस प्रकार के स्कूल या श्मशान जो भी आते हैं, यदि उनकी सूची उपलब्ध करा दें, वैसे हम उसका संकलन कर रहे हैं, लेकिन उसमें समय लग सकता है, इसलिए मैं आपसे चाहूंगा, सूची जिन-जिन की जानकारी में है अगर आप मुझे दे दें तो उनके सलेक्शन में मुझे आसानी रहेगी और यह काम जल्दी चालू हो सकता है।

श्री अध्यक्ष : जल्दी व्यवस्था हो जाएगी।

श्री भंवरलाल शर्मा (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : नाम दे दीजिए, कहां का है।

श्री बनवारी लाल शर्मा : हर गांव के श्मशान की सूची देनी है।

श्री भंवरलाल शर्मा (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : आपके क्षेत्र में जितनी जानकारी आपको है, दे दीजिए। जो आपकी जानकारी में है उस घोषणा के आधार पर, जहां आप समझते हैं उस घोषणा के आधार पर कि कहां-कहां हैण्ड पम्प लग सकते हैं उसके आधार पर सूचना दे दीजिए ताकि उसको क्रमबद्ध करके व्यवस्था कर सकें।

श्री अध्यक्ष : सूची दे देना, श्रीमान मोहन मोदी जी। भिजवा देना।

श्री भंवरलाल शर्मा (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन और करना चाहता हूं। मुझे दो संशोधन विधेयकों का पुरः

(श्री भंवरलाल शर्मा)

स्थापना करना है। दो विधेयक हैं उनको पुरःस्थापित करने का आज क्रम तो है, लेकिन वह थोड़ा विलम्ब से है। यदि आप अनुमति दें तो मैं उनको यहां पर रखकर किसी आवश्यक काम के लिए थोड़ी देर के लिए जाना चाहूंगा।

श्री हरजीराम बुरड़क : माननीय मंत्री महोदय, मेरे सवाल का जवाब भी दें।

श्री भंवरलाल शर्मा (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : आपके सवाल के जवाब के संबंध में जो कठिनाई है वह हमारे सामने भी है We are feeling difficulty.

श्री रामस्वरूप मीणा : विधान सभा से ज्यादा आवश्यक कार्य आपके पास और क्या है? सबसे बड़ा आवश्यक कार्य यही है।

श्री अध्यक्ष : कृपया विराजें। माननीय श्रीमती कमला। (व्यवधान) आप सूचना दे देना, सूचना मांग लो मंत्रीजी से।

श्री मोहनलाल मोदी : मैंने प्रश्न किया है जिन ढाणियों में, गांवों में ट्यूब वैल लग रहे हैं, पानी टंकी से आ रहा है....

श्री अध्यक्ष : इसमें दुबारा वाद-विवाद नहीं होगा। मैं परमिशन नहीं दे रहा हूं, कृपया विराजें। माननीय सदस्य, विराज जाएं। (व्यवधान) इस पर वाद-विवाद नहीं होता है। मंत्रीजी ने आपका जवाब दे दिया। अब दुबारा आप कुछ पूछना चाहते हैं, मैं आपको अलाउ नहीं कर रहा हूं और माननीय मंत्रीजी को भी अलाउ नहीं करूंगा। इसलिए आप विराज जाएं। श्रीमती कमला।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्रीमती कमला (बैराठ) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर जिले में, और मैं समझती हूं अन्य कई और जिलों में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है कि भूजल विभाग की तरफ से पूरे जिले को डार्क जोन घोषित किया हुआ है। भू-जल विभाग ने या किस किसी भी अथोरिटी ने यह डिक्लेरेशन किया है, मैं अपनी सामान्य जानकारी के आधार पर यह कह सकती हूं कि उन्होंने जो प्रिलिमिनरी सर्वे किया है या डिटेल सर्वे किया है वह बहुत ज्यादा दोषपूर्ण है, क्योंकि जयपुर जिले की अनेक तहसीलें ऐसी हैं जिनमें अनेक नदियां और नाले चलते हैं और उनके आसपास बसे हुए इलाकों में पानी का स्तर अभी भी ठीक बना हुआ है। काफी समय पहले जयपुर जिले की तमाम तहसीलें....

श्री अध्यक्ष : इस पर्ची सिस्टम में केवल एक मिनट की व्यवस्था होती है। आप जिस ढंग से व्याख्या शुरू कर रही हैं शायद इसमें आधा-एक घण्टा लगेगा।

श्रीमती कमला : एक मिनट में तो दो सैंटेंस ही बोल पाते हैं। अध्यक्ष महोदय,

(श्रीमती कमला)

मैं बोल ही डार्क जोन पर रही हूं और डार्क जोन से ही शुरू किया है ।

श्री अध्यक्ष : आप एक मिनट में बोल दीजिए ।

श्रीमती कमला : एक मिनट में कोई बोला जाता है ?

श्री अध्यक्ष : यही व्यवस्था मानें ।

श्रीमती कमला : ठीक है, एक मिनट का मतलब पांच मिनट तो होता है ।

श्री अध्यक्ष : नहीं, मेरी दृष्टि में नहीं होता । यह आपकी दृष्टि में होता होगा । मेरी दृष्टि में एक मिनट का मतलब एक मिनट ही होता है ।

श्रीमती कमला : एक मिनट में क्या बोलेंगे, बताओ आप । एक मिनट में तो चार सेंटेंस लिखे हुए भी नहीं बोल सकते ।

मेरा यह कहना है कि बहुत पहले पूरे जिले को डार्क जोन घोषित किया गया था, सिर्फ एक तहसील शाहपुरा बची थी । उस वक्त उसको डार्क जोन से इस तरह निकलवाया था कि मैंने 10–20 जगह पर जाकर जहां पर अच्छे पानी के सोर्सेज थे और वाटर लेवल अच्छा था, उनके रीसर्व के लिए एप्लाई किया, तो उन्होंने उस तहसील को वापस उसमें से निकाला था । आज यह स्थिति है कि बहुत-सी तहसीलों में रीसर्व कराया जाए और ईमानदारी से विभाग इस कार्य को करे तो जिले की बहुत सारी तहसीलें डार्क जोन से निकल सकती हैं ।

दूसरा मुद्दा मैंने यह रखा है कि एक तरफ डार्क जोन होने से किसानों को लोन मिलना बंद हो गया । जैसा कल माननीय सदस्य ने कहा था, कुछ साधन सम्पन्न किसान तो कुएं बना लेंगे बाकी मध्यम वर्ग और गरीब तबके का किसान है वह कुछ भी नहीं कर पाएगा और न वहां बिजली के कनेक्शन देने की जरूरत रहेगी । जयपुर डिवीजन में आम तौर पर कुओं से ही सिंचाई होती है, और वे ही खतम हो जाएंगे तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार सोच सकती है कि कृषि और किसान का क्या हश्र होगा ।

दूसरा, जो पिछले समय में बहुत सारे एनीकट्स बनाये थे वाटर कंजर्वेशन के लिए, वे एनीकट्स टूट गये हैं । पिछले 10-15 साल में जितने बने उनकी मरम्मत नहीं हुई है । उन सबकी मरम्मत आज बहुत जरूरी हो चुकी है, लेकिन न तो उनकी मरम्मत हो रही है न अपूर्ण को पूर्ण कराया जा रहा है और न बहकर जाने वाला पानी है उसमें नये एनीकट बनवाये जा रहे हैं । इसलिए एक तरफ पानी का कंजर्वेशन नहीं हो रहा है दूसरी तरफ डार्क जोन घोषित हो गया है और तीसरी तरफ कुदरत की मार पड़ रही है । यह जयपुर डिवीजन के लिए और खास तौर से जयपुर जिले के लिए एक बहुत खतरनाक संकेत है जिसके ऊपर भू-जल विभाग और कृषि विभाग ध्यान दें । इसके लिए कोई योजना बनाकर समय रहते निपटाने की चेष्टा करें तो मैं

(107)

(श्रीमती कमला)

समझती हूं कि खेती, किसान और ग्रामवासी बच सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री राकेश मेघवाल — (अनुपस्थित)। श्री मदनमोहन ।

श्री मदनमोहन (खैरथल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान का ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास अभिकरण विभाग के अन्तर्गत कराया जाता है, किन्तु ग्रामीण विकास अभिकरण विभाग के कर्मचारियों को 15-20 साल से लगातार राजकीय सेवा होते हुए भी राज्य कर्मचारियों का दर्जा नहीं दिया गया है, उनकी पेंशन की व्यवस्था भी नहीं की गई है। मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि माननीय मंत्री महोदय ने पिछले सत्र में, आज से साल भर पहले यह आश्वासन दिया था कि इस साल के दौरान इनको नियमित करके इनको राज्य कर्मचारियों का दर्जा दे दिया जाएगा और पेंशन की व्यवस्था की जाएगी।

लेकिन, अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो यह आश्वासन दिया था और इसी विधान सभा में कमिटमेंट किया था कि कुछ ही समय में इनको रेगुलराइज कर दिया जाएगा, आज तक नहीं हुआ है। मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि जैसे ही मंत्री महोदय आएं तो इसके ऊपर अपना स्पष्टीकरण अवश्य दें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, श्री बनवारी लाल शर्मा।

श्री बनवारी लाल शर्मा (धौलपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चिकित्सा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आपने पिछले वर्ष धौलपुर सदर अस्पताल में इंटेंसिव केयर यूनिट की यूनिट खोली थी। उसके लिए तो आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन वहां जो भवन की कमी है, आपने आधा बजट दिया है उससे वहां की जनता को पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है।

इसके साथ-साथ मेरा आपसे निवेदन है कि जो भी बजट की आवश्यकता है उसको देखकर वहां की जनता को लाभ पहुंचाएं।

इसके अलावा मेरा खास तौर से निवेदन है कि आपने घोषणा की है कि हमने हर पंचायत समिति क्षेत्र में एक रैफरल अस्पताल खोल रखा है। धौलपुर पंचायत समिति में एक रैफरल अस्पताल नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि उस पिछड़े क्षेत्र की जनता का ध्यान रखते हुए सैंपऊ तहसील जहां तहसील का हैडक्वार्टर है, धौलपुर सदर अस्पताल से काफी दूर पड़ता है, क्या अपनी नीति के अनुसार पंचायत समिति सैंपऊ में रैफरल अस्पताल खोलने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल।

श्री बनवारी लाल शर्मा : माननीय मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ (राज्य मंत्री, चिकित्सा) : माननीय सदस्य ने अभी धौलपुर के आई. सी. यू. की चर्चा की है। अध्यक्ष महोदय, पिछली बार धौलपुर में इंटेंसिव केयर यूनिट के लिए 12.50 लाख रुपये स्वीकृत हुए थे। जब निर्माण कार्य प्रारम्भ हुआ तब उसमें कुछ और राशि की आवश्यकता बताई गयी है, लगभग साढ़े तीन-चार लाख रुपये की राशि है। इस बार उसमें बजट में प्रावधान करके वह राशि वहां स्वीकृत कर दी जाएगी।

माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया धौलपुर पंचायत समिति में रैफरल चिकित्सालय का, तो सरकार की नीति है कि हर पंचायत समिति में एक रैफरल चिकित्सालय हो। धौलपुर जिला मुख्यालय है और जिला मुख्यालय में जिला चिकित्सालय कार्यरत है। इसलिए नीति के अनुसार तो आता नहीं परन्तु हमारा लक्ष्य है कि एक लाख पर एक रैफरल चिकित्सालय खोलें, उसके तहत ये चिकित्सालय खुलने प्रारम्भ होंगे तब निश्चित तौर पर विचार किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : श्री पल्लीवाल।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि दिनांक 24 जुलाई को कोटा से दो महिलाएं बालाजी के दर्शन करने के लिए गयीं। उनके साथ में उनका 16 वर्षीय भाई था। वे जब वापसी में कोटा जाने के लिए हिण्डौन स्टेशन पर आई तो 8-10 व्यक्तियों ने जो कि हिण्डौन तहसील के हैं, उन महिलाओं का वहां से अपहरण किया या उनको उठाया। पास में ही कटकल नदी है, गम्भीरी नदी, वहां पर जीप से उनको छोड़ने आये और छोड़कर उन दोनों महिलाओं से, जो 8-10 व्यक्ति आये थे उन्होंने खुले रूप से बलात्कार किया। आश्चर्य तो इस बात का है कि आर. ए. सी. की चौकी जो आपने अभी दो महीने पहले ही कटकल नदी पर लगायी थी, उसी नदी पर बलात्कार हुआ। जो उनका भाई था 16 वर्षीय, वह आज तक लापता है। ऐसा सुनने में आया है कि उसको मारा पीटा गया। उसका अभी तक पता नहीं है।

खैर, वहां से उनको मालपुर ले गये। वहां पर जो अपने बारहमासी होते हैं रेलवे वाले, उनके क्वार्टर पर दिन भर रखा और रात को रखा। तारीख 26 को दिन भर वहां पर रखा। उसके बाद वे किशोरपुर गांव पहुंच गये। ये दोनों-तीनों मेरे क्षेत्र में हैं। किशोरपुर गांव के अन्दर जब गांव वालों को मालूम पड़ा तो गांव वालों ने उनको पकड़ने की कोशिश की। पुलिस को 9 बजे बजीरपुर थाने में खबर दी, लेकिन थाना बजीरपुर रात को नहीं गया। फिर जो बाकी के 6 बचे थे वे तो भाग गये। पास में ही एक खंडोल की चौकी है, दो किलोमीटर भी नहीं होगा, कहने का तात्पर्य यह है, अध्यक्ष महोदय, कि इतना इंतजाम होने के बावजूद भी। वह तो धन्यवाद देता हूं मेरे किशोरपुर के मीणा भाइयों कि उन्होंने उनको पकड़ लिया। उनमें से दो तो पकड़ में आ गये। पुलिस को खबर नहीं की तो उनको गंगापुर से

Page No.92

(१०७)

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

गये। मेरे पास सूचना आयी क्योंकि इतवार को मैं भी गंगापुर में मौजूद था।

मेरा तो आपसे यह अनुरोध है कि पुलिस थाना क्यों नहीं पहुंचा रात को? आर. ए. सी. के जवान कटकल नदी पर, जो दो महीने पहले कायम की है और उसके बगल में बलात्कार हो गया। जिस जीप के माध्यम से वे हिण्डौन से गंगापुर गये थे, एक तो यह जीप आज तक बरामद नहीं हुई है एवं बाकी के जो पांच व्यक्ति हैं वे आज तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। पुलिस थाने ने क्यों नहीं कार्यवाही की, पुलिस थाना रात को 9 बजे क्यों नहीं गया, यह सब सोचने का विषय है। इस तरह से जो महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, यह दो दिन पहले की घटना है। तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसकी आप तुरन्त जानकारी प्राप्त करें और सदन में इस पर कुछ स्टेटमेंट दे सकें तो उचित रहेगा।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक ने एक बहुत ही गम्भीर घटना की तरफ ध्यानाकर्षित किया है। मैं आपके द्वारा आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस घटना को अपराधिक प्रकरण की तो निश्चित रूप से जांच करायी जाएगी और डी.आई.जी. की निगरानी में इसकी जांच करायी जाएगी। पुलिसकर्मियों के पार्ट पर जो कुछ भी ढिलाई या उनके कर्तव्य पालन में जो कमी रही है उसकी जांच भी मैं डी.आई.जी. भरतपुर से करवाऊंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री उगमराज मेहता।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्वायत्त शासन मंत्री जी का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आपने जयपुर आदि शहरों की कच्ची बस्तियों को नियमत करने के लिए कैम्प लगाने की घोषणा की है, ब्यावर शहर में भी वर्ष 1981 में राज्य सरकार द्वारा सर्वे कराया गया था। फतेहपुरिया दोयम, संजय नगर, गाड़ोलिया लोहार बस्ती, सांसी कंजर बस्ती, दौलत गढ़ सिगा, इन्दिरा कालोनी, कछावा कालोनी, शिवा कालोनी, बाकोलिया नगर बैरवा नगर, नाथू का बाड़िया, दादाबाड़ी आदि में लोगों ने मकान बना रखे हैं, उनका नियमन करना है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि 15 अगस्त से पहले नगरपरिषद् के कैम्प लगाकर उनको नियमित करने की कृपा करें।

ब्यावर शहर में काफी पुराना एक बीचली बड़ा तालाब है सुभाष उद्यान के पास में सारे शहर का गंदा पानी यहां आता है, यहां तक कि कृषि उपज मण्डी में जो ऊन आता था उसकी सफाई करने का यंत्र लगाया हुआ है उसका सारा गंदा पानी उस बीचली तालाब में आ रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कृषि विपणन बोर्ड के मंत्रीजी और स्वायत्त शासन मंत्रीजी, दोनों मिलकर कृषि विपणन बोर्ड से पैसा लें और सीवरेज लाइन लगाकर दूषित वाता-

(श्री उगमराज मेहता)

करण को शुद्ध किया जाए। आज ब्यावर शहर में लोग पैदल घूम रहे हैं इस गर्मी के मौसम में, तो ...

श्री अध्यक्ष : विराजें।

श्री उगमराज मेहता : तो नाक पर रूमाल लगाकर चल रहे हैं, इतनी बदबू आ रही है।

दूसरी बात मैं स्वायत्त शासन मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि नगर परिषद का एक करोड़ रुपया किराये का बाकी है ऊर्जा मंत्री के विद्युत विभाग में। 50 लाख रुपया चुंगी का बाकी है और कम से कम एक करोड़ रुपया हाउस टैक्स का बाकी है। वह नगर परिषद को दिलवाया जाए ताकि नगर परिषद सुचारू रूप से अपने शहर का विकास कर सके।

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र चौधरी।

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आवासन मंत्रीजी और वहां पर उपस्थित आवासन राज्य मंत्रीजी का ध्यानाकर्षित करता हूं। जोधपुर में चौपासनी हाउसिंग बोर्ड स्कीम जहां पर मैं स्वयं निवास करता हूं, बहुत बड़ी कालोनी है, करीब 50-60 हजार मकान बने हुए हैं। जोधपुर शहर से करीब 15 से 17 किलोमीटर के डिस्टेंस पर वह कालोनी है, वहां पर करीब डेढ़-दो लाख की आबादी निवास करती है।

अध्यक्ष महोदय, वहां पर फल और सब्जी की बड़ी भारी दिक्कत वहां के नागरिक महसूस करते हैं। मैंने इस सम्बन्ध में आवासन मंत्रीजी को भी लिखा, आवासन मण्डल के अध्यक्ष को भी लिखा और वहां के नागरिकों द्वारा भी अलग से एक संगठन नागरिक समिति बनाकर बराबर पत्र व्यवहार किया जा रहा है कृषि विपणन मंत्रीजी हैं सुजानसिंह जी, उन्होंने भी पत्र आवासन मंत्रीजी को लिखा है, उन्होंने कहा है कि आप चौपासनी हाउसिंग बोर्ड कालोनी में हमको जमीन उपलब्ध करवा दो तो हम वहां पर फल और सब्जी मण्डी बनाने और उसका विकास करने के लिए तैयार हैं। जब एक तरफ यह इतना सहयोग का रुख है तो मैं, आवासन राज्य मंत्रीजी, आपसे यह अनुरोध करना चाहूंगा कि आप वहां पर हाउसिंग बोर्ड में जमीन उपलब्ध करवा दें साधारण दर पर क्योंकि सरकार की संस्था है कृषि मण्डी, वह वहां पर बनेगी तो उससे वहां के लोगों को लाभ मिल सकेगा। मैं चाहूंगा कि आवासन मंत्री जी आप इस बारे में आश्वासन दें।

श्री अध्यक्ष: श्री शिवकिशोर सनाढ्य।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि विश्वविद्यालय को लेकर उदयपुर सम्भाग के अन्दर एक आंदोलन चल रहा था। आज भी उदयपुर के लोग धरने पर बैठे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार के उप मुख्य मंत्रीजी, उच्च शिक्षा मंत्री और कृषि मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करता

(117)

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

हूं कि वहां उप मुख्य मंत्रीजी ने विनियोग विधेयक (संख्या–तीन) पर जब घोषणाएं की तो वे घोषणाएं वहां के अखबारों में नहीं छपीं और उदयपुर सम्भाग के लोगों को इसकी सूचना नहीं हुई कि कृषि विश्वविद्यालय यहां पर घोषित किया गया है, उसके लिए एक करोड़ रुपया राजस्थान सरकार ने टोकन के रूप में रखा हुआ है और उसी के साथ में एक मन्त्रिमण्डलीय समिति बनायी गयी है। ये खबरें वहां नहीं छपने के कारण से वे लोग आज भी आंदोलन कर रहे हैं। मैं उप मुख्य मंत्रीजी से और राज्य सरकार से निवेदन करता हूं कि वे किसी भी माध्यम से वहां के लोगों को आश्वासन देकर इस कार्यवाही की जानकारी दें ताकि वहां पर वह आंदोलन समाप्त किया जा सके। उसकी वजह से बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़, राजसमन्द, उदयपुर सभी आंदोलित हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री किशन मोटवानीजी।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य....

श्री जगदीप धनखड़ : मंत्रीजी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि रीढ़ की हड्डी है। हमने मामला उठाया था। (व्यवधान) उनके विवेक पर भी कुछ विश्वास रखो।

श्री किशन मोटवानी : अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार के उस कमिटमैंट की ओर ध्यान दिलवाऊंगा जिन्होंने कमिट किया हुआ है कि भ्रष्टाचार को राजस्थान से नाक से निकाल देंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि छोटे अधिकारियों पर आरोप आएगा तो डी.ई. पर ही सस्पैण्ड कर देंगे। फिर अपना हुआ तो उसको रख लेंगे और अपना नहीं हुआ तो उसको फिर निकाल देंगे। किन्तु हाइएस्ट लेवल पर जो भ्रष्टाचार का चलन है उसको कब रोका जाएगा, किस तरह से रोका जाएगा ? मैं एक उदाहरण स्वरूप निवेदन करना चाहूंगा कि तत्कालीन पूर्व जिला कलक्टर, नागौर के सन्दर्भ में कई खबरें आईं। हमारे पास भी आईं, शिकायतें आईं। शिकायतें साफ हैं। चरागाह की भूमि आवासीय परपज के लिए अधिग्रहीत की गई। खरीदी 35,000 में और उद्योगपति को 25,000 बीघा के हिसाब से दे दी गई। ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर्ड अधिकारी आया, उसको कहा कि मैं चार्ज नहीं दूंगा। उसको वापस भेज दिया और उस पीरियड के दौरान पटवारियों के ट्रांसफर की लिस्ट निकाल दी। यह सही है कि रेवेन्यू बोर्ड ने उस पर रोक लगा दी है और जांच कर ली है, उसको अनियमित माना है, उसमें भ्रष्टाचार की बू मानी है किन्तु राज्य सरकार ने आज तक उस काम में कोई कार्यवाही नहीं की है। उसकी रिपोर्ट भी आ चुकी है जो प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी कहते हैं, वह भी बन गई है, ए.सी.डी. की तरफ से भी रिपोर्ट आ गई है किन्तु कार्यवाही आज तक नहीं हो रही है। इसके कारण जानना इस सदन का कर्त्तव्य है और मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार इस पर अपना वक्तव्य दे कि आज तक इस पर कार्यवाही क्यों नहीं की गई है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये । श्री अमरा-राम (धोद)

श्री राजेन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आवासन मंत्री मैंने जो ध्यानाकर्षित किया था, उसके बारे में आश्वासन देना चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष : नहीं, वे बोल नहीं रहे हैं । वे बोलना नहीं चाहते ।

श्री राजेन्द्र चौधरी : वे देना चाहते हैं, वे बोलना चाहते हैं ।

श्री बाबूलाल वर्मा (राज्य मंत्री, आवासन) : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मेरी जोधपुर से आये हुए माननीय सदस्य मेघवालजी से भी चर्चा हुई है कि राजस्थान आवासन मण्डल से जमीन की वार्ता चल रही है और यदि कृषि विपणन बोर्ड से ऐसा कोई प्रस्ताव आया होगा तो मैं इसको दिखवाकर इस सम्बन्ध में आगे कार्यवाही करूंगा ।

श्री अध्यक्ष : अमराराम जी ।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, अभी किशन जी मोटवानी ने जो बात कही, उसमें एक लाइन कहना चाहता हूं । राजस्व मंत्रीजी यहां बिराज रहे हैं, इनके पास ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आया हुआ है नागौर के कलक्टर के सम्बन्ध में । उसके ऊपर आपके पास रिपोर्ट भी आ गई है, रिपोर्ट आने के बाद आप कार्यवाही नहीं कर रहे हैं तो बहुत अफसोस की बात है ।

श्री अध्यक्ष : विचार कर रहे हैं ।

श्री किशन मोटवानी : यह सरकार का भ्रष्टाचार को मिटाने का कोई संकल्प नहीं है । वह तो सिर्फ मेनिफेस्टो में लिखा है । (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में आज कोई भी गांव या शहर ऐसा नहीं बचा है जहां आवारा गायें नहीं हों । 1-2 की संख्या में नहीं, सैंकड़ों की संख्या में हैं, चाहे छोटे शहरों में हों चाहे गांवों में हों । वे दिन भर रहती हैं और शाम होते ही क्योंकि कोई भी जानवर हो चाहे आदमी हो, भूखा क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता....

श्री अध्यक्ष : सरकार से क्या व्यवस्था चाहते हैं आप ?

श्री अमराराम (धोद) : मैं कहना चाहता हूं, जो यह हालत हो रही है आवारा गायों और पशुओं की । उनकी हालत इतनी भयंकर हो गई है कि एक गांव के लोग इकट्ठा करके कहीं दूर छोड़ने के लिए जाते हैं तो दूसरे गांव वाले ले जाने नहीं देना चाहते, कानून व्यवस्था की स्थिति हो रही है । आज कोई भी ग्राम पंचायत, कोई भी म्युनिसिपैलिटी उन गायों को रखने के लिए तैयार नहीं हैं, राजस्थान में जितनी भी गोशालाएं हैं, वे रखने के लिए तैयार नहीं हैं । उनकी व्यवस्था सरकार करे । केवल मात्र गो-हत्या बन्द का कानून बनाकर गो की रक्षा नहीं हो सकती। इन आवारा गायों और पशुओं से आज

(श्री अमराराम)

किसान की फसल बरबाद हो रही है, रात-रात भर किसान को जगना पड़ रहा है वह पूरे राजस्थान में हो रहा है। या तो सरकार उनको गोशाला या कोई भी व्यवस्था करके रखे। (व्यवधान) अन्यथा यह सरकार अगर गायों की रक्षा करना चाहती है तो 100-100 तो मन्त्रीगण के बांध दें और हर कार्यकर्ता के 5-5 गाय बांधने का भारतीय जनता पार्टी नियम बना ले।

अब तो मैं समझता हूं वरना केवल कानून बनाकर उस गाय की भी दुर्दशा की है और किसान को भी बरबाद किया है। किसान की खड़ी फसल बरबाद हो रही है इसलिए उन गायों की निश्चित रूप से व्यवस्था होनी चाहिए जिससे किसान को भी सुख हो और गाय को अपनी जिन्दगी बसर करने की व्यवस्था हो। गोशाला, म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत के पास न तो इतना बजट है, न वह रख पाता है और किसान उससे बरबाद हो रहा है, आपस में झगड़ा होने की स्थिति हो रही है इसलिए उसकी समुचित व्यवस्था कराई जाए।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। श्री कमल बोली।

श्री रामस्वरूप मीणा : ये मंत्रीजी +++ हो गये हैं, इनकी भी कोई व्यवस्था कर दो। ये बार बार बोलते हैं बीच में उठ-उठकर, ये भी +++ हो चुके हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया।

श्री कमल (हिण्डौन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से खाद्य मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहूंगा। दिनांक 29-7-98 को उपभोक्ता मंच, सवाई माधोपुर में बैठक थी, वह वहां के अध्यक्ष ने स्थगित कर दी। उसमें रूल का जो हवाला दिया है, वह राजस्थान उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1987 के नियम 4(4) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बताया गया है परन्तु रूल 4(4) में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे अध्यक्ष इस बैठक को स्थगित कर सके। उसमें सिर्फ बैठक बुलाने का अधिकार अध्यक्ष को दिया गया है। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि फौरन इसकी बैठक नियमित की जाए और गलत आदेश जिसने दिया है उसको दण्डित कराया जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री शैलेन्द्र जोशी।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान के ट्रेन्ड बी.एड. डिग्रीधारियों का भविष्य जो अन्धकारमय हो गया है, उस पर चिन्ता प्रकट करना चाहता हूं। श्रीमान, इसमें निवेदन है कि राजस्थान में बी.एड. करने के लिए सर्वप्रथम प्री-टैस्ट होता है, उसके बाद में एक साल का शैक्षणिक सत्र होता

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

है और उसके बाद राजस्थान में उनको 50 से 55 प्रतिशत तक नम्बरों से उत्तीर्ण किया जाता है। इसके ठीक विपरीत दूसरे प्रदेशों में धन बल के प्राधार पर 85 से 90 प्रतिशत प्रंक लेकर बी.एड. पास कर लेते हैं जिसमें बिहार, कर्नाटक, काश्मीर, उत्तर प्रदेश हैं। ऐसी परिस्थिति में हमारे राजस्थान प्रदेश के जो ट्रेंड बी.एड. स्टूडेंट हैं उनका नौकरी में प्रतिशत बहुत कम होता है और 85 प्रतिशत दूसरे प्रदेशों के लोग प्राने लग गये हैं। ऐसी स्थिति में मैं प्रापके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं पंचायती राज मंत्रीजी और शिक्षा मंत्री जी से कि वे राजस्थान राज्य के ट्रेंड डिग्रीधारियों को 10 प्रतिशत बोनस प्रंक दें। साथ ही राजस्थान में बी.एड. के शिक्षकों की नियुक्तियों के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा हो जिसमें सामान्यीकरण हो और बी.एड. में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को उनसे ज्यादा एडवांटेजियस पोजीशन में रखा जाए।

श्रीमान् मैं प्रापको एक सूचना भी देना चाहूंगा। प्राज राजस्थान के दो हजार बी. एड. बेरोजगार डिग्रीधारियों ने राजस्थान विधान सभा के सामने प्रदर्शन किया है और धरना दिया है। उनकी पुरजोर शब्दों में मांग है कि राजस्थान के डिग्रीधारी पास हुए हैं उनको 10 प्रतिशत बोनस प्रंक दिए जाएं और सामान्यीकरण की परीक्षा में उनको सेवा शर्तों में ढील दी जाए ताकि राजस्थान के बी. एड. डिग्रीधारी ज्यादा से ज्यादा रोजगार प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।

श्री प्रध्यक्ष : रामगोपाल बैरवा।

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : प्रध्यक्ष महोदय, मैं प्रापके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान मोबाइल कम्पनी जो अपना टावर खड़ा कर रही है, उसमें किस तरह से नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, उसकी तरफ प्राकर्षित करना चाहता हूं।

राजस्थान में मोबाइल कम्पनी प्रोएसिस और एस्सार काम कर रही हैं। ये कम्पनियां जहां-जहां अपना टावर खड़ा करना चाहती हैं, जिस भूखण्ड पर या जिस प्रावासीय मकान पर टावर खड़ा करना चाहती हैं, वहां के जिले के सक्षम प्रधिकारी द्वारा परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन जहां–जहां पर इन कम्पनियों के द्वारा टावर खड़ा किया जा रहा है, वहां पर परमिशन नहीं ली जा रही है। मैं एक उदाहरण के तौर पर कहना चाहूंगा कि कोटा में प्रोएसिस कम्पनी के द्वारा जो टावर खड़ा किया गया है उसमें जिले के किसी भी सक्षम प्रधिकारी के द्वारा परमिशन नहीं ली गई है। इस कम्पनी के द्वारा रीको की प्रावासीय जमीन पर टावर को खड़ा किया गया है। राजस्थान के कोटा में ही नहीं, बाकी प्रन्य स्थानों पर भी जहां-जहां भी इन मोबाइल कम्पनी, जिनमें प्रोएसिस और एस्सार हैं, अपना टावर खड़ा किया है, वहां पर नियमों का कोई ध्यान नहीं रखा गया है। तो सरकार इसकी जांच कराए कि क्या इन्होंने अपना टावर खड़ा करने के पहले परमिशन ली है या बिना परमिशन ही अपना टावर

(श्री रामगोपाल बैरवा)

बड़ा कर रही है ? यह मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री रतनलाल ताम्बी ।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : अध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा जिले की कोटड़ी तहसील के ग्राम आंतला बड़ा में जीवन धारा क्रमांक 97–98 से एक धोरा निर्माण की स्वीकृति हुई 1 लाख 69 हजार की । उसमें एस. टी. और एस. सी. के परिवारों को लाभान्वित करने के लिए योजना थी । उसके साथ स्वीकृति लिस्ट बनकर गई । उसमें एस. सी., एस. टी. के सारे, जिनको लाभान्वित करने का स्वीकृति का आधार था और जीवन धारा में वैसे ही स्वीकृति लिस्ट साथ लगती है लाभान्वितों की, उसके विपरीत काम कर दिया गया है । इसके लिए गांव वाले ट्रैक्टर भर कर जिला कलक्टर के पास भी गये । जिला कलक्टर ने एक्स. ईएन. और ए. ईएन. से तीन दिन में जाकर उस काम को रुका कर रिपोर्ट मांगी । उसके बाद एक महीने तक वहां कोई गया नहीं और वह सारा काम गलत निर्माण हो गया । उसके बाद अब वह गांव वाले सब जगह फिर रहे हैं कि यह हमारे साथ बहुत अन्याय हो गया । जिन लोगों के लाभ के लिए यह योजना बनी थी, स्वीकृति हुई थी उसके विपरीत काम हो गया ।

इसलिए मैं राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जीवन धारा की 26-12-97 की जो स्वीकृति इन एस.सी., एस. टी. के परिवारों के लिए हुई है, उसके विपरीत काम जो किया है, उसके जिम्मेदार लोगों की जांच की जाए और वापस उन गरीबों के लाभ के लिए धोरा निर्माण कराया जाए ताकि उनके खेतों में पानी पहुंच सके । यह मामला है ।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती इन्दिरा माया-राम-(एबसेंट) ।

श्री रामस्वरूप मीणा : गायब ।

श्री अध्यक्ष : गायब नहीं, एबसेंट । श्री रामस्वरूप मीणा ।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं जिसके बारे में मैंने आपसे भी कई बार निवेदन किया है । राजस्थान में अब पुलिस अधिकारियों की हत्याएं होती हैं तो फिर आम आदमी के साथ क्या गुजरेगी ? आज मैं इस ओर माननीय गृह मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा, जयपुर में इसी प्रकार की एक हत्या हुई थी, उसके आग लगा दी थी और आज तक पता नहीं लगा । इसी प्रकार की करौली में हुई थी, सवाई माधोपुर में दो घटनाएं अब तक हो चुकी हैं और अभी एक हाल ही में डूंगरपुर में हुई प्रहलाद नारायण मीणा की हत्या, जिसकी रिपोर्ट भी दर्ज हुई है ।

श्री अध्यक्ष : उसमें जो आपने लिखा है, हत्या नहीं लिखा है, मौत लिखा है ।

श्री कालूलाल गूजर : अध्यक्ष महोदय, यह मामला तो दस बार उठा चुके हैं यहां। हर बार उठाते हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : बात वही है, मैं उसी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। संशोधन कर लें उसमें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि उसकी 3-6-98 को 13/98, धारा 302, 201, 120,464, 218; 109 भा. द. सं. के अन्तर्गत रिपोर्ट दर्ज हुई है। उसमें लिखा है, 30-4-98 को पुलिस अधीक्षक, डूंगरपुर द्वारा क्षेत्रीय पुलिस विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उदयपुर को भिजवाया गया है। 30-4-98 को प्रयोगशाला को भेजा गया है, आज तक उसकी भी रिपोर्ट नहीं आई है।

इसी प्रकार आपने इसमें लिखा है कि 16-5-98 को पुन: उसका रिमाण्ड कर दिया गया है। परीक्षण रिपोर्ट शीघ्र भिजवाये जाने हेतु निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर को पुन: लिखा जा रहा है, अनुसंधान जारी है। यह अनुसंधान कब तक चलेगा ? एक एस.पी. , वह भी अनुसूचित जनजाति का एस.पी. , डूंगरपुर के अन्दर जो नियुक्त था, उसकी इस प्रकार सरे आम हत्या हो जाए, उस व्यक्ति के बारे में, माननीय गृह मंत्रीजी, मेरा निवेदन है, सी बी. आई. से जांच क्यों नहीं कराई जा रही है?

श्री अध्यक्ष : यह चर्चा आ चुकी, माननीय सदस्य। नहीं, बार-बार नहीं।

श्री रामस्वरूप मीणा : आ चुकी है लेकिन सी.बी.आई से जांच क्यों नहीं ? आज तक क्यों नहीं आदेश हो रहे ? बड़े दुःख की बात है, गम्भीर घटना, बार-बार मैं निवेदन करता चला आ रहा हूं ...

श्री अध्यक्ष : उसके लिए गृह मंत्रीजी ने जवाब दे दिया, फिर उसको बार-बार उठा रहे हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : सारा सदन इसमें चिंतित है आज, डूंगरपुर के सारे माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, ये भी चिंतित हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग सारे प्रदेश के अन्दर दुःखी हो रहे हैं कि हमारे एस. पी. को मार दिया और उसकी सी.बी.आई. से जांच नहीं करवा रहे हैं। छोटी-छोटी बातों पर सी.बी.आई. से जांच करा ली जाती है।

श्री अध्यक्ष : कृपया बार-बार न दोहराएं। कृपया !

श्री रामस्वरूप मीणा : इसको क्यों नहीं सी बी.आई से जांच हो रही ? मेरा आपके माध्यम से विनम्र निवेदन है माननीय गृह मंत्रीजी से, अनुसूचित जनजाति के एस.पी. की हत्या हुई है, आप इस प्रकार चुप लगाकर बैठे हैं, यह बड़े दुःख की बात है। मैं आपके माध्यम से पुन: गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इतना गम्भीर मसला है....

श्री अध्यक्ष : कृपया अब समाप्त करें। समाप्त करें।

श्री रामस्वरूप मीणा : इसको इतनी आसानी से नहीं सोचें। जब तक आप इसका जवाब नहीं देंगे, मैं इस सदन में धरना देता हूं।

(माननीय सदस्य श्री रामस्वरूप मीणा द्वारा सदन कूप में आकर निरन्तर बोले जाना।)

श्री अध्यक्ष : आप, माननीय सदस्य, बैठे-बैठे नहीं बोलते हैं। वैल में गिर गये हैं अब आप। (व्यवधान) आप सदन की अवहेलना भी कर रहे हैं इस समय, ठीक बात नहीं है, और अपने दल की अवहेलना भी कर रहे हैं। मैं आप से निवेदन करूंगा कि आप अपने स्थान पर जाएं। (व्यवधान) पहले आप अपने स्थान पर जाएं, कृपया। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : प्राण जाय पर बचन नहीं जाय। मीणा साहब, अब बैठ गये हो धरने पर तो बैठे रहना।

एक माननीय सदस्य : ये स्वास्थ्य मंत्रीजी सब का स्वास्थ्य गड़बड़ करते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया मिड्ढा साहब। श्री नाथूराम अहारी।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान के समस्त आयुर्वेद कम्पाउण्डर 72वें दिन भी हड़ताल पर हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एवं आयुर्वेद मंत्रीजी ने इनको आश्वासन दिया है कि इन्हें केन्द्र के समान वेतन दिया जाएगा। आयुर्वेद जो अधिकारी हैं उनको तो केन्द्र के समान वेतन दे दिया लेकिन कम्पाउण्डर्स को नहीं दिया है, तो यह न्यायसंगत बात नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आयुर्वेद कम्पाउण्डर्स जो 72वें दिन हड़ताल पर हैं, उनको केन्द्र के समान वेतनमान दिया जाए और जैसा मंत्री जी ने और मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया है, उसके अनुसार निर्णय किया जाए। यह मेरी मांग है।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। श्री जोगेश्वर गर्ग।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) : अध्यक्ष महोदय, इस मानसून में न केवल जालौर जिले में बल्कि पूरे पश्चिमी राजस्थान में वर्षा बहुत कम हुई है। अधिकांश स्थानों पर बुवाई भी नहीं हो पाई है खरीफ की। जिन गांवों में बहुत अच्छी संख्या में पशुधन है, पानी के अभाव में, तालाबों में पानी नहीं होने के कारण पीने के पानी के संकट को देखते हुए वहां से निष्क्रमण पशुओं का शुरू हो रहा है, ऐसी सूचना मेरे पास आई है। उसको देखते हुए मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, राहत मंत्रीजी और पूरी सरकार का, कि इस स्थिति से निबटने के लिए तुरन्त कोई पुख्ता कार्यवाही करें ताकि पशुओं का और व्यक्तियों का निष्क्रमण रुक सके और उनको विश्वास बने कि सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है। धन्यवाद।

श्री खेतसिंह राठौड़ : कल स्टेटमेंट दिलवा दीजिये न फेमिन पर। फेमिन का

(श्री खेतसिंह राठौड़)

वाकई बहुत बड़ा असर है, राहत मंत्रीजी का कल स्टेटमेंट हो जाए तो..

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलोदी) : पश्चिमी राजस्थान में स्थिति बहुत खराब है, तालाबों में पानी आया है नहीं, घास बिलकुल हुआ नहीं, बुवाई थोड़ी-बहुत जगह हुई थी वह फसलें जलने की स्थिति में हैं, डेढ महीने से बरसात नहीं हुई है, इसलिए राज्य सरकार क्या करने जा रही है, इस संबंध में उनकी ओर से सदन के समक्ष कोई न कोई आश्वासन या क्या करने जा रहे हैं, वह आना चाहिए।

श्री भीमसेन चौधरी : बरसात नहीं होने से जो पश्चिमी राजस्थान में स्थिति बन गई है अकाल की, इसके बारे मे कुछ चर्चा हो जाए कल सदन में तो उचित रहेगा।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक जानकारी चाही उसके विषय में मैं..

श्री अध्यक्ष : फरमाइये।

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) : अध्यक्ष महोदय, आज सुबह अखबारों में वित्त मंत्रीजी के हवाले से मैंने यह पढ़ा कि वे इसी सत्र में कुछ कर प्रस्ताव लाने वाले हैं। तो मैं यह जनना चाहता हूं, वित्त मंत्री जी तो नहीं हैं लेकिन वित्त राज्य मंत्री मौजूद हैं यहां पर, कि सरकार ऐसे कर प्रस्ताव कब लाना चाहती है जिससे हम उस दिन कम से कम हाजिर रहने की कोशिश करें? क्योंकि परसों मैं हाजिर नहीं था तो वित्त मंत्री जी ने मेरे हवाले से कुछ बातें कह दीं। अब मैं क्या करूं? इस वास्ते कर प्रस्ताव लाएं उस दिन कम से कम मैं हाजिर रह सकूं, इसके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमें यह बता दिया जाए कि कर प्रस्ताव किस दिन वित्त मंत्री जी लाना चाहते हैं।

श्री अनंग कुमार जैन (राज्य मंत्री, वित्त) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं बताना चाहता हूं कि अभी तो इस सत्र के अन्दर कोई नये वित्त कर प्रस्ताव राज्य सरकार नहीं ला रही है इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को और सदन को निवेदन करना चाहूंगा कि नये कोई कर के प्रस्ताव नहीं लाये जा रहे हैं।

श्री चन्दनमल बैद : धन्यवाद, नहीं लाएंगे तो।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत (भीम) : अध्यक्ष महोदय, हमारा जयपुर शहर सिर्फ भारतवर्ष का ही नहीं वरन विश्व का एक प्रसिद्ध शहर है लेकिन जिस प्रकार से जयपुर शहर की सफाई व्यवस्था, वाहनों का बढ़ता हुआ प्रदूषण और यातायात व्यवस्था बिगड़ रही है, अब यह विदेशी पर्यटकों के लिए उतना आकर्षक नहीं रहा। इसके लिए सरकार के तीनों विभाग स्वायत्त शासन मंत्रालय, यातायात मंत्रालय और गृह मंत्रालय इनको मिल-जुलकर कुछ

(श्री लक्ष्मणसिंह रावत)

समन्वित प्रयास करने पड़ेंगे। स्वायत्त शासन राज्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जयपुर शहर में एक तो ये जो आवारा पशु हैं इनकी संख्या बहुत बढ़ती जा रही है जिसके कारण से यातायात भी प्रभावित होता है और जिसके कारण से गन्दगी भी बढ़ती जाती है। इसमें आपको ठोस कुछ कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

साथ–साथ में जो यहां पर ट्रैफिक है वह बड़ा अव्यवस्थित है। इसमें जो सिटी बसेज चलती हैं उसके ड्राइवर इतने रैश एंड नेग्लीजेंट तरीके से यहां पर गाड़ियों को चलाते हैं जिससे न सिर्फ यातायात व्यवस्था बिगड़ती है वरन जान का खतरा भी बना रहता है, इसलिए यातायात मन्त्रालय भी इसमें कुछ करे। और साथ–साथ गृह मंत्री जी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि आपने यहां पर ट्रैफिक पुलिस की संख्या तो बढ़ाई है लेकिन और भी संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है जिससे कि यहां पर कुछ सुचारू रूप से यातायात चल सके। जो कई बार आप वन–वे ट्रैफिक कर देते हैं उसको अचानक ही बदल दिया जाता है। तो उसको सोच-समझ कर जिन रास्तों को वन वे ट्रैफिक करना है करें लेकिन उसके बारे में पूर्व सूचना दें और उस पर स्थिर रहें, अचानक उसको नहीं बदलें। साथ ही साथ में जो तेज गति से ये बसें चलती हैं इनको भी चैक किया जाए। इसके साथ-साथ आप कुछ ट्रैफिक पुलिस को भी बढ़ाएं जिससे कि यातायात की, सफाई की और गाड़ियां पार्क की जाती हैं इसकी व्यवस्था हो सके। आप देख लीजिये, त्रिपोलिया बाजार में या जौहरी बाजार में दुकानों के सामने तो फुटपाथ पर कोई चलता नहीं है और फुटपाथ के सामने सभी दुकानदारों ने अपनी-अपनी कारें पार्क कर रखी हैं, तो जहां बीच में गाड़ियां चलनी चाहिए वहां पर पैदल यात्री चलते हैं। इसलिए स्वायत्त शासन मंत्री जी, गृह मंत्री जी और यातायात मंत्री जी मिलकर समन्वित रूप से इस जयपुर को सुधारने का प्रयास कीजिए।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, अजमेर मुर्गीपालन के मामले में हिन्दुस्तान में हैदराबाद के बाद दूसरे नम्बर का शहर है और हजारों लोग इस व्यवसाय में अजमेर और उसके आस-पास के गांवों में लगे हुए हैं। इसी कारण मुर्गीपालन के सम्बन्ध में 4-5 कार्यालय वहां पर कार्यरत थे। हमें ऐसी जानकारी मिली है कि इन कार्यालयों को या तो बंद किया जा रहा है या अन्यत्र स्थानान्तरित किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, राजकीय कुक्कुट शाला चौथे महीने में बंद कर दी गई है। सघन कुक्कुट विकास खण्ड, उप निदेशक, कुक्कुट और परियोजना अधिकारी, नगरीय विकास एवं चारा उत्पादन ये तीन कार्यालय पुनर्गठन के नाम पर पशुपालन विभाग इनको स्थानान्तरित या बंद करने की कार्यवाही कर रहा है। इससे इस शहर को, इसके आस–पास के लोगों को जो इस व्यवसाय में लगे हुए हैं उनको जो लाभ

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

मिल रहा है और जो विशेषज्ञ ज्ञान इन पत्रों के मार्फत और एक्सटेंशन सर्विस के मार्फत इनको मिलता है, उससे महरूम रह जाएंगे और पूरे हिन्दुस्तान में जो ख्याति अजमेर की हुई है उसको नुकसान होगा। इसलिए मैं पशुपालन मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि वे पुनर्गठन के नाम पर इन कार्यालयों को अजमेर से स्थानान्तरित न करें।

श्री राकेश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं कृपया....

श्री अध्यक्ष : आप एब्सेंट थे, मैंने आपका नाम पुकारा था।

श्री राकेश मेघवाल : मिलने वाले आये हुए थे।

श्री अध्यक्ष : नहीं तो सुधरेंगे कैसे फिर आप ? मैंने एब्सेंट कर दिया आपको।

श्री राकेश मेघवाल : एक याचिका थी वह पेश कर दूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं नागौर के ग्राम गच्छीपुरा पंचायत समिति मकराना को उप तहसील बनाने....

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : याचिका ? बैठिये।

श्री राकेश मेघवाल : रामनारायण जी, बड़ी मुश्किल से तो टाइम लिया हुआ है।

श्री अध्यक्ष : आप क्या फरमा रहे हैं माननीय सदस्य ? मैंने अभी पुकारा नहीं है। बैठिये आप।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : नहीं, वह याचिका शुरू कर दी।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : नहीं, मैं एक बात कहना चाहता था। मैं आसन के ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं। मान्यवर, कई बार ऐसा होता है कि आसन की तरफ से, आपकी तरफ से जिस माननीय सदस्य का, वक्ता का नाम पुकारा जाता है और वह उस वक्त उपस्थित नहीं रह कर और बाहर कहीं अपने काम से चला जाता है और फिर जब आप दूसरा नाम पुकार लेते हैं, वह वापस आ जाता है। कोई कारणवश जबकि अध्यक्ष की अनुमती नहीं हो, बिना अध्यक्ष की अनुमति के, आसन की अनुमति के वह नहीं जा सकता क्योंकि पुकार लिये जाने के बाद अगर आपके पास पूर्व सूचना है तो आप उसका नाम नहीं पुकारेंगे, नैक्स्ट को पुकार लेंगे। उसके लिए बाद में मौका दे देंगे लेकिन अगर आसन की तरफ से नाम पुकार लिया गया है और वह माननीय सदस्य है नहीं फिर आप दूसरा नाम पुकार लेते हैं फिर वह आकर समय मांगत है। मान्यवर, पुकारा हुआ नाम अगर खड़ा नहीं होता है

(श्री रामनारायण चौधरी)

तो वह] आपका ही नहीं पूरे सदन का अपमान है क्योंकि आपने टाइम दिया; आप पुकार लेते हैं वह बोलता नहीं है, आपके पास कोई सूचना नहीं है। तो मान्यवर यह व्यवस्था होनी चाहिए कि पुकारा जाने वाला माननीय सदस्य उपस्थित रहे। आदत में पड़ गया, मान्यवर....

श्री राकेश मेघवाल : कोई मिलने वाला आता है तो उससे बाहर मिलने के लिए जाना भी पड़ता है। बहुत जरूरी है, किसान की बात बाहर जाकर सुननी भी पड़ती है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप आसन की बिना आज्ञा के खड़े हो जाते हैं; बार-बार खड़े हो जाते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : जाना भी पड़ता है और जरूरी काम है तो वे जा भी सकते हैं, मैं नहीं कहता कि यहां पर कोई ऐसी जबरदस्ती हाजरी है कि जा नहीं सकते। जा सकते हैं लेकिन आसन के पास सूचना दे सकते हैं। आसन चाहे तो उस नाम को नहीं पुकारेगा और आने के लिए व्यवस्था कर सकता है लेकिन नाम पुकारने के बाद में माननीय सदस्य उपस्थित नहीं मिलता वह आसन का घोर अपमान है और सदन का अपमान है।

श्री अध्यक्ष : वे माननीय सदस्य जब दुबारा आते हैं, खेद व्यक्त कर लेते हैं खेद व्यक्त करने की वजह से मैं उनका नाम पुकार लेता हूं।

श्रीमती यशोदत्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे एक मिनट ऑन अकाउंट ऑफ माई पर्सनल एक्सपीरियंस आपको निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष : करिये।

श्रीमती यशोदत्ता (टोबी) : .... (व्यवधान).... एक्सपीरियंस कहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने आज अखबार में पढ़ा, कल मुझे आपके निर्देशों के तहत धारा–151 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया। मैं माननीय गृह मंत्री जी से आपके माध्यम से यह पूछना चाहूंगी कि माननीय गृह मंत्री जी ने मेरे घर के आस-पास लगभग पिछले तीन दिन से इनकी सी.आई.डी., इंटेलीजेंस और न जाने कौन-कौन से इनके विभाग हैं वे सारे तैनात कर रखे हैं। मेरे सामने ही रहते हैं वे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनकी कार्यशैली के लिए मैं इनको धन्यवाद देना चाहूंगी कि इनकी +++ पुलिस मुझे उसके बावजूद भी नहीं पकड़ पाई।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि इन्होंने मेरी सुपुत्री को रात

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्रीमती शशीदत्ता)

को 10.00 बजे टेलीफोन किया, उससे पूछा। उसने इनको बताया कि मुझे मालूम नहीं है या मेरी मम्मी सो चुकी हैं, ऐसा इनको टेलीफोनिकली बताया। मैं जिस वक्त गई उस समय मेरे बच्चे सो चुके थे, रात के चार बजे। माननीय गृह मंत्रीजी के निर्देश पर मेरे आवास पर मय दल-बल, पता नहीं 50 आदमी थे या 40 थे उन्होंने छापा मारा। मेरे बच्चों को जबरदस्ती जगाया। मेरे सारे घर के बिस्तरों, आलमारियों, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है; मैं आलमारियों में नहीं छुपी हुई थी; कोई छोटी-मोटी चीज नहीं हूं, हमारे सारे घर

(14.00 बजे)

की आलमारियां वगैरह खोली गई। इनकी हंसी उड़ाने के लिये मेरी बच्ची ने कहा कि अंकल जी एक फ्रीज और बचा है इसमें भी देख लो, अगर मेरी मम्मी हो तो। वैसे आएंगी तो वो नहीं पर इस फ्रिज में देख लो अगर हो तो कहीं हमने इसमें तो नहीं रख दिया उनको।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे गिरफ्तार करने का इनका जो मानस था या जो इनकी मंशा थी, मैं आपके माध्यम से आरोप लगाती हूं, मुझे जब ये गिरफ्तार करने आये उस समय इनके अधिकारियों के सामने यह कहा था कि मैं विधान सभा तक जाऊंगी जो मेरा अधिकार है। उसके बावजूद भी इन्होंने मुझे अरेस्ट किया, जबरदस्ती मुझे पकड़ा। पता नहीं, इनके 20–30 अधिकारी थे, वे जबरदस्ती मुझे पकड़कर वहां से मुझे कहां-कहां ले गये, मैं जयपुर की उन जगहों को भी नहीं जानती हूं। पहले कहीं कालेज में ले गये मुझे, फिर इनको लगा कि यहां हम सेफ नहीं हैं तो फिर मुझे, वहां से घुमाते-घुमाते किसी और थाने में ले गये। उसके बावजूद भी इनको तसल्ली नहीं हुई। फिर मुझे ये तीसरे थाने में ले गये, जहां मुझे इन्होंने इस ढंग से नजरबंद किया, अध्यक्ष महोदय, कि मैं आपको विश्वास दिला सकती हूं कि यहां 4-5 लड़कियां जो कल इन्होंने स्पेशल रूप से बुलायी थीं, कुछ महिलाएं जो रखी थी वहां, वे परेशान हो गई थी। उन्होंने कहा कि और बुलाओ; क्योंकि हम तो पूरी रात से हैं इसलिए और बुलाओ।

अध्यक्ष महोदय, उसके बावजूद रात के 9 बजे तक इनकी पुलिस ने मुझे पेशाब करने तक उठकर बाहर नहीं जाने दिया, वहीं बैठाये रखा मुझे। मैंने इनके एस.पी. सौरभ श्रीवास्तव को 9 बजे कहा कि एस. पी. साहब, आप मुझे बताएंगे कि मैं किस आफेंस में बंद हूं। तो कहा कि आप 151 में बंद है। मैंने उनको निवेदन किया कि एस.पी. साहब, अगर मैं आपकी कस्टडी में हूं और आप यह चाहते है तो मुझे आप कृपया मजिस्ट्रेट के सामने हथकड़ी लगाकर ले चलिए, क्योंकि न तो आप जब मुझे पकड़कर लाये आपने यह मौका दिया कि मैं चप्पल पांव मे पहन लूं, न मुझे यह मौका दिया कि मैं अपना कोई कलम-पेन या कोई चीज साथ ले लूं ताकि मैं यह लिख सकूं कि इनकी गाड़ी का नम्बर क्या है।

(श्रीमती शशीदत्ता)

अध्यक्ष महोदय सारे दिन मुझे सिवाय एक कप चाय के, इन्होंने मुझे खाना तो दूर रहा, कहीं दर्शन भी नहीं करने दिये कि बाहर क्या है। अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री जी को मैं कहना चाहूंगी कि इनके एस.पी. ने रात के 9 बजे, मैंने उनसे पूछा एस.पी. साहब मुझे कब तक के लिये गिरफ्तार किया है, 24 घण्टे के अंदर आपकी ड्यूटी है, मैं वकील भी रही हूं और कानून मंत्री भी रही हूं और कानूनों को बहुत अच्छी तरह तोड़ना भी जानती हूं, बनाना भी जानती हूं इसलिए आप मुझे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करिए।

श्री प्रतापसिंह सिंघवी : अध्यक्ष महोदय, ये कानून तोड़कर ही तो दिल्ली गई थी।

श्री अध्यक्ष : कृपया सुने आप, शांति से सुनें।

श्रीमती शशीदत्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके एस.पी. ने मुझे बड़ी बदतमीजी की है, वहां 4-5 महिलाएं होंगी आप उनको बुलाकर अपने कक्ष में पूछ लें, उसने मुझे कहा कि आप बकवास मत करिए, अगर आपने अबकी बार कहा तो मैं अबकी बार आपको देख लूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं इतनी डरपोक नहीं हूं, मैंने भी इनके एस.पी. को चेलेंज किया था कि यहां तो कुत्ता भी शेर है, तू अगर एस.पी. का बेटा है तो बाहर निकल, मैं बताऊं तने। अरे। तू मुझे यहां चेलेंज कर रहा है जहां तेरी पुलिस पड़ी है, अगर तू एस.पी. है तो बाहर आ, मैं बताती हूं। बिलकुल कहकर आई हूं और यह भी कहकर आई हूं कि एस.पी. साहब, मैं चाहे मर जाऊं और अगर तू मर गया तो मैंने कहा, एस.पी. साहब जो कब्र में से खोदकर जूते नहीं मारे तो मुझे शशीदत्ता मत कहना। मैं इतनी डरपोक नहीं हूं लेकिन इनके एस.पी. का जो व्यवहार था, इनके डी.आई.जी. मौके पर आये, उन्होंने मुझे तसल्ली दी, उन्होंने मुझे कहा कि आप लड़िए मत। मैंने उनको कहा, कम से कम आप अपने एस.पी. को समझाइए कि रात के 10 बज गये मुझे बैठे हुए, आप मुझे कब तक छोड़ेंगे? 12 बजे मेरे 24 घण्टे पूरे हो जाएंगे। सुबह आपने मुझे 10 बजे पकड़ा है और रात के 11 बजे इन्होंने मुझे रिलीज किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ए.डी.एम. को इन्होंने मौके पर बुलाया। मेरे जमानती वहां किस तरह से आएंगे जब तक मेरे परिवार को यही पता नहीं कि मैं कहां बंद हूं? किसी प्रेस वाले को पता नहीं मैं कहां बंद हूं, तो मेरे परिवार वाले जमानत देने कैसे आएंगे? अध्यक्ष महोदय, इनकी भारी साजिश थी मुझे जेल में भेजने की, मुझे गिरफ्तार करने की। और जब गृह मंत्री जी को यह लगा कि इनकी भीड़ यहीं टिकी हुई है और अब ये मेरे पर हमला बोलेंगे, तब 11 बजे गृह मंत्री जी ने आदेश दिये कि शशीदत्ता को रिलीज कर दें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी को कहना चाहती हूं कि अगर मैं दोषी थी तो मुझे 11 बजे क्यों रिलीज किया? आप

Page No.107

(१२५)

(श्रीमती शशीदत्ता)

आज मुझे रिलीज करते, मुझे कोर्ट में पेश करते यह मेरा विशेषाधिकार है।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री से आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगी कि या तो वे अपने एस.पी. से खुद निपटें, नहीं तो मैं माननीय गृह मंत्री महोदय से फिर कहूंगी, मैं निपटना जानती हूं। और मैं निपटूंगी तो सड़क पर निपटूंगी उससे, क्योंकि उसने मुझे थाने में बुलाकर बेइज्जत किया। इनके डी.आई.जी, पुलिस कर्मचारी यहां बैठे होंगे, आप इनसे पूछिए कि एक एस.पी. कैडर का आदमी जिसको मैंने बड़ी इज्जत से, सिर्फ इनकी इज्जत रखने के लिये वरना मेरे साथ इतनी जनता थी कि मार-मार कर बना दें गेंद। फिर भी मैंने इनको रोका कि बैठ जाओ मुझे आप मत भड़काओ।

लेकिन इन्होंने मेरे साथ जो दुर्व्यवहार किया उसके लिये, अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी से कहूंगी कि इसकी जांच करवाएं। आपसे भी कहूंगी; आप इन तथ्यों की जांच करवाएं कि उनको क्या राइट था। मैं आपकी कस्टडी में थी, आपके आदेशों से कस्टडी में थी। मैं कोई आरोपी नहीं थी कि इस ढंग से ये मेरे से पेश आएं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से कहूंगी कि इन्होंने मेरी बेल ली, फिर इन्होंने मेरी चूड़ियां मांगी कि उतार कर दो। मैंने कहा कि मेरे कने इतो ही सामान है। कहा कि यह आप दे दो जमानत के लिये। मैंने कहा कि मेरे पास एक ही है और यह मेरे सुहाग की निशानी है, यह तुझे नहीं दूंगी।

अध्यक्ष महोदय, मेरी चूड़ी आज भी इनकी कस्टडी में है। जब मुझे बेल आउट कर दिया तो मेरे सामान की वहां क्या जरूरत थी? मैं आपसे निवेदन करूंगी; गृह मंत्री जी मुझे बताएं कि कौनसे विशेषाधिकार के तहत? कल मुझे और कुछ भी कह सकते हैं कि मेरे पास सामान नहीं है; तो वे पूछेंगे कि किसके तहत रखा इन्होंने मुझे और किन आदेशों के तहत इन्होंने रात के 12 बजे तक बैठाया रखा?

श्री अध्यक्ष : विराजें।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (फलौदी) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय; मैंने और सदन ने पीलीबंगा से आने वाली माननीय सदस्या का कथन सुना। आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी सरकारी अधिकारी, चाहे चीफ सैक्रेटरी हो और चाहे डी.जी. हो, उससे विधान सभा के सदस्य का दर्जा ऊंचा है। हम हमारी बात निर्भीक होकर यहां कह सकें जनहित में इसलिए हमारे कई तरह के अधिकार हैं। वह बात हम सड़क पर कहें, सदन से बाहर कहें तो उसके लिये अगर अपराध बनता है तो हम अपराधी भी घोषित हो सकते हैं, सजा भी दी जा सकती है। लेकिन जनहित को ध्यान में रखते हुए यह विशेषाधिकार हाउस को और सदस्यों

Page No.108

135

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

को दिये हैं कि वे निर्भीक होकर अपनी बात कहें। सदन में ग्राने का हमारा पूरा अधिकार है, उसको अगर कोई रोकता है तो यह सदन के अधिकारों का हनन है; उसकी मर्यादाओं का हनन है। सरकारी अधिकारी शायद यह नहीं जानते होंगे कि सब कोर्ट की हमारे को पावर हैं, सबैं कोर्ट्स की। हम सजा दे सकते हैं जेल की और उसकी कोई अदालत अपील नहीं सुन सकती। ये अधिकार इसलिए दिये गये हैं कि निर्भीक होकर हम जनहित में बात कह सकें।

जिस तरह का व्यवहार किया है, मैं समझता हूं आप बिराज जाएं, आपकी सैक्रेटरी बिराज जाएं; बयान उतार कर और विशेषाधिकार हनन का मामला है, वह सदन में पेश होना चाहिए। उनको क्षमा-याचना या उनको सजा दी जानी चाहिये ताकि आइंदा उनको ध्यान रहे कि जन-प्रतिनिधि के साथ व्यवहार करने का क्या तरीका होना चाहिये। तरीका तो यह होना चाहिये अदालत में अगर टाइम पूछ कर जाते हैं तो वे बाहर आएं, रिसीव करें, ले जाएं, सम्मान से बैठाएं और वापस छोड़ने को बाहर आएं। आजकल क्या है कि कुछ अपन भी अपने अधिकारों को समझते नहीं हैं हमारे प्रतिनिधि, मंत्री-मण्डल के सदस्य हैं वे भी इस बात को जानते नहीं। तो यह एक ऐसा अवसर है और स्पष्ट है, हमारे सामने उदाहरण मौजूद है इसलिए हमको विशेषाधिकार के तौर पर इस मामले को लेना चाहिए। वे कहते हैं कि इन्होंने जलने की बात कही थी; कहां जलने की बात कही थी? हाउस के अन्दर जलने की बात कही थी, यदि उनकी सेम की समस्या का हल नहीं होता है तो। अगर यहां पर कह देते मंत्री महो–दय और ये संतुष्ट हो जाती तो जलने का कोई प्रश्न ही नहीं था।

लेकिन वह जो इनका महत्वपूर्ण जन–हित में यहां सेम के बारे में कहने का अधि-कार था उस अधिकार से भी वंचित किया। आपको यह अधिकार है कि आप किसी व्यक्ति को बाहर भी आदेश दे सकते हैं कि उसको सदन में उपस्थित किया जाए। उन्होंने मान लो, तामील कर लिया, इसमें गहराई में अगर जाऊं तो लम्बा समय लगेगा, वह भी उचित नहीं मान सकते लेकिन जो कुछ हुआ है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने अरेस्ट करते ही, वह तो जब यह मामला आएगा, यह लिया जाना चाहिए, आएगा जब बताएंगे। आपने आदेश दिया था तो मजिस्ट्रेट के सामने ले जाने की जरूरत नहीं थी, उनको तत्काल यहां लाना चाहिए था। वह किया नहीं इस-लिए आपसे अनुरोध करूंगा, सदन से निवे-दन करूंगा कि उनको गिरफ्तार करके एस. पी. को यहां बुलाइये। न तो उसमें यह आड़े आता है कि केन्द्र सरकार की बिना इजाजत के उसको गिरफ्तार किया, कुछ नहीं है। सब अपने सामने निम्न हैं, छोटे हैं और यह जो हमारा अधिकार है उसका हमको प्रमाण देना चाहिए सदन के अन्दर ताकि आइन्दा लोग याद रखें।

श्री अध्यक्ष : इसको ज्यादा लम्बा क्यों कर रहे हैं ?

श्री शिवनाथ सिंह : नहीं, साहब, मैं एक मिनट में समाप्त कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष : कोई औचित्य नहीं है, ज्यादा लम्बा।

श्री शिवनाथ सिंह : यह मामला सीरियस है, माननीय अध्यक्ष जी।

श्री जगदीप धनखड़ : आपके निर्देश पर गिरफ्तारी हुई है और उसकी इतनी भयंकर अवहेलना हुई है।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल यह मामला आया था और जब आपने आसन से व्यवस्था दी कि मैंने आदेश दिये थे कि शशीदत्ता जी को गिरफ्तार किया जाए, मामला शांत हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, अब जिस प्रकार का वर्णन शशीदत्ता जी ने किया है उससे मामला बड़ा गम्भीर हो गया है। तीन चार प्रश्न उठते हैं। पहला प्रश्न तो यह है, जैसा पूनमचन्द जी ने कहा कि आपके आदेश से गिरफ्तार करने के बाद कहीं और ले जाने की आवश्यकता नहीं थी। (व्यवधान) नहीं, रिपीट नहीं कर रहा हूं, लेकिन यहां लाना लाजिमी था।

दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे रखे हैं, किसी भी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसके घर वालों को तुरन्त सूचना दी जाएगी। क्या इस मामले में गृह मंत्री जी हमें यह बताएंगे कि इनको गिरफ्तारी की सूचना इनके घर वालों को दी गयी ? सुप्रीम कोर्ट के रोजाना टी. वी. पर आते हैं, उन शर्तों का पालन करना पुलिस के लिए आवश्यक है।

माननीय अध्यक्ष जी, जिस प्रकार का वर्णन आपने किया है, किसी भी गम्भीर से गम्भीर अपराध के आरोपी के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता। माननीय सदस्या ने अपनी बात कही थी हम उनको सत्य मानते हैं। दिनभर कहीं पीने का पानी नहीं, पता नहीं कहां-कहां ले जा रहे है, किस प्रकार की भयंकर आपत्ति आने वाली थी ? माननीय अध्यक्ष जी, सवाल तो इतना ही था कि हाउस के अन्दर वे अपना आत्मदाह नहीं कर पाएं, इसका प्रोटेक्शन होना चाहिए था। माननीय अध्यक्ष जी, यहां व्यवस्था हो सकती थी, बाहर इतने वॉच एण्ड वार्ड हैं, महिला वॉच एण्ड वार्ड हैं, अपने यहां जब भी माननीय सदस्या आतीं उनको रोका जा सकता था, तलाशी ली जा सकती थी और इस प्रकार का कोई इनके पास साधन था कि अन्दर ये आत्मदाह करेंगी उस वक्त उसको रोका जा सकता था लेकिन इनके घर, जैसा कि माननीय सदस्या ने कहा, तीन दिन से पुलिस की छावनी बना रखी थी। ये तो तीन दिन पहले ही हाउस अरेस्ट में थीं।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : गृह मंत्री को इसमें और मुलजिम बनाओ।

श्री शिवनाथ सिंह: नहीं, इसको, देखो, सीरियस लेना चाहिए।

(127)

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : सीरियस कह रहा हूं। इनको प्रोसीक्यूट मैं करूंगा यहां पर।

श्री शिवनाथ सिंह : नहीं; आप करोगे कि नहीं, इस मामले को सीरियस रहने दीजिये आप।

माननीय अध्यक्ष महोदय; तीन रोज से ये हाउस अरेस्ट में थीं। माननीय गृह मंत्री जी के बार-बार निर्देश हो रहे थे। सबसे भयंकर बात तो यह है कि जब एक महिला इस सदन की सदस्या हैं, सदन चल रहा है, जैसे ही उनको गिरफ्तार किया गया उस वक्त सूचना यहां आनी चाहिए थी। माननीय मंत्री महोदय, उप मुख्य मंत्री महोदय ने कहा कि वे गिरफ्तार नहीं हुई, उससे पहले ही वे गिरफ्तार हो चुकी थी। ये बातें तो कल गौण हो गयीं आपके आदेश के बाद में, लेकिन आज उसके बाद में इतना गम्भीर आरोप है इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस सदन की मर्यादा का अपमान है इसलिए आप अपने लेवल पर इसकी जांच करवाएं। माननीय गृह मंत्रीजी कुछ कहेंगे सदन में, वह विश्वास तो कल से उठ गया; आप अपने लेवल पर इसकी जांच करवाएं। जांच करवाकर इसके लिए जो विशेषाधिकार हनन हुआ है, निश्चित रूप से उसकी कार्यवाही की जाए और जो भी पुलिस अधिकारी इस मामले में दोषी हैं उनको दण्डित किया जाए, यह मेरा निवेदन है।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : अध्यक्ष महोदय, टीवी से आने वाली माननीय सदस्या ने कल की घटना का जो वर्णन किया है उससे साफ है कि सदन की मर्यादा भंग हुई है, विशेषाधिकारों का हनन हुआ है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कल जब आपने घोषणा की कि यह गिरफ्तारी आपके निर्देश पर हुई है तो आपके आदेश की पूरी इज्जत करते हुए उस पर कोई विचार नहीं किया गया कि क्या अध्यक्ष महोदय इस प्रकार का आदेश दे सकते हैं। पर, मान्यवर, आपके द्वारा दिये गये आदेश के तहत गिरफ्तारी का जिक्र न तो स्टेशन हाउस आफिसर ने आपको कम्युनिकेट किया है। (व्यवधान)....नहीं; जो पढ़ा गया है उसमें यह नहीं है कि अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार माननीय गृह मंत्री ने किया। पर, मान्यवर, आपके निर्देश पर किसी माननीय सदस्या की गिरफ्तारी होने के बाद मानवाधिकार का यदि इतना उल्लंघन किया गया है जिसके सम्बन्ध में उच्च न्यायालय ने, उच्चतम न्यायालय ने जैसा माननीय सदस्य ने कहा, अनेक निर्णय दिये हैं तो, मान्यवर, यह अत्यन्त गम्भीर समस्या है।

परन्तु इससे भी ज्यादा गम्भीर मुद्दा यह है कि गिरफ्तारी के तुरन्त बाद इस सदन को सूचना देनी चाहिए थी। उनकी उपस्थिति किसी थाने में नहीं होती, किसी कालेज में नहीं होती; उनकी उपस्थिति सरकारी तंत्र को आपके समक्ष करना चाहिए था। यह न करके जिस प्रकार की बदसलूकी एक सदस्या के साथ की गयी है; मैं समझता हूं, मान्यवर, यह विशेषाधिकार

(श्री जगदीप धनखड़)

का बहुत गम्भीर मामला है और इसकी चर्चा सदन में होनी चाहिए। इसके लिए यदि आवश्यक हो तो इस सत्र को एक या दो दिन बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि, मान्यवर, यदि आपके साथ पूरे देश में कहीं भी बदसलूकी होती है तो उसका संकेत जनता के सामने जाता है कि विधान सभा के अध्यक्ष महोदय के साथ ऐसा हुआ, तो आम नागरिक अपने आपको बहुत ही कट-घरे में महसूस करता है कि मैं कहां सुरक्षित हूं। आपके निर्देशन में यदि कोई कार्यवाही की गयी, आदेशानुसार कोई कार्यवाही की गयी और फिर बदसलूकी हुई तो एक ऐसा स्पष्ट संकेत जाता है कि आम नागरिक कहां सुरक्षित है।

मान्यवर पहली बार एक मुद्दा आया कि हमारे क्या अधिकार हैं, इस सदन के क्या अधिकार हैं, सरकारी तंत्र का क्या उत्तरदायित्व है, मानवाधिकारों का हनन किसी तरीके से करें तो उनको किस तरीके से प्रताड़ित किया जा सकता है। यह एक ऐसा मौका है जिसमें मैं समझता हूं कि जनहित में इस मामले को यहां निर्णय किया जाए और जिसको भी प्रोसीक्यूट करना है, any-body including the hon'ble Home Minister, यह माननीय विश्नोई जी ने कहा तथा माननीय सदस्य ने कहा गम्भीरता से, माननीय Home Minister was master-minding the entire exercise.

उनको तो पूरा ज्ञान होना चाहिए था। आपके आदेश से यह कार्यवाही होनी चाहिए, उनको तो इस चीज की जानकारी होनी चाहिए थी कि किस प्रकार की गति-विधि की जाएगी। तो, मान्यवर, relax the rules of the House. You are competent to do that and let the matter be taken up right now. इस विशेषाधिकार हनन के मामले को अभी आप लीजिये। माननीय सदस्या ने पूरी बात कही है और मैं समझता हूं जिस किसी को नोटिस जारी करना है, बुलाना है, call him to the House and he should be prosecuted. इससे क्या है कि भविष्य में इस प्रकार का घटनाक्रम यदि होगा तो मैं समझता हूं कि उन लोगों पर अंकुश लगेगा जो आज के दिन जन प्रतिनिधि की कोई हैसियत ही नहीं समझते। वे समझते हैं कि हमें तो सत्ता मिली हुई है और जन प्रतिनिधि की कोई हैसियत ही नहीं है। मैं, मान्यवर, आपसे अनुरोध करूंगा। आपने कहा था अध्यक्ष बनते समय कि मैं कुछ ऐसा निर्णय करना चाहता हूं जो लीक से हटकर हो। यह एक ऐसा मौका है, लीक से हटकर निर्णय करने का यह सुअवसर है और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस पर निश्चित रूप से अपनी राय बनाकर सदन को विश्वास में लेकर एक ऐसा संकेत राजस्थान की जनता को दें, राजस्थान के सरकारी तंत्र को दें कि हमारे अधिकारों का कोई हनन नहीं हो। एक ऐसी महिला जो पढ़ी लिखी है वह (व्यवधान) तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस मौके को आप....(व्यवधान) ग्रंप करें।

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजें । इस पर ज्यादा चर्चा नहीं (व्यवधान) नहीं चलत; बिराजिए। आप बिराज जाएं, आप बिराज जाएं ।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : इतनी गम्भीर बात है जिस पर मैं..(व्यवधान) कम से कम अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे.: (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : क्या बोलेंगे आप ? (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : बोलकर वापस बैठेंगे । (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत(भीम) : सर्वोच्च सदन की सदस्या हैं और ऐसे गम्भीर मौके पर आप कृपया धैर्य रखें।

अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से और सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों से भी नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि इस विषय को पार्टी लाइन से नहीं लें । हमें पार्टी लाइन से ऊपर उठकर सोचना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, डेमोक्रेसी के अन्दर चुना हुआ प्रतिनिधि सर्वोच्च हैं और आज जिस प्रकार का व्यवहार टीबी से आने वाली माननीय सदस्या के साथ एक सरकारी अधिकारी ने किया, यह न सिर्फ निंदनीय है, वरन डेमोक्रेसी के लिए अत्यन्त चिंतनीय है । मैं यह कोट करना चाहूंगा यहां पर कि गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया और गवर्नमैंट ऑफ राजस्थान का एक प्रोटोकोल बना हुआ है । यद्यपि वह फार्मल प्रोकेजर्स के लिए है लेकिन वह प्रोटोकोल बताता है कि इस डेमोक्रेसी में चुने हुए प्रतिनिधियों की क्या पोजीशन है । इस प्रोटोकोल के हिसाब से भारत वर्ष में....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं इस पर ज्यादा चर्चा नहीं कराना चाहूंगा । मैं निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : एक मिनट, अध्यक्ष महोदय । (व्यवधान) बात तो पूरी सुन लें, एक-दो मिनट के अन्दर । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सुन लें पहले । पहले आप सुनें, कृपया ।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : आपकी बात सुन रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया आप सुन लें ।

इस सम्बन्ध में मैंने कल एक व्यवस्था दे दी थी । जो व्यवस्था मैंने दी थी वह काफी सोच समझकर के कल की जो परिस्थितियां थीं उनके अनुसार दी थी । मैं उस पर पुनर्विचार करने के लिए तैयार नहीं, एक बात ।

माननीय सदस्या ने गिरफ्तारी के दौरान कुछ अधिकारियों के बारे में यह कहा कि उनके साथ में अच्छा सलूक नहीं किया । इस सन्दर्भ में माननीय सदस्या से भी मैं बात करूंगा और बात करने के बाद यदि मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उन अधिकारियों के व्यवहार से माननीय सदस्या के सम्मान में या सदन के सम्मान में

(श्री अध्यक्ष)

कोई ठेस पहुंची है तब इसकी कार्यवाही करूंगा।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री राकेश मेघवाल, सदस्य, विधान सभा एक याचिका उपस्थापित करेंगे।

नागौर के ग्राम गच्छीपुरा, पंचायत समिति मकराना को उप तहसील बनाने बाबत

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से नागौर के ग्राम गच्छीपुरा, पंचायत समिति मकराना को उप तहसील बनाने बाबत 5 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री कालूलाल गूजर, सदस्य, विधान सभा 3 याचिकाएं उपस्थापित करेंगे।

श्री कालूलाल गूजर (माण्डल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित 3 याचिकाएं उपस्थापित करता हूं:—

भीलवाड़ा जिले की माण्डल तहसील की कतिपय जल योजनाओं को द्वितीय चरण में स्वीकृत कराने बाबत

(1) भीलवाड़ा जिले की माण्डल तहसील की कतिपय जल योजनाओं को द्वितीय चरण में स्वीकृत कराने बाबत 4 व्यक्तियों से हस्ताक्षरित।

माण्डल विधान सभा क्षेत्र के कतिपय ग्रामों को मीठा पानी उपलब्ध कराने हेतु

(2) माण्डल विधान सभा क्षेत्र के कतिपय ग्रामों को मीठा पानी उपलब्ध कराने हेतु 4 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित, एवं

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र माण्डल में व्याप्त अव्यवस्था को दूर कराने हेतु

(3) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र माण्डल में व्याप्त अव्यवस्था को दूर कराने हेतु 3 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के विस्थापितों को आवंटित भूमि का राजस्व रिकार्ड

श्री अध्यक्ष: प्रक्रिया के नियम 131 के अंतर्गत श्री भीमसेन चौधरी, सदस्य, विधान सभा महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के विस्थापितों को आवंटित भूमि का राजस्व रिकार्ड ठीक नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर): अध्यक्ष महोदय, मैं सन् 1987 में महाजन

(श्री भीमसेन चौधरी)

फील्ड फायरिंग रेंज के विस्थापितों को खाजूवाला क्षेत्र में आवंटित कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड ठीक नहीं होने के संबंध में उत्पन्न स्थिति पर अपना ध्यान आकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं।

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के सम्बन्ध में निवेदन है कि पूर्व में वन विभाग को इस शर्त पर भूमि आवंटन की गयी थी कि सी.ए.डी. सर्वे के अनुसार कमाण्ड क्षेत्र घोषित कर देने पर उपनिवेशन विभाग की प्रथम सूचना पर संबंधित उपनिवेशन तहसीलदार को आवंटित भूमि का पुन: कब्जा देना होगा। अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उपनिवेशन विभाग का निर्णय वन विभाग को मान्य होगा।

प्रस्ताव में अंकित 51 चकों की भूमि महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के विस्थापितों को राजकीय भूमि मानकर आवंटित की गयी है। इन चकों की भूमि उपनिवेशन तहसील छत्तरगढ़ नम्बर 2 मुकाम खाजूवाला क्षेत्र की 7820.06 बीघा भूमि है। उसे राजकीय भूमि माने जाने का प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन है लेकिन वन विभाग ने उसमें कोई विनियोजन किया है अथवा नहीं, तथा उसमें कार्य कराया है या नहीं तथा उस भूमि की आवश्यकता है या नहीं, इसकी सूचना राज्य सरकार को वन विभाग द्वारा अभी दी जानी है। वन विभाग से ऐसी भूमि की सूची प्राप्त होने पर आगे कार्यवाही संभावित हो सकेगी।

श्री भीमसेन चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, उपनिवेशन विभाग ने गोचर भूमि के लिए इस शर्त पर वन विभाग को जमीन आवंटित की थी कि सी.ए.डी. के सर्वे से अगर जमीन कमाण्ड हो जाएगी और इस में कोई विकास कार्य नही किए होंगे तो वह जमीन पुन: उपनिवेशन विभाग को सौंपनी होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, वन विभाग के अधिकारियों ने और उपनिवेशन विभाग के अधिकारियों ने 22-11-87 को जोइंट इंस्पेक्शन करके 7820 बीघा भूमि आइडेंटीफाई की कि यह वन विभाग से ली जानी है और उसके बदले में 8779 बीघा जमीन वन विभाग को सुपुर्द करनी है। ये सारे कार्य होने के बाद वन संरक्षक ने कोलोनाइजेशन आयुक्त को सूचना दी कि यह जमीन 7820 बीघा आवंटित की जा सकती है। उस आदेश के अन्तर्गत उपनिवेशन आयुक्त ने यह जमीन एम.एफ.आर. के विस्थापितों को आवंटित की और आवंटित करके काश्तकारों को जमीन का कब्जा दे दिया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज 11 वर्ष हो गये, अभी तक वह जमीन राजस्व रिकार्ड में उन किसानों के नाम से खातेदारी अंकित नहीं हुई है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि आप कितना समय और लेंगे; 11 वर्षों से यह मामला पेंडिंग है। इस मामले में अब आप कितना समय और लेंगे इसको तय करने के लिए ?

श्री गंगाराम चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि उपनिवेशन विभाग

(श्री गंगाराम चौधरी)

और वन विभाग ने जोइंट सर्वे करके सूची निकाली थी । उस सूची की सूचना देने पर एस. डी. ओ. (नार्थ), बीकानेर ने यह भूमि विस्थापितों को आवंटित कर दी । यह मानते हुए आवंटित कर दी कि यह भूमि वन विभाग पुनः राज्य सरकार को दे देगा, उपनिवेशन विभाग को दे देगा । किन्तु इसमें जो अड़चन पड़ी, वह यह पड़ी कि उसके बाद में दोनों विभागों ने मिलकर जो राज्य सरकार को चिट्ठी लिखनी थी, निवेदन करना था उस हिसाब से राज्य सरकार की ओर से आदेश हो जाते तो यह सब कुछ हो जाता, उस वक्त तक इस भूमि की कोई उद्घोषणा गजट में जारी नहीं हुई थी । 1981–82 में चरागाह विकास हेतु यह भूमि उपनिवेशन विभाग ने वन विभाग को दी । तब से यह रिकार्ड में तो दर्ज हो गयी वन विभाग के नाम, लेकिन उद्घोषणा गजट में जारी नहीं हुई जो एक्ट के तहत होनी चाहिए थी । तब तक तो मामला कुछ काबू में ही था ।

लेकिन उसके बाद में अलग-अलग समय पर, अलग-अलग बैठकें हुई, अधिकारी बदले, और पहले के विचार, जो उपनिवेशन विभाग और वन विभाग ने बीकानेर स्तर पर आपस में जो भी तय किया गया था उसका राज्य सरकार के स्तर पर निर्णय नहीं हो पाया और वह भूमि वापस वन विभाग से होकर हमें नहीं मिली । वे सूचियां वहां पर रह गयीं और 1991 के अन्दर प्रिंसिपल सी. सी. एफ. ने वन विभाग को यह आदेश दे दिया कि इस भूमि को उपनिवेशन विभाग को लौटाया नहीं जाए; यह वन क्षेत्र ही रहेगा । फिर चीफ सेक्रेटरी के स्तर पर भी बैठक हुई थी; इसमें कुछ और निर्णय लिये गये । वे निर्णय उससे मेल नहीं खाते थे, जो कि अधिकारियों ने बीकानेर स्तर पर निर्णय लिये थे; इसलिए यह जमीन नहीं लौटायी गयी । आखिर कार अप्रैल, 1994 के अन्दर गजट नोटीफिकेशन हो गया और यह जमीन वन क्षेत्र घोषित कर दी गयी; एक्ट के तहत । अब जब तक केन्द्र सरकार स्वीकृति नहीं दे तब तक यह जमीन वापस उपनिवेशन विभाग में या राज्य सरकार में आराजी-राज नहीं की जा सकती, इसलिए कठिनाई पैदा हो गयी है । हालांकि गलती उस वक्त भी की थी, प्रारम्भ में गलती 1987 में हो गयी थी ।

वास्तव में आप देखेंगे तो यह जो भी अलाटमेंट हुआ है इन विस्थापितों को, उसमें कमाण्ड भूमि बहुत कम है । अब जो पन्द्रह व्यक्ति रह गये हैं- दो ने तो मांग ली तबादला, उसमें चले गये, जो पन्द्रह व्यक्ति छत्तरगढ़ एरिया के रह गये हैं, उनके पास में 347 बीघा के करीब जमीन है, उसमें से मात्र 23 बीघा ही कमाण्ड है; बाकी है ही नहीं । यह सही है कि अभी विस्थापित काश्त कर रहे हैं, अभी वन विभाग ने वहां पर कोई वन वगैरह नहीं लगाये लेकिन यह बात भी सही है कि रिकार्ड में इस तरह से एक्ट के तहत घोषणा हो जाने के कारण अब यह जमीन बिना केन्द्र की स्वीकृति के, अध्यक्ष महोदय, हमको नहीं लौटाई जा सकती, इसलिए कठिनाई पैदा हो गयी है ।

श्री भीमसेन चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आपने जवाब में यह कहा है कि अगर कोई विवाद होगा उपनिवेशन विभाग और इसके बीच में, तो उपनिवेशन विभाग का जो फैसला होगा वह वन विभाग को मान्य होगा, इस कंडीशन पर आपने वह जमीन अलाट की है। यह जमीन तो अलाट हो गयी, अब आप जो कह रहे हैं कि विज्ञप्ति जारी हुई, वह तो 1994 में हुई। 1994 में विज्ञप्ति जारी हुई, उसमें प्रकाशित हुई है लेकिन उससे पहले तो वन विभाग के पास जमीन रही ही नहीं, काश्तकारों को आवंटित कर दी। इसलिए वह जो विज्ञप्ति की है, वह भी गलत हुई है, सर।

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्री भीमसेन चौधरी : विज्ञप्ति भी गलत हुई। वन विभाग के पास जमीन नहीं थी 1987 में। 1994 में जो विज्ञप्ति जारी हुई है, उस विज्ञप्ति के टाइम पर....

श्री अध्यक्ष : सुनिये आप। सुनिये।

श्री भीमसेन चौधरी : 1987 में जो जमीन काश्तकारों को अलाट हो चुकी....

श्री अध्यक्ष : अब आप विराज जाएं।

श्री भीमसेन चौधरी : वह वन विभाग में रही ही नहीं।

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक प्रश्न पूछ लूं ?

श्री अध्यक्ष : आप भी पूछ लें।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय मन्त्री जी ने विवरण दिया, उससे यह स्पष्ट है कि अलाटमैंट नियमों में यह व्यवस्था है कि जमीन खाली होगी तो अलाटमैंट होगा। आपने जमीन खाली करवायी नहीं। जमीन वन विभाग के नाम से है और अलाटमैंट कोलोनाइजेशन में कर दिये। पहली बात तो यह है।

(14.34 बजे)

(श्रीमती तारा भण्डारी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

दूसरी बात यह है कि जब वन विभाग ने आपको कंडीशन से जमीन दी थी और उसके बाद में वन विभाग ने लिख दिया कि यह जमीन अलाट की जा सकती है, उस पीरियड में आपने रिकार्ड दुरुस्ती क्यों नहीं की ? आपके जिन अधिकारियों की गलती से यह रिकार्ड दुरुस्त नहीं हुआ उसकी वजह से यह सारा मामला जाकर उलझ गया। तो मेरा आपसे निवेदन यह है कि एक तो आपके विभाग की गलती है जिसके कारण से इतने लोग प्रभावित हुए हैं, जो वर्षों से काश्त करते आ रहे हैं उनके नाम जमीन नहीं है और न आपके कोलोनाइजेशन के नाम से जमीन है। वन विभाग के अधिकारी भी उतने ही दोषी हैं, उन्होंने पहले लिख दिया कि जमीन अलाट कर दो और उसके बाद 1994 में जाकर गजट नोटीफिकेशन निकाल दिया। तो क्या राज्य

(श्री हरजीराम बुरड़क)

सरकार इन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने में सक्षम नहीं है ? आपके विभाग को वन विभाग ने अन्धेरे में रखा और उलझन आपके सामने पैदा हो गयी तो आप वन विभाग के उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे ? अब जमीन देने का जहां तक सवाल है, गजट नोटिफिकेशन होने के बाद में वह तो आपके हाथ में है नहीं। अब वह तो भारत सरकार जब करेगी तब होगा। जिन अधिकारियों की गलती से आपके काश्तकार और खुद सरकार परेशानी में पड़ गयी, उनके लिये आप क्या कार्यवाही करेंगे, यह आप बताइये।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : उपाध्यक्ष महोदया, मेरा भी एक है। जब एग्रीमेंट हुआ था, एग्रीमेंट के आधार पर वन विभाग ने यह जमीन सौंप दी। सौंपने के बाद में अलाट हो गयी तो माननीय मंत्री महोदय से मैं यह जानना चाहूंगा कि जब वन विभाग के पास जमीन थी ही नहीं, उन्होंने जमीन लौटा दी तो फिर गजट नोटीफिकेशन निकालना इन्इफेक्टिव है। उसमें कोई दम नहीं है, कोई उसका कानूनी अधिकार नहीं है। वन विभाग ने यह जमीन तो अपने गजट नोटीफिकेशन कर दी और रेवेन्यू से दूसरी जमीन और ले ली। एग्रीमेंट यह हुआ था कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट इनको उतनी जमीन देगा और वन विभाग इसको छोड़ देगा। रेवेन्यू से वह जमीन भी वन विभाग ने ले ली और पहले वाली जमीन भी उन्होंने रख ली।

अब सवाल यह उठता है कि जिन तेरह काश्तकारों का आपने जिक्र किया है उनको रिहैबिलिटेट करने का आप क्या रास्ता निकालते हैं। क्या इन सब तथ्यों को रखते हुए केन्द्र सरकार से यह जमीन वापस फोरेस्ट से निकलवा कर आपके विभाग में लेने के लिये कार्यवाही आप करेंगे ?

श्री गंगाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदया, दो-तीन प्रश्न अभी मेरे सामने आये। जब रिकार्ड में जमीन खाली नहीं थी तो इसका आवंटन क्यों कर दिया ? यह त्रुटि रही है 1987 में उस वक्त कौन अधिकारी थे, उस वक्त क्या बात हुई थी, इसकी बराबर जानकारी मेरे से ज्यादा माननीय सदस्य को है। रिकार्ड में यह दर्ज होते हुए इस भरोसे से शायद कर दी कि यह जमीन वापस उपनिवेशन विभाग को मिल जाएगी। उस वक्त दो त्रुटि रही है-एक तो रिकार्ड में इन्द्राज वन विभाग के नाम था, आवंटन नहीं होना चाहिये था, मैं मानता हूं।

दूसरी त्रुटि यह रही है कि यह जमीन कमाण्ड बहुत कम थी, इसमें केवल 23 बीघा ही कमाण्ड थी। जो आपस में समझौता हुआ था वह इस बात पर हुआ था कि अगर जमीन कमाण्ड हो जाएगी तो जमीन वापस दे दी जाएगी। हालांकि सूची में इसको ले लिया कि हमने इसमें काम नहीं किया है लेकिन शर्त के हिसाब से वह सूची सही नहीं थी। वह जमीन कमाण्ड थी ही नहीं। यह किस्सा चलता गया 1991 तक और 1991 तक किसी तरह का न तो रिकार्ड में वापस इन्द्राज आया।

(श्री गंगाराम चौधरी)

और रिकार्ड में आ भी नहीं सकता था। उनके हाथ में नहीं था। रिकार्ड में इन्द्राज तो यहां से सरकार से कोई आदेश होता और वन विभाग से वापस जमीन चली जाती। उन्होंने माना जरूर कि इस जमीन को हम आपको छोड़ देंगे, छोड़ने के लिये तैयार हैं लेकिन किसी तरह का आदेश 1991 तक हुआ नहीं। उसके बाद में समझौते या शर्तें कुछ और हो गयीं, 1991 के अन्दर चीफ सैक्रेटरी की अध्यक्षता में ये शर्तें नहीं थीं। यह कार्यवाही इस तरह से हो ही नहीं पाई और 1994 के अन्दर यह गजट नोटीफिकेशन हो गया।

मैं इतना ही निवेदन कर सकता हूं कि 1981–82, फिर 1987 बहुत पुराने मामले हैं, मैं नहीं कह सकता कि इसमें इन्क्वायरी करके किसी को दोषी ठहराया जाए क्योंकि 1987 के अन्दर भारत सरकार का एक बड़ा दबाव था कि महाजन फील्ड फायरिंग के विस्थापितों को जल्दी से अलाटमैंट करवाया जाए तो अधिकारियों ने उस पर जल्दी अलाटमैंट करने की कार्यवाही जरूर की, उसमें थोड़ी-बहुत त्रुटियां रह गयीं। माननीय सदस्य ने यह कहा कि इनका विकल्प क्या है, इनको किस तरह से आप करेंगे? मैं इतना माननीय सदस्यों को और हाउस को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अब केन्द्र सरकार से लिखा-पढ़ी के बजाए यह आसान रहेगा कि वहां पर जिन विस्थापितों को जमीन आवंटित हुई है, उनको हम दूसरी जमीन दे दें। वे चाहेंगे तो कमाण्ड दे देंगे और वे चाहेंगे तो अन-कमाण्ड दे देंगे। इतना सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं।

श्री भीमसेन चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदया, इसमें साफ था कि वन संरक्षक ने अपने पत्र 13520, दिनांक 22-11-1987 को आयुक्त को लिख कर दिया कि यह जमीन महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के विस्थापितों को अलाट की जा सकती है। इस पर उन्होंने अलाट कर दी और अलाट करने के बाद में काश्तकारों को कब्जा दे दिया। अब सवाल इतना ही है कि काश्तकारों के नाम से खातेदारी के अधिकार की आपको एण्ट्री करनी चाहिये थी, वह आपने नहीं की। तो उसके बारे में निवेदन था, उसके खिलाफ अब आप यह कार्यवाही कराएं।

श्री गंगाराम चौधरी : यह 1987 का मामला है, अब इस वक्त मैं क्या कह सकता हूं कि कोई गलती रही है, कैसे रही है, रह गयी। अब तो यही इलाज है अपने सामने कि उनको दूसरी जमीन दी जाए।

श्री हरजीराम बुरड़क : जो अधिकारी गड़बड़ करें उनको कब तक की छूट है? कितने वर्ष पहले के मामले में कोई इन्क्वायरी नहीं होती, यह कोई छूट दे रखी है क्या?

श्री भीमसेन चौधरी : काश्तकारों को काश्त....(व्यवधान)....

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : यह सारा आन रिकार्ड है कि यह किसने किया

(श्री देवीसिंह भाटी)

और क्या किया है। यह तो मुझे पता नहीं है; यह आप नहीं कह सकते। सारी चीज आन रिकार्ड है कि 1987 में किसके आदेश से अलाटमैंट हुआ। जब रिकार्ड के अन्दर पहले से ही यह तय था कि यह वन विभाग को मिली हुई है, तब वे खाली भूमि के अलावा तो अलाटमैंट कर नहीं सकते थे। यह सारा आन रिकार्ड है। यह किसानों का मसला है, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के काश्तकार आज दर-दर भटक रहे हैं। उनसे जमीनें खाली करवा लीं फील्ड फायरिंग रेंज के नाम से। आज हमारा कर्तव्य है, हम सरकार में बैठे हैं। उनके साथ यह ज्यादती हो रही है, उन्होंने पैसे जमा करवा दिये। आज उनके सामने बिलकुल अंधकारमय स्थिति है कि उनके साथ क्या निर्णय होगा। वे आज के दिन पक्की जमीनें कराकर, लेवल करके काम नहीं कर सकते। खर्चा लगाएं तो किसके भरोसे के ऊपर? यह स्थिति बड़ी दयनीय है।

यह सिर्फ एक मुद्दा नहीं है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के लोग आज जगह-जगह बैठे हैं। वहां स्कूलें खुल गयी हैं लेकिन उनके लिये आबादी भूमि के लिये अभी तक आप तय नहीं कर पाये हैं। आज उनके सामने बसने की समस्या खड़ी हो रही है। कोई एक मसला आया है, उसे हमें गंभीरता से लें। जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्यवाही करें। लेकिन उनके लिये तो हम निर्णय करें। आज 11 साल के बाद भी निर्णय नहीं कर सके। उनके घर छुड़वा दिये, सैंकड़ों वर्ष पुराने घर और उसके बाद भी आज वे बराबर हमारे जन प्रतिनिधियों को कहते हैं, बार-बार मिलते हैं, आपसे मिलते हैं। इसका निर्णय कौन करेगा? अब हम करने की स्थिति में नहीं हैं तो साफ कह दें कि हम नहीं करेंगे। उनको अधर में आपने लटका रखा है।

मेरा आपसे अनुरोध है, उपनिवेशन विभाग किसी भी प्रकार के काश्तकारों के मुद्दों को आज तक नहीं निपटा पाया है। अगर एक भी मुद्दा आपने निपटाया हो, तो कृपया इस हाउस को बताएं कि उपनिवेशन विभाग से सम्बन्धित जो भी मसले हैं हमने इस प्रकार से बिन्दुवार निपटा दिये हैं। जगह-जगह आपने जमीनें अवाप्त कर लीं, उसके एवज में आप तबादला नहीं दे रहे हो। उनकी जमीनें नहर में आ गयीं, सड़क में आ गयीं, भट्टों में आ गयी हैं। आज किसी प्रकार से आबादी भूमि का प्रस्ताव है, उसका भी निर्णय नहीं कर पा रहे हैं।

इसी प्रकार से आप गैर-खातेदार लोगों को भी अगर उनकी जमीन अवाप्त कर ली है सरकारी कार्य के लिये, उसका तबादला नहीं दे रहे हो, उसके लिए पाबन्दी लगा दी है। यह आखिर कौन करेगा, कृपया स्पष्ट करें, काश्तकारों की स्थिति बड़ी दयनीय है, उपनिवेशन मंत्री महोदय।

श्री भीमसेन चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, एम.एफ.एफ.आर. के विस्थापित काश्तकार हैं, अभी तक सही ढंग से उनको बसाया नहीं गया है। आप फिर उनको उजाड़ना

(श्री भीमसेन चौधरी)

चाहते हैं। यह 11 साल से समस्या है, इस समस्या का हल निकालें। अभी तक बहुत-से काश्तकार ऐसे हैं जिनको जमीन ही नहीं हुई अलाट। यह तो अलाटमेंट है इनका, खातेदारी अधिकार इनको दिये जाने चाहिये। वह रिकार्ड में आप अंकित करवाएं यह समस्या बहुत गंभीर है, इस समस्या के समाधान का दायित्व आपके राजस्व विभाग का है। सही ढंग से उनकी समस्याओं का समाधान करें और उनको राहत पहुंचाएं। मैं बार-बार यह निवेदन करना चाहता हूं और इस विषय में धरने पर बैठना चाहता हूं। यह सारा कार्य करा इसलिए।

श्री परसादीलाल मीणा : बैठ जाओ यहीं पर।

श्री शिवनाथ सिंह : धरना तो कमजोर लोग देते हैं।

श्री हरजीराम बुरड़क : आपने फरमाया कि वहां से तो अधिकारियों ने लिख दिया था, लेकिन सचिवालय स्तर से कोई आदेश जारी नहीं हुआ इसलिए यह मामला उलझ गया। सचिवालय स्तर पर जिन अधिकारियों ने इसको रोके रखा, क्या उनको सब छूट है? उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर सकते? आप कह रहे हैं कि..

श्री गंगाराम चौधरी : ऐसा हुआ, जो भूमि अलाट कर दी गयी है..

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, सुनिये।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : एक मिनट। उपाध्यक्ष जी, इसी तरह का एक मामला है कि बैंकों द्वारा हरिजनों की जमीनों को, जो सरकार ने ऐलान कर दिया और वह जमीन.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : वह विषय अलग है।

श्री श्रवण कुमार : सेम वही है।

श्री उपाध्यक्ष : यह एक पर्टीकुलर विषय पर ध्यानाकर्षण है, जनरल नहीं है। विराजें। नहीं, जनरल नहीं है।

श्री गंगाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि बीकानेर में बैठे कोलोनाइजेशन कमिश्नर और वन विभाग के अधिकारियों ने कोई बात वहां पर तय की थी। वह कोई सरकार का आदेश नहीं था इसलिए वहां उसकी पालना नहीं हुई। उन्होंने एक पत्र लिखा होगा लेकिन उस वक्त 1987 से 1990 के बीच में सरकार के स्तर पर कोई निर्णय नहीं हुआ और यह मामला तब लम्बे समय तक चलता रहा। आज जो स्थिति है, उस स्थिति में मैं इतना ही कह सकता हूं, दो विकल्प हैं आपके सामने। या तो राज्य सरकार केन्द्र सरकार को यह लिखे, वन विभाग लिखे, कि इस जमीन पर हमने कोई कार्य नहीं करवाया है और इस जमीन पर किसान बैठे हैं जिनको हमारे किसी अधिकारी के समझौते की वजह से बैठाया गया

(श्री गंगाराम चौधरी)

था, इसलिए यह जमीन वापस दे दी जाए। इसके बदले में उपनिवेशन विभाग पहले से ही तैयार है, उपनिवेशन विभाग दूसरी जमीन वन विभाग को देने के लिये तैयार है। एक विकल्प तो यह है।

दूसरा, कमांड एरिया में इन विस्थापितों को उपनिवेशन विभाग दूसरी कमांड जमीन अलाट कर दे। मैं दोनों के लिये तैयार हूं और प्रयास किया जाएगा कि इन विस्थापितों को बेदखल नहीं किया जाए, इनको बसाया जाए।

श्री देवीसिंह भाटी : इन्होंने गलत कार्यवाही की, उसके लिये हम कहने की स्थिति में नहीं हैं। उसने लाखों रुपये अपने खेत को सुधारने में खर्च कर दिये, उसके लिये सरकार के पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि उसका हर्जाना भर दे। हम सिर्फ यह लीपापोती करेंगे, यह उन काश्तकारों के साथ न्याय नहीं होगा, उपनिवेशन मंत्री महोदय। स्पष्ट कीजिए इस बात को, या तो आप करने की स्थिति में नहीं हैं तो हाउस में कहिये कि मैं इस पर व्यवस्था नहीं कर पाऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष : स्पष्ट हो गया है, माननीय सदस्य, स्पष्ट हो गया है। उन्होंने दो विकल्प दे दिये हैं। विराजें आप, विराजें।

श्री देवीसिंह भाटी : विकल्प हैं इसीलिए तो, उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : विराजें, स्पष्ट ही कर दिया है। उन्होंने दोनों विकल्प दिये हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, यह सिद्धान्त का मामला है। हमने ये नियम, प्रक्रिया, कानून बना रखे हैं, इनकी पालना कौन करवाएगा ? हम इस सदन में कानून बनाते हैं उसके बाद में नियम बनाते हैं। अगर किसी ने गलती की तो उसके खिलाफ आप या तो कार्यवाही करो। यदि काश्तकारों को हमने मूल से जमीन दी है, उसने 11 वर्ष तक उन जमीनों को सुधारा है, उसके अन्दर मकान बनाये हैं, उसके अन्दर जो भी उसमें अपनी तरफ से राशि बन पड़ती थी, उसने लगायी है, उसके हर्जाने के लिये हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार से मैं यह साफ कहना चाहता हूं कि उपनिवेशन विभाग की समस्याएं बहुत गम्भीर हैं। पिछले अर्से में आप उपनिवेशन विभाग की किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर पाये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : फिर आप भी जनरल पर आ गये।

श्री देवीसिंह भाटी : उनकी हालत बहुत खराब है, उपनिवेशन मंत्री महोदय, इसके ऊपर ध्यान दें।

श्री भीमसेन चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष, जो....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जवाब हो गया। विराजें।

श्री भीमसेन चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय; मेरा पहला सवाल है यह ।

श्री उपाध्यक्ष : जवाब हो गया, विराजें ।

श्री भीमसेन चौधरी : यह मेरा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष : जवाब हो गया, विराजिये ।

श्री भीमसेन चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण सवाल है, एक मिनट में कह दूंगा । माननीय राजस्व मंत्रीजी ने यह कहा है कि 7820 बीघा जमीन जो उपनिवेशन विभाग को देनी चाहिये, वह जमीन काश्तकारों के कब्जे में है । भारत सरकार को लिखकर, वन विभाग के द्वारा लिखवाकर भारत सरकार से 7820 बीघा जमीन है वह उपनिवेशन विभाग के नाम से इनको दी जाए ।

श्री उपाध्यक्ष : यह कहा है इन्होंने । विकल्प दिया है ।

श्री भीमसेन चौधरी : और बदले में जो 8979 बीघा जमीन देना तय हुआ था वह वन विभाग को दे दी जाए, यह सारी व्यवस्था और करवाएं । यह कार्यवाही आप कब तक करवाएंगे, यह बताइए ।

श्री गंगाराम चौधरी : जितनी जमीन अवाप्त कर ली गयी है उतनी जमीन राज्य सरकार केन्द्र सरकार से वापस अपने कब्जे में लेगी और उतना ही रकबा या जो वन विभाग कहेगा उतना रकबा हम वन विभाग को दे देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ।

श्री परसादीलाल मीणा : कब तक करोगे ? कार्यवाही आपके रहते हुए हो जाएगी क्या ?

श्री भीमसेन चौधरी : कब तक करवा देंगे यह व्यवस्था ? 11 साल तो हो गये, कब तक करवा देंगे, यह बताइए आप ? आप कब तक करवा देंगे ? यह बहुत अहम सवाल है ।

श्री उपाध्यक्ष : देखिए, यह तो प्रक्रिया है, इसमें समय में बांधना मुश्किल होगा । आप निश्चित रहिये कार्यवाही होगी । प्रक्रिया में समय कैसे बांधेंगे आप ? प्रशासनिक प्रक्रिया है ।

श्री भीमसेन चौधरी : 11 साल तो हो गये ।

श्री उपाध्यक्ष : केन्द्र सरकार को लिखना, यह सब काम है, आप बहुत समझदार हैं । अब उसको अगर आप टाइम में बांधेंगे तो मुश्किल है ।

श्री परसादीलाल मीणा : आपके आदेश से सब हो सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष : होगा, जरूर होगा ।

बूंदी स्थित गरदड़ा (लतारिया) सिंचाई परियोजना को स्वीकृति

प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत श्री

(श्री उपाध्यक्ष)

ओम प्रकाश शर्मा, फूलचन्द, बाकी के नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप कर दीजिए ध्यानाकर्षण ।

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 131 के तहत गरदड़ा परियोजना मंजूर किये जाने की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा ।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (सिंचाई मंत्री) : नियम 131 के अन्तर्गत मैं जानकारी आपके माध्यम से देना चाहता हूं । यह सही है कि बूंदी जिले में गरदड़ा (लतारिया) मध्यम सिंचाई परियोजना प्रस्तावित है तथा परियोजना के तखमीने को योजना आयोग की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा माह अप्रेल, 1997 में मंजूर कर दिया गया है, परन्तु साथ में वन विभाग एवं वित्त विभाग से मंजूरी करवाने की शर्तें भी रखी गयी है ।

प्रस्तावित बांध के डूब क्षेत्र में 205 हैक्टेयर भूमि वन विभाग की आना पाया गया है । राजस्व विभाग द्वारा वन विभाग को वन भूमि के बदले अन्यत्र 205 हैक्टेयर भूमि देने की सहमति दे दी गयी है । अब सम्पूर्ण प्रस्ताव बूंदी वन मण्डल अधिकारी द्वारा अनुमोदन हेतु वन महानिरीक्षक, भारत सरकार को दिनांक 20-5-98 को भेजे जा चुके हैं, जहां से स्वीकृति अपेक्षित है । विभाग द्वारा भारत सरकार के वन विभाग से निरन्तर सम्पर्क किया जा रहा है तथा परियोजना को शीघ्र ही मंजूर करवाये जाने के प्रयास जारी हैं ।

यह सही है कि परियोजना पूर्ण होने पर बूंदी जिले के 43 गांवों में 9215 हैक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी, परन्तु परियोजना से सीपेज से 40 हजार बीघा को और लाभ मिलने तथा बूंदी शहर को पीने का पानी उपलब्ध करवाये जाने का प्रस्ताव नहीं है ।

उपरोक्त परियोजना निश्चित रूप से बूंदी जिले के लिये लाभदायक सिद्ध होगी । परियोजना स्वीकृत करवाये जाने के पूर्ण प्रयास किये जा रहे हैं ।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया 20-5-1998 को राजस्थान सरकार ने दिल्ली में फाइल भेज दी है स्वीकृति के लिए मैं जानना चाहूंगा, फाइल गये आज दो माह दस दिन हो गये, इसके बीच सिंचाई विभाग और वन विभाग के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से जाकर क्या प्रयास किया, कौनसी तारीख को गये और किससे बात की ? सिंचाई विभाग के अधिकारी भी इस परियोजना को मंजूर कराना चाहते हैं पूर्व मंत्री महोदय मेरे सामने अभी विराजे हैं, सिंचाई सचिव, चीफ इंजीनियर, वर्तमान मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी स्वयं चाहते हैं लेकिन इस चाहने को आज दो साल हो गये । मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय चार तारीख के पहले ही वन विभाग के अधिकारियों को और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को दिल्ली भेज कर इसकी स्वीकृति कराएं ।

(श्री श्रोमप्रकाश शर्मा)

उपाध्यक्ष महोदय, बूंदी में दो परियोजनाएं हैं जिनको आपने नवीन परियोजना में लिया है–एक चाकल और एक बरवड़ा। ये दोनों भी दिल्ली में पड़ी हुई हैं। मंत्री महोदय मुझ से कहते तो हैं कि मैं जाऊंगा और कराऊंगा लेकिन अब तक आपने दोनों विभाग के अधिकारियों को क्यों नहीं भेजा ?

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय सहकारिता मंत्री गहरी नींद में हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नींद में नहीं हैं।

श्री हरिसिंह (महुवा) : सरकार सो रही है।

श्री श्रोमप्रकाश शर्मा : आज बूंदी जिले के अन्दर नदियों का 85 प्रतिशत पानी बह कर बाहर जाता है, चम्बल में गिरता है। उस पानी की उपयोगिता राज्य सरकार समझ रही है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि अब तक इसमे ढ़िलाई क्यों बरती जा रही है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा वे स्पष्ट बताएं कि उनके अधिकारी और वन विभाग के अधिकारी कब आ रहे हैं और इसकी स्वीकृति कब करा कर लाएंगे?

श्री उपाध्यक्ष : और भी माननीय सदस्यों के नाम हैं, अगर आप सभी एक साथ सवाल करें तो मंत्रीजी को भी सहूलियत होगी। आपको सवाल नहीं करना, है तो मंत्रीजी जवाब दे दें।

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशोरायपाटन) : उपाध्यक्ष महोदय, इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में जैसा कि माननीय मंत्रीजी ने बताया, सभी स्तर की तैयारी पूरी कर ली गयी है, दिल्ली तक फाइल है। 43 गांव और 9215 हैक्टेयर की एक मध्यम योजना है जिससे किसानों को बहुत फायदा होगा। वर्षों से यह स्कीम चली आ रही है। जैसा कि मूल प्रश्नकर्ता माननीय श्रोमप्रकाशजी शर्मा ने बताया है, कि सरकार अपने स्तर पर वन विभाग और सिचाई विभाग के अधिकारियों को भेज कर और व्यक्तिगत रुचि लेकर मंत्री महोदय ऐसा करेंगे तो बहुत बड़ा सहारा होगा। इसको तीव्रता दी जाए, यही बात कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री फूलचन्द मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, बूंदी के साथ–साथ पूरे राजस्थान का मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, यह विशेष विषय पर ध्यानाकर्षण है। मैं आपको अलाउ नहीं करूंगी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं हूं बूंदी का।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : आपका नाम तो नहीं है इसमें।

श्री उपाध्यक्ष : आपका तो नाम भी नहीं है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : आप बोल लें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : बूंदी जिला है।

श्री उपाध्यक्ष : बस इसी विषय पर, बूंदी जिले पर नहीं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इसी विषय पर।

उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी एक तो यह बताने का कष्ट करें कि यह योजना जो आपने सी.डब्ल्यू.सी को भेजी, यह कितने करोड़ की है?

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : एम.ओ.ई.एफ. के पास है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हैं ? एम.ओ.ई.एफ. के पास। कब भेजी और कितने की बना कर भेजी ?

दूसरा प्रश्न मेरा यह है, क्या राजस्थान सरकार की वित्तीय स्थिति इस प्रकार की है कि वह इस योजना को क्रियान्वित कर सकती है ? अगर नहीं कर सकती है तो आपने केन्द्र सरकार से किस प्रकार की सहायता मांगी है ?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, गरदड़ा की जो स्कीम दिल्ली में गयी है, इसी के साथ-साथ मेरे क्षेत्र की जो स्कीम फलिया और उल्लासी भी दिल्ली में पड़ी हुई हैं, वे कब तक क्लीयर हो जाएंगी, मंत्री महोदय यह भी बताएं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। विषय विशेष पर ध्यानाकर्षण है। मंत्रीजी।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि यह परियोजना खाली क्लीयरेंस के लिए ही रुकी हुई है और वित्तीय इसके लिए जितना भी प्रबंध करना था वह हो गया है। जैसा मैंने बताया था, यह मिनिस्टरी आफ एन्वायरनमेंट फोरेस्ट के अन्दर क्लीयरेंस के लिए ही रुकी हुई है। यह भी बात सही है कि कुछ वर्ष पहले सेंट्रल गवर्नमेंट भी यह जरूरत नहीं समझती थी और बिना उनके क्लीयरेंस के भी हम शुरू कर देते थे।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, ये तो यह जानना चाहते हैं कि कब भेजी आपने।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : यह तो हे दिया न, 20-5-1998 को भेजी है।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : यह नहीं जानना चाहता, मैं यह जानना चाह रहा था कि कब-कब गये, किससे कब बात हुई और कब तक स्वीकृत हो जाएगी?

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : एडिशनल चीफ इंजीनियर चार दिन से दिल्ली में बैठे हुए हैं क्लीयर कराने के लिए, नम्बर एक।

श्री उपाध्यक्ष : इसी योजना को ?

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : इसी योजना को। इसके साथ-साथ दूसरी योजनाएं भी हैं, उसका भी मैं बता देता हूं आप चाहें तो।

श्री अनंग कुमार जैन (राज्य मंत्री, वित्त) : माननीय धारीवालजी, यह वही योजना है न जिसका पत्थर शिवचरणजी के घर आया था और आप उसको जीप में लेकर उनके बंगले पर, आठ नम्बर कोठी पर रखकर आये थे ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हमने तो नहीं देखा । कोई फोटो हो तो आप बता दो । (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मैं भी चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इस परियोजना का कार्य शुरू हो । अगर जल्दी इसकी क्लीयरेंस नहीं मिली तो मैं पर्सनली जाकर क्लीयर कराने की कोशिश करूंगा ।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं एक प्रश्न --

श्री उपाध्यक्ष : श्री कैलाशजी मेघवाल ।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : मैं एक प्रश्न करूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : सारे जवाब तो आ गये, मंत्रीजी खुद जाने को तैयार हैं । बात ही पूरी हो गयी । आप भी साथ चले जाओ । (व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश शर्मा : इसका तो मैं धन्यवाद दूंगा । उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन कर रहा था कि क्या इससे पूर्व चवली और बीसलपुर बांध बिना वन विभाग की स्वीकृति के चालू किये या नहीं किये ? यदि वे चालू किये गये तो गरदड़ा और चाकल, ये दोनों परियोजनाएं और कोटा और राजस्थान की जो अन्य परियोजनाएं वन विभाग के कारण वहां पड़ी हुई हैं वे क्यों नहीं मंजूर की जा रही हैं ? आपने तो मेहनत की है, आपके विभाग ने पूरी मेहनत की है इसके लिए तो आप धन्यवाद के पात्र हैं परन्तु जब तक वन विभाग के अधिकारी आपके साथ नहीं जाएंगे, ये योजनाएं स्वीकृत नहीं होंगी ।

इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानकारी चाहूंगा कि मंत्री महोदय वन विभाग के मंत्री महोदय से उनके अधिकारियों को साथ लेकर दिल्ली जाकर ये योजनाएं मन्जूर कराएं, नहीं तो आप काम चालू करें जैसे पहले बांध चालू हुए हैं ।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : यह सही है, उपाध्यक्ष महोदय, कि बीसलपुर और छापी बिना क्लीयरेंस के चालू हो गयी थीं और 1980 के अन्दर जब से फोरेस्ट एन्वायरनमेंट एक्ट आया है उसके बाद में भी कुछ क्लीयरेंस के बिना भी चालू की थीं पर एक सुप्रीम कोर्ट का आर्डर 1996 के अन्दर आ गया और उसके अन्दर उन्होंने साफ कहा है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट कोई भी परियोजना शुरू कर देगी बिना एम.ओ.ई.एफ. के क्लीयरेंस के तो बहुत सख्त कार्यवाही, अवमानना हो जाएगी । इसलिए हम नहीं कर पाएंगे । और जो माननीय सदस्य कह रहे हैं, मैं नहीं समझता हूं कि वहां से कोई फोरेस्ट के अधिकारियों को ले जाने की जरूरत पड़ेगी । मैं यह भी आपसे

144

(श्री विजेन्द्रपाल सिंह)

निवेदन करना चाहता हूं कि मैं पर्सनली मिस्टर प्रभु जो मंत्री हैं, उनको जानता हूं उनके पास जाकर निकलवाने की कोशिश करूंगा।

(15.00 बजे)

पातुसर ग्राम, झुंझुनूं की एक महिला के साथ पुलिस द्वारा कथित अमानुषिक व्यवहार

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय। झुंझुनूं जिले के पातुसर गांव की एक महिला को चूरू पुलिस द्वारा पकड़कर ले जाने एवं उसके साथ कथित अमानुषिक व्यवहार किये जाने की घटना के सम्बन्ध में वक्तव्य।

दिनांक 13-6-98 को थानाधिकारी, कोतवाली चूरू ने थाने के मालखाने को चैक किया तो वजह सबूत की सरकारी रकम 3,38,280/- रुपये कम पाये गये, जिस पर थानाधिकारी द्वारा वहां पर उपस्थित थाना स्टाफ से पूछताछ की गयी तो सन्तरी नौरंग राम ने बताया कि सुबह चार बजे मालखाना प्रभारी मुख्य आरक्षक अमला प्रसाद आये थे। इस पर मालखाना प्रभारी अमला प्रसाद से पूछताछ की गयी तो उसने मालखाने की 3,38,280/- रुपये की राशि अपने निजी कार्यों में खर्च करना व घरेलू सामान खरीदना बताया। उक्त पूछताछ एवं मालखाना निरीक्षण से 3,38, 280/- रुपये का गबन अमला प्रसाद हैड कांस्टेबल द्वारा किये जाने पर मुकदमा नम्बर 163/98 धारा 409 भारतीय दण्ड संहिता दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया।

दौराने अनुसंधान थाने के पुलिसकर्मियों के बयान लिये गये। अमला प्रसाद हैड कांस्टेबल के खिलाफ जुर्म साबित पाये जाने पर उसे दिनांक 13-6-98 को गिरफ्तार कर पूछताछ की गयी। अमला प्रसाद की इत्तला पर मालखाने के दो ताले व तीन चाबियां बरामद की गयीं। अमला प्रसाद ने पूछताछ के दौरान दानाराम उर्फ दानसिंह व उसकी पत्नी चन्द्रावत को गबन की राशि में से रुपये देना बताया। दिनांक 20-6-98 को अभियुक्त अमला प्रसाद हैड कांस्टेबल से उसकी इत्तला अनुसार 50,000/- रुपये बरामद किये गये एवं एक डायरी घर पर मिली जो कब्जा पुलिस ली गयी। उस डायरी में भी दानाराम व उसकी पत्नी चन्द्रावत को रुपये काफी मात्रा में देना अंकित है। अनुसधान से हैड कांस्टेबल अमला प्रसाद, दानाराम व उसकी पत्नी के बीच घनिष्ठ सम्बन्धों का भी पता चला। अनुसंधान से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर दिनांक 20-6-98 को दानाराम व उसकी पत्नी चन्द्रावत को बिसाऊ रोड रेलवे फाटक के पास से थानाधिकारी कोतवाली एवं महिला कांस्टेबल द्वारा गिरफ्तार किया गया। दिनांक 21-6-98 को ए.सी.जे.एम. न्यायालय, रतनगढ़ में श्री दानाराम व श्रीमती चन्द्रावत को पेश किया गया। न्यायालय ने दिनांक 24-6-98, तक पी.सी. रिमाण्ड दिया व दिनांक 24-6-98, 26-6-98 व 27-6-98 को न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। दिनांक

(145)

(श्री कैलाश मेघवाल)

27-6-98 को दोनों अभियुक्तों को पुलिस रिमाण्ड समाप्त होने के पश्चात् मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायिक हिरासत में भेजा गया। दिनांक 24-6-98 को श्रीमती चन्द्रावत का मेडिकल मुआयना करवाया गया। चोट प्रतिवेदन में दो साधारण चोटें दाहिनी एवं बाईं जांघ पर होना पाया गया, जो 7 से 14 दिन पुरानी होना मेडिकल रिपोर्ट में अंकित है। प्रकरण के अभियुक्त, दुकानदारों, पुलिसकर्मियों एवं गवाहों से अनुसंधान करने पर श्रीमती चन्द्रावत का थाने से गबन की गई राशि से लाभान्वित होना पाया गया तथा अपराध में लिप्त पाये जाने के ठोस सबूतों के आधार पर श्रीमती चन्द्रावत को गिरफ्तार किया गया तथा उन्हें महिला कांस्टेबल के साथ थाने में गिरफ्तारी के दौरान रखा गया। इसी प्रकरण में गिरफ्तार हुए उनके पति दानाराम भी इस दौरान उनके साथ थे। पुलिस द्वारा अभियुक्त चन्द्रावत का कोई भी कपड़ा या सलवार वगैरह जब्त नहीं किया गया।

उक्त अभियोग में श्रीमती चन्द्रावत व उसके पति दानाराम से क्रमशः 6,000/– एवं 9,000/- रुपये उनकी निशानदेही से गबन की गई राशि के बरामद किये गये हैं तथा मुख्य अभियुक्त अमला प्रसाद हैड कांस्टेबल से 1,54,000/- रुपये की राशि बरामद हुई है। इस प्रकार श्रीमती चन्द्रावत इस प्रकरण में पूर्णतया लिप्त पायी गयी हैं।

श्रीमती चन्द्रावत ने सी.जे.एम. न्यायालय, चूरू में चूरू जिले के पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध दिनांक 6-7-98 को एक इस्तगासा पेश किया जिस पर सी.जे.एम. न्यायालय, चूरू ने श्रीमती चन्द्रावत व उसके वकील को इस्तगासे में वर्णित आरोपों के लिए सबूत पेश करने को दिनांक 10-7-98 को कहा व दिनांक 14-7-98 तथा 29-7-98 को भी पेशियां हुईं। अब दिनांक 6–8–98 की पेशी नियत है। न्यायालय में श्रीमती चन्द्रावत द्वारा सबूत पेश नहीं किये गये हैं। उक्त इस्तगासा न्यायालय में विचाराधीन है।

दैनिक नवज्योति में दिनांक 23-7-98 को इस सम्बन्ध में प्रकाशित समाचार में चूरू जिले के पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच करने के आदेश उप महानिरीक्षक पुलिस, बीकानेर रेंज को दे दिये गये हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदया, मैंने यह बयान रखा है, इसमे दो स्थितियां मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूं। एक तो, जिस समाचार पत्र के आधार पर यहां यह स्थगन प्रस्ताव आया, उस समाचार की सम्पूर्ण कटिंग भेज दी गयी है बीकानेर रेंज के डी. आई. जी. को सारी परिस्थितियों की जांच के लिए, कि पुलिस अधिकारियों का कितना लिप्त होना पाया गया और कितना नहीं।

उपाध्यक्ष महोदया, दूसरी परिस्थिति इसमें यह है कि इसमें एक इस्तगासा पेश हुआ है और जब इस्तगासा सक्षम न्यायालय में पेश होता है, उसका क्षेत्राधिकार

146

(श्री कैलाश मेघवाल)

होता है, उसके दो तरीके होते हैं–एक तो न्यायालय उस इस्तगासे को 156 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत पुलिस में कार्यवाही लेकर भेज देते हैं। वह प्रक्रिया इसमें नहीं अपनायी गयी। इसमें न्यायालय में प्राइमा फेसाई इस्तगासा स्वीकार करके दफा 202 भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत उसमें गवाहों की तलबी की है और स्वयं ने उसमें कोग्निजेन्स लिया है। यह एक स्थिति है। इसलिए मैं आपके द्वारा वरिष्ठ सहयोगी रामनारायणजी चौधरी जिन्होंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के आधार पर ध्यान आकर्षित किया है, उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि दो जांच तो हो गयीं। आप सारी बहस के बाद यही चाहोगे। यहां पर रिकार्ड मेरे पास है, उसके आधार पर मैं कोई मत व्यक्त नहीं करना चाहता क्योंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है और डी. आई. जी. रेंज भी इसमें जांच कर रहे हैं। यह एक स्थिति है। फिर आप जैसा चाहें वैसा मेरे पास सारे रिकार्ड हैं, जो भी जानकारी आप चाहेंगे मैं आपके सामने रख दूंगा।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदया, माननीय गृह मंत्रीजी ने जो वक्तव्य दिया वह आधा सही है और बाकी जो हिस्सा है उसको गृह मंत्रीजी ने पूरी तरह छिपाया है, उसकी जानकारी नहीं दी गयी। उपाध्यक्ष महोदया, यह गबन का मामला पुलिस कोतवाली के अन्दर मालखाने में हुआ। इसमें चोरी करने वाला होम मिनिस्टर साहब का हवलदार है। चाबी उसके पास थी। वह इनका कोतवाल था, इनकी पुलिस थी। वह तीन लाख समथिंग कितना निकाल ले गया, कब निकाल ले गया, यह इनके पास कोई रिकार्ड नहीं है। मान्यवर, यह चोरी एक दिन में नहीं हुई, धीरे-धीरे हुई है, कभी कितना निकाला और कभी कितना निकाला। ये तथ्य आपके पास होंगे, यहां प्रकट नहीं किये। मैं नहीं चाहता कि आप प्रकट करो। वह आपकी बात है, लेकिन एक साथ वह चोरी नहीं हुई, थोड़ा-थोड़ा करके उसने चोरी की है।

जिस तरह वह चोरी पकड़ी गयी उस तरीके के हालात आपको पता होंगे, लेकिन इस चोरी के मामले दानाराम और उसकी पत्नी, इनके नाम कैसे आये? दानाराम पातुसर गांव का काश्तकार है, आठ साल पहले वह चूरू में गया था। वह और उसकी पत्नी वहां पर रहते हैं, दूध बेचते हैं। दानाराम थाने के नीचे चाय की दुकान चलाता था इस हवलदार से उसकी जान-पहचान थी। हो सकता है कि उससे रुपये का लेन-देन हो, मैं इन्कार नहीं करता। डायरी जो आपने बतायी है, हवलदार की डायरी आपने बरामद की है उपाध्यक्ष महोदया उसमें भी इन्द्राज है, दिये हुए रुपये बताये गये हैं। लेकिन वे कब के हैं? चोरी जिसकी जांच हुई है, एफ. आई. आर. हुई है उससे कितने दिन पहले का इन्द्राज है? वह कितने रुपये का है? यह तो बताया नहीं आपने कि उसकी डायरी में कितने रुपये का इन्द्राज है और वह कब का

(श्री रामनारायण चौधरी)

है, कौनसी तारीख का है और उसमें चन्द्रा देवी का क्या लेना-देना है । चन्द्रा देवी का दानाराम की पत्नी होना कोई जुर्म है ? आपकी पुलिस वहां गयी, मान्यवर, पुलिस ने जाकर उन पर धावा बोला । उसके घर से 6 हजार, 9 हजार रुपये बरामद किये और फिर उसको गिरफ्तार करके ले गये । उसको यातना दी गयी, अमानुषिक उसके साथ व्यवहार किया गया । इस प्रकार की चोटें पहुंचाई गयीं, उपाध्यक्ष महोदया जिनका मैं वर्णन नहीं कर सकता । तो वह सब करने का पुलिस को कोई अधिकार था क्या ? फिर उस चन्द्रा देवी के नाम का प्लाट था । पहले खरीदा हुआ था आपने उसको बिक्री दिखाया थाने में । उसके अंगूठे चिपकवाये । वह थर्ड पार्टी को पुलिस ने बिकवा दिया । थर्ड पार्टी को बिकवाली दिखाकर उससे रुपये लेकर इसके नाम से बरामदगी दिखा दी । यह सब कार्यवाही आपके स्टेटमैंट में कहां है ? आपको पता नहीं बताया है कि नहीं बताया है ।

मान्यवर, उसको तबाह कर दिया गरीब को । अब एक खबर तो यह भी छपी है, उपाध्यक्ष महोदया, कि महिलाओं की कोई जिन्दगी नहीं है इस देश में । अब उसको दिखा दिया कि गबन करने वाला हवलदार, जो एक गढ़वाली है उसका परिवार वहीं रहता है । वह भी बाल बच्चेदार आदमी है, उसकी पत्नी वहीं है । दानाराम की पत्नी चन्द्रा देवी को उसकी प्रेमिका बना दिया । यह सब पुलिस ने बनाया है । प्रेमिका बना दिया और प्रेमिका बनाकर उसमें दिखा दिया कि सारे रुपये इसको दे दिये । अब उसका प्लाट, गरीब ने वहां कमाया था, खरीदा था, क्योंकि उसका पति, चन्द्रा देवी का पति चाय की दुकान करता था । उससे उसकी मित्रता थी । हो सकता है वह शराबी हो । ऐसा इनका हवलदार था और उसका पति भी वैसा ही हो सकता है जैसा आपका हवलदार है, मैं उसकी कोई गारन्टी नहीं देता ।

लेकिन इस चन्द्रा देवी का क्या दोष था, जिसने दूध बेचकर अपना गांव छोड़ा, घर छोड़ा और चूरू में आकर बस गयी ? गाय-भैंस रखती है, दूध बेचती है, उससे अपना गुजारा करके, घर की जमीन बेचकर आयी, वह आखिरी जमीन । अब उसको लेकर उसका प्रेम सम्बन्ध जोड़ दिया । जमीन उसकी बिकवा दी और सब रुपया बरामद करके मालखाने में जमा कर दिया । यह बड़ी ज्यादती है, यह बड़ा अन्याय है ।

मैं गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उसका प्लाट क्यों बिकवाया? वह वापस दीजिये और जो रुपये 15 हजार आपने उसके घर से बरामद किये हैं वह उसको वापस दीजिये ।

श्री किसनाराम नाई (श्रीडूंगरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रकरण कोर्ट के विचाराधीन है और जब कोई भी प्रकरण कोर्ट के विचाराधीन हो तो यह प्रश्न हाउस में आना ही नहीं चाहिए था । दानाराम और उसकी जो रामनारायण जी वकालत कर रहे हैं..

श्री शिवनाथ सिंह : यह आपको पता ही नहीं है ।

श्री किशनाराम नाई : भले ही वकालत करें लेकिन दूध बेचने वाले चूरू में बहुत हैं चाय की दुकान करने वाले भी बहुत हैं लेकिन पुलिस ने इनका नाम लिया है। ये कहते हैं कि मकान बेच दिया, सम्पत्ति बेच दी लेकिन इनके पास क्या प्रमाण है कि वह सम्पत्ति बेचकर चूरू में आयी ?

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें।

श्री जगदीप धनखड़ : यह मंत्री जी डिफेन्ड करेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : इनका इसमें नाम भी नहीं है। मंत्री जी सक्षम हैं इसमें डिफेन्ड करने के लिये उनके पास ज्यादा तथ्य हैं। वह क्या करेंगे।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : बैठो, सुधार करो और मौज करो।

श्री किशनाराम नाई : मैं चूरू जिले का रहने वाला हूं, मुझे पूरी जानकारी है। किस तरीके की वहां बदनामी है उनकी, मैं बताना नहीं चाहता हाउस में।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय गृह मंत्री जी से दो–तीन बातें जानना चाहता हूं। यह आपने विवरण दिया, लम्बा चौड़ा दिया। उस डायरी में किस तारीख को इनको रुपया दिया जाना अंकित है? कितना रुपया दिया जाना अंकित है ? और यह जो प्लाट महिला ने खरीदा है वह किस तारीख को खरीदा है ? उस डायरी में इस महिला के अलावा किन–किन लोगों को और रुपया दिया गया है; कोई अंकित है क्या ? यदि अंकित हैं तो उन लोगों को भी आपने गिरफ्तार किया है क्या ?

आप तो उपाध्यक्ष महोदया, वकील हैं, कानून के ज्ञाता हैं, आज तक मुल्जिम के बयान पर कोई गिरफ्तारी किसी की नहीं होती है। मुलजिम का बयान, वह तो अपने बचाव के लिये कुछ भी करेगा लेकिन फिर भी आपके उस मुलजिम ने किसी का नाम लिया है तो किन-किन लोगों को रुपया दिया ? आपका मुलजिम है वह पुलिस का कर्मचारी है। आपको बताया होगा उसने कि मैंने यह तीन लाख रुपया, चार लाख रुपया जो गबन है सब रुपया तो उसने चन्द्रा देवी को दिया नहीं है, तो किन-किन लोगों को दिया है और उनको आपने गिरफ्तार किया है क्या ? यह गबन की कार्यवाही कब से चली आ रही थी ? किन लोगों के पास लाक-अप की चाबी थी ? डबल लाक, उस डबल लाक में दूसरी चाबी किसके पास थी ? उससे रुपया निकाला है तो कई लोगों की इसमें साजिश है, तो उन लोगों के खिलाफ आपने कोई कार्यवाही नहीं की है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, घृणित काम तो यह है कि उस महिला का 24 तारीख को आपने मुआयना करवाया है। खबर आप झूंठी कहते हो, उस खबर में जो कुछ कहा है वह आपके मेडिकल एक्जामिनेशन जो हुआ है वह कारपोरेट होता है। उसमें महिला की जांघों पर चोट है। माननीय उपाध्यक्ष जी, एक महिला की जांघ पर चोट

(145)

(श्री शिवनाथ सिंह)

पहुंचाना आज के इस सभ्य समाज के लिये कितनी शर्मनाक बात है । फिर आपका मानवाधिकार आयोग है । किसी भी व्यक्ति को चाहे डकैत हो, चाहे चोर हो, उसको भी गिरफ्तार करते ही उसकी सूचना देनी पड़ती है, इमीजिएटली उसका मुआयना कराना पड़ता है । आपने गिरफ्तार तो कब किया और मुआयना कब करवाया ? इस बीच में टाइम निकला । डाक्टरी मुआयना के हिसाब से सात दिन और चौदह दिन का फासला आपने बताया है ।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं जानना चाहता हूं माननीय गृह मंत्री जी से कि मानवाधिकार की जो रोजाना दुहाई आती है, उसके जो निर्देश हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं कि इस प्रकार की कार्यवाही गिरफ्तार करते ही होगी, इसमें कितनी कोताही बरती गयी और उसका कितना पालन किया गया ? पालन नहीं किया गया, मुझे पक्का पता है । तो फिर उन अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने यह घृणित काम किया है, आपने अभी तक कोई कार्यवाही की या नहीं की ?

माननीय उपाध्यक्ष जी, यह जो प्लाट बेचने वाली बात है, उस महिला का दोष इतना ही है कि वह एक बाहर गांव से आकर शहर में बस गयी अपना पेट पालन करती है, बच्चों का पालन करती है और कहीं से भी उसने अपनी मेहनत करके प्लाट खरीद लिया । आपको क्या अधिकार था कि पुलिस थाने के अन्दर उससे उसका डीड लिखवाते हैं, उसकी कार्यवाही करते है ? यही संदेह पूरा पैदा करते हैं कि इस प्रकार की कार्यवाही बिना पुलिस के उच्च अधिकारियों की जानकारी के, उनकी शह के नहीं हो सकती । मैं कोर्ट का मामला नहीं लेता हूं, कोर्ट में जो सबजुडिस है वह इतना ही है कि उसने इस्तगासा किया लेकिन अभी तक कोर्ट ने उस इस्तगासे का काग्नीजेंस नहीं लिया है । प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी हो रही है और प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी के बाद जब चार्ज लगाने की बात होगी तब उसका काग्नीजेंस होगा । बिना चार्ज लगाये काग्नीजेंस नहीं होता है, इसलिये इस आड़ में, माननीय मंत्री महोदय, आप हमको गुमराह नहीं कर सकते कि कोर्ट में मामला है । अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि कोर्ट में मामला है, इनको यह पता ही नहीं है कि कोर्ट में क्या होता है और मामला क्या होता है ।

श्री किशनाराम नाई : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यगण सदन को गुमराह कर रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : इनको बात कहने दीजिये । ये अपनी बात कह दें । विराजें आप, आप बाद में कहना ।

श्री किशनाराम नाई : उस परिवार का यह हाल है कि वह बाहर गांव से आकर शहर में बस गया । हजारों की तादाद में शहर में आकर बसे हैं । दिल्ली पूरी की पूरी है वे बाहर से बसे हुए हैं, जयपुर पूरा का पूरा बाहर से बसा हुआ है और जो भी शहर हैं उसमें हजारों लोग बाहर से आकर बसे हैं लेकिन माननीय सदस्य । सदन को गुमराह कर रहे हैं ।

(150)

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं गुमराह कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं लेकिन आप क्या कर रहे हैं यह तो समझो आप। किस प्रकार की चर्चा में आप भाग लेते हैं, सोच समझ कर लेना चाहिये। नियम का पालन होना चाहिये, उपाध्यक्ष महोदया, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस महिला के साथ अत्याचार हुआ है। डाक्टरी मुआयना जाहिर करता है इसके उन पार्ट्स पर चोट है जो वर्णित नहीं की जा सकती और फिर इस महिला का कोई भी दोष न होते हुए इसकी सम्पत्ति का अपहरण पुलिस ने कर लिया, दूसरे को बेची दिखा दी। इसलिये इस मामले में आप कोर्ट का बहाना न लेकर पूरी कार्यवाही करें और इस महिला के साथ, यदि दोषी पायी जाएगी तो अन्त में सजा होगी लेकिन गिरफ्तारी के वक्त इसके साथ जो अत्याचार हुआ है वह उससे अलग है और उसकी जांच करवाकर उन लोगों को आप सजा दिलवाएँ।

श्री हरिसिंह (महुवा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदया, मंत्री जी ने अपने स्टेटमेंट में जो जानकारी दी है उसमें इस महिला चन्द्रा देवी को अमला प्रसाद की डायरी में 6 हजार रुपये देना बताया और उसके पति दानाराम को सात हजार रुपये देना बताया है। क्या पुलिस के पास इस प्रकार कोई रिकार्ड है जिसमें अमला प्रसाद द्वारा किये गये इस गबन में चन्द्रा देवी या उसके पति का कोई इनड्यूसमेंट है ?

श्री उपाध्यक्ष : यह रिपीटीशन है। हो गया, आपने बोल दिया पहले। विराजें।

श्री हरिसिंह (महुवा) : यह रिपीटीशन नहीं है, आप ध्यान से सुनें....

श्री उपाध्यक्ष : ध्यान से सुना।

श्री हरिसिंह (महुवा) : नहीं, यह रिपीटीशन नहीं है। उनकी कहीं कोई इसमें क्रिमिनल कांस्पिरेसी नहीं है, इसको नहीं बता रहे हैं। जब तक क्रिमिनल कांस्पिरेसी नहीं है तब तक चंद्रा देवी या दानाराम को मुल्जिम नहीं बनाया जा सकता। यह है बात।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये। मंत्रीजी।

श्री हरिसिंह (महुवा) : अभी मैं पूछ रहा हूं....

श्री उपाध्यक्ष : हो गया, पूरी चर्चा हो गयी।

श्री हरिसिंह (महुवा) : चर्चा कहां हो गयी ? मैंने दिया हुआ है....

श्री उपाध्यक्ष : आपको तो सुन लिया न। और कुछ नहीं, खतम, माननीय।

श्री हरिसिंह (महुवा) : प्रश्न दो हैं क्या पुलिस ने ज्यादती की और ज्यादती की तो क्या पुलिस अमानवीय स्तर पर ज्यादती कर गयी ? आपने स्वयं ने यहां पर जो मेडिकल रिपोर्ट पेश की है, मुझे तो शर्म आती है इस सदन मे, जो राजस्थान का सर्वोच्च सदन है उसमें यह उच्चारण करने में शर्म आ रही है कि जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें दोनों जांघों पर चोटें दिखायी हैं...

श्री उपाध्यक्ष : सब रिपीटीशन है, माननीय सदस्य। बात हो गयी है, क्यों सदन का समय ले रहे हैं आप ? यह बात माननीय रामनारायणजी ने कह दी है। या तो आप यह कहना चाहते हैं माननीय रामनारायण जी ठीक नहीं बोल रहे और आप ठीक से बोल रहे हैं। बात तो रिपीट हो गयी।

श्री हरिसिंह (महुवा) : मैं अपनी बात तो बोलूं। इतनी देर में तो मैं अपनी बात समाप्त कर देता। बात रिपीट कहां हुई है ? फैक्ट्स तो वही हैं। फैक्ट्स तो हमको कहने ही पड़ेंगे....

श्री उपाध्यक्ष : तो कितनी बार रिपीट करेंगे ? कितनी बार रिपीट करेंगे ? अब आप प्रश्न करें।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप आसन पर हैं, एक महिला से संबंधित मामला है, और शायद महिलाओं को न्याय आप न दिला पाएं....

श्री उपाध्यक्ष : बिलकुल दिलाएंगे। आप प्रश्न करें। आप प्रश्न करें।

श्री हरिसिंह (महुवा) : तो इस सदन में इन सब मुद्दों को उठाने का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, आसन से अनुरोध कर रहा हूं, विनम्र अनुरोध है कि कृपया +++ । मैं....

श्री भंवरलाल शर्मा (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : नो रिमार्क्स।

श्री हरिसिंह (महुवा) : मेरे को बोलना है।

श्री उपाध्यक्ष : मेरी छतरी पूरे सदन पर है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : क्या किया है मैंने ? मैंने अनुरोध किया है..

श्री भंवरलाल शर्मा (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : नहीं-नहीं, आपने कहा छतरी....

श्री हरिसिंह (महुवा) : मैंने अनुरोध किया है, अनुरोध करने का मेरा हक है।

श्री भंवरलाल शर्मा (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) । नहीं, अनुरोध नहीं किया आपने। यूं कहना हक नहीं।

श्री हरिसिंह (महुवा) : मेरी पूरी बात सुनी नहीं आपने, मैंने अनुरोध किया।

श्री भंवरलाल शर्मा (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : मैं सुनकर ही बोल रहा हूं आपको।

श्री हरिसिंह (महुवा) : मैंने अनुरोध किया है।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

152

श्री उपाध्यक्ष : पर, माननीय सदस्य, शासन की छतरी पूरे सदन के लिये है, आप बाहर क्यों रहते हैं ?

श्री हरिसिंह (महुवा) : पूरे सदन का मैं भी पार्ट हूं। मैं सिर्फ यह अनुरोध कर रहा हूं कि कहीं भी पुलिस का जो कृत्य है उसमें इन्होंने यह कहीं रेलेवेंस नहीं दिखाया है कि जो राशि उन्होंने गबन की उसी से यह प्लाट खरीदा गया है। उनकी तारीखें क्या हैं ? प्लाट पहले कब खरीदा गया ? सवाल इस बात का है, मान लो खरीद भी लिया तो क्या उस प्लाट को जबरदस्ती बिकवाने का कानूनी हक है ?

श्री उपाध्यक्ष : सिर्फ एक सवाल।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदया, माननीय गृह मंत्रीजी से तीन प्रश्न पूछना चाहता हूं। गृह मंत्रीजी, जो आपके डी.आई.जी. जांच कर रहे हैं, जो थाने में प्लाट बिकवाया गया, उस सम्बन्ध में भी जांच की जा रही है ?

दूसरी बात, माननीय गृह मंत्रीजी, क्या आप इस बात की भी जांच बैठाएंगे कि मामला तो दर्ज हुआ भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के तहत, गबन किया हुआ पैसा किसी के भी पास किसी भी परिस्थिति में चला गया हो, क्या वे इस अपराध के अपराधी हैं ?

तीसरी बात, माननीय उपाध्यक्ष महोदया, राजस्थान में महिलाओं पर बढ़ते हुए अत्याचारों को देखते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी कहा कि राज्य में महिला आयोग होना चाहिये, मानव अधिकार आयोग होना चाहिये और ऐसी व्यवस्था कानून में भी है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या सरकार अब वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए राज्य में मानव अधिकार आयोग या महिला आयोग की स्थापना की सोच रही है ?

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदया मैं नहीं चाहता था कि इस बात की यहां पर विस्तृत चर्चा की जाए, लेकिन कुछ सवाल खड़े किये गये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदया, इस महिला और उसके पति; दोनों की एक साथ गिरफ्तारी की गयी थी। महिला की जब गिरफ्तारी की गयी, दो महिला कांस्टेबल वहां मौजूद थीं। 20 तारीख को गिरफ्तारी के बाद इस महिला को चूरू में छुट्टी होने की वजह से रतनगढ़ में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया 21 तारीख को रिमांड लेने के लिये। 21 तारीख को जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तो उस समय पति–पत्नी दोनों ने किसी तरह की मारपीट होने की कोई शिकायत नहीं की।

मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं कि 21 तारीख के बाद रिमांड मिला 24 तारीख को और 24 तारीख को ही इस महिला और उसके पति दोनों को मजिस्ट्रेट

(श्री कैलाश मेघवाल)

के सामने पेश किया गया। उस रोज भी किसी तरह की मारपीट होने की शिकायत नहीं की गयी। रिमांड मिल गया। शुरू से उनको वकील की सेवाएं उपलब्ध थीं। वहां के ख्यातिनाम वकील हैं श्री संनो, वे शुरू से ही रिमांड का अपोज भी करते थे, बेल की एप्लीकेशन भी देते थे। रिमांड मिलने के बाद 24 को उन्होंने अलग से दरख्वास्त लगायी कि महिला के साथ मारपीट हुई है तो उस दरख्वास्त के ऊपर मेडिकल कराया गया। वह मेडिकल रिपोर्ट भी मेरे सामने है। माननीय उपाध्यक्ष महोदया, 24 के बाद 26 को उस महिला और उसके पति को रिमांड के लिये पेश किया गया, अदालत में उस रोज भी इन्होंने अपने साथ मारपीट होने की कोई घटना का वर्णन नहीं किया। 27 तारीख को फिर रिमांड के लिये पेश किया गया जिस रोज मजिस्ट्रेट ने इनको 4 तारीख तक का जुडीशियल रिमांड दिया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदया, जेल में जाने के पहले भी दोनों कैदियों की वहां सारी जामा तलाशी, एक्सटर्नल सारी बाडी का इंस्पेक्शन होता है, उनसे पूछा भी जाता है कि कोई आपके चोट वगैरह है, तो इन्हें जेल में 27 तारीख को भेजा गया तब तक। 27 से 4 तारीख तक ये जेल में रहे हैं जुडीशियल कस्टडी में, किसी तरह की मारपीट की शिकायत नहीं की। इसके बाद 4 तारीख को ये जमानत पर आयी 5 तारीख की प्रातः तक और 6 तारीख को इस्तगासा पेश कर दिया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदया, जो मेडिकल हुआ है उस मेडिकल में दो होल्ड अब्रेजन्स, कोई ज्यादा बड़ी चोटें नहीं, होल्ड अब्रेजन्स दो और 7 से 24 तारीख का मेडिकल हुआ, 14 दिन पुराने वे बताये गये हैं। अब इसकी गिरफ्तारी हुई है 20 तारीख को, 24 तारीख को मेडिकल हुआ और 17 तारीख से पहले की ये चोटें–दो होल्ड सिम्पल अब्रेजन्स बताये गये हैं। यह इनके मेडिकल रिकार्ड पर है। महिला को वकील की सेवाएं शुरू से उपलब्ध थीं, अगर मेडिकल रिपोर्ट गलत बनी होती तो मेडिकल बोर्ड से करायी जा सकती थी। जेल में जाने के बाद इसकी मेडिकल रिपोर्ट करायी जा सकती थी और ऐसी स्थिति में सही स्थिति सामने आती। मैं इसलिये निवेदन कर रहा हूं कि मारपीट कितनी हुई है, आप देखो। टू होल्ड अब्रेजन्स।

मुस्तगीस, यह भी मैं निवेदन कर दूं, दूध बेचते हैं, कोतवाली के नीचे ही ये रहते थे। नीचे रहने के बाद ही कोतवाली में भी चाय, पानी की सारी व्यवस्था यही करते थे और इसीलिये इनकी अमला प्रसाद से घनिष्टता बढ़ी थी। मैं यह निवेदन इसलिये करना चाह रहा हूं, आप देखिये कि दो चोटें सिम्पल अब्रेजन्स होल्ड, उसके मुकाबले यह कि दिनांक 15–6–98 को मुस्तगीस कस्बा चूरू अपने घर पर थी। "मेरे पति किसी काम से बाहर गये हुए थे।" इस दिन सुबह करीब 7.00 बजे तीन-चार व्यक्ति पुलिस वर्दी में मुस्तगीसा के घर पर आए, जिसमें एक मोहनलाल, सी. आई. कोतवाली, व एक हिदायक था और

(154)

(श्री कैलाश मेघवाल)

साथ में थे। ये लोग जबरन मुस्तगीसा के घर पर घुसे और मुस्तगीसा के मुंह पर कपड़ा डालकर, जबरन उठाकर जीप में पटक कर कहीं अज्ञात स्थान पर ले गये। वहां पर ले जाकर मुस्तगीसा को मार-पीट की। मार-पीट के बाद मुस्तगीसा को उसी जीप में कोतवाली चक्र में ले गये। वहां पर एक कमरे में मुल्जिम नम्बर एक व दो, एस. पी. और डिप्टी एस. पी. मतलब एस. पी. स्तर के आदमी को इसमें लिप्त किया गया है कि वे भी वहां थे। दोनों मुल्जिमान ने मुस्तगीसा को देखते ही मुंह पर 4-5 थप्पड़ मारे। फिर मुल्जिम नम्बर एक ने कहा कि .... गालियां हैं, अब मैं वह पढ़ना नहीं चाहता। रिकार्ड पर आएगी, अच्छा नहीं है। मारपीट का मैं कह रहा हूं। मुस्तगीस को सरेआम बेइज्जती करते हुए गुप्तांगों आदि पर गंभीर चोटें पहुंचायीं....

श्री रामनारायण चौधरी : यहां का रिकार्ड पेश तो बाहर होगा नहीं।

श्री कैलाश मेघवाल : रिकार्ड पर आएगा अच्छा नहीं है, रामनारायण चौधरी जी। मैंने प्राइमाफेसी यह इस्तगासा देखा है और प्राइमाफेसी इस्तगासा अगर आप पढ़ लो, जो तथ्य हैं उसके बाद आप स्वयं यह मान जाओगे कि यह इस्तगासा बढ़ा-चढ़ाकर अतिरंजित पुलिस कर्मियों को दबाने के लिये और वकील की सेवाओं से पेश किया गया है। मैं इस बारे में इसलिए कमिटमेंट नहीं करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदया, कि बार बार मजिस्ट्रेट पेशी दे चुका है और फिर भी वह कोई गवाह पेश नहीं कर सकी।

इसमें एक यह भी पूछा गया है डायरी जो मिली है। वह डायरी 20 तारीख को अमला प्रसाद ने दफा 27 में सूचना दी कि मेरे घर पर इसमें से रकम पड़ी है और यह रकम डबल लाक में नहीं रहती थी। यह रकम जुआ में पकड़ी गयी थी जो मालखाने में इसी मालखाने के इंचार्ज के पास रहती थी जो अमला प्रसाद है। इसमें डबल लाक नहीं था। यह जो मालखाना होता है....

श्री किशन मोटवानी : डबल लाक था।

श्री कैलाश मेघवाल : डबल लाक है तो पता लगा लेंगे, वह भी कोई इनवाल्व है तो, लेकिन मेरी सूचना यह है।

मैंने निवेदन किया कि यह एक डायरी जब मिली, उस डायरी के बाद लगातार इसमें जिस तरह के आंकड़े दिये गये कि इस तारीख को यह दिया गया, इस तारीख को यह दिया गया, और इसके बाद जांच में जो सामान आया है, जहां पर जो पैसा दिया गया है उन सबसे भी जानकारी की जा रही है। वह गबन का केस है, अलग से अलग तफतीश की जा रही है। मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कहना चाहता हूं कि लगातार इसमें मारपीट-मारपीट, गंभीर चोटें, मारपीट बतायी, अगर इतनी मारपीट होती तो मेरा ऐसा ख्याल है कि 20 तारीख को एट दी फर्स्ट इन्स्टान्स मेडिकल

(श्री कैलाश मेघवाल)

के लिये कहा जाता। वकील की सेवाएं उपलब्ध थीं। माननीय जगदीप जी धनखड़ ने जो एक-दो सवाल पूछे हैं।

मैं एक बात निवेदन करूंगा, महिलाएं आदर की पात्र हैं, रही भी हैं लेकिन यह तो नहीं कहा जा सकता कि महिलाएं अपराधी नहीं होतीं और यह भी नहीं कहा जा सकता कि महिलाएं आपस में लड़ती नहीं हैं और यह भी नहीं कहा जा सकता कि महिलाएं गंभीर अपराध नहीं करतीं सवेरे ही आपने उठाया था जिसमें महिलाओं ने महिलाओं को ठोका है। उठाया था आपने मामला ? तो मैं यह कहना चाहता हूं कि कोई महिला होने से ही अगर कोई रियायत चाहे तो वह तो स्थिति नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह मुद्दे सारे, डी. आई. जी. को मैंने पर्सनली कहा है कि....

श्री रामनारायण चौधरी : यह चंदा देवी मालखाने को लूटकर लाई है क्या ?

श्री कैलाश मेघवाल : मालखाने को चंदा देवी लूट कर नहीं लाई। अमला प्रसाद ने वहां से पैसा ले जा-ले जा कर दानाराम और चंदावती देवी को दिया है। ये प्रमाण आ गये हैं। वह जो अलग से एक केस चल रहा है इसलिए तीन स्थितियां बनती हैं। वे तीन स्थितियां जो बनती हैं उनमें एक तो डी.आई.जी. जांच कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तो पहले ही कह दिया है लेकिन ये ज्यादतियां अगर पुलिस के द्वारा हुई हैं तो सारे मुद्दे जो कुछ बाकी रह गये हैं उनको भी आज शाम को मैं निर्देशित करा दूंगा कि डी.आई.जी. अपनी जांच को पुख्ता करें। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक डी.आई.जी. की जांच अलग चल रही है, एक 402 का केस अलग से तफ्तीश के अन्तर्गत है जिसमें अमला प्रसाद अभी भी जेल में है और उसकी डायरी से सारी बातें सामने आयी। और एक अदालत में इस्तगासा है। यह एक स्थिति है, मैं आपके माध्यम से सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं....

श्री शिवनाथ सिंह : .... आपने कहा था, क्या पुलिस का यह दायित्व नहीं था कि गिरफ्तार करते ही उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए था ?

श्री कैलाश मेघवाल : पुलिस का दायित्व नहीं है, वह मांग करे तो है।

श्री शिवनाथ सिंह : नहीं, नहीं, ऐसा थोड़े ही ना है।

श्री कैलाश मेघवाल : मजिस्ट्रेट के सामने तो....

श्री शिवनाथ सिंह : यह पुलिस का दायित्व है।

श्री जगदीप धनखड़ : आपने उसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किया तो आपने अरेस्ट मीमो बनाया। क्या उस अरेस्ट मीमो में....

श्री कैलाश मेघवाल : अरेस्ट मीमो में एक भी चोट नहीं है, एक भी विजिबल चोट नहीं है।

श्री शिवनाथ सिंह : गिरफ्तार करते वक्त उसका मेडिकल मुग्रायना होना चाहिए था।

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, यहां बार-बार महिलाओं का नाम लेकर उनको अपमानित करने का महिलाओं के बारे में एक वातावरण तैयार करने का प्रयास किया गया, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि दो साधारण-सी चोटें एक इधर और एक इधर है। ये 17 से 14 तारीख के बीच की हैं।

श्री किशन मोटवानी : उपाध्यक्ष महोदया, एक सवाल का जवाब। आपने कहा कि जब गिरफ्तार किया तो एक भी चोट नहीं थी।

श्री कैलाश मेघवाल : पुलिस के गिरफ्तारी मीमो में नहीं है।

श्री किशन मोटवानी : सुनिये, सुनिये। नहीं हैं, हम मानते हैं आपकी बात को। उसके बाद थ्रू आउट कस्टडी में रही है, कस्टडी में फिर ये चोटें कहां से आयीं ?

श्री कैलाश मेघवाल : ये दो चोटें 17 तारीख से पहले के अब्रेजन्स हैं, हील्ड अब्रेजन्स...

श्री किशन मोटवानी : पहले होती तो आपके अरेस्ट मीमो में होती ?

श्री कैलाश मेघवाल : यह जांच का विषय है कि कहां से आयी। यह जांच का विषय है इस पर जांच होगी। उसमें मैं बचाना नहीं चाहता। आपके सामने जो भी मेडिकल रिपोर्ट ...वह मेडिकल रिपोर्ट ....(व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : आपने 24 को मुग्रायना करवाया है और मुग्रायने में 7 दिन पहले की चोट बतायी गयी है। वह इससे पहले की नहीं हो सकती है।

श्री कैलाश मेघवाल : ....रखी है। हां, तो ये चोटें जांच का विषय है कि कब आयीं, कैसे आयीं। यह जांच का विषय है। हो जाएगी। डी.आई.जी. के यहां है....

श्री शिवनाथ सिंह : मैं आपसे कह रहा हूं ना कि आपने मेडिकल मुग्रायने में 7 दिन की चोटों को बताया है 15-16 को गिरफ्तार किया है और 24 को मुग्रायना करवाया है।

श्री कैलाश मेघवाल :.... (व्यवधान) लेकिन केवल पुलिस पर ही डालना... (व्यवधान) हो गयी है कि हर चीज के लिए पुलिस पर डालना। इस मंच को कई बार अपराधियों को बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है, यह भी गलत है। पुलिस को जितना आप डॉक में खड़ा करना चाहेंगे, एस.पी. पर आरोप कि, कोई भी एस.पी. आज की परिस्थितियों में ....(व्यवधान)

157

श्री रामनारायण चौधरी : ... और उनके इशारे पर ही सब मारपीट हुई है। उनके इशारे पर..

श्री कैलाश मेघवाल : मारपीट में आज एस.पी. हो सकता है, कल्पना ही नहीं की जा सकती है। आज जबकि वीमेन कमीशन अलग काम कर रहा है, ह्यूमन राइट्स कमीशन अलग काम कर रहा है, सारे राजस्थान में और सारे देश में ह्यूमन राइट्स के बारे में और वीमेन्स के प्रोटेक्शंस के बारे में जिस तरह की एजेंसियां काम कर रही हैं उसमें एस.पी. स्तर का अधिकारी मारपीट में सम्मिलित होगा, यह कल्पना भी नहीं की जा सकती है। लेकिन फिर भी तीनों प्रकरण अलग-अलग अपनी स्थिति में जांच में चल रहे हैं। डी. आई.जी. को मैं निर्देश दे दूंगा। यह उसकी ड्यूटी है कि चोट कहां से आयी। जो आपने मुद्दे उठाए हैं वे भी मुद्दे दे दिये जाएंगे। 402 का केस जिसमें डायरी है, उस डायरी के सारे उपकरण आप बताओ कब-कब दिये थे, मैं आपको दे दूंगा। यह जो जमीन खरीदने का झगड़ा है यह 20 के पहले का किस तरह का है, यह भी आदेश दे दिये जाएंगे, यह भी वह जांच करके बताएं।

श्री रामनारायण चौधरी : तो उसकी तो जमीन भी वहीं बिकवा देते गांव के अंदर।

श्री जगदीप धनखड़ : वह जमीन बिकवाई, उसको जांच अलग से करवाएं।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदया, वह जमीन आप तो कह रहे हैं कि पुलिस ने बिकवाई, ऐसे मौकों पर जब जरूरत पड़ती है तो अपने आप भी जमीन बेची जाती है।

श्री जगदीप धनखड़ : आप जांच करवा लो इसकी। आप निर्णय क्यों करते हो इसका, आप इसकी जांच करवा लो।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं निर्णय नहीं कर रहा हूं। यह जांच का विषय है कि यह जमीन किस तरह तो खरीदी गयी है और किस तरह बेची गयी। यह डी.आई. जी. के जांच का विषय है और जांच के आधार पर ही इस पर कहा जा सकेगा। मुझे यही निवेदन करना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भंवरलाल शर्मा, प्रभारी मंत्री जयपुर विकास प्राधिकरण विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित किये जाने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे।

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन

जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1998

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदया, मैं जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की गयी।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदया, मैं जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भंवरलाल शर्मा, प्रभारी मंत्री राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे।

राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1998

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदया, मैं राजस्थान नगर सुधार(संशोधन) विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करने की...

श्री किशन मोटवानी : न्यास और ?

श्री उपाध्यक्ष : ..मेरे इतना ही लिखा हुआ है। मगर यह नहीं छपा है तो ठीक कर देंगे। न्यास नहीं लिखा है।

प्रश्न यह है कि राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की गयी। प्रभारी मंत्री, विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे। श्री भंवरलाल जी शर्मा।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदया मैं राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करता हूं।

व्यवस्था का प्रश्न

विधेयक के पुरःस्थापन के दो दिन बाद ही उस पर विचार की अनुमति

श्री उपाध्यक्ष : श्री अनंग कुमार जैन प्रभारी मंत्री द्वारा स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे।

श्री शिवनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदया, यह विधेयक जो हाउस में पुरःस्थापित किया जाएगा उसके लिए एक सीमा है

(श्री शिवनाथ सिंह)

और मैम्बर्स को यह सर्कुलेट होना चाहिए था। यह सर्कुलेट नहीं हुआ है। इसी वक्त अभी एक मिनट पहले हमारे सामने आया है, यह नियमों का उल्लंघन है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी से नियमों का पालन करवाएं और समय रहते हुए आज इसको हम सर्कुलेशन मान लेते हैं तो इसको कल या परसों कर सकते हैं, आज इसको नहीं कर सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदया, किताब आपके पास जारी है, उसमें यह अधिकार है कि आप रूल को वेव कर सकते हैं, मानते हैं लेकिन रूल को वेव कब किया जाता है ? रूल को वेव तब किया जाता है जबकि उसकी आवश्यकता हो। इस सोते हुए मंत्रिमंडल के लिए रूल वेव करना आवश्यक नहीं है। आज ये जो बिल पेश करना चाहते हैं इसकी कोई अर्जेन्सी नहीं है। बार-बार यहां पूछा गया है कि क्या आप कोई नया कर लगाना चाहते हैं, चुंगी के बदले में कोई विधेयक आया था और यह कहा गया कि उस चुंगी की दर को रिप्लेस करने के लिए हम कोई कर नहीं लगाएंगे। अब जो आप पेश कर रहे हैं, यह उसी का रिप्लेसमेंट है। कहीं शहर में कोई प्रवेश करेगा या स्टेट में प्रवेश करेगा, उस पर आप टैक्स लगाएंगे। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल को वेव मत कीजिए, इतना रिलेक्सेसन इनको मत करने दीजिए और जो नियम हैं उनके हिसाब से इस कानून को चलने दीजिए। आज ये इसको इन्ट्रोड्यूस नहीं कर सकते।

श्री उपाध्यक्ष : भविष्य में ध्यान रखेंगे इसका।

श्री शिवनाथ सिंह : नहीं, नहीं, यह नहीं है, सदन के अन्दर....

श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) : पाइंट आफ आर्डर, रूल 59 एण्ड रूल 66, गम्भीर बात है। रूल 59 को देख लीजिए, मैं रूल 59 को कोट करना चाहूंगा, बहुत स्पष्ट है इस विषय के अन्दर, रूल 59 का यह पार्ट :-

The period of notice of a motion for leave to introduce a Bill under this rule shall be fifteen days unless the Speaker allows the motion to be made at shorter notice.

उपाध्यक्ष महोदया, इसके साथ-साथ रूल 66 भी बना हुआ है, उसमें स्पष्ट रूप से दिया हुआ है,..that no such motion shall be made untill after copies of the Bill have been made available for the use of Members and that any Member may object to any such motion being made unless copies of the Bill have been so made available for two days before the day on which the motion is made and such odjection shall prevail unless the Speaker allows the motion to be made.

उपाध्यक्ष महोदया, यह कोई छोटा-

(श्री लक्ष्मण सिंह रावत)

मोटा अमेंडमेंट नहीं है, यह एक ऐसा विषय है, जिसके लिए पूरा राजस्थान उद्वेलित था, यह एक ऐसा विषय है जिसके लिए व्यापारियों ने काफी आंदोलन किया था और यह एक ऐसा विषय है जिसके लिए यह सरकार पिछले 25 दिनों से कोई निर्णय नहीं ले पाई। यह सरकार जल्दबाजी में कोई निर्णय लेती है, यह बाई पास करना चाहती है जनता को, जन प्रतिनिधियों को यह डार्क मे रखना चाहती है तो, उपाध्यक्ष महोदया, हम जनता के प्रतिनिधि होने के नाते इस बात को कदापि सहन नहीं करेंगे। आप राजस्थान की जनता के ऊपर टैक्सेशन करना चाहते हैं और हमको यह मोका नहीं देना चाहते हैं कि हम इसका अध्ययन करें। आपने अभी पांच मिनट पहले दिया, उन माननीय सदस्यों का क्या होगा जो आज यहां जयपुर में नहीं हैं या किसी करण से अपने घर पर हैं? उनको आप रात में सर्कुलेट करेंगे, तभी कल वे अपने अमेंडमेंट दे सकेंगे। ये यह कह रहे हैं कि इसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए कल का हमें समय दे दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदया, कृपया नियमों का उल्लंघन नहीं होने दें। यह सरकार नियमों की कभी पालना नहीं करती है, यह नियमों की अवहेलना करने की आदी हो गई है। अगर वह सदन को और आपको भी, माननीय उपाध्यक्ष महोदया, बाई पास करना चाहती है तो इससे बढ़कर सदन की अवमानना नहीं होगी। इसलिए मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि इसको जल्दबाजी में पेश नहीं करें। आप 3–3, 4–4 बिल कल पास करना चाहते हैं और हमें अध्ययन के लिए समय नहीं देना चाहते हैं इसलिए मैं इसको स्ट्रोंगली आब्जेक्ट करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : पुरः स्थापित कर रहे हैं अभी तो।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के इन्ट्रोडक्शन के समय ऐतराज यह है और मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसमें जो भी व्यवस्था देंगी, वह छपेगी और आने वाली पीढ़ियां भी उसको पढ़ेंगी, निश्चित रूप से पढ़ेंगी। मेरा आपसे निवेदन है कि रूल 59 और रूल 66 को बाई पास करने के लिए आपसे जो इजाजत चाह रहे हैं, इतने वेग में चाह रहे है उसका कोई औचित्य आपने नहीं बताया है अभी तक। वरना कोई औचित्य हो सकता है? अब यह करेगी सरकार-आज इस बिल को पेश कर रही है, इन्ट्रोड्यूस कर रही है, कल इसको पास कराएगी। कल सुबह विचारार्थ लेगी जैसा कि आज इन्होंने स्टाम्प बिल पेश किया था, जो विचारार्थ लिया जा रहा है, हमको अमेंडमेंट पेश करने का मोका नहीं मिला ऐसा किया है। आज तक मैं समझता हूं कि राजस्थान के इतिहास में ऐसा हुआ नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ हो तो अपने सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, अपने मध्य बैठे हुए हैं, आप निकाल लें। एक दिन मे ही सब कार्यवाही हो जाएगी, यहसम्भव नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हू कि दो दिन पहले --कब देंगे अमेंडमेंट इस पर ?

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : हम यहां बैठे बोलते भी रहें, सुनते भी रहें और साथ ही साथ इसको पढ़ते भी रहें ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (वल्लभनगर): यह जो बिल पेश किया है, इतनी धाराएं, इसको पढ़ने का समय तो दो मेहरबानी करके, इसको पढ़ तो लें हम कम से कम। आप इतना कुठाराघात करना चाहते हैं ग्रामीण जनता के साथ और नगर की जनता के साथ, इसको पढ़ने का मौका तो दें।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदया, कृपया लोकतांत्रिक बनिए, प्रजातांत्रिक बनिए।

श्री उपाध्यक्ष : सुनिए आप। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : आप जनता के ऊपर इसको थोपना चाहते हैं, हम इसमें पार्टी नहीं बनेंगे, हम इसमें पार्टी नहीं बनेंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनिए तो सही, आप बिराजिए तो सही।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : नहीं, हम कब अध्ययन करेंगे ? (व्यवधान)।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : राजस्थान की गरीब जनता को लूटना चाहते हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली): यह सरकार चाहती है लूटना।

श्री उपाध्यक्ष : सुनिए, बिराजिए। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : वाहवाही लूटना चाहती है।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष : सुनिए तो सही, आपने औचित्य का सवाल उठाया है, सुनिए तो सही। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : किसको सुनें ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह आपका ही तो सवाल है।

श्री रतनलाल ताम्बी : राजस्थान की ग्रामीण जनता इसका भार वहन नहीं कर सकती। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : राजस्थान की जनता पर करोड़ों रुपए का भार लगाना चाहते हैं, हम इसके अंदर पार्टी नहीं बनेंगे।

श्री रतनलाल ताम्बी : पंचायती राज संस्थाओं पर भी लागू कर दिया, ग्रामीण क्षेत्रों पर भी लागू कर दिया।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप सदन को गुमराह करते रहे। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : एक ही दिन के अन्दर विचार होगा।

162

श्री रतनलाल ताम्बी : आज सुबह अखबार में आया था कि कोई टैक्स नहीं लगा रहे हैं, सारा सरकार वहन करेगी और आज ही आपने मार डाल दिया।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : यह बिलकुल गलत है। (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : यह राजस्थान की जनता के साथ धोखा है, राजस्थान की जनता के साथ धोखा नहीं होने देंगे।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : इसमें अमेंडमेंट कब तक दे सकेंगे ? (व्यवधान)। अमेंडमेंट देने का मौका नहीं देना चाहते, अध्ययन करने नहीं देना चाहते, यह काला कानून है। (व्यवधान)

(15.45 बजे)

(श्री समर्थलाल मीणा, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, यह काला कानून है।

श्री रतनलाल ताम्बी : यह राजस्थान की पांच करोड़ जनता को प्रभावित करने वाला काला कानून है।

श्री अध्यक्ष : कृपया विराजें। माननीय सदस्य व्यवस्था बनाए रखें। श्री पूनमचन्द जी कुछ फरमा रहे हैं, आप सुनें। अच्छा, आपका है क्या ? आप फरमाएं, श्री हरिसिंहजी। माननीय पूनमचन्द जी, विराजिये।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : I am quoting practice and procedure of parliament by Mr. Kaul and Shakder, Fourth edition at page 108. इसमें दिया हुआ है।

"As amendments are circulated to Members both in English and Hindi languages, the Rules Committee decided that the Members might be requested to table notices of amendments at least two days before the Bill was to be taken up in the House. Accordingly a few days before the commencement of each session Members are requested through Bulletin to table each notice at least two days before the Bill is introduced in the House."

अब देखिए कि यह जो आया है....

श्री अध्यक्ष : पूरा पढ़ा है न ?

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : मैं पूरा पढ़ दूंगा, शुरू से आखिर तक पढ़ने की आज्ञा दी है, बहुत अच्छी कृपा की है।

"Notice of an amendment to a Bill like any other notice is required to be given in writing addressed to the Secretary General, duly signed by the Member giving notice and handed in at the Parliamentary Notice Office between the notified hours. It is open to Members to give notice

Page No.146

(163)

(श्री हरिसिंह)

of amendments to a Bill as soon as it is introduced without waiting for inclusion of the next motion in regard to that Bill in the List of Business.

Period of Notice :

Notice of an amendment is required to be given at least one day before the day on which the Bill is to be considered in Lok Sabha Any member may object to the moving of an amendment of which the requisite notice has not been given and such objection prevails unless the Speaker allows the amendment to be moved. In the case of Bills taken up for consideration at short notice, the period of notice ot amendments has been waived by the Speaker.

As amendments are circulated to Members both in English and Hindi languages simultaneously, the Rules Committee decided that members might be requested to table notices of amendments at least two days before the day the Bill was to be taken up in the House.'

हमको इस पर अमैंडमैंट पेश करने के लिए दो दिन का टाइम तो देंगे ? ये कल इस पर आएंगे हाउस के अन्दर, कब हमको टाइम मिलेगा इसको पेश करने का ? मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इतनी जल्दी क्या हो रही है पेश करने की ? दो दिन पहले आपको इसको सर्कुलेट करना चाहिए। चार तारीख तक चला रहे हैं, चलाइए आराम से। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि बहुत जल्दी में है और जैसा मैंने आपको कहा, आपकी व्यवस्था छपेगी, आने वाले सदस्य इसको पढ़ेंगे। श्रीमान्, पोलिटिक्स के स्कोलर्स जो इस पर रिसर्च करते हैं कि किस हाउस में क्या-क्या व्यवस्थाएं दी गई हैं, किस जल्दी से सरकार ने काम कराया है और आपने उस सरकार के लिए किस प्रकार से निर्देश दिया, वह भी सब लोग देखेंगे, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमारे लिए कोई टाइम दें पढ़ने के लिए।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलोदी) : अध्यक्ष महोदय, मेरा नम्र निवेदन है, ठीक है, हर काल में आप नियम सस्पेंड करके किसी कार्य को कर सकते हैं। यह कानून बना रहे हैं और इसमें नए टैक्स प्रस्तावित किए जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि 90 प्रतिशत माननीय सदस्यों को इस वक्त यह मालूम नहीं है कि कौनसा टैक्स प्रस्तावित किया है, फिर हम क्या चीज पास कर रहे हैं ? दुनिया क्या सोचेगी ? यह सब वर-बेटिम रिकार्डिंग, जैसा इन्होंने कहा होगा, हम किस तरह से काम कर रहे हैं और किस तरह से हम कानूनों को पास करते

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

हैं जबकि लैजिस्लेटिव असेम्बली है। श्री महावीर जी, चीफ व्हिप साहब बता दें कौन-कौनसा टैक्स प्रस्तावित किया है, बोल दीजिए आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : कोई टैक्स प्रस्तावित नहीं किया।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : बिल क्या है, यही बता दो।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री): मैं बता रहा हूं।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : आपको नहीं कह रहा हूं। महावीर जी, बता दो कि यह बिल किसके बारे में है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय पूर्व अध्यक्ष महोदय, यह बिल प्रवेश शुल्क लगाया जा सके उसके लिए सरकार अधिकार लेना चाहती है। कोई टैक्स प्रस्तावित नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उनको ...

श्री अमराराम (धोद) : इससे बड़ा प्रस्ताव और क्या होगा ? (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : कौन-कौनसे गुड्स व्हीकल मेंशन हैं, बताएं ? क्या कैटेगरी होगी ? (व्यवधान) I tell you don't know a.b.c. of this Bill.

श्री राजेन्द्र पारीक : कल सरकार ने घोषणा की थी कि कोई भी कर नहीं लगेगा।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपको कोई प्रिएम्बल मालूम नहीं है, कोई बेसिक नालेज नहीं है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, आपने इसी आसन पर बैठकर यह व्यवस्था दी है। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो कह रहे हैं किसानों को फायदा दे रहे हैं और एक तरफ किसानों को लूट रहे हैं और जबर्दस्ती टाइम खराब कर रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : जो बिल लिया जाता है...(व्यवधान) बिजनस एडवाइजरी कमेटी में यह बिल तय किया था कि ये बिल पुरःस्थापित किए जाएंगे। ये बिल प्रस्तुत भी किए जाएंगे और पारित भी किये जाएंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक अमैंडमैंट देने का सवाल है यह सरकार कोई गलत बात नहीं कर रही है। न तो माननीय सदस्यों को बोलने का वो है, न मतदान करने में कोई रूकावट है, न इसका विरोध करने में रूकावट है। क्लॉज बाई क्लॉज... (व्यवधान)

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : आप मर्यादाओं का हनन कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : वो क्या है ?

श्री राधेश्याम गंगानगर : सचेतक महोदय, वो क्या है ? बोल क्या रहे हो आप?

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, 10 बजे तक अमेण्डमैंट दे सकते हैं। (व्यवधान) यह तो पुर:स्थापित करने की स्टेज है।

श्री राधेश्याम गंगानगर : महावीर जी, आपको मालूम नहीं हैं, आप मेरी तरह हैं। बैठ जाओ।

श्री अध्यक्ष : कृपया सुनें, माननीय सदस्य। कृपया बैठे-बैठे बात न करें। (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भामड़ा : अध्यक्ष महोदय, यदि कोई सीरियस पाइन्ट ऑफ आर्डर रेज हुआ है तो बजाय 10 आदमी खड़े होने के हमको भी बोलने का मौका दिया जाए। एक-एक बोलें। यह कौनसा तरीका है कि हमारी ओर से खड़े होते हैं तो उधर से 10 आदमी खड़े होते हैं। यह कोई तरीका है ? यह कोई पहला टाइम है ?

यह इस विधान सभा में पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा हमेशा होता रहा है। जैसा बताया गया सबको इंटिमेशन है, बिजनस एडवाइजरी कमेटी में तय किया गया है, अमेण्डमैंट पेश करने का समय दिया गया है। और एक एक्ट तो बिलकुल चार लाइन का ही है, उस चार लाइन मे इनको कितने दिन चाहिए ? बिना पूरी बात को समझे सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, यह प्रजातंत्र की हत्या हो रही है। क्या प्रजातन्त्र की हत्या हो रही है ? यह प्रोसिजर पार्लियामैंट में भी है। अभी यह नहीं होता तो आपको यह अधिकार नहीं मिलता कि आप ठीक समझें। हमने आप की परमिशन से किया है। आपने परमिशन दी है, 307 में आपको अधिकार है, उस अधिकार का आपने प्रयोग किया है। हमने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। कोई टैक्स हम लगा नहीं रहे हैं, टैक्स लगाने के पावर्स ले रहे है, जो हमको लगाना जरूरी है, क्योंकि कल इसकी घोषणा की गई थी। 382 करोड़ रुपये का हमारे ऊपर अधिभार है, हमें उसको मीट करना है। आपके कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था, आप बताएं कि कैसे पूरा करेंगे। तो मैंने कहा था कि हम पूरा करने के लिए बिल ला रहे हैं। यह बिल लाने की सूचना (व्यवधान) प्लीज हियर मी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : वित्त राज्य मंत्री जी ने कहा, किसी प्रकार का कर नहीं लगाया जाएगा। (व्यवधान) किसी प्रकार का कर नहीं लगेगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बीच में नहीं। यह परम्परा ठीक नहीं है। कृपया बिराजें। आप पूरी बात तो सुनें। (व्यवधान) नियमों की मजाक नहीं उड़ने दूंगा। आप पूरी बात सुनें, माननीय सदस्य। (व्यवधान) माननीय श्री शांतिलाल जी धारीवाल। (व्यवधान) माननीय सदस्य, सुनिए आप पहले। (व्यवधान) कृपया आप सुनिए, जोशी जी। (व्यवधान) आप धैर्य

(श्री अध्यक्ष)

रखिए । (व्यवधान) माननीय सदस्य श्री धारीवाल जी, सुनिए आप ।

श्री हरिसिंह (महुवा) : Who are you to dictate the Aasan ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आप हमारी डिबेट सुनिए । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया, माननीय सदस्य । Who are you to know ? कृपया शालीनता का व्यवहार करें, माननीय सदस्य (व्यवधान) आप भी बिराजें, माननीय सदस्य । कृपया, माननीय पारीक साहब ।

श्री राजेन्द्र पारीक : अध्यक्ष महोदय, इनसे कहो कि सैक्रेटेरियट को बेचकर चुंगी का विकल्प निकालिए । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय पारीक साहब, आप अपना और सदन के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखो ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इनका तीन किलो वजन कम हो चुका है । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : कल तो यह सरकार कह रही थी हम कोइ विकल्प नहीं लगाएंगे आज इनको क्या फांसी लग गई ? (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : यह + + + कानून बनाने वाली यह संस्था कानून की पालना नहीं करती है तो राजस्थान की जनता के सामने क्या मैसेज जाएगा ?

श्री राजेन्द्र पारीक : हम जन-प्रतिनिधि हैं, हम जनता के हितों की रक्षा के लिए यहां आते हैं । (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : दो दिन में क्या फर्क पड़ता है ? क्यों भागना चाहती है सरकार ? (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : हम सफिशिएंट टाइम लेकर रहेंगे । जितना भी टाइम मिलना चाहिए वह लेंगे । हमारी रिक्वेस्ट है अध्यक्ष महोदय, आप थॉट के लिए सफिशिएंट और रीजनेबल टाइम दें ।

श्री अध्यक्ष : बिराजें ।

श्री राजेन्द्र पारीक : + + + नहीं दिया जाता ।

श्री अध्यक्ष : यह असैसमैंट करना पड़ेगा कि + + + कौन है । कृपया बिराजें, माननीय ।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : आप पहले की रूलिंग भी देख लीजिए । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है, सुन तो लो । बीच–बीच में सुन तो लो । थोड़ी व्यवस्था बनाये रखिए ।

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

(167)

(श्री अध्यक्ष)

(व्यवधान) श्री धनखड़ साहब। (व्यवधान) माननीय सदस्य, मैंने धनखड़ साहब को पुकारा है और पता नहीं आप कहां से ? (व्यवधान) बिराजें।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की इस सर्वोच्च सदन का सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक उत्तरदायित्व कानून निर्माण का है। जो कानून बनाया जाता है जब तक वह कानून इस सदन की इजाजत से वापस नहीं लिया जाता that holds the Floor. कानून निर्माण में सबसे ज्यादा संजीदगी होनी चाहिए, इसमें किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं की जा सकती।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब यह बिल सर्कुलेट हुआ तो मैंने इसका सरसरी तौर पर अध्ययन किया और कोई भी इस बात के अंदर विवाद नहीं कर सकता कि यह बहुत महत्वपूर्ण बिल है, हर दृष्टि से महत्वपूर्ण बिल है। कानून की दृष्टि से, राजनैतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के बिल को यदि इस तरह रश-थ्रू किया जाएगा, जिसमें सदस्यों का कोई योगदान भी नहीं हो पाएगा, हम इसका अध्ययन नहीं कर पाएंगे, हम इसमें अपना योगदान नहीं कर पायेंगे तो, मान्यवर, हमारा जो सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है उसका हम सही निर्वहन नहीं कर पाएंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, परिस्थितियां आ सकती हैं कि आप इस प्रकार के कदम उठाएं, आदेश दें परन्तु वर्तमान में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। राजस्थान की जनता के सामने क्या मैसेज गया है ? इसी सरकार के राज्य मंत्री ने कल वहां खड़े होकर कहा था हम इस प्रकार का कोई कदम नहीं उठाएंगे। मान्यवर, कल भी कहा था और आज भी कहा है। आपसे चन्दनमलजी बैद ने पूछा तो स्पष्ट तौर पर कहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं कि पूरे राजस्थान की जनता को आपने एक मैसेज दिया है कि हमने चुंगी खतम की और यह कहा है कि हम किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाएंगे। अब वह आप करना चाहते हैं अगर आप कानून कर सकते हैं तो अवश्य कीजिए, किसी प्रकार की कोई रोक-टोक नहीं है, परन्तु यदि आप हमारा + + + हमें अभिव्यक्ति के अधिकार से वंचित रखकर--हम जो योगदान कर सकते हैं, जो हमारा उत्तरदायित्व है, अध्यक्ष महोदय, यदि इस बिल में कल बहुत-सी खामियां आईं, यदि उनका अध्ययन किया गया तो पता चलेगा कि राजस्थान विधान सभा ने इस बिल को आनन फानन में कुछ ही समय में पारित कर दिया, जहां अधिकांश सदस्यों को इस चीज की भी जानकारी नहीं है।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री जगदीप धनखड़)

मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है यह बहुत गम्भीर विषय है। इसमें किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हमें पूरा समय मिलना चाहिए ताकि हम हमारा योगदान कर सकें। And there should be no relaxation. कोई ऐसा जस्टिफिकेशन नहीं है कि रिलेक्सेशन करें।

(16.00 बजे)

श्री शिवनाथ सिंह : अध्यक्षजी, माननीय उप मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि दो पेज का बिल है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह 36 पेज का है....

श्री हरिशंकर भामड़ा : मैंने मोटर व्हीकल बिल का कहा है। मैंने एक बिल का नाम लिया है, दूसरे का नाम ही नहीं लिया। (व्यवधान) आज हर बात को तोड़-मरोड़कर क्यों कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : दूसरा इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं न आप? नहीं कर रहे हो न आप दूसरा इंट्रोड्यूस? (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भामड़ा : दूसरे का मैंने नाम ही नहीं लिया। आप पूरी बात तो सुनें। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : 36 पेज वाला इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हो न?

श्री हरिशंकर भामड़ा : अध्यक्ष महोदय, यदि इस पर ही डिबेट करानी है, आप डिबेट कराना चाहते हैं तो हमारे लोग भी बोलने वाले हैं उनको भी आप सुनिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : दोनों में ही चुंगी का विकल्प है। (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भामड़ा : अभी इकतरफा चल रहा है और 4-4 खड़े होकर बोल रहे हैं तो क्या जवाब दें? फिर अभी आपके सामने मैंने कहा है ...(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : राजस्थान को मिसगाइड किया है। उप मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान को मिसगाइड किया है, इस हाउस को मिसगाइड किया है।

श्री हरिशंकर भामड़ा : मैंने दूसरे बिल का नाम नहीं लिया। (व्यवधान) तथ्यों को तोड़-मरोड़कर .... (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : कल कहा था कि कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं किया जाएगा और आज इन दो काले कानूनों के माध्यम से यह विकल्प कर रहे हैं। ये राजस्थान को मिसगाइड करना चाहते हैं (व्यवधान) हम इसमें पार्टी नहीं बनेंगे। (व्यवधान) आप विकल्प पेश कर रहे हैं और कल कहा था कि विकल्प पेश नहीं करेंगे। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : अध्यक्षजी, मैं निवेदन कर रहा था कि यह 36 पेज का बिल है, हमको पढ़ने का, देखने का मौका नहीं मिला है और न मिलेगा। (व्यवधान) अध्यक्षजी, आपको सब अधिकार हैं, रूल्स

Page No.152

(169)

(श्री शिवनाथ सिंह)

को आप रिलैक्स कर सकते हैं, ऐसी इमरजेंसी हो तो। अभी हमारे पास समय है, 3 और 4 तारीख का तो पहले से असैम्बली की सिटिंग का शिड्यूल है और उसके बाद में भी हम इसको एक्सटैण्ड कर सकते हैं। इस बिल को आप इसी सेशन में हमसे पास करवाएं तो हमे एतराज नहीं है। लेकिन कम से कम माननीय सदस्य जो यहां आये हैं और जिनका यह कर्तव्य है, हम जाकर क्या कहेंगे लोगों को कि कानून बना लिया, क्या कानून बनाया तो हम कहेंगे कि कुछ नहीं बनाया। इसलिए आपसे यह निवेदन है कि इस कार्य में रिलैक्स मत कीजिये और हमको समय दीजिये, 3 और 4 तारीख हमारे सामने है। हम जल्दी में आप चाहो तो सब बिल पास करा देंगे लेकिन पढ़ने का समय हमको दीजिये और इस मामले में आप रिलैक्स नहीं कीजिये रूल्स में, यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। माननीय संसदीय कार्य मंत्री।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : एक मिनट मैं अर्ज कर दूं। अध्यक्ष महोदय, रिलैक्स करने का सदन को अधिकार है, यह नियम है। लेकिन जो मूलभूत चीज है जैसे किसी बिल का पारण करना, उसमें संशोधन देना, वह भी उसका हिस्सा है। उस नियम को कैसे सस्पैण्ड कर सकते हैं, यह मेरी समझ में नहीं आया। टेक्नीकली कोई चीज आती हो हाउस की प्रोसीडिंग में तो उस हद तक तो कर सकते हैं लेकिन संशोधन देने का अधिकार तो मूल अधिकार है विधायी कार्य में।

श्री अध्यक्ष : अभी पुरःस्थापित ही तो कर रहे हैं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : इसमें सस्पैण्ड करो तो पास वाला ही सस्पैण्ड कर दो कि पास हो या ना में करना पड़ेगा, वह रूल सस्पैण्ड कर दो, यहीं पास हो जाएगा। सस्पैंशन की भी तो कोई सीमा होगी, मेरे कहने का आशय यह है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (संसदीय कार्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो बिल है, इसमें जो रूल का रिलैक्सेशन हुआ है वह इतना ही हुआ है कि आज सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन है, पुरःस्थापित हो रहा है। इस पर आज विचारार्थ या पारित की स्टेज नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आप देखेंगे तो आपने जो अभी अनुपूरक कार्य सूची वितरित की है उसमें आपने रिलैक्स करके लिखा है कि माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार इस विधेयक पर माननीय सदस्य अपने संशोधन कल प्रातः 10 बजे तक दे सकते हैं। तो माननीय सदस्यों को संशोधन देने का टाइम है उसको भी कम करके आपने सभी माननीय सदस्यों को अपने संशोधन देने का समय दे दिया है। अपने सदन की परम्परा भी रही है, अधिकांश अपन देखते हैं, कि इंट्रोडक्शन की स्टेज पर हम कभी भी बिल का विरोध नहीं करते। इस प्रकार के निर्णय माननीय

Page No.153

(170)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

पूनमचन्द जी ने भी किये हैं और इस प्रकार की इस सदन की लगातार परम्परा भी रही है । इसलिए इंट्रोडक्शन की स्टेज पर इसका विरोध नहीं किया जाना चाहिए ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा कि इस सदन ने कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन भी पास किया और कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन में यह सारी बात आयी हुई है । इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जो रूल को रिलैक्स करके इसको इंट्रोडक्शन के लिए छूट दी है वह नियमानुसार है और बाकी सारे आब्जेक्शन्स इस पर बहस का लम्बा समय तय है, 3 घंटे हो सकती है, 4 घंटे हो सकती है, पांच घंटे हो सकती है ..

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन तो 4 तारीख तक है, आप कल ही क्यों करवाना चाहते हैं ? कल ही करवाने की क्या आवश्यकता है ? 3 और 4 तारीख को क्यों नहीं करवाना चाहते ? (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पास नहीं हो रहा है । बात सुन लीजिये । शांतिकुमार जी, बात सुनिये । (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत :....आप एश्योर कर दीजिये कि तीन तारीख को आप टेक-अप कर रहे हैं, कल पारित नहीं करेंगे, हम मान जाएंगे । (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप 3 और 4 तारीख को करवाइये इसे ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप मेरी बात तो सुनिये । Let me complete.

श्री अध्यक्ष : मैं यह निवेदन करूं कि कल कौनसी कार्य सूची बनेगी, इसका अधिकार तो मुझे है न । वह अधिकार मेरे पास है, क्या बात हुई ? (व्यवधान)

श्री किशन मोटवानी : 10 बजे तक संशोधन देंगे । कल 10 बजे तक संशोधन देने का आपने रिलैक्स कर दिया । (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अपनी सुविधा के लिए किया है । (व्यवधान)

श्री किशन मोटवानी : आप यह कल शाम तक के लिए कर दीजिये । (व्यवधान) हमें कोई एतराज नहीं है, कल शाम तक करा दीजिये । (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इसके पीछे मंशा यह है कि कल का कल बिल पास करवा लिया जाए । (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : 10 बजे तक आप संशोधन मांग रहे हैं इसका मतलब कल आपड़-धापड़ में पास करना चाहते हैं । (व्यवधान) जो सदस्य इस वक्त हाउस में नहीं हैं, बाहर गये हुए हैं उनको सर्कुलेट कब होगा ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पूरा करने दें, लक्ष्मणसिंह जी । (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : पास करवाना चाहते हैं.. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : रामस्वरूप जी, यह मेरे और आपके समक्ष का विषय नहीं है, आप बिराजें। कृपया बिराजें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर तो इसलिए विवाद नहीं हो सकता कि आपकी अनुमति से अनुपूरक कार्य सूची जारी हो गयी और इसको पुर:स्थापित करने के लिए आपने अनुमति दे दी। पुर:स्थापित करने की स्थिति में अपन कभी भी बिल का विरोध नहीं करते, इसलिए जो सारी बाकी बातें हैं कि यह बिल कैसा है कैसा नहीं है, वे अभी नहीं हो सकतीं।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी जिस समय एप्रोप्रिएशन बिल पर बहस हो रही थी या वित्त विधेयक पर बहस हो रही थी, उसमें कहा था कि 300 कितने करोड़ रुपये का मामला है, इसकी आप क्या व्यवस्था करोगे। तो पहली बात तो यह है कि यह बिल चुंगी का अल्टरनेटिव नहीं है, चुंगी का विकल्प नहीं है, यह सरकार को संसाधन जुटाने का है। लागू करने का भी नहीं है, लागू सरकार 4 महीने नहीं करे, 6 महीने नहीं करे, इसमें कोई पाबन्दी नहीं है। यह सिर्फ एक अधिकार है। (व्यवधान)

श्री किशन मटोवानी : यह तलवार है। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : यही इनहैरेंट अधिकार है, आपके पास यही एक इनहैरेंट अधिकार है। you want inherent powers.

श्री घनश्याम तिवाड़ी : तलवार नहीं है, सरकार सदन के सामने लेना चाहती है। 4 तारीख के बाद में भी सरकार चाहे तो आर्डिनेंस का अधिकार सरकार के पास है, इसलिए तलवार का सवाल नहीं है....

श्री किशन मोटवानी : हमारे हाथ से नहीं देंगे। हमारे हाथ से आपको तलवार नहीं देंगे। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह आर्डिनेंस की धमकी किसे दी जा रही है ?

श्री किशन मोटवानी : आर्डिनेंस से लाइये न आप, कौन मना करता है ? (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : इस हाथ से चुंगी का दिया और इस हाथ से ले रहे हो। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : आर्डिनेंस से लाइये, क्या दिक्कत है ? (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सरकार अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक है और जागरूकता का प्रमाण है कि वह सदन के सामने यह बिल ला रही है। सदन से अधिकार लेना चाहती है इसलिए ला रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : ....इतनी मांग हो रही है उसकी..(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : पैट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ाते अध्यादेश के जरिये। सदन को बाई-पास करके नहीं करना चाहते, हम सब सदन के सामने लाकर करना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : ..आपने चुंगी हटाकर वाहवाही लूट ली और अब टैक्स का ... इम्पोजीशन करना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सुनें। अध्यक्ष महोदय, आपत्तियां जो उठायी गयी हैं वे निरस्त करने योग्य हैं और सदन की परम्परा के अनुसार पुरःस्थापित करते समय विरोध नहीं किया जाना चाहिए, यह मेरा निवेदन है।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : मैं एक निवेदन कर रहा हूं। आप कह रहे हैं कि टैक्स लगाने का अधिकार ले रहे है, टैक्स नहीं लगा रहे हैं। एक मिनट, मैं यह पढ़ रहा हूं, आप सुन लीजिए। "Levy of tax : There shall be levy collected and paid to the State Government, a tax on entry of any goods brought into a local area" टैक्स तो आप लगा रहे हो। इससे पीछे मत हटो, टैक्स तो आप लगा रहे हैं। और लगाइये, हमें उसका एतराज नहीं है। हम केवल यह चाहते हैं कि आखिर हमें अमैंडमैंट पेश करने के लिए आप कल शाम तक का मौका दीजिये, परसों ले लेना आप। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : इसकी पूरी फ़िजियोलाजी वही है जो चुंगी लागू करने की है। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : सरकार को प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए, सदाशयता बरतनी चाहिए। कानून बनाने जा रहे हैं... (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : यह देखिये, For consumption, use.. (interruption)

श्री राजेन्द्र पारीक : ...यह इतना बड़ा कानून..(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह चुंगी का बिलकुल दूसरा अल्टरनेटिव मोड्स है केवल एक एबोलिशन ऑफ द हैड है। (व्यवधान) अदरवाइज वह का वह है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : यह कोई छोटा-मोटा कानून नहीं है। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : आप यहां पर बुलाकर करने के लिए (व्यवधान) ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप... (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : For the levy and collection of tax. ....(interruption)

श्री श्रवण कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, फुटवियर और चप्पलों पर टैक्स कम किया गया है उससे 10 लाख रुपये लिये हैं इन लोगों ने। (व्यवधान) चन्दे के (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजें। विराज जाएं, माननीय सदस्य। (व्यवधान) माननीय सदस्य, विराजें। मेरी तो सुनिये। श्रवण कुमार जी, विराजिये। (व्यवधान) यह आपसे सम्बन्धित मामला नहीं है, विराजें आप (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अध्यक्ष महोदय, एक बात और मैं कहना चाहता हूं। अभी यह हो गया कि माननीय चन्दनमल जी बैद ने पूछा और कल मुझे भी पूछा, चन्दनमल जी को भी यही जवाब दिया गया कि इस सदन में हम कोई कर प्रस्ताव नहीं ला रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : कर प्रस्ताव नहीं ला रहे हैं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : नये कर लगाने का कोई प्रस्ताव हम सदन में नहीं ला रहे हैं, इन विधेयकों के माध्यम से भी। इस विधेयक में हम कोई कर प्रस्ताव नहीं ला रहे हैं। यह आप्शनल है। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : अधिकार ले रहे हैं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अब आप सुन ही नहीं रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : पूरा सुनिये।

श्री भीमराज भाटी : आपकी सरकार की लाइफ ही तीन महीने है, फिर आप पावर लेकर क्या करना चाहते हैं ? क्या बात है ? (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि आपको अपना निर्णय बिना हमारी डिबेट के जिस तरह से वो बोल रहे हैं वैसे ही देना पड़ेगा।

श्री किशन मोटवानी : वो कौन हैं ? कौन होते हैं ? (व्यवधान) यह क्या शब्दावली का उपयोग कर रहे हैं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : प्रतिपक्ष जिस तरह से विहेव कर रहा है, डिबेट करने में इंटरेस्टेड नहीं है, आप अपनी रूलिंग दीजिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया विराज जाएं। (व्यवधान) आप विराज जाएं, आपको कई बार सुन लिया। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय अध्यक्ष महोदय, (व्यवधान) नहीं खड़े हो सकते.... (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी :... यह कोई भी सरकार इस प्रकार का अधिकार लेती है तो (व्यवधान)

श्री किशन मोटवानी : ...यह सरकार टैक्स लगाती ही लगाती। (व्यवधान)

(174)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप टैक्स की लेवी के लिए इन्हैरेंट पावर रखना चाहते हो..(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इस पर आप यह कहना कि यह अधिकार हम ले रहे हैं, कुछ भी कर नहीं लगाएंगे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : अध्यक्ष महोदय, यह 3–4 तारीख को भी लिया जा सकता था। आज ही ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी? (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : ... की बीमारी कहां तक पहुंचा दी आपने। (व्यवधान) इसको पंचायती राज में भी क्यों नहीं लागू कर दिया? (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, जब टैक्स नहीं लगाना है तो अधिकार लेने की कहां जरूरत पड़ गई? (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, यह जेल भेजने का प्रावधान है...(व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : ... इसलिए आज तक कोई भी सरकार ने...(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : ...विचारार्थ और पारण के लिए अगर 30 तारीख की रात तक...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : ...सफिशियंट और प्रापर टाइम दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने आपको काफी गम्भीरता से सुना है। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : .... आपको पूर्ण अधिकार है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री राधेश्याम जी, आसन पैरों पर है। यह जो नाम है, बीच-बीच में पुकारता हूं आपको। माननीय राधेश्याम जी, मैंने आपको काफी गम्भीरता से सुना है, अब आप भी मुझे उसी गम्भीरता के आधार पर सुनें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : गम्भीरता है। अध्यक्ष महोदय, आप इनको कहें कि ये 3 तारीख को लेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये।

श्री किशन मोटवानी : आप किसलिए मांग रहे हो? आप आसन से मांग करो।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये। (व्यवधान) बिराजिये।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : नई परम्परा नहीं पड़ जाए, हम यह आपसे निवेदन कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : हम आपको हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि ऐसी परम्परा नहीं डालो। हम प्रार्थना कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बिराजें।

(श्री अध्यक्ष)

व्यवस्था

विधेयक पर विचार सम्बन्धी आपत्ति पुरःस्थापन के समय नहीं उठायी जा सकती

कृपया। श्री हरिसिंह जी (कुम्हेर) ने एक व्यवस्था का सवाल उठाया राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर विधेयक, 1998 के बारे में। यह पुरःस्थापन की स्टेज है। इन्होंने जो व्यवस्था का सवाल उठाया है उसके पक्ष में ना पक्ष के सदस्यों ने, माननीय पूनम चन्द जी विश्नोई ने, लक्ष्मण सिंह जी ने अपनी बात कही और सत्ता पक्ष की ओर से उप मुख्य मंत्री महोदय ने इसके विरोध में कहा, जो कुछ उन्होंने उठाया उसके बारे में कहा, विश्लेषण किया और संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी कहा, आदरणीय सत्ता पक्ष के मुख्य सचेतक जी ने भी कहा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह पुरःस्थापन की स्टेज है, इसलिए जो इन्होंने आपत्ति उठाई है, उसे मैं निरस्त करता हूं। (व्यवधान) कृपया।

श्री किशन मोटवानी : Sufficient time should be given

श्री अध्यक्ष : कृपया विराजें, विराजें। प्रभारी मंत्री महोदय। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : पूर्ण रूप से कलम ही गलत है, माननीय अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : हम इसके खिलाफ हैं। (व्यवधान)

श्री किशन मोटवानी : At the time of amendments.... (interruption)

श्री अध्यक्ष : कृपया सुनें, विराजें। इस तरह से व्यवस्था नहीं चल सकती हाउस की, इस तरह से हाउस नहीं चल सकता। (व्यवधान)

यह मैं प्रतिपक्ष के उप नेता महोदय से निवेदन करूंगा कि इस तरह से हाउस चलाना शोभा नहीं देता, अच्छा नहीं लगता। एक ही एक माननीय सदस्य, एक ही बात पर 10-10 खड़े हो जाएं, तो इस तरह से न आपकी बात सुनी जा सकती है न उसका उत्तर दिया जा सकता है न हाउस व्यवस्थित रूप से चल सकता है। मंत्री महोदय, पुरःस्थापित करें। (व्यवधान)

विधायी कार्य: विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर विधेयक, 1998

श्री अनंग कुमार जैन (राज्य मंत्री, वित्त) : अध्यक्ष महोदय आपकी अनुमति से राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ? जो पक्ष में हो, हां कहें।

अनेक माननीय सदस्य : हां।

श्री अध्यक्ष : जो विपक्ष में हों, ना कहें।

अनेक माननीय सदस्य : ना। (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : We want division. (व्यवधान) No, No.

श्री जगदीप धनखड़ : डिवीजन। संख्या देख लो अध्यक्ष जी, ना पक्ष जीता। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : We want division. (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : We want division. (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्षजी, ना पक्ष जीता। आपकी फैकल्टी बहुत बढ़िया आर्डर में है, उसके बारे में किसी को कोई शिकायत नहीं है।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : We want division.

श्री शांतिकुमार धारीवाल : We want division. (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : आप खुद ही महसूस कर रहे हैं कि ना पक्ष जीता है, हां पक्ष स्पष्ट हारा है। संख्या बल पर भी हार रहे हैं, आप देख लो उधर भी। इधर ज्यादा संख्या है और आवाज भी ज्यादा बुलंद है। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत :...इधर ज्यादा संख्या है। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : राजस्थान की जनता को जेल भेजने का (व्यवधान) रास्ता है इस बिल में, जेल के... (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : माननीय अध्यक्ष जी, आपको मालूम नहीं है शायद इस बात का। आपने एक बात कही जो आपको मालूम नहीं है। सच्चाई को नकारें मत। यह पांच करोड़ जनता के साथ अन्याय हो रहा है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : +++ (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : .... इस अन्याय को अगर आप बर्दाश्त करते हो तो यह बहुत बड़ा अन्याय है।

श्री शिवनाथ सिंह : अध्यक्षजी, डिवीजन करा दीजिये, हम डिवीजन मांग रहे हैं। (व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

Page No.160

(177)

श्री श्रवण कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, पांच करोड़ जनता के साथ अन्याय हो रहा है और अन्याय को अगर आप बर्दाश्त करते हैं तो अन्याय है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये । प्रश्न यह है कि राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ? जो पक्ष में हों, हां कहें।

अनेक माननीय सदस्य : हां।

श्री अध्यक्ष : जो विपक्ष में हों, ना कहें।

अनेक माननीय सदस्य : ना।(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : We want division. (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : We want division. घंटी बजाइये। (व्यवधान) We want division. घंटी बजाइये। (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : We want division.

श्री शिवनाथ सिंह : Division.

श्री शांतिकुमार धारीवाल : We want division.

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : डिवीजन, घंटी बजाइये । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : डिवीजन कराइये। घंटी बजाइये।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्षजी, डिवीजन कराइये। (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : Division, we want division.

एक माननीय सदस्य : जनता के सामने जाएगा तो कम से कम।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। प्रश्न यह है कि राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर विधेयक, 1998 को पुरः स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा वेल में धरना एवं नारे)

अनेक माननीय सदस्य : Noes have it. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें ।

अनेक माननीय सदस्य : We want divisian.

श्री जगदीप धनखड़ : राजस्थान की जनता को जेल की हवा खिलाना चाहते हैं

(श्री जगदीप धनखड़)

आनन फानन में, अध्यक्षजी, राजनैतिक +++ अपनाया है। (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, हमने डिवीजन मांगा है और हमारा हक है डिवीजन मांगने का। यह सरकार ने कहा था कि हम कोई कर प्रस्ताव नहीं करेंगे (व्यवधान) हमारा हक है कि हम डिवीजन मांगें और हमको डिवीजन मिले।

श्री अध्यक्ष : कृपया आप अपने अपने स्थान पर पधारें।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अध्यक्ष महोदय, डिवीजन कराइये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें। कृपया अपने-अपने स्थान पर पधारें। बैठते-उठते बोलें नहीं। (व्यवधान)

प्रश्न यह है कि राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय अध्यक्ष महोदय यहां पर विरोध प्रदर्शित करने आये हैं और किसलिए आते हैं?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए? जो पक्ष में हों, हां कहें।

अनेक माननीय सदस्य : हां।

श्री अध्यक्ष : जो विपक्ष में हों, ना कहें।

अनेक माननीय सदस्य : No, We want division.

श्री खेतसिंह राठौड़ : Noes have it.

श्री राजेन्द्र पारीक : उन सब लोगों को बुला लिया, अब डिवीजन दिया। आपने, माननीय अध्यक्ष महोदय, उन सब को बुला लिया, तब डिवीजन हुआ। बुला लिया सब को। आधा घंटा पहले...

श्री अध्यक्ष : डिवीजन करायें। हां पक्ष हां लॉबी में, ना पक्ष ना लॉबी में.. (व्यवधान) एक मिनट, बैठिये आप।

(मत विभाजन घंटी)

एक माननीय सदस्य : ये घंटी बंद होने के बाद आई हैं।

श्री अध्यक्ष : एक बार फिर निवेदन कर रहा हूं, आप सुनें। (व्यवधान) श्री जोशीजी, कृपया सुनें।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : ये बंद होने के बाद आई हैं।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(179)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर विधेयक, 1998 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

जो पक्ष में हों, हां कहें ।

अनेक माननीय सदस्य : हां ।

श्री अध्यक्ष : जो विपक्ष में हों, ना कहें ।

अनेक माननीय सदस्य : No (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : Division.

श्री अध्यक्ष : ना पक्ष ना लॉबी में जाएं, हां पक्ष हां लॉबी में जाएं ।

(मत विभाजन)

मत विभाजन का परिणाम-ना पक्ष 42, हां पक्ष 74.

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गयी ।

राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर विधेयक, 1998

मत विभाजन सूची

हां पक्ष

1. श्री अनंग कुमार जैन
2. श्री अमरचन्द मिड्ढा
3. श्री अर्जुनदास मदान
4. श्री अर्जुनसिंह
5. श्री अगमराज मेहता
6. श्रीमती उजला अरोड़ा
7. श्री ओमप्रकाश शर्मा
8. श्री कन्हैया लाल पाटीदार
9. श्री कन्हैया लाल मीणा
10. श्री कमल
11. श्री कालूलाल गुर्जर
12. श्री किशन गोपाल कोगटा
13. श्री किशनाराम नाई
14. श्री कैलाश मेघवाल
15. श्री खंगार सिंह चौधरी
16. श्री गंगाराम चौधरी
17. श्री गुलाबचन्द कटारिया
18. श्री गुलाब सिंह (जैसलमेर)
19. श्री गोपीराम जाट
20. श्री घनश्याम तिवाड़ी
21. श्री चुन्नी लाल धाकड़
22. श्री रामरिछपाल नुवाल
23. श्री जगन्नाथ
24. श्री जीतराम
25. श्री जोगेश्वर गर्ग
26. श्री टीकमचन्द कान्त
27. श्रीमती तारा भण्डारी
28. श्री देवीसिंह भाटी
29. श्री नन्दलाल मीणा
30. श्री नन्दलाल व्यास
31. श्री नाथू सिंह

(श्री अध्यक्ष)

32. श्री पूंजा लाल
33. श्री प्रताप सिंह सिंघवी
34. श्री प्रभूराम गरासिया
35. श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी
36. श्री बनवारी लाल मिण्डा
37. श्री बाबू लाल वर्मा
38. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल)
39. श्री भंवर सिंह डांगावास
40. श्री भीमराज मीणा (भासपुर)
41. श्री मदन दिलावर
42. श्री महावीर प्रसाद जैन
43. श्री मांगीलाल मेघवाल
44. श्रीमती मीना अग्रवाल
45. श्री मोती लाल
46. श्री मोहन मेघवाल
47. श्री राकेश मेघवाल
48. श्री राजेन्द्र गहलोत
49. श्री राजेन्द्र राठौड़
50. श्री रामनारायण डूडी
51. श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़)
52. श्री रामप्रताप कासनियां
53. श्री रामेश्वर लाल भाटी
54 श्री रिछपाल सिंह
55. श्री रोहिताश्व
56. श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी
57. श्री विजय सिंह
58. श्री विजयेन्द्रपाल सिंह
59. श्री शम्भूदयाल बड़गूजर
60. श्री शांतिलाल खोईवाल (राजसमंद)
61. श्री शिवदान सिंह चौहान
62. श्री मूलसिंह शेखावत
63. श्री श्रीकिशन सोनगरा
64. श्री सांवर लाल
65. श्री सुजान सिंह यादव
66. श्री सुन्दर लाल
67. श्री सुरेन्द्र गोयल
68. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास
69. श्री भवानी जोशी
70. श्री हरिनारायण
71. श्री हरिशंकर भाभड़ा
72. श्री रामनारायण किसान
73. श्री हरिसिंह सोढ़ा (शिव)
74. श्रीमती मनोरमा सिंह

ना पक्ष

1. श्री अमराराम (धोद)
2. श्री आर.पी.शर्मा
3. श्री किशन मोटवानी
4. श्री कुबेर सिंह
5. श्री खेतसिंह राठौड़
6. श्री गुलाब सिंह शक्तावत
7. श्री गोविन्द सिंह गुर्जर
8. श्री चन्दन मल बैद
9. श्री जगतार सिंह
10. श्री जगदीप धनखड़

(श्री अध्यक्ष)

11. श्री जितेन्द्र नीनामा
12. डा. जितेन्द्र सिंह
13. श्री दयाराम परमार
14. श्री नाथूराम अहारी
15. श्री परसादी लाल मीणा
16. श्री पूनम चन्द बिश्नोई
17. श्री बनवारी लाल शर्मा
18. श्री भरत सिंह
19. श्री भीखा भाई
20. श्री भीमराज भाटी
21. श्री भीमसेन चौधरी
22. श्री मोहनलाल बारवाल
23. श्री मोहनलाल मोदी
24. श्री रतनलाल ताम्बी
25. श्री राजेन्द्र चौधरी
26. श्री राजेन्द्र पारीक
27. श्री राधेश्याम
28. श्री रामकिशन वर्मा
29. श्री रामनारायण चौधरी
30. श्री रामस्वरूप मीणा
31. श्री रेवतराम पंवार
32. श्री लक्ष्मण सिंह रावत
33. श्री शंकरलाल अहारी
34. श्रीमती शशीदत्ता
35. श्री शांतिकुमार धारीवाल
36. श्री शिवनाथ सिंह
37. श्री शैलेन्द्र जोशी
38. श्री श्रवण कुमार
39. श्री हबीबुर्रहमान
40. श्री हरजीराम बुरड़क
41. श्री हरिसिंह (कुम्हेर)
42. श्री हरिसिंह (महुवा)

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे ।

श्री अनंग कुमार जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करता हूं ।

विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान मोटरयान कराधान संशोधन विधेयक, 1998

श्री अध्यक्ष : श्री अनंग कुमार जैन, प्रभारी मंत्री राजस्थान मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करेंगे ।

श्री अनंग कुमार जैन : अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से राजस्थान मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की

(श्री अध्यक्ष)

अनुमति प्रदान की गई । प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे ।

श्री अनंग कुमार जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करता हूं ।

विधेयक पर विचार

राजस्थान स्टाम्प विधेयक, 1998

श्री अध्यक्ष : श्री हरिशंकर भाभड़ा, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान स्टाम्प विधेयक, 1998 को विचारार्थ लिया जाए ।

श्री अनंग कुमार जैन (राज्य मंत्री, वित्त) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान स्टाम्प विधेयक, 1998 को विचारार्थ लिया जाए ।

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) : अध्यक्ष महोदय, इसमें जो हमको पत्र वितरित किया गया है उसमें लिखा है कि दो बड़े-बड़े विधेयकों पर संशोधन कल सुबह 10 बजे तक दे सकेंगे । अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि ये विधेयक अचानक हमारे सामने आये, उनको हम यहां से जाने के बाद अध्ययन करेंगे तो हम 10 बजे तक कैसे इन पर संशोधन दे सकेंगे ? इस वास्ते कल शाम तक का समय बढ़ाइए, मान्यवर ।

श्री अध्यक्ष : मेरे ख्याल से 20-25 पेज होंगे, ज्यादा नहीं हैं ।

श्री चन्दनमल बैद : इसमें 40 खण्ड हैं। महत्वपूर्ण बिल है, 40 खण्ड हैं इसमें ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, इसको पढ़कर माइंड एप्लाइ करना पड़ेगा हमको । यह विदाउट अप्लाइंग माइंड का काम नहीं है ।

श्री चन्दनमल बैद : इतने महत्वपूर्ण बिल पेश किये हैं, अचानक पेश किये हैं । डेढ़ बजे कहा कि हम कोई कर प्रस्ताव लाएंगे नहीं, साढ़े तीन और चार बजे कर प्रस्ताव ले आये और अब हमको यह कहा जा रहा है कि कल सुबह 10 बजे तक आप अपने संशोधन दे दीजिए ।

श्री अध्यक्ष : आपको 40-45 वर्ष का अनुभव है, आपको ज्यादा देर नहीं लगेगी, दिक्कत नहीं आएगी।

श्री जगदीप धनखड़ : आपको तो है पर हमको नहीं है ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, आप प्रापर और सफीशिएंट टाइम दीजिए और कल शाम तक का दीजिए संशोधन पेश करने के लिये । इसको बहुत हायली फायली नहीं करना चाहिये ।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष जी, थोड़ी नरमी बरतिए इसमें ।

(183)

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंह (कुम्हेर)। श्री शिवनाथ सिंह। श्री रामनारायण चौधरी, सदस्य, विधान सभा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री सुरेन्द्र गोयल (सरकारी उप मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आजकी कार्य सूची समाप्त हो तब तक सदन का समय बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष : सदन की सहमति से समय बढ़ाया गया।

विधेयक पर विचार

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान स्टाम्प विधेयक, 1998 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।

पहला नाम मेरा ही है।

श्री अध्यक्ष : हरिसिंह जी का है।

श्री शिवनाथ सिंह : देख लो आप, मेरा ही है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जिस किसी को भी आज्ञा दोगे वह बोल लेगा। जिसको आप आज्ञा दोगे वह बोल लेगा। किस को आज्ञा दे रहे हैं आप ?

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : माननीय अध्यक्षजी सरकार ने राजस्थान स्टाम्प का वर्तमान में जो एक्ट चल रहा है राजस्थान स्टाम्प एडाप्टेशन एक्ट, उसका निरसन करते हुए एक नया स्टाम्प एक्ट लागू किया है, मैंने इस संबंध में अपना प्रस्ताव यह रखा है कि इसको जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाए। जनमत जानने के लिये उन विधेयकों को परिचालित किया जाता है जिनका सीधा संबंध जनता से होता है, जिन विधेयकों से जनता पर टैक्स का भार पड़ता है, जिन विधेयकों से जनता की जो टैक्सिंग कैपेसिटी है उसमें सरकार एन्क्रोचमैंट करती है या उस पर एडिशन करती है, उस आब्लीगेशन को बढ़ाती है।

इस प्रकार के जो विधेयक हैं वे जनमत जानने के लिये परिचालित किये जाते हैं। इस विधेयक के संबंध में तो मैं आपको क्या निवेदन करूं, इसमें तो सरकार ने इस कदर जल्दबाजी की है, बेतहाशा जल्दबाजी की है। उस जल्दबाजी के कारण हम लोग भी अपने अमेंडमैंट्स दे नहीं सके। दिये भी हैं, श्रीमान्, आपके सामने हैं, उन पर मैं बाद में निवेदन करूंगा। लेकिन इस समय जो आपका राजस्थान स्टाम्प एक्ट है उसमें मैं दो-तीन बातों की ओर आपका ध्यान दिलाऊंगा।

एक बात तो यह है, श्रीमान् कि पिछले लगातार तीन-चार साल से स्टाम्प ड्यूटी में बढ़ोतरी होती चली जा रही है। इसमें सरकार ने उन चीजों पर अधिक टैक्स लगाया है, अधिक स्टाम्प ड्यूटी लगायी है किसान से सीधा जिनका ताल्लुक है। अभी

(श्री हरिसिंह)

राजस्थान टिनेंसी बिल और राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू बिल ये दोनों सदन में इन्ट्रोड्यूस हुए थे, प्रवर समिति को सौंपे गये थे। प्रवर समिति ने अपनी राय यह दी जो कि हमारे सामने इन्ट्रोड्यूस हो गयी है, कि किसान अपनी अपनी होल्डिंग का डिवीजन करेंगे तो उस डिवीजन के लिए तहसीलदार के पास दरख्वास्त देकर उस करार की एन्ट्री हो जाएगी और डिवीजन आपस में हो जाएगा बगैर ड्यूटी के हो जाएगा। बगैर टैक्स के हो जाएगा, बगैर किसी शुल्क के हो जाएगा। राजस्थान स्टाम्प एक्ट में उसके बिलकुल विपरीत बात की गयी है। विपरीत बात क्या की गयी है ? कि पार्टिशन का इसमें यह किया गया है, ड्यूटी दी गयी है। पार्टिशन के सम्बन्ध मे मैं आपको निवेदन करूं : 'Partition Instrument as defined by section 2/20, the same duty as on a conveyance for the amount on value of the separated share or shares of the property.' एग्रीकल्चर लैण्ड के सम्बन्ध में उन्होंने लिखा है कि वैल्यू करते समय 'Where the land is held on review settlement for a period not exceeding 30 years and paying the full assessment, the value for the purpose of duty shall be calculated at not more than seven times the annual revenue.' एन्युअल जो रेवेन्यू होगी उसके सात गुने तक आप चार्ज करेंगे। यह एक किसान के बिलकुल विपरीत स्टाम्प ड्यूटी ली जा रही है। हमने जो बिल पास किया है, प्रवर समिति ने उसमें किसानों के डिवीजन के मामले में फ्री कर दिया। दूसरे, जो अभी तक म्यूटेशन होते थे उन म्यूटेशंस में अगर कोई बहन अपने भाई के पक्ष में अपने रिश्ते को छोड़ दीजिये, उसके लिखने के ऊपर उसके एफिडेबिट के ऊपर छोड़ देते थे, पाँच रुपये का टैक्स लगता था, अब इसमें इन्होंने उस पर बढ़ा दिया है, सौ रुपये कम से कम उसके अन्तर्गत लगा दिया है।

दूसरा, श्रीमान्, इन्होंने जो लीज है उस पर टैक्स बढ़ाया है। जितने भी टैक्सेज हैं, मैं आपको अगर पुराने एक्ट के मुताबिक मिलान करके बताऊं तो कई मामलों में तो कई गुना इसके अन्तर्गत बढ़ा दिया गया है। इसलिए मैं आपसे निवेदन यह करना चाहता हूं कि इस प्रकार का यह स्टाम्प एक्ट जिसमें कई गुना स्टाम्प ड्यूटी बढ़ायी गयी है राजस्थान की जनता के ऊपर, इसको जनमत जानने के लिए परिचालित करना बहुत ही आवश्यक है।

दूसरी बात, मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था कि स्टाम्प ड्यूटी की मार्केट वैल्यू जो कैलकुलेट की जाती है उसका कोई प्रावधान इस के अन्दर नहीं किया गया है कि किस प्रकार से मार्केट वैल्यू कैल्कुलेट की जाएगी। अक्सर देखने में यह आता है कि सरकार कोई निर्देश दे देती है और रजिस्ट्रार उन निर्देशों के अनुसार ड्यूटी लेता है। जमीन किसान बेचता है पांच हजार रुपये की और उस जमीन की वैल्यू

(185)

(श्री हरिसिंह)

की जाती है उनके निर्देशों के हिसाब से 10 हजार रुपये, 15 हजार रुपये, 20 हजार रुपये की । यहां तक कि हमारे भरतपुर में तो शहर के आसपास तो 3–3 लाख रुपये बीघा कर रखी है और ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें 30 हजार रुपये बीघा से कम उसकी कीमत आंकी गयी हो । इस प्रकार से कीमत जो आंकी जाती

(16.55 बजे)

(श्री टीकमचन्द कान्त, सभापति, पदासीन)

है, माननीय अध्यक्ष जी, वह इतनी ज्यादा आंकी जाती है कि आदमी को जो कीमत मिलती है उससे ज्यादा उसको स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ती है ।

तो मैं आपसे यह कह रहा था कि यह एक बड़ा बैंक डोर से स्टाम्प विधेयक लाया गया है । जब कोई टैक्स जनता पर बढ़ाया जाता है, माननीय सभापति महोदय, तो बजट स्पीच पर वह बात लिखी जाती है और फिर फाइनेंस बिल में भी रखा जाता है । बजट स्पीच में भी स्टाम्प ड्यूटी को बढ़ाने के सम्बन्ध में कोई चर्चा नहीं हुई और जो फाइनेंस बिल आप लाये उसमें भी । स्टाम्प के सम्बन्ध में आपके अमेण्डमेंट तो हैं लेकिन स्टाम्प ड्यूटी इस में बढ़ायी गयी है, यह फाइनेंस बिल के अन्दर नहीं बताया गया तो अब तक पूरे सेशन में दो अपरचुनिटीज इस सरकार को मिलीं । इसके ऊपर पूरी बहस की जा सकती है । कल यह इन्ट्रोड्यूस हुआ, आज यह पास करा रहे हैं । तो बगैर बहस के इस प्रकार से स्टाम्प एक्ट पास करके बैंक डोर से स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाकर टैक्स बढ़ाने का यह काम जो कर रहे हैं, इसके लिए बहुत जरूरी है कि जनमत जाना जाए ।

इसके अतिरिक्त, श्रीमान्, मैं आपको निवेदन कर रहा था कि इसमें एक प्रोविजन नहीं है । अगर कोई रजिस्ट्रार है, रजिस्टर करने वाला, वह मार्केट वैल्यू को कई गुना आंक ले तो उसमें जो इंस्ट्रूमेंट पेश करने वाला व्यक्ति है उसको रिलीफ मिलने के लिए कोई प्रोविजन इस एक्ट के अन्दर नहीं है । इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह स्टाम्प का जो विधेयक है इसे जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए । यह मेरा आपसे आग्रह है ।

श्री सभापति : श्री शिवनाथ सिंह जी ।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय सभापति जी, मेरा प्रस्ताव भी है कि राजस्थान स्टाम्प विधेयक, 1998 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए । माननीय सभापति जी, वर्तमान में राजस्थान में सेन्ट्रल एक्ट को हमने एडाप्ट किया हुआ है । 1952 और उसके बाद में जो स्टेट लैजिस्लेचर की कम्पिटेंस में प्रावधान आते हैं उनमें समय-समय पर अमेण्डमेंट होते रहे हैं । मेरे कहने का मतलब है कि आज के दिन राजस्थान में स्टाम्प के सम्बन्ध में एक कोडिफाइड लॉ हमारे सामने है, उस कोडिफाइड लॉ को रिपील करके यह नया बिल लाने की चेष्टा की जा रही है ।

Page No.169

(श्री शिवनाथ सिंह)

माननीय मंत्री महोदय ने जो इसके एम्स एण्ड आब्जेक्ट्स दिये हैं उसकी एक लाइन मैं पढ़ना चाहूंगा। उसमें इन्होंने पूरी हिस्ट्री गिना दी कि कान्स्टीट्यूशन में हमको क्या पावर्स हैं, सेन्ट्रल लिस्ट कौन सी है, स्टेट लिस्ट कौन सी है, यह सब इसमें दे दिया और एक लाइन लिख दी–

'The necessity of having a separate comprehensive State law on Stamps was being felt since long. After due consideration, now, it is proposed to consolidate and amend the law relating to Stamps by means of a new enactment.'

कोई भी स्पष्ट कारण नहीं दिया गया है कि क्यों हम यह लैजिस्लेशन ला रहे हैं। छुपी हुई भावना इसके अन्दर यह है कि आज जो प्रोविजंस हैं स्टाम्प ड्यूटी के उनको उस एक्ट में अमैण्ड न करके नया एक्ट हम बनाना चाहते हैं, उसके माध्यम से स्टाम्प ड्यूटी के बड़े-बड़े प्रोविजंस हम इसमें कर रहे हैं और इसके माध्यम से हम स्टाम्प ड्यूटी जो आज के दिन चालू है उसमें बढ़ोतरी करना चाहते हैं।

माननीय सभापति जी, जनमत जानने के लिए जैसे माननीय सदस्य कह रहे थे, इसका प्रभाव राजस्थान के हर व्यक्ति पर पड़ने वाला है और वे लोग क्या सोचते हैं इस लैजिस्लेचर से, इसका हमको ध्यान रखना चाहिए। आज इस बिल को पास करने की कोई जल्दी नहीं है, यह बिल कभी भी पास किया जा सकता है क्योंकि आज के दिन हमारे सामने एक ला-इन-आपरेशन है। ला-इन-आपरेशन है तो फिर दूसरा जो हम ला बनाना चाहते हैं उसको बहुत सोच समझकर और थॉरोली उसका अध्ययन करके बनाना चाहिए।

मैं, सभापति जी, याद दिलाना चाहूंगा, हमारे यहां पर पंचायत एक्ट पहले था, 73 वें और 74 वें अमैण्डमैंट कान्स्टीट्यूशन में हुए और पंचायत के सम्बन्ध में एक नया लॉ यहां बनाया गया उस वक्त भी यही मांग आयी थी कि इस प्रकार का जो महत्वपूर्ण कानून है वह सलेक्ट कमेटी में जाए, पब्लिक ओपिनियन के लिए जाए और पूरा अध्ययन करने के बाद इसको कानून बनाया जाए। यही माननीय सभापति महोदय, इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि इतना बड़ा कानून हम बनाते जा रहे हैं, बहुत सी इसमें खामियां हैं। उन खामियों को इतना जल्दी आज के दिन हम घंटे भर में... सभापति जी, आपको तो अधिकार है रूल्स को रिलैक्स करने का, इनको हां करने का अधिकार है और हमारे ना से कुछ होने वाला नहीं है तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस बिल को आज पास न करके जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए। जनमत जानने के लिए आगे इसके जो डिफैक्ट्स हैं उनकी ओर मैं, माननीय सभापति जी, संकेत करना चाहूंगा।

(17.00 बजे)

(श्री शिवनाथ सिंह)

सभापति महोदय, बहुत-से डिफैक्टस हैं। कुछ-कुछ सेलिएंट फोकसं मैं निवेदन करना चाहूंगा। डिफिनेशंस को लीजिए आप, डेफिनेशंस में पेज दो पर आपने एक एक्सप्लेनेशन दिया है, माननीय सभापतिजी, यह अटेस्टेशन के सम्बन्ध में है। कोई भी डाकूमैंट हम लेते हैं दो गवाह इस डाकूमैंट के लिए आवश्यक हैं। उसके गवाह होते हैं जब वह अटेस्टेशन होता है। जिसने उस डाकूमैंट को एग्जीक्यूट किया है वह और जो दो गवाह हैं अटेस्ट करने वाले, वे इस बात के सबूत होते हैं कि यह डाकूमैंट सही, होश-हवास में और अच्छी नीयत से एग्जीक्यूट किया गया है। माननीय सभापति महोदय, इसका प्रोविजन, मैं पढ़कर सुनाता हूं आपको, जो आपने रखा है इस परिभाषा में :—

'For the purpose of this clause "attested" means attested by one or more witnesses each of whom has seen the executant sign or affix his mark ...'

बिलकुल सही है। '...to the instrument or has seen some other person sign the instrument in the presence and by the direction of the executant, .'

यहां तक ठीक है, एग्जीक्यूट करने वाले को किसी दूसरे आदमी ने देखा है। लेकिन इसके आगे क्या किया है हमने ? '...or has received from the executant a personal acknowledgement of such signature or mark or of the signature of such other person, . .'

माननीय सभापतिजी, आज के दिन समाज में गिरावट आयी है। अटेस्ट डाकूमैंट एक व्यक्ति कर रहा है, उसका लिखने वाला एक है। और उस वक्त गवाह का मौजूद होना जरूरी है ऊपर के दो क्लाजेज में। लेकिन इस डाकूमैंट में इस परिभाषा में आपने यह प्रावधान किया है कि कोई व्यक्ति कह देगा कि हां, मुझे फलां आदमी ने, जो इसका एग्जीक्यूटेंट है, उसने मुझे कहा था, मैंने एग्जीक्यूट किया, इसलिए मैं साइन कर रहा हूं। वह आज संसार में नहीं है एग्जीक्यूट करने वाला, उस आदमी की गवाह, जिसने उसको देखा नहीं, उसके सामने साइन हुआ नहीं इतना भयंकर आज घोटाला हो रहा है। आप देखते हैं कि जगह-जगह रजिस्ट्री होती है, उसको चेलेन्ज होते हैं कि मैं रजिस्ट्री करने वाला नहीं था, मेरी झूठी गवाही करा दी गयी और मेरे झूठे साइन करा दिये गये। इस प्रकार के प्रावधान से बहुत बड़ी गफलत होने वाली है। इसलिए यह जो परिभाषा में जोड़ा गया है इसको डिलीट करना आवश्यक है। इसी प्रकार, माननीय सभापतिजी, एक परिभाषा दी गयी है कलक्टर : " 'Collector' includes any officer whom the State Government may, by notification in the Official Gazette appoint in this behalf."

(श्री शिवनाथ सिंह)

इस एक्ट के प्रावधानों में आगे कलक्टर को बहुत बड़े पावर्स दिये गये हैं। कलक्टर को 5 हजार रुपये तक के जुर्माने करने के पावर्स इसमें दिये गये हैं, उन पर मैं बाद में आ रहा हूं। यह जो आप कह रहे हैं कि कलक्टर means any officer authorized, इसमें 'not below the rank...' दर्ज होना चाहिए। पंचायत एक्ट में भी यही आया था कि कोई भी अधिकारी मीटिंग को प्रिसाइड कर लेगा। वह एतराज हुआ तो समझ में आया और उसमें किया गया कि 'not below the rank of RAS officer', मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि यहां तहसीलदार को भी गवर्नमैंट नोटीफिकेशन के द्वारा कलक्टर्स के अधिकार दे सकती है। इसलिए सरकार को और माननीय मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा, पेज तीन के बोटम पर जो आपने कहा है कि कलक्टर, इसमें कोई न कोई राइडर लगाएं जिससे कि किसी भी उस लेवल के नीचे के अधिकारी को कलक्टर के पावर्स आप नहीं दें।

माननीय, पेज 5 पर आपने एक परिभाषा दी है :–"... a final order for effecting a partition passed by any revenue authority or any Civil Court,.." ये भूल गये कि रेवेन्यू आथोरिटी अलग होती है और रेवेन्यू कोर्ट अलग होते हैं। इसमें रेवेन्यू कोर्ट शब्द नहीं है, रेवेन्यू आथोरिटी है। आज रेवेन्यू बोर्ड और रेवेन्यू कोर्ट हैं। एस.पी. का आफिस है वह रेवेन्यू कोर्ट है। उनकी डिक्री पर, उनके जजमैंट पर यह प्रावधान लागू नहीं होगा। इसलिए बहुत आवश्यक है, माननीय मंत्रीजी, इसको अपने लॉ-डिपार्टमैंट से पूछें। यहां रेवेन्यू आथोरिटी है वहां लिखिये आप, लेकिन रेवेन्यू कोर्ट शब्द, जैसा आपने कहा सिविल कोर्ट, वैसा रेवेन्यू कोर्ट भी इसमें आना चाहिए।

माननीय सभापतिजी, आगे एक परिभाषा दी गयी है सोल्जर की :–

" 'soldier' includes any person below the rank of non-commissioned officer who is enrolled under the Army Act, 1950."

माननीय सभापतिजी, आज आर्मी का एक रोल है और आर्मी के बराबर ही दूसरी जो हमारी फोर्सेज हैं उनका एक रोल है, I बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनको भी वही ड्यूटी करनी पड़ती है, उन्ही के समकक्ष ड्यूटी करनी पड़ती है। इसमें सोल्जर के हिसाब से आगे कुछ रियायतें दी गयी हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो आर्मी एक्ट में सोल्जर डिफाइन किया गया है उसके साथ-साथ बी.एस.एफ. और अदर पेरा-मिलिटरी फोर्सेज हैं उनको भी इसमें रखा जाए, ताकि जो आपने इसमें प्रोटेक्शन दिये हैं वे उनको भी मिल पाएं।

माननीय सभापतिजी, मैं संक्षेप में निवेदन कर रहा हूं। जनमत जानने और दूसरे माननीय सदस्य ने जो पेश किया है सलेक्ट कमेटी के लिए, उसके लिए मैं सदन को कंविन्स करना चाहता हूं।

(श्री शिवनाथ सिंह)

माननीय सभापतिजी, इस तरह से 'Adjudication as to stamps' है। एक व्यक्ति कलक्टर को दरख्वास्त देगा कि इसमें मेरी क्या स्टाम्प ड्यूटी लगेगी, उसको 50 रुपये की दरख्वास्त देनी पड़ेगी। माननीय सभापतिजी, अब तक आठ-आने की दरख्वास्त कलक्टर को मिलती थी, उसको आपने दो रुपये कर दिया। लेकिन आज इस बात का एक्जीक्यूशन यदि कलक्टर से चाहा जाएगा तो उसको 50 रुपये का स्टाम्प लगाना पड़ेगा। कितना ? सौ गुना आपने उसको कर दिया। यह प्रोविजन आप छोटे-छोटे रूप में और सरकारी खजाने को भरने के लिये तथा गरीब आदमी को, काश्तकार को, छोटे लोगों को पैनलाइज करने के लिए कर रहे हैं।

माननीय सभापतिजी, इसी तरीके से आपने एक क्लॉज रखा है "Instruments not duty stamped inadmissible in evidence, etc."

माननीय सभापतिजी, हमारे देश में एक एविडेंस एक्ट सेण्ट्रल एक्ट है। वह एक्ट सबको प्रिवेल करता है। आज उस कोर्ट को अधिकार है यह तय करने का कि यह अनस्टाम्प्ड है कि नहीं है, उसकी एविडेंस वेलेडिटी क्या होगी और उसका एविडेंस एडमिसिबल है कि नहीं है। लेकिन आपने यह प्रोविजन करके एविडेंस एक्ट की धज्जियां उड़ा दी हैं। एविडेंस एक्ट के प्रोविजन के अन्दर वह एडमिसिबल हो सकता है और एडमिशन की भी कई स्टेजेज हैं। एक कन्क्लूसिव प्रूफ हो, दूसरा उसका सहायक हो सकता है। अनस्टाम्प्ड डाकूमेंट आज भी हम पेश करते हैं। वह केस आफ द सूट नहीं हो सकता है। लेकिन अपोजिट पार्टी उसको अपने राइट्स को क्लेम करने के लिए अनस्टाम्प्ड कोई पेश कर सकती है। यह एविडेंस एक्ट के प्रोविजन को आप ओवररूल कर रहे हैं। मेरे ख्याल से यह टिकने वाला भी नहीं है और यह उचित भी नहीं है।

माननीय सभापतिजी, क्लाज 47—Prosecution for offence against stamp law, आपने स्टाम्प लॉ के आफेंस में प्रोसीक्यूशन रखा है। किसी आदमी ने गलती से प्रोपर स्टाम्प नहीं लगाया। हो सकता है तो उस आदमी को प्रोसीक्यूट करेंगे और मेरे ख्याल से इसमें 5 हजार रुपये तक का जुर्माना रखा है। माननीय सभापतिजी, ऐसा किसी भी कानून में आज तक कोई प्रोविजन नहीं है। उससे आप पेनल्टी ले सकते हैं, एक गुना हो, दो गुना हो, लेकिन इस प्रकार का आपने उसको क्रिमिनल आफेंस बना दिया, यह बहुत बड़ा अन्याय होगा। बाहर गांव के लोग-बाग हैं, नहीं जानते कि प्रोपर स्टाम्प कितने का है। तहसीलदार कहता है 40 हजार का स्टाम्प लगेगा, लिखने वाला 30 हजार का स्टाम्प लगा देता है। यह स्टाम्प ड्यूटी समय-समय पर बदलती रहती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटियां बैठती हैं, वे रेट तय करती हैं और हर तीन महीने के बाद में वे रेट चेंज होती रहती हैं। आज जो रेट हैं वे तीन महीने के बाद नहीं रहेंगे। जो गांव का आदमी है, काश्तकार है, वह

(१७)

(श्री शिवनाथ सिंह)

अपनी कुछ सेल-डीड एग्जीक्यूट कराना चाहता है, उसको यह पता नहीं कि आपने 3 महीने में क्या चेंज कर दिया। उसने कम स्टाम्प लगा दिया आप उसको प्रोसीक्यूट कर देंगे। इस प्रकार के प्रोवीजन्स आपने इसमें रखे हैं। उसी तरह से, माननीय सभापतिजी, मैं कह रहा था कि पांच हजार रुपये का उसमे जुर्माना है। 'Penalty for failure to cancel adhesive stamp.' स्टाम्प लगा दिये और कोई क्लर्क, बाबू, ओथ वाला उसको कैन्सिल करना चाहे, गलती से रह गया तो आप उसको भी प्रोसीक्यूट करोगे और इस पर भी जुर्माना करोगे।

मैं संक्षेप में, माननीय सभापतिजी, यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो शिड्यूल मे रेटस दी स्टाम्प ड्यूटी लगाने की, वे भी बहुत भयंकर हैं। पूरे डिटेल में जाकर मैं कहना भी नहीं चाहता, स्टेज भी नही है। समय ज्यादा नहीं लेना चाहता, लेकिन माननीय सभापतिजी, मेरा एक ही निवेदन है कि इस बिल को आज पास करने की कोई अर्जेन्सी नही है। यदि यह बिल दो महीने बाद मे, छह महीने बाद में और आगे आने वाली विधान सभा भी पास करे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप इसके सम्बन्ध में हमारे खास कानून मौजूद हैं इसलिए इसको रश-अप नहीं किया जाए और इसको जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए ताकि जो इससे इफेक्ट होने वाले हैं, उन लोगों की राय भी आ जाए, एक्सपर्टस की राय आ जाए और लीगल लुमिनरीज की राय भी आ जाए। इस तरह से इस एक्ट को रश-अप न करके जनमत जानने हेतु इसको परिचालित किया जाए, यही मेरा प्रस्ताव है।

श्री सभापति : श्री रामनारायण चौधरी–(अनुपस्थित)। श्री अमराराम।

श्री अमराराम (धोद) : सभापति महोदय, स्टाम्प ड्यूटी एक्ट, 1998 को प्रवर समिति को सौंपने के लिये मैंने संशोधन दिया है और उसमें माननीय शिवनाथ सिंह जी ने विस्तार से अपनी बात रखी है। आज सरकार की यह मंशा है, कल विद्युत मंत्री जी ने यहां सदन में बताया था कि जो घरेलू बेल का कनेक्शन लेने वाला जो पांच रुपये का स्टाम्प था, सरकार ने उसको सीधा सौ रुपये कर दिया और कनेक्शन लेने पर सौ रुपये की डिमाण्ड राशि जमा करानी पड़ती है, उसको फार्म भर कर कनेक्शन लेने के लिये तीन सौ रुपये की स्टाम्प ड्यूटी कर दी। इसी तरह से किसानों को रजिस्टर करने में और अपने काम के लिये रेवेन्यू अधिकारी, कलक्टर, तहसीलदार के पास जाने में यह सरकार आम जनता, विशेष तौर से ग्रामीण जनता को लूटने की पावर, इस एक्ट के द्वारा लेना चाहती है, इसीलिए इतने रश-अप में कराना चाहती है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जनता, विशेष तौर से ग्रामीण जनता के लिये इस एक्ट को प्रवर समिति को सौंपा जाए।

श्री सभापति : श्री गोविन्द सिंह गुर्जर सदस्य, विधान सभा विधेयक को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे ।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान स्टाम्प विधेयक, 1998 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाए जो अपना प्रतिवेदन एक माह में प्रस्तुत करें ।

माननीय सभापति महोदय, यह जो स्टाम्प एक्ट यहां पर लाया गया है इस स्टाम्प एक्ट का अध्ययन करने से आप खुद भी आश्वस्त होंगे कि यह बहुत ही अव्यावहारिक है और वास्तविकता से परे हटकर एक अन्दाज से, एक थ्योरी से इस चीज को लागू करने की कोशिश की है ।

सभापति महोदय, इस सदन में अभी बजट के समय और प्रश्नों के माध्यम से भी लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य का प्रश्न आया था, काफी उसमें चर्चा हुई । मैंने भी एक प्रश्न लगाया था, उसके उत्तर में जो मुझे जवाब मिला है, सभापति महोदय, आप खुद आश्वस्त होंगे कि जो लक्ष्य विभाग निर्धारित कर रहा है कि स्टाम्प ड्यूटी से इतनी धनराशि मिलनी चाहिए, उतनी धनराशि नहीं मिल रही है । उसका मोटा कारण यह है कि हमने फ्लैट रेट लगा दी कि दस परसेंट हर साल बढ़ते जाएंगे । सड़क के किनारे कोई गांव है उसका अलग कर दिया, शहरों का अलग कर दिया । तो यह सारी जो व्यवस्था है, यह व्यावहारिक नहीं है । एक मकान है, उसकी सिचुएशन है तो वह करोड़ रुपये का हो सकता है और एक मकान उसी जगह पर है लेकिन उसकी सिचुएशन नहीं है तो उसकी कीमत नहीं हो सकती । इसलिए जब तक इसमें व्यावहारिकता नहीं लायी जाएगी, इसे रेवेन्यू कलेक्शन करने का माध्यम तैयार करने की जो कोशिश की जा रही है, वह सफल नहीं होगी । इसलिए मेरा सबसे पहला बिन्दु तो यह है कि इसे व्यावहारिक बनाया जाए ।

दूसरा, सभापति महोदय, मेरा बिन्दु यह है कि इसमें भ्रष्टाचार की बहुत ज्यादा गुंजाइश है । आप भी जानते हैं, सारा सदन जानता है कि आज कोई भी रजिस्ट्री तीन परसेंट कमीशन दिये बिना आप नहीं करवा सकते । अगर आपने नहीं दिया तो वे रैफर कर देंगे, कम्पाउण्ड कर देंगे । कलक्टर साहब के पास चक्कर लगाते रहो। यह अव्यवस्था किस तरह से दूर हो सकती है, इसके लिये इस बिल में कोई प्रावधान नहीं किया गया है और न कोई जिम्मेदारी ही निर्धारित की गयी है । आज, सभापति महोदय, अगर कोई चाहे तो हमारी इस विधान सभा की भी स्टाम्प ड्यूटी लगाकर रजिस्ट्री करा सकता है । ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं जब स्टेशन बिक गये, और कई चीजें बिक गयीं । इसको रोकने के लिये सब-रजिस्ट्रार जो यह रजिस्ट्री कर रहा है, उसका क्या उत्तरदायित्व है और उसकी क्या लायबिलिटी है अगर वह इस तरह की कोई कार्यवाही करता है, उसके सम्बन्ध में भी इसमें कुछ नहीं कहा गया है ।

जैसा अभी मेरे पूर्ववर्ती वक्ताओं ने कहा, इसमें ग्रामीण समस्याओं का समावेश नहीं है । सभापति महोदय, गांवों में बहुत

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

भिन्न परिस्थिति है, शहरों में भिन्न परिस्थिति है। मैं आपको नसीराबाद की बात बताना चाहता हूं। नसीराबाद की जितनी भी जमीन है वह आवासीय भूमि है और वह सारी की सारी, सभापति महोदय, केन्द्र सरकार के रक्षा मंत्रालय की है। अब मैं उसको बेच रहा हूं, उसको धड़ाधड़ बेचे जा रहे हैं और बराबर रजिस्ट्रीज हो रही हैं जबकि हमें अधिकार नहीं है। वह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की सम्पत्ति है, उसे हम बेच ही नहीं सकते। लेकिन हम बेच रहे हैं, ये विसंगतियां इस तरह की हैं। इसलिए मेरा यह प्रस्ताव था कि एक प्रवर समिति बना दी जाए, उसमें सभी वर्ग के माननीय सदस्य हों, जो दूसरे स्टेट्स में क्या परिस्थितियां हैं उन सब परिस्थितियों को देखकर, एग्जामिन कर सब बातों पर अपनी रिपोर्ट दे। उसके बाद इस कानून को पास किया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा और व्यावहारिक होगा और सबके पक्ष में होगा।

श्री सभापति : प्रभारी मंत्री उत्तर देंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : एक मिनट।

श्री सभापति : आपका नाम पुकारा गया था लेकिन आप अनुपस्थित थे।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं बहुत जरूरी काम से चला गया था जो मेरे काबू में नहीं था।

श्री सभापति : आप अनुपस्थित थे और आपका ही सुझाव था कि एक बार नाम पुकारने के बाद में कोई माननीय सदस्य नहीं बोले तो फिर....

श्री रामनारायण चौधरी : मैं माफी मांगता हूं। मैं माफी मांगता हूं।

श्री सभापति : आपने तो आज ही....

श्री रामनारायण चौधरी : मैं जरूरी काम से चला गया था।

श्री राकेश मेघवाल : आपने इसके बारे में एक सुझाव दिया था, अभी वह आपके ऊपर लागू हो गया। मैं समझता हूं कि जैसी करनी वैसी भरनी।

श्री रामनारायण चौधरी : आपने आज्ञा दे दी क्या?

श्री सभापति : नहीं, आपने सुझाव दिया था उसके लिये।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : हां, वह सुझाव दिया था और उस सुझाव पर मैं कायम हूं लेकिन परिस्थिति ही ऐसी बन गयी कि माननीय सदस्य बोल रहे हैं, शायद इतना जल्दी कन्क्लूड नहीं करेंगे। क्योंकि काफी डिटेल हो गया था। लेकिन इन्होंने एकदम कन्क्लूड कर दिया।

माननीय सभापति महोदय, यह जो कानून लाया जा रहा है यह 1952 का जो कानून है, उसको रिप्लेस कर रहा है। 1952 से लेकर आज तक 46 साल यह

(श्री रामनारायण चौधरी)

कानून चलता रहा था, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही थी और जो दिक्कतें उसमें थीं, जो लूप होल्स थे इसके द्वारा इनको दूर नहीं किया जा रहा है।

मान्यवर, आज के कानून में इतनी बड़ी कमियां हैं कि खास तौर से गांव के लोगों को बड़ी भारी कठिनाइयां हो रही हैं। रजिस्ट्रेशन के अन्दर गड़बड़ है, उसमें कोई चैक्स नहीं लगाये गये हैं। रजिस्ट्रेशन से पहले, आज जगह–जगह ग्राम पंचायतें हैं, जगह-जगह आज नगरपालिकाएं हैं, ग्राम पंचायतों और नगरपालिकाओं को भी रजिस्ट्रेशन के मामले में इन्वाल्व किया जाना चाहिये। इन्वाल्व इस मायने में किया जाना चाहिये कि उनसे पहले प्रमाण–पत्र आना चाहिये कि मैं अमुक व्यक्ति अपनी सम्पत्ति को बेचना चाहता हूं और फलां आदमी को बेचना चाहता हूं। तो उसका वहीं लोकल वैरीफिकेशन हो जाएगा। यह नहीं होगा, जैसा मेरे से पूर्व वक्ता माननीय गोबिन्द सिंहजी कह रहे थे कि इस सैक्रेटेरिएट का, विधान सभा का ही कोई रजिस्ट्रेशन करा सकता है। इससे बचा जा सकेगा। इस विधान सभा का तो कोई रजिस्ट्रेशन करवाएगा नहीं और इसको कोई लेगा भी नहीं, लेकिन गांवों के अन्दर आज क्या हो रहा है?

मान्यवर, काफी केसेज आये हैं कि मेरी जमीन है, वह कोई दूसरा ही रजिस्ट्री करा गया। एक भाई की तीसरा ही करा गया। इसको चैक करने के लिये लोकल बाडीज को, ग्राम पंचायतों को, नगरपालिकाओं को इन्वाल्व करना चाहिये कि उनके प्रमाण–पत्र के बिना कोई रजिस्ट्री की खरीद-फरोख्त नहीं हो। इस एक्ट के अन्दर प्रोवीजन उसका नहीं है, वह होना बहुत जरूरी है।

दूसरा, मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता था कि राजस्थान की सरकार ने टोकन एग्जम्प्शंस, रेवेन्यू रेमिशंस, लगान माफ किया लेकिन यह जो पुराना कानून है इसके जरिये इतना भारी कलेक्शन, इतनी बड़ी भारी लूट राजस्थान सरकार ने रजिस्ट्रेशन से की है गांवों के अन्दर। पहले गांवों के अन्दर मामूली पैसा लगता था। रजिस्ट्रेशन कब्जे में नहीं आया, काश्तकार दूसरे काश्तकार से डरता नहीं था, आसानी से हो जाता था। आज इतनी बड़ी भारी फीस लगा दी कि लगान तो आपने कहीं माफ किया है 15 करोड़ का और काश्तकारों से रजिस्ट्रेशन फीस आज आ रही है आपके पास करोड़ों-करोड़ों रुपये। कितने ही टाइम्स ज्यादा आ रही है। राजस्थान सरकार ने, मंत्री महोदय ने, मुख्य मंत्रीजी ने वाहवाही ले ली कि लगान माफ कर दिया। काहे का लगान माफ कर दिया? इस रजिस्ट्रेशन के द्वारा गांवों को लूट-लूट कर खा रही है सरकार। डबल मार हो रही है।

अभी माननीय सदस्य कह रहे थे, मैं इनका समर्थन करता हूं। आप तो खुद जानते हैं, मान्यवर, फील्ड के आदमी हैं,

(श्री रामनारायण चौधरी)

धरातल के आदमी हैं, कि किस तरह से गांवों के लोगों को रजिस्ट्रेशन के वक्त में फीस के अलावा रजिस्टरिंग अथॉरिटी को, उसके स्टाफ को कितना पैसा देना पड़ता है। इस कानून के द्वारा इसमें सेफगार्ड नहीं है, मान्यवर, अब तक यह जो आज कानून आएगा, इसमें यह चैक होना चाहिए। मेरे से पूर्व माननीय सदस्य कह रहे थे, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं कि इसको या तो जनमत जानने के लिये भेजा जाए या सलेक्ट कमेटी के लिये भेजा जाए।

एक जमीन इस जगह पर है वह तो है करोड़ों रुपये की और इसके पीछे वाली है, वह उससे आधी कीमत की भी नहीं है, लेकिन उस एरिये की रजिस्ट्रेशन फीस बराबर लगेगी। एक खेत उस लोकेशन पर है, उसकी कीमत अच्छी है, उसकी फीस रजिस्ट्रेशन की और दूसरा जो थोड़ी दूरी पर है, उसकी बराबर है। तो यह बड़ा इसमें विभेद है, बहुत फर्क है इस कानून के अंदर काश्तकारों को, गरीब जनता को, गरीब लोगों को, शहर और देहात के लोगों को भी आज रजिस्ट्री करवानी पड़ती है।

मान्यवर, आज नगरपालिका से आप प्लाट लो, जे.डी.ए. से आप प्लाट लो, यू. आई.टी. से आप प्लाट लो, पंचायत से प्लाट लो तो अनिवार्य कर दिया रजिस्ट्रेशन। बिना रजिस्ट्रेशन के कोई डाकूमैंट आज वैलिड नहीं है। और यूं भी अगर कहीं नहीं हो तो आज कहीं से लोन लेते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन होता है, पट्टे का रजिस्ट्रेशन होता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा सारी समस्याओं को सुनाने के लिए, हमारा सबका इन्वाल्वमैंट हो इसके लिये इसको जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाय या इसको सलेक्ट कमेटी को दिया जाए। मैं दोनों प्रस्तावों का समर्थन करता हूं।

श्री सभापति : प्रभारी मंत्री उत्तर देंगे।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सभापति महोदय, मेरा भी है।

श्री सभापति : अभी यह स्टेज नहीं है। जब पारित होने का प्रस्ताव आए उस समय आप बोल सकते हैं।

श्री अनंग कुमार जैन (राज्य मंत्री, वित्त) : सभापति महोदय, 1899 में स्टाम्प एक्ट बना था, करीब 99 साल उसको हो गये। उसी एक्ट को हमने एडाप्ट किया 1952 में अडाप्टेशन ला के तहत। अब 50 साल के अन्दर इस कानून के अन्दर कई प्रकार के संशोधन हुए, जब भी जो भी राज्य सरकार रही, उसने इसके अन्दर अमेंडमैंट करवाए हैं। कहीं छूट दी गयी, कहीं नया टैक्स लगाया गया और यह स्थिति बन गयी जैसा माननीय शिवनाथ सिंहजी ने कहा कि कहीं कोडिफाइड ला नहीं है। तो वे सब चीजें एक जगह एकत्रित हों और जो भी राज्य सरका- वर्तमान प्रचलित कर दर है स्टाम्प एक्ट के प्रोविज- जगह कोडिफाइड

(श्री अनंग कुमार जैन)

एक रैडी रेकनर की दृष्टि से यह बिल लाया जा रहा है। विभिन्न प्रकार के अमैंडमैंट आए हैं फिर उसके तहत रूल्स बने हैं। उन रूल्स के तहत सरकार समय-समय पर नोटिफिकेशन जारी करती थी। इतना बड़ा बंडल हो गया था कि हर बार बड़ी दिक्कत आती थी और कई बार इण्टरप्रिटेशन में भी दिक्कत आती थी, तो उन सब एम्बिग्युटिज को समाप्त करने की दृष्टि से यह एक नया कानून बनाया गया है।

वर्तमान में जिस प्रोविजन के अन्दर या जिस दस्तावेज में जो कर देय है या जो रेट लागू है, उस रेट को कहीं राज्य सरकार ने डिस्टर्ब नहीं किया है। बल्कि राज्य सरकार ने समय-समय पर पिछले चार-पांच वर्षों के अन्दर स्टाम्प ड्यूटी के अन्दर कई प्रकार की छूट दी। उस छूट के लिये भी नोटिफिकेशन निकाले। अब कई बार यह दिक्कत आती थी कि कहीं वह नोटिफिकेशन किसी रजिस्टरिंग अथॉरिटी के पास है, तो वह मान लिया करता था। यह दिक्कत भी आम पब्लिक को आती थी यहां जो माननीय सदस्य बिराजे हुए हैं इनको नहीं आती थी, क्योंकि ये सब शहर में रहते हैं, टच में रहते हैं। लेकिन जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में व्यक्ति रहता है, छोटे-से गांव के अन्दर जहां रजिस्ट्री कराने जाता था, वह तो यह मानकर चलता था कि यही सरकार की वर्तमान प्रचलित दर है और यह नोटिफिकेशन नया निकल गया इसके तहत मेरा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। सम्भवत: कभी-कभी, लेकिन किसी न किसी रजिस्टरिंग अथॉरिटी के पास वह नोटिफिकेशन नहीं होता था, तो वह उसकी स्टाम्प ड्यूटी ज्यादा मांगता था। फिर वह डाकूमैंट इम्पाउंड होता था। डी.आई.जी., स्टाम्प के यहां अपील जाती थी, फिर वह नोटिस देता था। तो राज्य सरकार चाहती है कि वास्तव में जो गरीब व्यक्ति है और जो ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति है, जहां आज शिक्षा का स्तर इतना कमजोर है, जो पढ़ा-लिखा नहीं है, वहां भी हर चीज उसके नालिज में रहे, उसके ज्ञान में रहे और यदि वह ढूंढ़ना चाहे तो कहीं एक किताब में उसको मिल जाए।

श्री शिवनाथ सिंह : जिन प्रोविजंस की आप बुराई कर रहे हो, आपने सब प्रोविजन वही के वही रखे हैं। इम्पाउंड के भी रखे हैं, सब रखे हैं आपने। सब इसके अंदर हैं।

श्री अनंग कुमार जैन : रखे हैं, वह अभी बता रहा हूं। इसके अंदर जैसे माननीय सदस्य ने कहा, कलक्टर के बारे में क्या रिफाइन कर दिया। कलक्टर के अधिकार हमने डी.आई.जी., स्टाम्प को दे रखे हैं जो कि सीनियर ग्रेड का आर.ए.एस. आफिसर होता है। उससे नीचे के अधिकारी को नहीं दिया गया। साधारणतया कलक्टर के अधिकार एक नायब तहसीलदार को कोई दे नहीं देगा जैसा कि आप अपना शक जाहिर कर रहे हैं कि कलक्टर का अधिकार किसी नायब तहसीलदार को दे देंगे। उसके किसी समकक्ष अधिकारी को ही राज्य सरकार देती है।

(श्री अनंग कुमार जैन)

दूसरा, आपने बताया कि सेक्शन-47 आपने इनकारपोरेट किया जिसके अन्दर लोगों को प्रोसीक्यूट कर देंगे। ऐसा कौन-सा बड़ा भारी जुर्म हो गया? सेक्शन-43 आलरेडी पुराने एक्ट में था जिसके अन्दर प्रोसीक्यूशन होता था। लेकिन ये सब ऐसे प्रावधान हैं, सभापति महोदय, जिनका बड़ा स्पेयरिंगली यूज होता है। ये प्रोविजन तो राज्य सरकार या जो भी सरकार कानून बनाती है, इसलिए रखती है कि एक व्यक्ति यदि कानून का दुरुपयोग करता ही रहे, करता ही रहे तो राज्य सरकार उसके सामने असहाय होकर नहीं देखती रहे। चाहे यह सरकार हो, चाहे कोई भी सरकार हो, लेकिन राज्य सरकार को वह अधिकार तो होना चाहिये कि अगर कोई व्यक्ति बिलकुल ही कानून का दुरुपयोग करता रहे एक बार कर ले, दो बार कर ले और इस तरह का साबित हो जाए रिकार्ड पर, कि वह कानून का दुरुपयोग कर रहा है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ डेटेरेंट प्रोविजन का भी उपयोग किया जा सके। उस दृष्टि से यह सेक्शन–47 रखा है। यह भी कोई नया नहीं जोड़ा गया है।

और जो भी प्रावधान रखे हैं, मैं पारण के समय निवेदन करूंगा माननीय सदस्यों को कि राज्य सरकार ने करीब 15–20 तरह की छूट दी है। उसमें यह विशेष रूप से ध्यान रखा है कि ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति, जिसको प्रापर्टी ट्रांसफर करानी होती थी, जो बंटवारा करता था, फैमिली सेटलमेंट करता था, उस सबके अन्दर उसको इतनी बड़ी रिलीफ दी गयी, उसको इतनी बड़ी सुविधा दी गयी है कि वह बड़ी भारी मात्रा में स्टाम्प ड्यूटी देने से भी मुक्त रहेगा तथा उसका कार्य सुचारू रूप से और आसानी से होगा।

अब आप चाहते नहीं। जो काम आप नहीं कर पाये, आप इस बात को कोडिफाइड नहीं कर पाये, आप वह छूट नहीं दे पाये। आज जब मैंने सेल्स टैक्स एक्ट यहां पुट-अप किया था, इंट्रोड्यूज किया था, वह भी चालीस साल से चल रहा था, उसके अन्दर भी सैंकड़ों अमेंडमेंट आ गये। और जो..(व्यवधान)

श्री सभापति : आपस में बातें नहीं।

श्री अनंग कुमार जैन : असेसिंग अथॉरिटी चाहती थी उस तरह से उसको इण्टरप्रेट कर लिया करती थी। उस वक्त भी माननीय सदस्य ने एतराज किया। लेकिन जब वह एक्ट पास हो गया उसके बाद आज माननीय सदस्य से बाहर पूछा जाए तो माननीय सदस्य भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं कि बहुत बढ़िया कानून आपने बनाया और इस वजह से आम जनता को काफी सुविधाएं मिल रही हैं, व्यापारियों को सुविधाएं मिल रही हैं।

वर्तमान स्थिति में यही निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें जनता के ऊपर कोई अतिरिक्त बोझ डालने का उद्देश्य नहीं है बल्कि जनता को राहत मिलेगी इस कानून के पास होने से, जो-जो राहत दी जा रही हैं, वह अन्तिम जब पास होगा उस वक्त

(श्री ग्रनंग कुमार जैन)

मैं आपके माध्यम से सदन को निवेदन करूंगा। अभी तो पुरःस्थापित किया गया है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि जनमत जानने का जो प्रस्ताव प्राप लाये हैं, उसको भी अस्वीकार किया जाए और सलेक्ट कमेटी को देने का प्रस्ताव भी अस्वीकार किया जाए। यही मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान स्टाम्प विधेयक, 1998 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकृत)

जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान स्टाम्प विधेयक, 1998 को प्रवर समिति को सुपुर्द करने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकृत)

प्रवर समिति को सुपुर्द करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान स्टाम्प विधेयक, 1998 को विचारार्थ लिया जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान स्टाम्प विधेयक, 1998 को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

श्री अनंग कुमार जैन (राज्य मंत्री, वित्त) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान स्टाम्प विधेयक, 1998 को पारित किया जाय।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : सभापति महोदय, आश्चर्य की बात है कि इतना मोटा स्टाम्प एक्ट लाया गया है और जितनी भी विसंगतियां वक्त-बक्त पर इस मामले में सरकार के ध्यान में लायी गयीं चाहे वह जनता के द्वारा लायी गयीं या जन प्रतिनिधियों के द्वारा लायी गयीं, उन विसंगतियों को इस पूरे नये तरीके से एक्ट लाने में कहीं भी दूर नहीं किया गया, वे विसंगतियां वैसी की वैसी आज भी मौजूद हैं।

सभापति महोदय, एक व्यक्ति अपनी प्रोपर्टी बेचता है। बेच कर जब सब-रजिस्ट्रार के पास जाता है तो भ्रष्टाचार की यात्रा वहां से ही शुरू हो जाती है। कोई सा भी ऐसा रजिस्ट्री का दफ्तर नहीं है चाहे वो तहसीलदार का दफ्तर ले लें और चाहे शहर में सब-रजिस्ट्रार का दफ्तर ले लें, जहां पर कि कमीशन नहीं बंधा हुआ हो। प्रेस्क्राइब्ड रेट्स हैं। सरकार ने कमेटी बना रखी है कि इस मोहल्ले की जमीन की क्या दर होगी, इस मोहल्ले की क्या दर होगी लेकिन उसके बावजूद भी रजिस्ट्री में बहुत हेर फेर किया जाता है

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

और जबरदस्त भ्रष्टाचार है। उसको रोकने के लिए आपने इन नियमों में कोई संशोधन नहीं किया, कहीं पर भी कोई भी ऐसी पाबंदी लगाने की कोशिश नहीं की कि जिससे भ्रष्टाचार में कुछ कमी आए। मिसाल के तौर पर, कोई रजिस्ट्री इम्पाउंड कर दी जाती है तो इम्पाउंड करने के बाद में डी.आई.जी. स्टाम्प्स के पास वह केस चला जाता है। पांच-पांच सात-सात साल तक केस उनके पास मुल्तवी रहता है, वहां पर पेशियां ही पड़ती रहती हैं। तबादले हो जाते हैं दो-दो, चार-चार बार डी. आई. जी. स्टाम्प्स के, लेकिन उसके फैसले नहीं हो पाते और जो प्रार्थी है, जिसके खिलाफ रजिस्ट्री इम्पाउंड की गई है उनको बराबर इतना परेशान किया जाता है कि पूछिये मत। क्योंकि डी. आई. जी. का दफ्तर आपने संभागीय हैडक्वार्टर पर एक कर रखा है। मिसाल के तौर पर अगर डग मे किसी ने कोई जमीन बेची और उसकी रजिस्ट्री इम्पाउंड हो गयी तो हर महीने या महीने में दो बार कोटा आएगा। आकर पेशी साध कर जाएगा और तारीख का एडजोर्नमेंट मिलेगा। नतीजा कुछ नहीं निकलता, 8–8, 9–9 साल से केसेज पड़े हुए हैं। राजस्व की भी उन केसेज को नहीं निपटाने से हानि हो रही है।

आपने इस नये एक्ट में कहीं पर भी यह प्रोविजन नहीं किया कि टाइम लिमिट कर दी हो, समय की सीमा बांध दी हो कि इतने दिनों के अन्दर आपको फैसला कर देना होगा। कोई विशेष काम नहीं है। इम्पाउंड की गयी है उसके बाद वह चार गवाह लेकर दो रोज में निपटा सकता है उस मामले को, लेकिन लम्बित है। लम्बित पड़े हुए हैं हजारों मामले, पर सरकार की कोई निगाह नहीं है। उनसे आने वाले राजस्व पर सरकार की कोई किसी प्रकार की इच्छा नहीं है कि जल्दी से जल्दी ये मामले निपटें तो राजस्व की प्राप्ति हो।

ठीक इसी तरह से, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, कई चीजें ऐसी हैं जैसे राजस्थान सरकार का पर्यटन विभाग। उन्होंने यह तय किया कि जितनी भी नूजल प्रोपर्टीज हैं उनको आर. टी. डी. सी. को दे दिया जाएगा या किसी प्राइवेट पार्टी को नीलाम कर दिया जाएगा। अब अगर कोई नूजल प्रोपर्टी पुरानी है, मान लीजिए वह हैरिटेज प्रोपर्टी है और 70-80 साल पुरानी है, तो 70-80 साल पुरानी वह किस परपज से खरीदना चाहता है, इसका आपको क्या मालूम? रिहायशी बंगला बनाना चाहता है या वहां पर कोई फार्म हाउस बनाना चाहता है या हैरिटेज होटल खोलना चाहता है, इसके बारे में तो आपको कुछ मालूम नहीं, लेकिन हर ऐसे मामले में यह नोट लगा दिया जाता है कि यह तो हैरिटेज होटल खोला जाएगा इसलिए इसकी कीमत पांच लाख रुपये नहीं हो कर 50 लाख रुपये होगी। एक तरफ तो आपका यह विभाग टूरिज्म को बढ़ाने के लिए कई प्रकार की पालिसीज बनाता है और दूसरी तरफ आपका यह विभाग उनकी रजिस्ट्री इम्पाउंड कर उनको परेशान करने पर तुला हुआ है।

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

एक मामला मैं आपकी निगाह में कोटा का लाना चाहता हूं एक डाक्टर ने अपनी डिस्पेंसरी बनाने के लिए एक मकान खरीदा और उसको रिनोवेट करवाया यह कह कर कि यहां मैं डिस्पेंसरी बनाऊंगा। नक्शा पास करवाया। लेकिन उसके बाद उसकी रजिस्ट्री इम्पाउंड कर दी गयी और यह नोट लगा दिया गया कि यह डाक्टर तो उसमें स्वीमिंग पूल भी बनाएगा, उसमें टेनिस कोर्ट भी बनाएगा, उसमें यह भी बनाएगा। इसलिए इसकी वैल्यू इतनी नहीं होकर इससे पांच गुना मान ली गयी। आज सात साल से उसकी रजिस्ट्री इम्पाउंड पड़ी हुई है। सात साल में उसने सारा कंस्ट्रक्शन कर लिया, अपनी क्लीनिक चला रहा है, न कोई स्वीमिंग पूल बना, न कोई टेनिस कोर्ट बना। लेकिन इस तरह के कानूनों की आड़ लेकर कर्मचारी और ये जो नीचे के रजिस्ट्रेशन आफिसर्स हैं वे इतने भ्रष्टाचार में लिप्त हैं कि जिसकी वजह से आम जनता परेशान है। उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए इस एक्ट में कोई प्रोविजन नहीं रखा गया।

सभापति महो॰, आखरी में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि डी. आई. जी. स्टाम्प्स की अपील को क्यों नहीं कमिश्नर के यहां पर अंतिम अपील के लिए अधिकार दिया जाए? क्यों इन लोगों को आप रेवेन्यू बोर्ड या डी. आई. जी. या आई. जी. स्टाम्प्स के पास में भेजना चाहते हैं अगर संभाग के स्तर पर ही यह मामला निपट सकता है तो? संभागीय स्तर पर आपका सबसे बड़ा अधिकारी बैठा हुआ है जो किसी भी आफिसर से जूनियर नहीं है। उनके पास अपील होती है तो उनके पास समय भी काफी है, काम भी कम है। तो इसका अंतिम अपील का अधिकार कमिश्नर को दिया जाए। इन्ही सब बातों को ध्यान में रखते हुए, सभापति महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूं।

श्री सभापति : आप बोल रहे हैं? बोलिये।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो बिल लाया गया है, वास्तव में इसको विचार करके नहीं लाया गया है। पहले भी बहुत भ्रष्टाचार फैल रहा था, अभी माननीय सदस्य ने बताया था। हमारे यहां तहसीलदार को ही सारी पावर्स होती हैं। वही रजिस्ट्री करता है तो उसके दलाल भी वहां बैठे रहते हैं जो पर-सेंटेज तय कर देते हैं पहले ही रजिस्ट्री के लिए। रजिस्ट्री जितनी ज्यादा आवश्यक होती है, मंत्री महोदय या कोई अटका हुआ मामला हो, जैसे कोई वृद्ध आदमी है और मरने के लिए जा रहा है, ऐसे वक्त में कोई रजिस्ट्री आती है तो उस समय वे घर पर ही उसकी रजिस्ट्री करते हैं, घर पर ही उसके अंगूठे की निशानी वगैरह सारी लगवा लेते हैं और एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं।

सभापति महोदय, हमारे यहां तो तह-सीलों के अन्दर एक मुर्गी फंड होता है, उस मुर्गी फंड के अन्दर पैसा जमा होता है जो

(श्री रामस्वरूप मीणा)

सारा भ्रष्टाचार में जाता है। बड़े-बड़े अधिकारी आते हैं तो उनके लिए मुर्गे बनते हैं, दारू की बोतलें आती हैं और उन सब को खाते हैं, पीते हैं तब वह पैसा हजम होता है उनका। इस प्रकार का एक फंड चल रहा है, क्या आपने इस मुर्गी फंड को रोकने के लिए कोई व्यवस्था की? इस एक्ट का मतलब क्या फायदा हुआ? इतना लम्बा-चौड़ा यह एक्ट और बना कर ले आये आप, इसमें आपने दुनियाभर के काश्तकारों को लूटने के लिए और नयी बात पैदा कर दी। सभापति महोदय, मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया इस ऐक्ट में आप ऐसा कोई प्रोविजन लाएं जिससे यह भ्रष्टाचार रुके और वास्तव में रजिस्ट्री सही हों।

हमारे मेहंदीपुर बालाजी महान तीर्थ स्थान है, वहां पर भू-खण्डों की बड़ी भारी कीमतें हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : रामस्वरूपजी, यह तो बता दो वह पहले वाला एक्ट कब बना था जिसमें ये सारी बातें होती थीं?

श्री रामस्वरूप मीणा : मैं सब बता दूंगा। चिंता मत करो, उधर बैठूंगा तब सारी बातें बता दूंगा। आप इधर आओगे, मैं उधर बैठूंगा तब जवाब दूंगा आपको अगली बार।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बैठें। उत्तेजित नहीं करें उनको, भाषा कर्कश हो जाएगी।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय सभापति महोदय, मैं जो बातें कर रहा हूं वे बहुत महत्वपूर्ण हैं, किसानों के हित की बातें हैं। एक एक्ट कोई सामने आया है तो कम से कम हमारा यह फर्ज बनता है कि इसमें यदि कोई कमी है तो उसको हम बताएं। आप भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नया एक्ट लाये हो, जनता को सुविधा देने के लिए नया एक्ट लाये हो, इसका मकसद क्या है जब भ्रष्टाचार ही नहीं रुकेगा तो? हमारे यहां जो बढ़ी हुई कीमतें हैं, कई बार तहसीलदार और सब रजिस्ट्रार क्या करते हैं कि नोट लगा देते हैं उसके ऊपर। कार्यवाही पटवारी के यहां से शुरू होती है, वह भी पहले अपना परसेंटेज रखा लेता है उसके बाद बात आगे बढ़ती है। इस प्रकार की प्रक्रिया आपने जो रजिस्ट्री की बना रखी है उस प्रक्रिया को आप डायरेक्ट प्रक्रिया बनावें। बिचौलिये जो बीच में आ रहे हैं, उन्होंने रेट को ऊपर नीचे करने की व्यवस्था कर रखी है। मर्जी आये उस पर तो नोट लगा देते हैं, उसकी रजिस्ट्री की कीमत बढ़ जाएगी, भ्रष्टाचार की कीमत उसमें बढ़ जाएगी। जिसमें नोट नहीं लगाया जाएगा उसको सीधा पैसा ले लेंगे, वैसे कर देंगे ये।

इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि इसको लागू करने से पहले आपको यह विचार करना चाहिए था कि इस प्रकार का एक्ट में संशोधन करें ताकि काश्तकारों को परेशानी नहीं हो। रजिस्ट्री में बहुत बड़ी दिक्कतें आती हैं। भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। मुर्गी फंड हमारे यहां तैयार किया जा रहा है उस मुर्गी फंड को खतम करिये

२०१

(श्री रामस्वरूप मीणा)

आप। अगर आप इसको नहीं रोकेंगे तो मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री सभापति : आप मृदु बोले, इसके लिए बधाई। प्रभारी मंत्री उत्तर देंगे।

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय सभापति महोदय, हिण्डोली से आने वाले माननीय सदस्य ने विशेष रूप से एक बात रखी कि डी.आई.जी., स्टाम्प्स के यहां बहुत लम्बे समय से केसेज लम्बित हैं और कि इन का आदमी डिवीजनल हैडक्वाटर पर कोटा कैसे आएगा। नियमों में प्रावधान है और ये इंस्ट्रक्शंस भी हैं कि हर दो माह के अन्दर, तीन माह के अन्दर एक बार वे जिला मुख्यालय पर, उसके जूरिस्डिक्शन में जो जिला आता है उसमें कैम्प करेंगे। अगर बारां है तो बारां में, बूंदी है तो बूंदी में और झालावाड़ है तो झालावाड़ में। इस प्रकार जो-जो डी.आई.जी. हैडक्वाटर हैं वे स्थानीय जिले पर अपना कैम्प लगाते हैं। उस कैम्प की सूचना सम्बन्धित जिन लोगों के केसेज होते हैं, पैण्डिंग होते हैं, उनको दी जाती है तो वहां जाकर वे अपने केसेज का निपटारा करवा सकते हैं। कुछ केसेज हो सकते हैं कि चार-पांच साल से पैण्डिंग हों लेकिन अधिकांश केसेज का डी. आई. जी. के यहां पर उसी समय पर निर्णय कर दिया जाता है।

माननीय सभापति महोदय, उसका कारण यह है कि डाकूमैन्ट की वेल्युएशन का फर्क होता है, उसी के ऊपर वह इम्पाउंड होता है। रजिस्टरिंग अथोरिटी वैल्यू को ज्यादा मानता है। वह आब्जेक्ट करता है तो उसके आधार पर डी.आई.जी., स्टाम्पस के पास जाते हैं। उसके पास में जो भी एवीडेंस वह व्यक्ति जो रजिस्ट्री करवाता है, वह पेश करना चाहता है उसको लेते हैं। सामने से सरकारी तरफ से आदमी खड़ा होता है, वह जो एवीडेंस पेश करता है उन सारे एवीडेंस को देखकर माननीय सभापति महोदय, वैसे जुडीशियल प्रोसीडिंग्स में होता है वह माइण्ड एप्लाई करता है कि इन सब परिस्थितियों को देखते हुए वाजिब कीमत यह होती है। ऐसे हजारों केसेज डिसाइड हुए हैं जिनके अन्दर रजिस्टरिंग अथोरिटी ने जो कीमत तय कर दी उससे काफी कम कीमत पर भी रजिस्ट्री को एक्सेप्ट किया गया है और वह डिफरेंस जमा कराने के बाद डाकूमैंट्स उनको लौटाये गये हैं। तो यह कह देना मात्र कि इसमें बहुत समय लगता है, सही नहीं है। कुछ केसेज हो सकते हैं जिनके अन्दर बहुत ज्यादा आदमी कंटेस्ट करें, उसके बारे में एवीडेंस लाना चाहें और वह एवीडेंस समय पर पेश नहीं करें। इन सब के बावजूद भी एक और प्रावधान है नियम 66 (ए) के अन्दर, वह नोटिस देता है कि 30 दिन के अन्दर आप अपने डाकूमैंन्टस पेश करें, एवीडेंस पेश करें। यदि वह पार्टी पेश नहीं करती है तो वे स्वयं उसकी जांच करते हैं और जांच करने के तीन माह के अन्दर उस केस का निपटारा कर देते हैं।

लेकिन, माननीय सभापति महोदय, अधिकांश केसेज, अधिकांश क्या मुश्किल से 1–2 प्रतिशत केसेज को छोड़कर बाकी

(श्री अनंग कुमार जैन)

केसेज वहां पर कंटेस्ट होते हैं। कंटेस्ट होने के आधार पर जो भी एवीडेंस वहां रिकार्ड पर उपलब्ध होती है उस एवीडेंस के आधार पर निर्णय दिया जाता है।

दूसरा, टोडाभीम से आने वाले माननीय सदस्य माननीय रामस्वरूपजी ने एक एतराज किया। ये ही जानें कि कौनसा कोष है, इन्होंने बताया है। मेरे ध्यान में नहीं है, उसकी मैं जांच करवा लूंगा।

श्री सभापति : जनरल बातें थीं जो हो गयीं।

श्री अनंग कुमार जैन : ऐसे कोष के बारे में माननीय धारीवालजी भी ज्यादा जानते होंगे इसलिए मैं उनसे ही पूछ लूंगा कि यह कौनसा कोष होता है। माननीय सभापति महोदय, मैं सदन को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि वर्तमान में कोई नया कर इस एक्ट के माध्यम से नहीं लगाया गया है और न सरकार स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाना चाहती है बल्कि जो वर्तमान में प्रचलित दर है उनके अन्दर भी सरकार ने काफी रिलीफ दिया है।

श्री सभापति : मंत्री महोदय, कोई बात नहीं।

श्री अनंग कुमार जैन : मैं कुछ घोषणाएं कर रहा हूं, साहब।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय मंत्री महोदय, हमने मान लिया कि आपने बहुत छूटें दी हैं, लेकिन आपने पावर्स कलक्टर को दिये हैं डी.आई.जी. को नहीं हैं उसमें।

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय सभापति महोदय, सदस्यों के लिए जो उपयोगी चीजें हैं, जिनके माध्यम से आम जनता को काफी राहत मिलेगी वे सारी बातें मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को निवेदन कर रहा हूं कि क्या-क्या रिलीफ हम दे चुके और आगे क्या देने जा रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, आवासीय भूमि के विकास शुल्क को मुद्रांक कर से मुक्त किया गया है। राज्य सरकार जे.डी.ए., यू आई.टी. और आवासन मण्डल द्वारा बनाये गये मकानों एवं फ्लैट्स पर मुद्रांक कर 10 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत किया है। सरकारी एवं सरकार के निमित्त अचल सम्पत्ति के विक्रय के दस्तावेज पर मुद्रांक कर बाजार मूल्य के बजाय प्रतिफल की राशि पर लेने की छूट दी गयी है। बैंक या सहकारी समिति से गैर कृषि प्रयोजनार्थ लिये गये ऋण के बंधक-पत्रों पर मुद्रांक कर 5 प्रतिशत से घटाकर ऋण राशि का 1 प्रतिशत या 100 रुपये में से जो भी अधिक हो, किया गया है। सरकार, वित्तीय संस्थान, बैंक या सहकारी समिति से मकान बनाने या खरीदने या परिवर्तन करने के लिए लिये गये ऋण बंधक-पत्रों पर मुद्रांक कर 5 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत या 100 रुपये जो भी अधिक हो, किया गया है।

सरकार जे.डी.ए., यू.आई.टी. एवं आवासन मण्डल द्वारा बनाये गये मकानों व फ्लैट्स के हस्तान्तरण एवं लीज डीड पर

(श्री प्रनंग कुमार जैन)

मुद्रांक कर 10 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत किया गया है। दिनांक 31—3—97 से आवासन मण्डल के मकानों पर मुद्रांक कर मार्केट वेल्यू के स्थान पर प्रतिफल की राशि पर लेने की छूट दी गयी है। जे.डी.ए., यू.आई.टी. एवं नगरपालिका द्वारा आवंटित आवासीय भूखण्डों के हस्तान्तरण दस्तावेज पर मुद्रांक कर 10 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत किया गया है। राज्य सरकार द्वारा रीको के लिए भूमि अवाप्त करने या आवंटित करने से सम्बन्धित दस्तावेजों पर मुद्रांक कर की छूट दी गयी है। कृषि उपज मण्डी द्वारा आवंटन के पक्ष में निष्पादित बंधक-पत्र एवं किरायेनामे पर मुद्रांक कर 10 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत कर दिया गया है। तीन या अधिक मंजिल के फ्लेट्स हस्तान्तरण पत्रों पर मुद्रांक कर 10 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत किया गया है।

रीको द्वारा आवंटित औद्योगिक भूखण्डों, लीज डीड दर मुद्रांक कर 10 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत किया गया है। रजिस्टर्ड प्राइवेट संस्थाओं के कर्मचारियों द्वारा मकान बनाने, क्रय करने या परिवर्तन करने के लिए संस्था से लिये गये ऋण के बंधक-पत्र पर मुद्रांक कर 5 प्रतिशत से घटाकर ऋण राशि का 1 प्रतिशत या 100 रुपये जो भी अधिक हो, किया गया है। राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ द्वारा आवंटित आवासीय मकानों के दस्तावेजों पर मुद्रांक कर 10 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत किया गया है।

राजस्थान आवासन मण्डल, जे.डी.ए., यू.आई.टी., रीको एवं नगरपालिका द्वारा आवंटित भूखण्डों एवं मकानों के दस्तावेज आवंटन एवं विक्रय के अगले वित्तीय वर्ष तक निष्पादित एव पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने पर मुद्रांक कर 10 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत किया गया है एवं सभी पुराने मामलों में 31-3-97 तक की छूट की अवधि बढ़ायी गयी है। सरकार, आवासन मण्डल, जे.डी.ए., यू.आई.टी., नगरपालिका और रीको द्वारा पारस्परिक करार द्वारा क्रय किये गये भूखण्डों के दस्तावेजों पर मुद्रांक कर की छूट दी गयी है।

सरकार, आवासन मंडल, जे.डी.ए., यू.आई.टी., नगरपालिका, रीको, आवास संघ, कृषि उपज मंडी समिति, पंचायत समिति व अन्य सरकारी निकायों द्वारा आवंटित विक्रय की गयी अचल सम्पत्ति के दस्तावेजों पर मुद्रांक दर मार्केट वेल्यू के स्थान पर प्रतिफल ब्याज शास्ति एवं दो वर्ष के औसत किराये पर लेने की छूट दी गयी है। पैतृक सम्पत्ति के विभाजन पत्र पर मुद्रांक दर दस प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत या दस हजार रुपये में से जो भी अधिक हो, किया गया है। दिनांक 16-7-98 से 15-10-98 तक निष्पादित एवं पंजीयक हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों पर मुद्रांक कर दस प्रतिशत से घटाकर सात प्रतिशत किया गया है। पंजीयन हेतु प्रस्तुत एवं लम्बित दस्तावेजों पर यदि अतिरिक्त मुद्रांक कर बनता है तो दिनांक 15-10-98 तक जमा कराने पर दस प्रतिशत के स्थान पर सात प्रतिशत की दर लागू होगी। कलक्टर मुद्रांक के न्यायालय में विचाराधीन

(श्री ग्रनंग कुमार जैन)

प्रकरणों में विवादित राशि दिनांक 15-10-98 तक जमा करवाने पर मुद्रांक कर दस प्रतिशत से घटाकर सात प्रतिशत लागू होगा। बकाया मुद्रांक कर पंजीकृत शुल्क एवं शास्ति दिनांक 15-10-98 तक जमा कराने पर ब्याज की छूट दी जाएगी। पैतृक सम्पत्ति में मृतक पुत्र के पुत्र एवं पुत्री के पक्ष में हक तैयार करने पर भी मुद्रांकन की रियायत 100 रुपये लागू की गयी है।

तो, माननीय सभापति महोदय, मैंने जितने भी यहां ग्रापके सामने पढ़कर सुनाये किसी में भी टैक्स बढ़ाया नहीं गया बल्कि टैक्स घटाया गया है। विभिन्न संस्थाग्रों के माध्यम से जिन लोगों ने मकान ले लिये हैं ग्रौर मकान सीधा हस्तांतरण करना चाहते हैं उन सबके ऊपर टैक्स की दर को हमने घटाया है ग्रौर इस साल के वित्त वर्ष के ग्रन्दर ग्रौर उनको मौका दिया है कि वे इसका रजिस्ट्रेशन करा सकें। तो, जो स्टाम्प एक्ट वर्तमान में प्रचलित है उसके ग्रन्दर इतनी छूट हम दे चुके ग्रौर ग्रागामी समय के लिये भी दी गयी हैं। लेकिन ये सब चीजें एक जगह ग्रादमी को मिलें ग्रौर राजस्थान की आम जनता सुविधा की दृष्टि से इस एक्ट को देख सके, राज्य सरकार द्वारा दिये गये फायदे को उठा सके। इस प्रकार का स्पष्ट कानून बनाने से बिचौलिये समाप्त हो जाएंगे। ये बिचौलिये समाप्त नहीं करना चाहते हैं, राज्य सरकार चाहती है कि संवाद सीधा स्थापित हो ग्रामीण जनता से सरकार का ग्रौर बिचौलिये समाप्त हों इसलिये भी यह कानून ग्रापके सामने लाये हैं। इसको पारित किया जाए।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान स्टाम्प विधेयक, 1998 को पारित किया जाए ?

(स्वीकृत)

राजस्थान स्टाम्प विधेयक, 1998 को पारित किया गया।

श्री शिवनाथ सिंह : मान्यवर, गलती हो रही है। क्लाज बाई क्लाज पास होना चाहिये। हर एक क्लाज को पास करना पड़ेगा ग्रापके टाइटल ग्रौर वे ग्रलग पास करने पड़ेंगे। इसलिये प्रोसीजर से मत हटिये ग्राप। कौनसे क्लाज हैं, क्लाज से ग्राप कर सकते हैं लेकिन हर क्लाज को पास करना पड़ेगा। माननीय सभापति जी, इसलिये वह टाइटल ग्रलग पास करना पड़ेगा।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : खण्डशः पारित होगा।

श्री रामनारायण चौधरी : आप रीग्रोपन कर रहे हैं क्या ?

श्री शिवनाथ सिंह : नहीं, मैं री-ग्रोपन नहीं कर रहा हूं।

श्री सभापति : क्लाज में ग्रमैंडमैंट है क्या ?

श्री शिवनाथ सिंह : ग्रमैंडमैंट नहीं हो।

श्री सभापति : ग्रमैंडमैंट नहीं है क्लाज में।

श्री शिवनाथ सिंह : आपको यह कहना पड़ेगा कि क्लाज वन, क्लाज टू ...

श्री सभापति : क्लाज में अमेंडमेंट है क्या ? नहीं है ना ?

श्री शिवनाथ सिंह : नहीं हों लेकिन फिर भी खण्डश: पारित करना होगा आपको।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : नहीं है फिर भी खण्डश: पारित होगा।

श्री रामनारायण चौधरी : सभापति महोदय, यह तो हो गया पास। अब आप खण्डश: टाइटल कैसे पास कराओगे ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : कोई अमेंडमेंट नहीं आया।

श्री शिवनाथ सिंह : अमेंडमेंट नहीं हों लेकिन एक-एक खण्ड पास कराना पड़ेगा आपको।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ऐसा कहां है?

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : यह नयी प्रक्रिया मत स्थापित कीजिये।

श्री रामनारायण चौधरी : गलती तो भयंकर हो गयी।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : कानून बनाने वाली संस्था ही अगर कानूनों का उल्लंघन करे तो...

श्री रामनारायण चौधरी : गलती भयंकर हो गयी लेकिन इसका परिमार्जन नहीं होता।

श्री शिवनाथ सिंह : गलती भयंकर हो गयी लेकिन आगे से यह परिपाटी नहीं रहे।

श्री सभापति : लगभग क्लाज में अब कोई अमेंडमेंट नहीं हो..(व्यवधान).

श्री घनश्याम तिवाड़ी : एक मिनट मैं निवेदन करूंगा। सभापति महोदय, हमारे नियमों में यह प्रावधान है कि मान लीजिये पांच खण्ड हैं, पांच खण्ड में से अगर एक खण्ड में संशोधन है तो अपन को क्या करना पड़ेगा कि अपन कहेंगे कि खण्ड एक और दो में कोई संशोधन नहीं, उन पर विचार हो जाएगा। फिर जिस खण्ड में संशोधन है उस पर विचार होकर उसको अलग से पारित करेंगे, बाकी जो दो खण्ड हैं उनको अलग से पारित करेंगे। यहां स्थिति यह है कि किसी भी खण्ड में अमेंडमेंट नहीं है इसलिए खण्ड के हिसाब से पारित करना आवश्यक नहीं है। दूसरी बात यह है कि अब पारित हो गया है, पारित होने के बाद..

श्री रामनारायण चौधरी : पारित हो गया है यह अलग बात है।

श्री शिवनाथ सिंह : पारित हो गया है वह दूसरी बात है लेकिन आपको एक एक खण्ड अलग से पास कराना होगा। आगे से ऐसा नहीं हो।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : आगे से ऐसा नहीं होगा यह कहिये ।

श्री रामस्वरूप मीणा : चलो, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना । अब तो गलती से पारित हो गया है, आगे से ध्यान रखना इस बात का । सबक सीखो इससे ।

विधेयक पर विचार

श्री सभापति : श्री गंगाराम चौधरी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1998 को विचारार्थ लिया जाए ।

राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1998

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मंत्री) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1998 को विचारार्थ लिया जाए ।

श्री सभापति : श्री शिवनाथ सिंह ।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय सभापति जी, राजस्व मंत्री महोदय ने एक बिल पेश किया है । इसके क्लाजेज जो हम देखते हैं इन्नोसेंट लगते हैं क्योंकि कुछ जिले बन गये, तहसीलों में हेराफेरी हो गयी इसलिये आप यह कर रहे हैं, लेकिन, माननीय सभापति जी, मैं तो इसकी जड़ में जाना चाहता हूं । एक समय था जब देश में समाजवाद का स्युडो सोशलिज्म चला और काश्त की जमीनों का सबसे कम टुकड़ा रखकर सीलिंग लगाए वह ही प्रांत सबसे प्रोग्रेसिव माना जाता था । उसी बहाव में हम भी आ गये । आज, माननीय सभापति जी, यह जो सरकार केन्द्र में बनी है या जो सरकार यहां है यह तो लिबरल पालिसी को अख्तियार करने वाली है । इसलिये आज के जमाने में इस प्रकार का यह सीलिंग कानून रहे या नहीं रहे, इस पर हमको सोचना पड़ेगा ।

मेरा निवेदन यह है कि आज जमीनों के टुकड़े होते होते इतने छोटे हो गये हैं कि आज सीलिंग कानून की आवश्यकता ही नहीं है । आज आवश्यकता इस बात की है कि खेती में सुधार किया जाए, काश्तकार को सहूलियत दी जाए और बड़े होल्डिंग्स हों तो पैदावार बढ़े । उस वक्त के विचार में, सोच में और आज के सोच में बहुत बड़ा फर्क है । इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सीलिंग कानून पर माननीय राजस्व मंत्री जी विचार करें और सीलिंग के सम्बन्ध में जो कानून है उसको भी आप रद्द करने के लिये यहां प्रस्ताव लायें ।

दूसरी बात मैं आपसे निवेदन करूंगा, सभापति जी, यह सरकार अभी बिल लायी और अभी पास कराना चाहती है । मैं सदन के सामने यह बात लाना चाहता हूं कि काश्तकारों के हित के लिए दो बिल इस विधान सभा में पेंडिंग हैं टीनेन्सी बिल और लेण्ड रेवेन्यू बिल । वे दोनों यदि पास करतो यह विधान सभा, यदि सरकार उनको यहां लाती तो ये सीलिंग वगैरह के

(207)

(श्री शिवनाथ सिंह)

जो आप अमेंडमेंट ला रहे हो इसकी आवश्यकता नहीं थी। काश्तकारों के हित के लिये जो कानून बनने वाला है, उसको तो आप लाना नहीं चाहते और पब्लिक को दिक्कत हो, कठिनाई हो, इस प्रकार के कानून भाग-दौड़ में पास कराना चाहते हैं। जो सलेक्ट कमेटी में पास हो चुके, लाखों से भी अधिक रुपया खर्च करने के बाद सब एक्सपर्ट्स की राय आयी, रेवन्यू बोर्ड के मेम्बर्स हुए, सब जिला कलक्टरों से बात हुई और एक सीधा कानून जो हमने बनाया था, जो सलेक्ट कमेटी ने किया था उसको सरकार यहां पास नहीं करना चाहती क्योंकि किसान विरोधी नीति है इनकी। यदि यह किसान विरोधी नहीं होती तो उन दोनों कानूनों को भी पास कराती। वह जब पास करा लेते तो फिर सीलिंग कानून जो आज राजस्व मंत्री जी ला रहे हैं, इस प्रकार के कानून को यहां लाने की आवश्यकता नहीं थी।

इसलिए मेरा निवेदन है कि इस पूरी बात पर विचार करें कि आज सीलिंग कानून की आवश्यकता ही नहीं है, तब इस प्रकार के कानून का आज हम प्रावधान रखें या नहीं रखें। क्योंकि कितना सीलिंग हम करना चाहते हैं? अब दो-दो बीघा, तीन-तीन बीघा के टुकड़े हो गये। इस प्रकार से काश्तकार का अहित किया जा रहा है, काश्तकारों को चारों तरफ से तंग किया जा रहा है। आज आवश्यकता जिस प्रकार की है वह तो नहीं कर रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस बिल को सलेक्ट कमेटी में भेजा जाए और पूरे सीलिंग कानून का विवेचन हो उसके बाद यह यहां आए सदन में पास करने के लिये।

श्री सभापति : श्री रामनारायण चौधरी, सदस्य विधान सभा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : सभापति महोदय, जनमत जानने का इसमें प्रस्ताव है। माननीय मंत्री महोदय का अमेंडमेंट बहुत इन्नोसेंट है। इसमें और कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं तो मूलतः राजस्थान कृषि जोतों पर अधिरोपण विधेयक जो है उसके ही बारे में इस अमेंडमेंट के द्वारा विचार व्यक्त करना चाहता हूं।

(18.00 बजे)

माननीय सभापति जी, मंत्रीजी से मैं पूछना चाहता हूं कि राजस्थान का लैंड सीलिंग एक्ट है, आज के दिन भी कुछ जिलों में कुछ लोगों के लिये एक तलवार की तरह से ऊपर लटका हुआ है। गंगानगर जिला, कोटा जिला, दूसरे और जिले, इनमें राजा लोग और भूतपूर्व जागीरदार, ये सब लोग सीलिंग एक्ट से आज भी दुखी हैं और हो कुछ नहीं रहा है। सीलिंग से किसी को कोई नुकसान इस वक्त नहीं है, लेकिन सबके ऊपर तलवार लटकी हुई है। गंगानगर में न जाने कितने केसेज आज भी खुले हुए हैं। एक दूसरे की शिकायत करके इसको खुलवा देते हैं और खुलने के बाद ऐसी मुसीबत उसके ऊपर आ जाती है

श्री रामनारायण चौधरी)

जिसका कोई ठिकाना नहीं । आज राजस्थान के अन्दर सीलिंग की जमीन ही नहीं है तो फिर लैंड सीलिंग एक्ट के रखने का क्या तात्पर्य आपकी समझ में है ?

सभापति महोदय, मैं मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि आपका वर्तमान में जो लैंड सीलिंग एक्ट है, इसको किस प्रयोजन में किस तरह से आप काम में ला रहे हैं ? आप दो जिलों की वजह से यह लाये हैं, इन दोनों जिलों के अन्दर भी जमीन है ही नहीं सीलिंग की । तो फिर यह छोटा-सा अमेंडमेंट लाकर आपने क्यों इसमें कष्ट उठाया है ? इसकी उपयोगिता किस तरह से आएगी ? लैण्ड सीलिंग एक्ट की आज क्या आवश्यकता है ? मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, क्या आपकी राय यह है आज के दिन कि इस लैंड सीलिंग एक्ट को जारी रखा जाना चाहिये ? और जारी रखा जाना चाहिये तो इसकी उपयोगिता क्या है ? किस तरह से काश्तकारों के हित में होगा ?

मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं मांग करता हूं मंत्री महोदय से, भामड़ा साहब बैठे हैं, ये लैंड रेवेन्यू एक्ट और राजस्थान टीनेंसी एक्ट को पास नहीं करना चाहते क्योंकि उसमें गरीब काश्तकारों को और गरीब लोगों को मदद मिलेगी । राजस्थान स्टाम्प विधेयक, 1998 को पास करवाया, इसमें इन्होंने लैंड रेवेन्यू की तो छूट दी होगी थोड़ी-बहुत, लेकिन करोड़ों रुपये बिना टैक्स के इस कानून के द्वारा वसूल कर लेंगे । इनकी बदनामी भी नहीं होगी, कहीं चर्चा भी नहीं होगी और करोड़ों रुपये के खजाने की ये आमदनी कर लेंगे । ऐसे ही यह आपका लैंड सीलिंग एक्ट है । इसकी उपयोगिता बताइये, रेवेन्यू मिनिस्टर साहब आप अपने भाषण के वक्त में कि आज के दिन राजस्थान में आप के इस एक्ट की आवश्यकता भी है क्या ? और है तो किस प्रकार से है ?

श्री सभापति : श्री गोविन्द सिंह गुर्जर, सदस्य, विधान सभा, विधेयक को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे ।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण विधेयक, 1998 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाए जो अपना प्रतिवेदन एक माह में प्रस्तुत करे ।

सभापति महोदय, जो वर्तमान में संशोधन आये हैं उनके सम्बन्ध में तो मेरा इतना ही कहना है कि मूल कानून में ही आप परिवर्तन कर दें....

श्री सभापति : एक मिनट । माननीय सदस्य, एक मिनट के लिये बिराजिये । अभी खडशः बिल को पास करने की बात आयी थी जब कहा था कि क्लाज में अगर किसी में अमेंडमेंट नहीं है...

श्री शिवनाथ सिंह : वह तो कर दिया । वह तो हो गया ।

Page No.192

(309)

श्री सभापति : पास हो गया नहीं, यह बात थोड़ी स्पष्ट कर दूं आपको। राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया नियम के अन्दर विधेयक का पारण जो है वह 85 नम्बर पर आप देख लें। जब यह प्रस्ताव कि विधेयक पर विचार किया जाए, स्वीकार हो गया और विधेयक में कोई संशोधन न किया जाए, तब प्रभारी सदस्य तुरन्त ही यह प्रस्ताव कर सकेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री शिवनाथ सिंह : इसमें क्या हुआ? इसमें क्या हुआ? पारित किया जाए, वह कहें लेकिन फिर आपको यह कहना पड़ेगा क्लाज यह, क्लाज यह यह, पास किये जाते हैं। लेकिन हो गया सो हो गया।

श्री सभापति : अब, माननीय सदस्य, बोलें।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस कानून की अब कोई आवश्यकता नहीं है। आपने सीलिंग लागू कर दी, उस सीलिंग से अधिक किसी भी व्यक्ति के पास आज की तारीख में भूमि है नहीं। ऐसी सूरत में इस कानून को आप यहां लागू करना चाहते हैं कि कोई खरीद नहीं ले आगे भविष्य में। कोई वापस जागीरदार नहीं बन जाए, उसको रोकने के लिये इस कानून की जरूरत नहीं है। लैंड रेवेन्यू एक्ट और टीनेंसी एक्ट काफी जद्दोजहद के बाद, बहस के बाद सुविचारित आपके पास पड़े हुए हैं, मैं कहूंगा आप उनको क्यों नहीं पास करवाते हैं? उसको आप नहीं करवाना चाहते हैं, क्योंकि किसानों को लाभ हो वह काम तो आप करना नहीं चाहते और उनके पर कतरने का काम आप इस कानूनों के जरिये करना चाहते हैं। अभी और जिले बनेंगे कोई कोटपूतली बनेगा, कोई प्रतापगढ़ बनेगा, कोई ब्यावर बनेगा, फिर और करोगे आप इस तरह से। तो बेहतर है, अच्छा है कि मूल एक्ट में ही आप परिवर्तन कर दें कि अगर कोई नया जिला बनता है तो सुओ मोटो उसको माना जाएगा कि वह सीमा उसमें आयी है। उसमें यह कानून लागू होगा तो यह बार-बार लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

अभी शिवनाथ सिंह जी ने कुछ बातें कहीं हैं, मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं। सभापति महोदय, आपको भी ध्यान होगा, आप गये भी होंगे, इस भूमि सीलिंग कानून को अगर हमारे देश में कहीं ईमानदारी से, निष्ठा से लागू किया गया है तो वह पश्चिम बंगाल है, जहां भूमि को वास्तव में बांटा गया है और उतनी ही भूमि एक आदमी के पास है जितनी सीलिंग में है। हमारे राजस्थान में तो मुझे याद है, मेरे और पुराने साथी जो यहां हैं, उनको भी ध्यान होगा, माननीय विधायक हुआ करते थे श्योपत सिंह, गंगानगर जिले से जीतकर आते थे। जब भी वे खड़े होते थे तो लोग कहते थे कि आपके पास 800 बीघा जमीन है और वे कहते थे मेरे पास 800 बीघा जमीन है और आपकी सरकार ने कानून बना रखा है मेरी जमीन छीन लो। तो लोगों के पास जमीन है, अब उन्होंने किस नाम से किस तरीके से कुछ व्यवस्था कर रखी है। वह तो काम आप करते नहीं हो।

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

अगर आप में दम है तो उन लोगों से लीजिये और गरीबों में बांटिये जिनके पास भूमि नहीं है। आज भी लाखों लोग राजस्थान में भूमिहीन हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि इसकी जो क्रियान्विति है उसको आप सही ढग से करेंगे तो कुछ न कुछ नतीजा निकलेगा। लैंड रेवेन्यू एक्ट और टीनेंसी एक्ट इसी सत्र में लाइये, क्योंकि यह आपका और हमारा आखिरी सत्र है जो चुनकर आएंगे वे आएंगे। इसके लिये समय बढ़ाइये। बाकी यह जो कानून ला रहे हो कराधान के, दूसरे कानून ला रहे हो, उनको तो छोड़ो और यह किसानों के फायदे की चीज है इसको आप लाओ।

श्री सभापति : प्रभारी मंत्री उत्तर देंगे।

श्री गंगाराम चौधरी : सभापति महोदय, जो बिल यहां पर लाया गया है इसका तो तात्पर्य केवल यह है कि नया जिला करौली जोड़ा गया है और उसकी जो पांच तहसीलें हैं, शिड्यूल में संशोधन करके उनको फर्टाइल और सेमी फर्टाइल जोन में रखा है। इतना-सा संशोधन है। पहले सवाई माधोपुर का भाग थीं ये पांचों तहसीलें, उस सम्बन्ध में तो माननीय सदस्य सबने सहमति दी है। इस बिल के सम्बन्ध में तो ऐतराज नहीं है, लेकिन कुछ और बातें कही हैं जिनमें मुख्यत: यह बात आयी कि सीलिंग कानून को तो खतम कर दिया जाए।

मैं यह निवेदन करना चाहता हू कि वैसे तो इसकी अनुपालना काफी कुछ हो चुकी है राजस्थान में और इस वक्त में 1012 केस सीलिंग कानून के तहत मूल रूप से एस. डी. ओज. के पास में विचाराधीन हैं। काफी कुछ लैंड है, सभी न्यायालयों में किये जा चुके हैं। मेरे पास इस सम्बन्ध में कुछ आंकड़े भी हैं। मैं निवेदन करूं कि हमारे पास में जो मुकदमे दर्ज हुए वे 87,000 थे और उनमें 86,754 में निर्णय हुए हैं। केवल 1012 शेष रह गये हैं। जमीन भी काफी प्राप्त हुई है और शिड्यूल कास्ट के लोगों में भी बहुत बांटी गयी है। 80160 व्यक्ति इसमें लाभान्वित हुए हैं जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग 40300 हैं। 50 प्रतिशत हमने लाभान्वित किये हैं। तो सीलिंग कानून का लाभ तो मिला है। इस वक्त भी सीलिंग कानून की जरूरत है। इसका मुख्य कारण यह है कि हमारे राजस्थान के अन्दर खातेदारी जमीन के ट्रांसफर की छूट है। हस्तांतरण की छूट है और गिफ्ट की भी छूट है। दान की भी है, वसीयत की भी है। तो जो भी ट्रांसफर के 3-4 मोड हैं उनके जरिये आदमी जमीन इकट्ठी आज भी कर सकता है। कोई पैसे वाला आदमी, करोड़पति है वह चाहे और उस पर हम किसी तरह की सीलिंग नहीं लगाएं तो हजार बीघा भी वह खरीदकर अपना एक बड़ा फार्म बना सकता है। इसलिए कानून की जरूरत तो आज भी है। यह जरूर है कि इसमें अब तक जो छोटे किसान थे वे तो कुछ समान-से हो गये। यह बात भी सही है कि जनसंख्या बढ़ी है और बंटवारा हो गया है तो बहुतों के पास में कम जमीन है। अभी भी भूमिहीन गांवों

(श्री गंगाराम चौधरी)

की कुछ संख्या है; उनको जमीन भी हम बांट रहे हैं। तो सीलिंग कानून बिलकुल खतम कर दिया जाए इसके तो मैं पक्ष में नहीं हूं क्योंकि ट्रांसफर की छूट होने की वजह से अगर बिलकुल खत्म कर दिया गया तो पूंजीपति लोग बड़े-बड़े फार्म खरीद लेंगे। हमारे ट्रांसफर के अन्दर यह बंदिश नहीं है कि केवल एग्रीकल्चरिस्ट ही खरीदें। कोई भी खरीद सकता है, व्यापारी खरीद सकता है। आवंटन में हमने केवल यह किया है कि भूमिहीन व्यक्ति हो, किसी भी प्रोफेशन करने वाला व्यक्ति हो, उसको आवंटन किया जाएगा। यह तो मुफ्त में होता है, जिसका हम पैसा नहीं लेते हैं। आवंटन में तो यह बंदिश है, लेकिन तबादले में, खरीद में किसी तरह की बंदिश नहीं है। तो इस कानून की अति आवश्यकता है।

कुछ और चीजें भी आपने दो बिलों के सम्बन्ध में कहीं। माननीय सदस्य ने कोटा और गंगानगर जिले में आज भी तलवार लटकने की कुछ बात कही है। कुछ केसेज हैं मैं मानता हूं अभी तक भी। लेकिन उसमें न्यायालय की देरी इतनी नहीं है जितनी कि वकील और जिसके ऊपर मुकदमा चला है उसकी। वे आगे से आगे तारीखें लेते हैं, अपील करते हैं, फिर केसेज रिमाण्ड होते हैं। इस वजह से कुछ केसेज पड़े हैं। कोटा में भी हैं और कुछ केसेज गंगानगर में भी हैं। हम उनके निस्तारण का तकाजा कर रहे हैं और इस संबंध में इंस्ट्रक्शन भी दिये हैं। भारत सरकार की रूरल एरियाज एण्ड एम्प्लायमेंट की जो मिनिस्ट्री है वह भी इस दिशा में निगरानी रखती है और वह समय-समय पर भारत सरकार के मंत्रालय से हमें कुछ हिदायतें आती हैं, उसकी हम तामीलें करते हैं। तो तकाजा यह है कि जल्दी से जल्दी इन केसों का निस्तारण किया जाऐ। जो जमीन अभी कुछ बची पड़ी है और कोर्ट के आदेश; स्टे की वजह से जो बांट नहीं पाये हैं उन जमीनों को भी हम जल्दी से जल्दी भूमिहीन व्यक्तियों में बटवारा कर देंगे, उनका आवंटन कर देंगे।

मैं इसलिए निवेदन यह करना चाहता हूं कि इन कानूनों को अभी तक खत्म करने की कोई राष्ट्रीय नीति और हमारे राज्य की नीति भी नहीं है। अब दो बिलों के संबंध में है वह तो बिजनस कमेटी जब भी लाएगी वे आ जाएंगे, इस सबध में मैं कुछ निवेदन कर नहीं पाऊंगा। मेरा निवेदन है कि इसको विचारार्थ लिया जाए।

श्री शिवनाथ सिंह : सभापति महोदय, माननीय राजस्व मंत्री जी यहां हैं, पार्लियामैन्ट्री अफेयर्स मिनिस्टर यहां हैं और हमारे चीफ व्हिप भी यहां हैं आज हमने देख लिया कि शासन के आदेश के अनुसार कोई भी रूल रिजेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं प्रतिपक्ष की तरफ से निवेदन करना चाहूंगा कि जो दोनों बिल हैं वे आप कल ही पास करा लीजिये। हमको उनको इंट्रोडक्शन में, डिस्कशन में कुछ भी नहीं करना है। जैसे थे वैसे के वैसे आप पास कर दीजिये, हमें कोई एतराज

Page No.195

(212)

(श्री शिवनाथ सिंह)

नहीं होगा। इन दोनों बिलों के लिए आपने प्रावधान किये हैं वे प्रावधान उन पर करके दोनों बिलों को पास कर दीजिये। हम इसमें कोई देर नहीं लगाना चाहते हैं, कल ही आप पास करा लीजियेगा। यही मैं सबकी तरफ से कहूंगा।

श्री सभापति : आपको उत्तर तो मिलता है ना ? उत्तर तो मिलता ही है ना आपके प्रश्नों का ?

श्री शिवनाथ सिंह : प्रश्न का नहीं...

श्री सभापति : आपके संशोधन वगैरह में...(व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : मैं दोनों बिलों के लिए कह रहा हूं कि दोनों बिल कल पास करा लीजिये, हमारी तरफ से कोई एतराज नहीं होगा, टीनेन्सी बिल और लैण्ड रेवेन्यू बिल।

श्री सभापति : मंत्री जी के उत्तर से अगर सदन संतुष्ट होता है तो पारित होता है कोई बिल।

श्री शिवनाथ सिंह : दोनों कल पास करा लीजिये, मंत्री बैठे हैं, पार्लियामैंट्री अफेयर मिनिस्टर बैठे हैं, हमें कोई एतराज नहीं होगा। हम कोई एतराज नहीं करेंगे।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1998 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकृत)

जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1998 को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकृत)

प्रवर समिति को सुपुर्द करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1998 को विचारार्थ लिया जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री गंगाराम चौधरी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1998 को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मंत्री) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1998 को पारित किया जाए।

श्री अमराराम (धोद) : सभापति महोदय, सीलिंग एक्ट संशोधन विधेयक मंत्री जी ने विचारार्थ लेने के लिए प्रस्ताव किया है और पारित करने के लिए। हमारे सीलिंग के जो केस हैं, मंत्री जी जवाब देंगे कि जो पूर्व महाराजा और नरेश हैं, एक हजार बचे हुए जो केस हैं उनमें वे कितने हैं। आज इस सीलिंग एक्ट को, भूमि सुधार को और आगे ले जाने की आवश्यकता है। राजस्थान के ग्रामीण परिवेश में जो सबसे ज्यादा गरीब है, जो आज खेत पर मजदूरी करता है, खेत मजदूर है, जिसके लिए कोई प्रोविजन नहीं है, आज उनके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है।

इस राजस्थान के सिंचित इलाके गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, चाहे वे बिजली से इरिगेटेड हैं, उस ग्रामीण परिवेश में भी सबसे गरीब लोग हैं जो उसकी बंटाईदारी पर काम करते हैं। खेती तो करते हैं लेकिन उनका कानूनी हक इसमें कोई भी नहीं है। आज बहुत बड़े-बड़े पैसे वाले लोग, भ्रष्टाचार से जिन्होंने पैसा लिया है, उसको एक नम्बर में करने मात्र के लिए उस जमीन का उपयोग किया जा रहा है। वे उस पर खेती नहीं करते हैं। जो खेती करते हैं उनका कहीं इंद्राज नहीं, कोई राजस्व रिकार्ड नहीं है जिस काश्त गिरदावरी के आधार पर राजस्थान के किसान को खातेदारी हक मिला है, जिसको राजस्थान की पूर्व सरकार ने निरस्त कर दिया।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि राजस्थान के एन्टायर ग्रामीण इलाके में जो सबसे ज्यादा गरीब हैं, जो खेती में काम करते हैं-मैं उन फार्म हाउस की बात नहीं करता जो राजधानी के चारों बड़े-बड़े अफसरों और बड़े-बड़े राजनेताओं के हैं, जिनकी 200-200 बीघा के चारों ओर 8-8 फीट का डंडा है। वे कोई खेती नहीं करते, लेकिन खेती करने वाले का राजस्व रिकार्ड में कोई इंद्राज नहीं है। जब तक आप उसको राइट नहीं देंगे, कृषि उत्पादन राजस्थान का नहीं बढ़ सकता और राजस्थान का विकास नहीं हो सकता।

आजादी के 50 साल के बाद भी, कानून बनने के 40 साल बाद भी उन राजा और महाराजाओं से जिनसे एक्सेस जमीन लेनी चाहिये थी, सरकारें बदल गयीं लेकिन आज भी वे जमीनें हम नहीं निकाल पाये हैं। विशेष तौर पर कोटा क्षेत्र में सीलिंग से जिन गरीबों को जमीन मिली थी उनको रीओपन करके, उन गरीब किसानों से जमीन वापस लेकर बड़े जागीरदारों और जमींदारों को वापस देने का काम इस राजस्थान की सरकार ने किया है, जो गरीब विरोधी है और सामंती पक्षधर सरकार है। इसका जवाब मंत्री जी देंगे, यही मुझे निवेदन करना है।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने कहा है कि यह हम जो ला रहे हैं, इसलिए ला रहे हैं कि नया जिला बनाया है हमने करौली, उसमें हमारी तहसीलें, नादौती, टोडाभीम हिण्डौन, सपोटरा हैं। इन सारी तहसीलों को तो आपने उसमें मिला लिया लेकिन वहां की जनता को अभी तक यह पता नहीं है कि हमारा जो जिला बना है, इसकी सीमा कहां तक है। इस तरह सीमा का विवाद हमारे चल रहा है। ठीक है, आप इसमें संशोधन कर रहे हैं लेकिन इस संशोधन के कारण कई विवाद भी पैदा हो रहे हैं। कृपया आप मेहरबानी करके इन विवादों को खतम करिए। आप स्पष्ट करें कि वास्तव में सीमाएं कहां तक आप रख रहे हैं, कहां से उसे लागू किया जा रहा है, कौन-कौनसी भूमि उसमें आ रही है।

इसी तरह पूर्व में जो सीलिंग की हजारों बीघा जमीन आई थी मेरे क्षेत्र के अंदर राजा महाराजाओं की, उसको कांग्रेस के टाइम में गरीबों को बांटा गया था। सभापति महोदय, वह सीलिंग की जमीन जो एस.सी. के लोगों को बांटी गयी थी, एस.सी. के लोगों के कब्जे उस पर आज तक नहीं हो पाए है। क्या आप मेहरबानी करके, मंत्री महोदय, जिनको सीलिंग की जमीन मिली है, जिनके नाम से अलाटमैंट हुआ है, उनको कब्जा दिला देंगे? जब आप उनको ही कब्जा नहीं दिला सकते तो इसमें संशोधन लाने की क्या जरूरत है, यह बता दीजिए मुझे तो। इसलिए आप यह जो नया बिल ला रहे हैं, इसको न लाकर पुराना जो है इस समय जो कांग्रेस के टाइम का है, राजा-महाराजाओं के पास अनाप-शनाप जमीन थी, उसको गरीबों में बांटने के लिए जो बिल बना था, कृपा करके उसी को क्यों नहीं लागू करते? उसमें आप इसको जोड़ दीजिए, आपको क्या दिक्कत है? इसलिए पुनः आप इस प्रकार की बातें जो पैदा कर रहे हैं, न करें। यह गलत है।

इसी तरह माननीय मंत्री महोदया यहां बैठी हैं, इन्होंने भी पुराने किले ठीक कराना शुरू कर दिया। इन्होंने भी पुराने किले ठीक करवाना शुरू कर दिया, 10-10 लाख रुपए देना शुरू कर दिया 10-10 लाख रुपए दे रही हैं, 10 लाख रुपए।

श्री सभापति : शांत रहें।

श्री राजेन्द्र राठोड़ (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) : माननीय सदस्य, आप बोल किस पर रहे हैं?

श्री रामस्वरूप मीणा : बड़े-बड़े जो ठिकाने हैं....

श्री सभापति : कृपया इसी पर बोलें।

श्री रामस्वरूप मीणा : 10–10 लाख रुपए दे रही हैं, वह तो मैंने उदाहरण दिया है, साहब।

श्री सभापति : प्रभारी मंत्रीजी।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर (राज्य मंत्री, पर्यटन) : प्राइवेट नहीं किया है, सरकारी किया है। पता नहीं, असत्य मर्जी आए वह

(315)

(श्रीमती नरेन्द्र कंवर)

बोल देते हैं मुंह में आए वह बोल देते हैं। सोचें न समझें, बात मन में आए जो बोल दें। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : कई क्षेत्रों में हैं, मेरे क्षेत्र में हैं.... (व्यवधान) मेरे क्षेत्र में दिए हैं 10 लाख रुपए।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री रामस्वरूप मीणा : जवाब दे रहा हूं, सारे होटल खोल दिए आपने और कहते हैं आपने कुछ नहीं किया।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजें (व्यवधान)।

श्री रामस्वरूप मीणा : खूब करो, खूब करो, तीन महीने बाद पता लग जाएगा।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : असत्य बात मत करो। आपको तकलीफ हो रही है क्योंकि गरीबों को ट्यूरिज्म के माध्यम से रोजगार मिल रहा है।

श्री रामस्वरूप मीणा : क्या कर रहे हो आप ? गरीबों का +++ और लोगों को बदनाम कर रहे हो।

श्री सभापति : बिराजें, रामस्वरूप जी। (व्यवधान)

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : लोगों का पेट भरता है....(व्यवधान)।

श्री रामस्वरूप मीणा : +++ आने की बात है उस बात के लिए आपने +++ चुना है।

श्री सभापति : आप बोलना चाह रहे हैं इस पर ?

श्री भरत सिंह (खानपुर) : माननीय सभापति महोदय, अभी सीलिंग भूमि के ऊपर चर्चा हो रही थी। आज राजस्थान में यह सही है कि अधिकांश सीलिंग प्रकरण, जैसा कि मंत्रीजी ने बताया, 80,000 के करीब प्रकरण तय हो चुके हैं और 1000 के करीब प्रकरण अभी विचारणीय हैं लेकिन मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा और लोगों के मन में यह शंका रहती है कि जो बड़े लोग हैं, कानून के दायरे से अपने आपको बचा सकते हैं, वे इसका लाभ ले रहे हैं।

मेरा निवेदन मंत्रीजी से यह है कि कानून के दायरे के तहत सीलिंग की भूमि की सीमा तय करके लोगों से जमीन प्राप्त की गई उन लोगों से जिनके पास सीमा से अधिक है इस कानून के तहत ऐसे लोग जो कानून में विश्वास करते हैं, उनके पास जो सरप्लस भूमि थी, कानून के तहत सरकार ने उसका अधिग्रहण किया। 20 साल से मैं कोटा जिले की बात कर रहा हूं, आवंटन करके लोगों को दे दी। जो जमीन एक्वायर

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री भरत सिंह)

की है, उस कानून के तहत आपने यह प्रावधान भी रखा है कि सरकार ने जिस आदमी से जमीन प्राप्त की है उसको नामल कम्पनसेशन देगी। कानून का आप पालन करते हैं लेकिन उन लोगों को जिनकी आपने इस कानून के तहत सीलिंग की जमीन एक्वायर की है, 99 प्रतिशत को पैसे का भुगतान नहीं किया है। यह आपका दायित्व बनता है कि जिन लोगों के पास जमीन है, उनसे आप जमीन प्राप्त करें और उस जमीन को अलाट करें। जिनसे आपने जमीन एक्वायर की है, अगर ला में प्रोविजन है तो उन लोगों को भुगतान करें। सरकार ने भुगतान नहीं किया है, उसका भुगतान करें।

मैं यहां यह भी निवेदन करना चाहता हूं, यह सही है कि जो आदमी अपने आपको भ्रष्टाचार के माध्यम से बचाना चाहता है वह अपनी जमीन को बचाने के लिए पैसा खर्च करके अपने आपको बचा लेता है। मैं मिसाल के तौर पर आपको बताता हूं, खानपुर विधान सभा क्षेत्र में पकनाना गांव में 200 बीघा जमीन का अलाटमैंट हुआ। यह दो साल पहले की बात है। अलाटमैंट के सम्बन्ध में शिकायत आई, जिला कलक्टर को शिकायत जांच के लिए दी गयी। मैं अनेक बार लिखकर कमिश्नर को दे चुका हूं। शिकायत इसलिए नहीं की थी कि आप इसकी आड़ में दो साल तक उसको रोके रखें। जिस आदमी की जमीन प्रभावित हुई है, उस आवंटन को एक दरख्वास्त के कारण ही दो साल तक नहीं होने दिया। वह जो पूरी रेवेन्यू की जमीन है, वह सरकार के पास आ चुकी है, उसको कलक्टर मुनाफे में जुतवा रहा है। वह शिडयूल्ड कास्ट का आवंटन है। इसलिए जो 1000 इस प्रकार के प्रकरण हैं उनको अपनी तरह से लीजिए और जिनकी जमीन एक्वायर की है, मैं समझता हूं कि सरकार को अगर उनको कम्पनसेशन देना है, उसको देना चाहिए, माननीय मंत्रीजी इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी।

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मंत्री) : सभापति महोदय, यहां पर यह प्रश्न आया कि राजा महाराजाओं की कितनी जमीनें एक्वायर की गईं-अब तक की गईं, नहीं की गईं, अलग से तो मेरे पास इस सम्बन्ध में आंकड़े नहीं हैं। मैंने सारे आंकड़े आपको बताए हैं कि राजस्थान में हमने अब तक कितनी जमीन एक्वायर की, कितनी हमने बांट दी। वह सब कुछ बताया है, आप चाहें तो मैं दुबारा निवेदन कर दूं कि 6,10,374.73 एकड़ तो हमको फैसलों में मिली है, उसमें से 566228 एकड़ जमीन का सरकार को कब्जा मिल गया और बाकी न्यायालयों में और स्टे में, इस तरह से चल रही है। अब शेष इसमें से केवल 44000 का कब्जा लेना है जो हमने बांटी है।

श्री अमराराम (धोद) : मंत्रीजी, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा।

श्री सभापति : बैठें, बोलने दें मंत्रीजी को।

श्री अमराराम (धोद) : मैंने जमीन नहीं पूछी। आपने बकाया 1000 और इतने केस बताये हैं, उसमें से राजा-महाराजाओं के कितने केस हैं, मैंने यही पूछा था।

श्री गंगाराम चौधरी : नहीं, वह अलग से आंकड़े हैं, वे मेरे पास नहीं हैं। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि राजा–महाराजाओं के दो तरह के मामले चल रहे हैं, एक तो एस्टेट होल्डर्स एक्ट के तहत, जिस जगह राजा–महाराजा की सीट थी, वहां का कलक्टर डिसाइड करता है। उसमें खेती की जमीन भी शामिल है, दूसरी प्रोपर्टी की भी शामिल है और सम्बन्धित एस. डी. ओ. भी सीलिंग एक्ट के तहत डिसाइड करता है। कई जगह केसेज अभी तक पेंडिंग हैं, लेकिन कितने हैं, जमीन कितनी है, यह मैं नहीं कह सकता। एक्वायर भी बहुत हुई है, बांटी भी बहुत गई है। ये अलग से आंकड़े मेरे पास नहीं हैं। कुछ आपने कहा कोटा में केसेज के बारे में, वहां आवंटन निरस्त कर दिया या ऐसा कुछ कहा। मुझे आप उदाहरण देंगे तो मैं उसका भी बता दूंगा।

माननीय सदस्य रामस्वरूपजी ने सीमा के बारे में कहा कि दो जिलों की सीमा का झगड़ा है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए क्योंकि तहसीलें यूं की यूं एक जिले से दूसरे जिले में गई हैं। पांच तहसीलें गई हैं, जिसमें टोडाभीम, नादौती, हिण्डोन, करोली और सपोटरा हैं। जिले की सीमा का कोई विवाद नहीं होना चाहिए, यदि था तो वह पहले से ही तहसीलों के बीच होगा। मैं नहीं कह सकता। कम्पनसेशन के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हू कि सरकार का यह कानून है कि जमीन लेते ही उस आदमी को कम्पनसेशन मिलता है। कुछ केसेज मेरे सामने आएंगे तो कम्पनसेशन जल्दी दिलाएंगे। इस तरह की शिकायत मेरे आगे कभी पेश नहीं आई। मैं निवेदन करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाए।

श्री राधेश्याम गंगानगर : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूं। एक संकण्ड में फर्क थोड़े ही पड़ता है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से एक जानकारी चाहूंगा। छत्रगढ़ एरिया के अन्दर आपने 500 लोगों को जो अलाटमैंट किया है वे पासबुक लेकर, आपका अलाटमैंट लैटर लेकर मारे-मारे फिर रहे हैं। उनको आपके कमिश्नर यह कहते हैं कि गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ। कृपया इस बात के लिए भी थोड़ा फरमाएं। क्या कारण है आपने जब कर दिया, आदेश हो गया उसके बाद में 470 के करीब लोग मारे-मारे फिर रहे है? यह छत्रगढ़ एरिया का मामला है, इस पर भी आप थोड़ा फरमा दें।

श्री गंगाराम चौधरी : सभापति महोदय, यह प्रश्न सीलिंग की जमीन के आवंटन का नहीं है, यह अलग से है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा

(श्री सभापति)

अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1998 को पारित किया जाए ?

(स्वीकृत)

राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1998 पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 31 जुलाई, 1998 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 18.31 बजे शुक्रवार; 31 जुलाई, 1998 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

————

(२७)

परिशिष्ट–1

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

राज्य व्यावसायिक शिक्षा परिषद्

387. श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य व्यावसायिक शिक्षा परिषद् का गठन राज्य में सरकार द्वारा किस आदेश से किया गया ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) राज्य व्यावसायिक शिक्षा परिषद् के गठन के क्या उद्देश्य थे और इसका चेयरमैन तथा सदस्य कौन-कौन बनाये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार द्वारा गठित राज्य व्यावसायिक शिक्षा परिषद् के उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है ? यदि हां, तो किस प्रकार एवं नहीं, तो क्यों ?

(4) राज्य व्यावसायिक शिक्षा परिषद् की कुल कितनी बैठकें किन-किन तिथियों में सम्पन्न हुई हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) राज्य व्यावसायिक शिक्षा परिषद् के गठन के आदेश की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) राज्य व्यावसायिक शिक्षा परिषद् के गठन का मुख्य उद्देश्य व्यावसायिक शिक्षा के संबंध में नीति निर्धारण करना था । परिषद् के अध्यक्ष तथा सदस्यों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

(3) व्यावसायिक शिक्षा शिक्षकों की नियुक्ति हेतु योग्यता एवं नियमों का निर्धारण न होना, छात्रों को रोजगार की गारंटी न मिलना, स्वरोजगार हेतु सरकार/निजी क्षेत्र से वित्तीय सहायता न मिलना, उच्च अंक प्राप्ति के कारण एस. टी. सी. में प्रवेश निश्चित होने, तकनीकी/विज्ञ शिक्षक की अनुपलब्धता, प्रयोगशाला एवं उपकरण हेतु राशि कम रहने एवं परिषद् की नियमित रूप से बैठकें न होने, 13 घटकों/विभागों में आपसी समन्वय स्थापित न होने आदि के कारण उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हुई है ।

(4) राज्य व्यावसायिक शिक्षा परिषद् की 2 बैठक क्रमश: दिनांक 27–7–90 व 18–10–94 को सम्पन्न हुई है ।

राजस्थान सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

(प्रशासनिक सुधार, अनु.3)

क्रमांक प.6 (2) प्र.सु 3/90 जयपुर, दिनांक 18 जनवरी, 1990

आज्ञा

व्यावसायिक शिक्षा के सम्बन्ध में नीति निर्धारण एवं समन्वय हेतु राज्य स्तर पर स्टेट कौंसिल आफ वोकेशनल एज्यूकेशन (SCVE) के गठन हेतु निम्नलिखित सदस्यों की एक स्थायी समिति का गठन किये जाने की राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

1.	मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार	अध्यक्ष
2.	शिक्षा सचिव	उपाध्यक्ष
3.	अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान	सदस्य
4.	निदेशक, विकास विभाग	सदस्य
5.	निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	सदस्य
6.	निदेशक, तकनीकी शिक्षा	सदस्य
7.	निदेशक, मत्स्य विभाग	सदस्य
8.	निदेशक, कृषि विभाग	सदस्य
9.	निदेशक, नियोजन विभाग	सदस्य
10.	निदेशक, उद्योग विभाग	सदस्य
11.	निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर	सदस्य

(221)

12.	निदेशक, कालेज शिक्षा, जयपुर	सदस्य
13.	निदेशक, एस.आई.ई.आर.टी. उदयपुर	सदस्य
14.	विश्वविद्यालयों का एक प्रतिनिधि रोटेशन के आधार पर	सदस्य
15.	कारखाने/अभिकरणों के तीन प्रतिनिधि (सार्वजनिक/निजी)	सदस्य
16.	प्रधानाचार्य, आर.सी.ई. अजमेर	सदस्य
17.	निदेशक, व्यावसायिक शिक्षा, बीकानेर	सदस्य सचिव

गैर सरकारी सदस्यों का इस समिति में कार्यकाल तीन वर्ष का होगा, जिसकी समाप्ति के पश्चात राज्य सरकार यदि चाहे तो उनकी पुनः नियुक्ति भी कर सकती है। गैर सरकारी सदस्यों का कार्यकाल बिना कारण बताये समाप्त किया जा सकता है। तथा इनके स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था भी की जा सकती है।

इस समिति का प्रशासनिक विभाग, शिक्षा विभाग होगा। व्यावसायिक शिक्षा के सम्बन्ध में नीति निर्धारण एवं समन्वय हेतु यह राज्य स्तर पर शीर्ष संस्था होगी। यह विभिन्न राजकीय एवं अराजकीय अभिकरणों में समन्वय का कार्य भी करेगी।

समिति के विचारणीय बिन्दु निम्न होंगे :—

1. व्यावसायिक शिक्षा संस्थाओं एवं सहयोगी संस्थाओं के चयन एवं पूर्णकालिक एवं अंशकालिक अध्यापकों हेतु मानदण्ड निर्धारित करना।
2. उपकरण, कच्चे माल, आकस्मिक व्यय संबंधी मानदण्ड तैयार करना।
3. राज्य सरकार को जिला स्तरीय व्यवसायिक समितियों के गठन हेतु सलाह देना।
4. समयावधि पर कार्यक्रम की समीक्षा करना।
5. रोजगार अवसरों (स्वयं एवं पारिश्रमिक) एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के मध्य समन्वय स्थापित किये जाने हेतु कदम उठाना।

6. नियोजन/भर्ती की योग्यताओं में संशोधन/परिवर्तन करना जोकि व्यावसायिक शिक्षा की प्रगति हेतु आवश्यक हो ।

7. व्यावसायिक शिक्षा के विद्यार्थियों के व्यावहारिक प्रशिक्षण (   ) की सुगमता हेतु राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/प्रभिकरणों से समन्वय स्थापित करना ।

8. स्वरोजगार चाहने वालों को वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करना ।

उक्त समिति की बैठक वर्ष में दो बार होगी । स्टेट कौंसिल आफ वोकेशनल एज्यूकेशन स्टैंडिंग/एडहाक कमेटियों के माध्यम से कार्य करेगी जो विशिष्ट कार्यों हेतु गठित की जायेगी ।

आज्ञा से,
ह0
(ए.यू. चेतानी)
उप शासन सचिव

दर्रा अभ्यारण्य क्षेत्र (कोटा) में क्लोजर्स की उपयोगिता

388. श्री रामकिशन वर्मा (रामगंज मंडी) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले में दर्रा अभ्यारण्य क्षेत्र है ? यदि हां, तो इस वन क्षेत्र में अभी किस–किस तरह के कितने वन्य जीव हैं ?

(2) क्या ऐसे वन्य जीवों के लिये अभ्यारण्य में खान-पान की कोई व्यवस्था सरकार के द्वारा की हुई है ? यदि हां, तो वर्ष 1993 से जून, 1998 तक हुए व्यय का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि वन्य जीवों के संरक्षण व पेड़ों की सुरक्षा हेतु अभ्यारण्य में क्लोजर बनाये हुए हैं ? यदि हां, तो दर्रा अभ्यारण्य में कितने क्लोजर बनाये हुए हैं और इन पर कितना व्यय किया गया है ? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त क्लोजर अभी किस हालत में है ? क्या इनके निर्माण से वन क्षेत्र में पशुओं, शिकारियों व पेड़ काटने वालों का प्रवेश रुका है ? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो क्लोजर के धराशायी होने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) वन्य जीव अभ्यारण्य दर्रा का क्षेत्र कोटा एवं झालावाड़ में स्थित है। इस अभ्यारण्य में पाये जाने वाले वन्य जीवों तथा उनकी संख्या का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है ।

(2) जी नहीं ।

(3) जी हां । वर्षवार बनाये गये क्लोजर एवं उन पर हुए व्यय की सूची "ख" सदन की पटल पर रख दी गई है ।

(4) दर्रा अभ्यारण्य में ग्रामों की सीमा से लगते क्लोजरों में ग्रामवासियों द्वारा पशुओं की चराई के भारी प्रकोप के कारण विपरीत प्रभाव पड़ा है एवं कुछ स्थानों पर वर्षा ऋतु में पानी के बहाव से फेंसिंग की खाई कट जाने एवं भर जाने तथा कहीं-कहीं सूखे पत्थर की दीवार क्षति-ग्रस्त हो जाने के कारण क्लोजरों की स्थिति संतोषजनक नहीं है। किन्तु फिर भी इन क्लोजरों के निर्माण से वन क्षेत्र में पशुओं, शिकारियों एवं पेड़ काटने वालों के प्रवेश रोकने में काफी सहायता मिली है ।

(224)

परिशिष्ट "क"

वर्ष 1997 की गणना के आधार पर वन्य जीव अभ्यारण्य दर्रा में पाये गये वन्य जीवों का विवरण

क्र.सं.	नाम वन्य जीव	संख्या
1.	बघेरा	15
2.	जरख	14
3.	चिकारा	28
4.	मगर	4
5.	खरगोश	53
6.	मोर	394
7.	लोमड़ी	21
8.	नील गाय (रोझड़ा)	49
9.	बन्दर काला	524
10.	सहेली	11
11.	कबर बिज्जू	7
12.	सियार	25
13.	जंगली सुअर	6
14.	सांभर	7
15.	चितल	35

परिशिष्ट 'ख'

वर्ष 1993 से 1998 तक दर्रा अभ्यारण्य के वर्षवार क्लोजरों की सूची

क्र.सं.	नाम क्लोजर	वर्ष निर्माण	व्यय की गई राशि
1.	दर्रा क्लोजर	1993–94	23556/-
2.	भटवाड़ा क्लोजर	,,	530314/-
3.	मानपुरा क्लोजर	1994-95	352022/-
4.	भटवाड़ा क्लोजर	,,	107965/-
5.	झामरा क्लोजर	93-94, 94-95	257160/-
6.	जूनामाड़ा क्लोजर	1994-95	293405/-
7.	मनोहरपुरा ,,	,,	255012/-
8.	कालीया खेड़ी क्लोजर	1995-96	296594/-
9.	घाटोली क्लोजर	1994-95	240505/-
10.	दामोदरपुरा क्लोजर	1995-96	146405/-
11.	कूकड़ा क्लोजर	1994-95	164693/-

226

जिला बूंदी में रीको द्वारा भूमि की अवाप्ति

389. श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : क्या उपमुख्य (उद्योग) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला बूंदी में उद्योग लगाने हेतु भूमि उपलब्ध है ? यदि हां, तो रकबा एवं स्थान का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1994 से 10 जुलाई, 1998 तक रीको द्वारा उद्योग लगाने हेतु कितनी भूमि अवाप्त की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। ग्राम हट्टीपुरा की 185 बीघा 11 बिस्वा भूमि पर रीको द्वारा नियोजित 64 भूखण्ड उपलब्ध हैं।

(2) रीको द्वारा बूंदी जिले में वर्ष 1994 से 10 जुलाई, 1998 तक उद्योग लगाने हेतु कोई भूमि अवाप्त नहीं की गई है। अपितु रीको के पक्ष में 185 बीघा 11 बिस्वा राजकीय भूमि भूखण्ड नियोजित करके उद्योग लगाने हेतु उद्यमियों को आवंटन हेतु राज्य सरकार द्वारा आवंटित की गई है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 14 जुलाई, 1998)

तहसील रामगंजमण्डी पोषाहार योजना में अनियमितताएं

127. श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत वर्ष केन्द्रीय पोषाहार योजना के अन्तर्गत रामगंजमण्डी तहसील क्षेत्र को कुल कितना गेहूं आवंटित किया गया ?

(2) उक्त गेहूं आवंटन में से कितना गेहूं खाद्य निगम के गोदाम से क्रय-विक्रय सहकारी समिति के गोदाम तक पहुंचाया गया तथा समिति द्वारा पोषाहार योजना के डीलर्स तक कितना गेहूं पहुंचाया गया तथा कितना गेहूं पहुंचाया जाना शेष है ?

(3) क्या यह सही है कि आवंटित गेहूं समय पर वितरित नहीं किये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो जांच उपरांत किन-किन अधिकारी/कर्मचारियों को दोषी पाया गया तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) रामगंजमण्डी तहसील क्षेत्र (पंचायत समिति, रामगंजमण्डी) के लिए वर्ष 1997-98 में पोषाहार का गेहूं 4404.84 क्विन्टल आवंटित हुआ था।

(227)

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)

(2) उक्त गेहूं के आवंटन में से 3203.52 क्विन्टल गेहूं खाद्य निगम के गोदाम से क्रय-विक्रय सहकारी समिति, रामगंजमण्डी के गोदाम तक पहुंचाया गया क्रय-विक्रय सहकारी समिति ने 3053.52 क्विंटल गेहूं डीलर्स तक पहुंचाया तथा 150 क्विंटल गेहूं क्रय-विक्रय सहकारी समिति के द्वारा डीलर्स के पास पहुंचाया जाना शेष है। साथ ही 400-44 क्विंटल गेहूं नई व्यवस्था के अन्तर्गत पंचायत समिति रामगंजमण्डी द्वारा सीधे ही विद्यालयों को भिजवा दिया गया है। माह अप्रेल, 1997 का 400-44 क्विंटल गेहूं हेतु एफ.सी. आई., नई दिल्ली से आवंटन प्राप्त न होने के कारण नहीं उठाया गया तथा सितम्बर, 1997 का 400-44 क्विंटल गेहूं क्रय-विक्रय सहकारी समिति द्वारा नहीं उठाया जा सका।

(3) जी नहीं। शिकायत प्राप्त न होने के कारण कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

पंचायत समिति बांदीकुई के परिसर में हरे पेड़ों की कटाई

390. श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति बांदीकुई परिसर में हर वर्ष हरे पेड़ों की कटाई कराई जाती है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि हरे पेड़ों की कटाई के ठेकों की निविदा किसी समाचार पत्र में निकाली गई है? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि हरे पेड़ों की कटाई कराने से होने वाली आय पंचायत समिति बांदीकुई के कोष में जमा हुई? यदि हां, तो जमा कराई गई रसीदों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। हरे पेड़ों की शाखाओं की छंगाई (कटाई-छटाई) पेड़ों की बढ़वार हेतु करवाई जाती है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। हरे पेड़ो की छंगाई, सूखे पेड़ों एवं लूम पत्ती की नीलामी से प्राप्त आय की रसीदों का विवरण संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

कृषि विपणन बोर्ड हेतु बूंद-बूंद सिंचाई योजना की स्वीकृति

391. श्री कालूलाल गूर्जर (मांडल) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कृषि विपणन बोर्ड द्वारा राजस्थान की 15 कृषि उपज मंडियों को 'ड्रिप इरिगेशन' (बूंद-बूंद सिंचाई योजना) योजना की स्वीकृति दी गई है ? यदि हां, तो किन-किन मंडियों को कब-कब ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इस तरह बूंद-बूंद सिंचाई योजना का कार्य मंडी बोर्डों को नहीं दिया जा सकता है और न ही इसकी स्वीकृति दी जा सकती है ? ऐसा नियमों में प्रावधान है ? यदि हां, तो इस तरह की स्वीकृति बिना नियमों के देने के क्या कारण रहे ?

(3) क्या कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष ने जोधपुर की पावटा मंडी में दुकानों का निर्माण कराने के लिये दिनांक 2 मार्च, 1998 को आदेश दिये हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेश नियमों के तहत थे ? क्या उक्त आदेश को उप निदेशक ने दिनांक 8 जून, 1998 को स्थगित कर दिया था ? यदि हां, तो उक्त अवैधानिक आदेश क्यों दिया गया ? क्या सरकार दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं क्या ?

उत्तर

(1) जी नहीं। उद्यान विभाग द्वारा कृषि विपणन विभाग के अनुरोध पर तकनीकी रूप से जांच करने पर 7 कृषि उपज मण्डी समितियों को एक हैक्टेयर क्षेत्र में ड्रिप प्रदर्शन की स्वीकृति जारी की गई थी। जिसकी सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) भारत सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुसार उद्यान विभाग द्वारा ड्रिप प्रदर्शन सरकारी संस्थाओं में एक हैक्टेयर क्षेत्र में स्थापित करने हेतु दिये जा सकते हैं।

(3) जी हां। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20-2-96 के द्वारा निर्धारित नीति के अन्तर्गत निदेशक, कृषि विपणन द्वारा दुकानों के निर्माण हेतु भू-खण्ड आवंटन की स्वीकृति दी गई थी। आवंटी भू-खण्डधारियों द्वारा अवैध निर्माण किया जाने की शिकायत प्राप्त होने पर जांच के दौरान आवंटियों द्वारा कराये जा रहे निर्माण को अस्थाई रूप से रोका गया तथा जांच उपरान्त रोक को हटा दिया गया है। शेष प्रश्न नहीं उठता।

Page No.212

229

परिशिष्ट "ब"

उद्यान निदेशालय द्वारा वर्ष 1997–98 में ड्रिप प्रदर्शन स्थापित की स्वीकृति प्राप्त मण्डी प्रांगणों की सूची

क्रम संख्या	नाम मण्डी	प्रांगण
1.	गौण मण्डी	प्रांगण, शाहपुरा
2.	मुख्य मण्डी	प्रांगण, निवाई
3.	मुख्य मण्डी	प्रांगण, रानी
4.	मुख्य मण्डी	प्रांगण, नोखा, बीकानेर
5.	मुख्य मण्डी	प्रांगण, सोजत रोड
6.	मुख्य मण्डी	प्रांगण, निम्बाहेड़ा
7.	मुख्य मण्डी	प्रांगण, नवलगढ़

परिवहन विभाग अलवर में अनियमितताएं

392. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडा-भीम): क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि परिवहन विभाग के अलवर कार्यालय में वाहनों के भौतिक सत्यापन के नाम पर लाखों रुपये का घोटाला सामने आया है ? यदि हां, तो इसमें कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं ? सरकार द्वारा दोषियों के विरुद्ध अब तक क्या कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) ऐसे घोटालों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार क्या कोई उपाय करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) किसी भी प्रकार की अनियमितता अथवा घोटाले पर नियन्त्रण रखने हेतु समय-समय पर विभिन्न ऑडिट पार्टीयों द्वारा जांच की जाती है ।

कृषि विभाग द्वारा किसानों को कृषि विधियों की जानकारी

393. श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कृषकों को नई कृषि विधियों से अवगत कराने की क्या-क्या व्यवस्थायें हैं ? प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त व्यवस्था के अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र पिलानी में कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी कार्यरत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) गत रबी व वर्तमान खरीफ की फसल के समय विभाग के किन-किन कर्मचारियों/अधिकारियों ने किन-किन गांवों में जाकर किन-किन किसानों से सम्पर्क कर उक्त व्यवस्था से संबंधित जानकारी दी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) सूचना परिशिष्ट "क" पर संलग्न है ।

(2) सूचना परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है ।

(3) अधिकारी/कर्मचारी जिन्होंने किसानों से सम्पर्क किया है सूची परिशिष्ट "ग" पर संलग्न है ।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

(231)

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाएं

394. श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं ? संचालित योजनाओं का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास योजनाओं के अन्तर्गत प्रतिवर्ष कितनी-कितनी राशि खर्च करने का प्रावधान रखा गया एवं कितनी राशि खर्च की गई ? गत चार वर्षों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जनजातीय क्षेत्रीय योजनाओं के अंतर्गत प्रतिवर्ष कितने परिवार लाभान्वित किये जा रहे हैं ?

उत्तर

(1) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के अन्तर्गत चार वर्षों में आवंटित एवं खर्च की गयी राशि का स्रोतवार परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के अन्तर्गत चार वर्षों में लाभान्वित परिवारों का वर्षवार विवरण परिशिष्ट "स" पर है।

Page No.215

232

परिशिष्ट 'ग'

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का विवरण

जनजाति उपयोजना क्षेत्र

1. नई बागवानी फसलों का प्रदर्शन, पी. पी. औजारों का वितरण, उन्नत सब्जियों के क्षेत्र का प्रसार।

2. रेशमकीट पालन योजना

3. गोपाल योजना का प्रसार एवं पशु चिकित्सा शिविरों का आयोजन

4. पशु विकास, हरा एवं सूखा चारा प्रदर्शन

5. राजससंघ के माध्यम से मत्स्य पालन गतिविधियां

6. राजससंघ के माध्यम से सहकारिता गतिविधियां

7. ब्लास्टिंग द्वारा कुएं गहरा कराना, एनिकट/वाटर-शेड एवं जलोत्थान सिंचाई योजनाओं का निर्माण।

8. समूह डीजल पम्पसेटों का वितरण एवं ट्यूबवेल की स्थापना

9. आश्रम छात्रावासों का निर्माण, मरम्मत, संचालन एवं सामग्री क्रय करना

10. निःशुल्क पुस्तकों एवं लेखन सामग्री का वितरण, छात्रगृह योजना, परीक्षा शुल्क पुनंभरण, छात्रवृत्तियां वितरण कोचिंग, व्यावसायिक शिक्षा हेतु सहायता, शैक्षणिक भ्रमण, विशेष बी. एड़., एस.टी.सी.; शारीरिक अनुदेशक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना।

11. कनिष्ठ खिलाड़ियों हेतु छात्रावास का संचालन।

12. टी. आर. आई. के माध्यम से जागरूकता, चेतना शिविरों का आयोजन, मूल्यांकन अध्ययन एवं अनुसंधान सहायता प्रदान करवाना।

13. स्वरोजगार मेलों का आयोजन एवं व्यवसायिक मार्ग दर्शन

233

14. तपेदिक एवं फ्लोरोसिस नियंत्रण

15. दुर्घटना एवं रोगग्रस्त जनजातियों को सहायता देना

16. रोजगार हेतु पशुधन सहायक, जनरल नर्सिंग, आयुर्वेदिक कम्पाउण्डर, क्राफ्ट्स-मैन, फूड एवं क्राफ्ट प्रशिक्षण, आई. टी. आई./मिनी आई. टी. आई. प्रशिक्षण

17. कथोड़ी विकास कार्यक्रम

18. अच्छी सेवाओं हेतु पुरस्कार, गरीब जनजातियों को विधिक सहायता

19. पहल परियोजना

ब. माडा, माडाकलस्टर, बिखरी आबादी कार्यक्रम

1. वेफे सेन्टर, अंशपूंजी अनुदान

2. ब्लास्टिंग द्वारा कुएं गहरे करना, एनिकट/ वाटरशेड, जलोत्थान सिंचाई योजनाओं का निर्माण, सामुदायिक डीजल पम्पसेट वितरण ।

3. आश्रम छात्रावासों का निर्माण, मरम्मत, संचालन, निःशुल्क पोशाक, पुस्तकें, स्टेशनरी का वितरण, शैक्षणिक भ्रमण, कोचिंग सुविधा, मिनी आई. टी. आई. प्रशिक्षण, बी. एड., एस. टी. सी., सी. पी. एड. फूड एण्ड क्राफ्ट प्रशिक्षण एवं छात्रवृत्ति योजना

4. हैण्ड पम्प स्थापना

5. उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा हेतु प्रोत्साहन

6. पशु चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा शिविरों का आयोजन ।

सहरिया विकास क्षेत्र

षि औजारों का वितरण एवं अंशपूंजीदान सहायता

2. समूह डीजल पम्पसेट वितरण, एनिकट/जलोत्थान सिंचाई योजनाओं का निर्माण, ट्यूबवेल की स्थापना ।

3. घरेलू विद्युत कनेक्शन हेतु सहायता

4. कलवर्ट का निर्माण

5. आश्रम छात्रावासों का निर्माण, मरम्मत, संचालक, शैक्षणिक भ्रमण, कोचिंग सुविधा, लेखन सामग्री एवं पोशाक वितरण, प्रतिभावान छात्रों को प्रोत्साहन ।

6. दुर्घटना एवं रोगग्रस्त व्यक्तियों को सहायता ।

7. हैण्ड पम्प स्थापना ।

8. चेतना एवं जन जागरण शिविरों का आयोजन

235

परिशिष्ट—'ब'

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग को आवंटित एवं व्यय राशि का विवरण

जनजाति उपयोजना क्षेत्र

(राशि लाख रु.)

क्र.सं.	स्रोत	1994-95		1995-96		1996-97		1997-98	
		आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	विशेष केन्द्रीय सहायता	1344.89	1327.55	2203.34	2216.39	1731.03	1703.55	1694.49	1588.96
2.	प्रति विशेष केन्द्रीय सहायता	541.77	541.77	40.00	40.00	—	—	—	—
3.	संविधान की धारा 275 (1)	576.70	576.70	677.45	677.45	690.00	239.78	200.00	—

236

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	राज्य प्रायोजना	595.55	592.32	689.11	687.94	893.84	894.18	528.29	527.20
5.	केन्द्र प्रवर्तित योजना	78.50	77.10	7.41	4.64	7.25	7.17	4.75	0.48
	योग	3137.41	3115.44	3617.31	3626.42	3322.12	2844.72	2427.53	2116.64
	माडा, माडा कलस्टर, बिखरी कलस्टर, बिखरी आबादी एवं सहरिया विकास परियोजना								
1.	माडा	509.58	463.38	580.54	497.47	610.28	535.12	655.92	462.93
2.	माडा कलस्टर	17.75	19.20	18.90	16.42	17.15	24.97	35.00	21.87
3.	बिखरी आबादी	120.00	134.64	144.81	116.05	88.55	167.21	149.60	104.87
4.	सहरिया विकास योजना	59.85	51.95	68.10	69.09	104.35	52.37	117.79	63.41

परिशिष्ट 'स'

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के अन्तर्गत चार वर्षों में लाभान्वित परिवारों का वर्षवार विवरण

क्रम सं.	योजना	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98
1.	उपयोजना क्षेत्र	26902	32626	42929	37456
2.	माडा क्षेत्र	12394	19315	6446	7533
3.	माडा कलस्टर	819	1555	448	742
4.	बिखरी आबादी क्षेत्र	9836	12010	4315	4279
5.	सहरिया परियोजना क्षेत्र	945	828	1288	3917
	योग	50896	66334	57426	73657

(238)

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का पदस्थापन

395. श्री मांगीलाल मेघवाल (केशवरायपाटन) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नियुक्त करने का प्रावधान है ?

(2) राज्य में कुल कितने उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत हैं और कितने पद रिक्त हैं ?

(3) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) राज्य के 10959 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 4555 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत हैं तथा 796 पद रिक्त हैं।

(3) राज्य सरकार ने वेतनमान संख्या 1 से 6 के कर्मचारियों की नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध लगा रखा है, प्रतिबन्ध हटने पर नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ की जा सकेगी।

श्रीगंगानगर शहर में शुगर मिल से प्रदूषण

396. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री गंगानगर शहर स्थित शुगर मिल से प्रदूषण फैल रहा है ? यदि हां, तो सरकार इस समस्या के निदान हेतु क्या कदम उठा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार प्रदूषण को दृष्टिगत रखते हुए इसका स्थानान्तरण अन्यत्र करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) शुगर मिल श्रीगंगानगर में प्रदूषण रोकने हेतु वर्ष 1993 में एफल्यूएंट ट्रीटमेंट प्लान्ट लगाया गया है जो संतोषप्रद कार्य कर रहा है। दूसरे चरण में प्लान्ट लगाना लम्बित रखा गया है क्योंकि सरकार द्वारा स्वीकृत नार्म्स के अनुरूप सप्लायर गारंटी नहीं दे रहे हैं। जहां तक वायु प्रदूषण का प्रश्न है, संयंत्र लगाने हेतु निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी हैं एवं तकनीकी सलाहकार आई.आई.आर एम. जयपुर से रिपोर्ट प्राप्त होने पर संयंत्र लगाने का प्रस्ताव है।

(2) शुगर मिल श्रीगंगानगर को अन्य स्थान पर स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। क्योंकि वर्तमान संयंत्र स्थानान्तरित करना उपयोगी नहीं है एवं नई मिल लगाने में 70 करोड़ रुपये की लागत आयेगी जिसे वर्तमान परिस्थितियों में गन्ने की उपलब्धता को देखते हुए विनियोजन करना संभव नहीं है।

239

ग्राम रजवास (टोंक) में ग्रिट क्रेशर की स्थापना प्रकरण

397. श्री बनवारी लाल (निवाई) : क्या उप मुख्य (उद्योग) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राष्ट्रीय राज मार्गों के निकट ग्रिट क्रेशर स्वीकृत करने के क्या नियम हैं? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 पर स्थित रास्ता ग्राम रजवास तहसील निवाई जिला टोंक पर कोई ग्रिट क्रेशर स्थापित करने हेतु सरकार द्वारा अनुमति दी गई है? यदि हां, तो यह क्रेशर राजमार्ग से कितनी दूरी पर स्थित है?

(3) उक्त क्रेशर कितनी भूमि पर स्थित है तथा उक्त भूमि किस संस्था के नाम स्वीकृत की गई? भागीदारों के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त क्रेशर की स्थापना हेतु पर्यावरण विभाग से भी स्वीकृति प्राप्त की गई है? यदि हां, तो स्वीकृति किसके द्वारा व कब प्रदान की गई? स्वीकृति आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पूर्व में राष्ट्रीय राजमार्ग पर उद्योग लगाने के लिये कोई सीमा निर्धारित नहीं थी और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के ही नियमों की पालना की जाती थी। लेकिन उद्योग निदेशालय के परिपत्र दिनांक 7-12-96 के अन्तर्गत मार्बल स्लेरी एवं मिनरल ग्राइंडिंग उद्योग स्थापित करने की रीको क्षेत्र में भूखण्ड आवंटन और कृषि भूमि के रूपान्तरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग के मध्य बिन्दु से 500 मीटर की सीमा तक आवंटन अथवा रूपान्तरण नहीं करने की अपेक्षा की गई थी। इस सीमा को जन भावना के अनुरूप अब नई औद्योगिक नीति में राष्ट्रीय राजमार्ग के मध्य बिन्दु से सभी उद्योगों के लिये 150 मीटर और उच्च प्रदूषणकारी उद्योगों जैसे सीमेन्ट, ग्राइंडिंग इत्यादि के लिये 300 मीटर की सीमा में औद्योगिक इकाई के लिये अनुमति नहीं दिया जाना प्रस्तावित किया गया है।

(2) क्रेशर स्थापित करने हेतु उद्योग विभाग द्वारा किसी प्रकार की अनुमति दिये जाने का प्रावधान नहीं है अपितु उद्यमियों द्वारा अपना उद्योग स्थापित करने की इच्छा व्यक्त करने पर उसके द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर ऐसे लगने वाले उद्योगों का अस्थाई पंजीयन किया जाता है मै0 बालाजी उद्योग के सर्वश्री दुर्गालाल एवं राधेश्याम की भागीदारी में स्टोन क्रेशर उत्पादन के लिये जिला उद्योग केन्द्र, टोंक द्वारा दिनांक 13-3-97 को अस्थाई पंजीयन किया गया था। यह क्रेशर राष्ट्रीय राजमार्ग सं.12 से 80 फीट दूरी पर स्थित है। राजमार्ग से निर्धारित दूरी पर होने के नियम की पालना देखना राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में है।

(240)

(उप मुख्य (उद्योग) मंत्री)

(3) उक्त क्रेशर 900 वर्ग मीटर भूमि पर स्थित है तथा यह भूमि सर्वश्री दुर्गालाल एवं राधेश्याम पुत्र श्री ग्यारसी लाल माली निवासी निवाई द्वारा उनकी खातेदारी भूमि में से राज्य सरकार के पक्ष में समर्पित करने के उपरांत जिला कलक्टर द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा–92 के अन्तर्गत औद्योगिक प्रयोजनार्थ सैट-अपार्ट करके क्रेशर उद्योग हेतु आवंटित भूमि किसी संस्था के नाम आवंटित नहीं की गई है अपितु सर्वश्री दुर्गालाल एवं राधेश्याम के नाम आवंटित की गई है। इस क्रेशर में सर्वश्री राधेश्याम एवं दुर्गालाल पुत्र श्री ग्यारसी लाल माली भागीदार हैं। आवंटन आदेश की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) क्रेशर की स्थापना हेतु क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से दिनांक 31-3-98 को स्वीकृति प्राप्त की गई थी। आदेश की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

परिशिष्ट-3

कार्यालय जिला कलेक्टर (उद्योग) टोंक

क्रमांक: एफ ( ) इन्फ्रा/97-98/2350 दिनांक: 12-8-97

आदेश

श्री दुर्गालाल, राधेश्याम पुत्र ग्यारसीलाल माली निवासी निवाई के आवेदन पर इनके द्वारा धारित कृषि भूमि स्थित कस्बा निवाई खसरा नं. 4595 की 990 वर्ग-मीटर भूमि को औद्योगिक प्रयोजनार्थ जिला कलक्टर, टोंक के आदेश क्रमांक एन 3216/राजस्व/97 दिनांक 21-7-97 द्वारा भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के तहत सैट-अपार्ट किया गया।

अतः श्री दुर्गालाल, राधेश्याम को राजस्थान औद्योगिक आवंटन नियम 1959 के नियमों के तहत उक्त खसरा नं. 4595 भूमि में से नक्शे में दर्शाई 990 वर्गमीटर भूमि स्टोन क्रेशर उत्पादन के लिए लघु उद्योग स्थापित किये जाने हेतु निम्न शर्तों पर लीज आधार पर आवंटन की जाती है।

(1) उपरोक्त भूमि का 99 वर्ष की लीज आधार पर आवंटन किया जाता है।

(245)

(2) आवंटी द्वारा आवंटित भूमि की स्वीकृति लगान दर की 30 गुना राशि विकास शुल्क एवं लगान के रूप में प्रति वर्ष देय होगी ।

(3) आवंटित भूमि में उद्योग दो वर्षों की अवधि में उत्पादन में लाया जावेगा अन्यथा भूमि राज्य सरकार के हक में निहित समझी जावेगी ।

(4) आवंटित भूमि को उपरोक्त उद्योग के कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग में नहीं ली जावेगी ।

(5) वार्षिक किराया राशि नियम 6 के अन्तर्गत 30 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर बढ़ाया जा सकेगा ।

(6) उपरोक्त भूमि पर आवंटी उद्योग हेतु प्रयुक्त यन्त्र, संयंत्र व मकान (शेड) का निर्माण कर सकेगा ।

(7) आवंटी नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर लीज डीड का निष्पादन करायेगा तथा लीज डीड निष्पादन हेतु स्टैम्प ड्यूटी व पंजीयन शुल्क वहन कर पंजीयन करवाकर तीन माह की अवधि में प्रस्तुत करेगा ।

(8) उपरोक्त भूमि राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना सबलेट, हस्तांतरित अथवा गिरवी नहीं की जा सकेगी ।

(9) आवंटी द्वारा निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रस्तावित नक्शा (ब्ल्यूप्रिन्ट) का अनुमोदन करवाया जावेगा ।

(10) उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं किये जाने की स्थिति में भूमि राज्य सरकार के हक में निहित मानी जावेगी ।

ह.

जिला कलक्टर (उद्योग)

टोंक

242

परिशिष्ट–4

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

क्र.सं. रा.प्र.नि.म./क्षे.का./अज./फुलेरा/17/3845 दिनांक 31-3-98

मैसर्स श्री बालाजी उद्योग,
गांव बरथल, तह. निवाई,
जिला–टोंक।

विषय:-स्टोन ग्रिट के उत्पादन के लिये प्रस्तावित उद्योग मैसर्स श्री बालाजी उद्योग, गांव बरथल, तह. निवाई, जिला–टोंक को जिला कलेक्टर टोंक के पत्र संख्या एफ ( ) इन्फ्रा/97-98/2356 दिनांक 12-8-97 के द्वारा कस्बा निवाई खसरा नं. 4595 की 990 वर्गमीटर भूमि का औद्योगिक प्रयोजनार्थ परिवर्तित भूमि पर वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत स्थापना हेतु सम्मति।

संदर्भ:– आपका आवेदन पत्र दिनांक 24-3-98

महोदय,

संदर्भित पत्र द्वारा प्रेषित सम्मति प्रमाण पत्र आवेदन एवं संलग्न दस्तावेजों की जांच मण्डल द्वारा की गई। जांच उपरान्त मैसर्स श्री बालाजी उद्योग, गांव बरथल, तह. निवाई, जिला-टोंक को औद्योगिक प्रयोजनार्थ परिवर्तित भूमि पर उद्योग स्थापित करने के लिये उनके द्वारा संलग्न शपथ पत्र एवं प्रस्तावित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था तथा जिला कलक्टर टोंक पत्र संख्या एफ ( ) इन्फ्रा/97-98/2358 दिनांक 12-8-97 को मद्दे नजर रखते हुये वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत मण्डल के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव न डालते हुये तथा उक्त अधिनियमों के अन्तर्गत उद्योग की जिम्मेदारी को कम किये बिना निम्न शर्तों के साथ सम्मति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है :—

(1) यह सम्मति प्रमाण पत्र मैसर्स श्री बालाजी उद्योग, गांव-बरथल, तह. निवाई, जिला-टोंक के खसरा नं. 4595 की 990 वर्गमीटर भूमि के पक्ष में निम्न उत्पादों के लिये जारी किया जाता है :—

Page No.226

243

क्रमांक	उत्पादन का नाम	उत्पादन क्षमता
1.	स्टोन ग्रिट्स	48000 मै.टन प्रतिवर्ष

(2) उद्योग की कुल पूंजी लागत (भूमि, भवन, प्लांट एवं मशीनरी आदि) की लागत 9.98 लाख रुपये तथा इसमें प्लांट एवं मशीनरी की लागत 7.14 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिये।

(3) क्रेशर प्लांट से उत्सर्जित वायु प्रदूषक तत्व (फ्यूजिटिव) को मण्डल द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप रखे जायेंगे :–

क्रमांक	वायु प्रदूषण तत्व	निर्धारित सीमा
1.	विलंबित कणकीय पदार्थ (एस पी.एम)	600 माईक्रोग्राम/घनमीटर

नोटः–प्रोसेस (क्रेशर/ग्राइंडिंग) उपकरण से 40 मीटर दूरी पर मापने पर।

(4) प्रस्तावित वाटर स्प्रिंकलर के अतिरिक्त धूलकणों को नियंत्रित करने में सहायक निम्न व्यवस्था करेंगे :–

1. वायु रोधी दीवार का निर्माण करेंगे।

2. परिसर के भीतर भूमि को ढका हुआ रखेंगे।

3. परिसर के भीतर भूमि को नियमित रूप से साफ व नम रखेंगे।

4. जा क्रेशर व रोलर क्रेशर को ढका हुआ रखेंगे।

5. उद्योग अपने भू भाग के 33% क्षेत्रफल में वृक्षारोपण करेगा।

(5) उद्योग डी.जी.सेट पर चिमनी की ऊंचाई एमिशन रेग्युलेशन पार्ट-4 के अनुरूप बनायेगा।

(6) उद्योग की उत्पादन प्रक्रिया, उत्पादन क्षमता, उत्पाद, कच्ची सामग्री, स्थान परिवर्तन अथवा अन्य प्रकार के परिवर्तन होने की स्थिति में उद्योग को पुनः सम्मति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

(7) शर्त संख्या 4 में वर्णित मानक सीमा में उत्सर्जन को रखने की जिम्मेदारी उद्योग की स्वयं की होगी।

(8) उद्योग को अपना उत्पादन कार्य प्रारम्भ करने से एक माह पूर्व वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत मण्डल के निर्धारित सम्मति प्रपत्र में सम्मति हेतु आवेदन करना अनिवार्य है। इस सम्मति प्रमाण पत्र को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सम्मति नहीं समझा जायेगा।

(9) उक्त शर्तों के अलावा संलग्न प्रपत्र में वर्णित शर्तों की पालना करेगा।

(10) इस सम्मति प्रमाण पत्र में दी गई किसी भी शर्त अथवा समस्त शर्तों को संशोधित करने एवं नई शर्तों को अधिरोपित करने का अधिकार राज्य मण्डल के पास सुरक्षित है।

उपरोक्त शर्तों की अवहेलना होने पर यह सम्मति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

भवदीय,
(एस.सी.शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

(245)

सरपंच ग्राम पंचायत पण्डेर (भीलवाड़ा) के विरुद्ध जांच प्रकरण

398. श्री जीतराम (मालपुरा) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा जिले में सरपंच ग्राम पंचायत पण्डेर द्वारा फर्जी पट्टे जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो किस-किस व्यक्ति को ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि फर्जी पट्टों से प्राप्त भूखण्डों को अन्य व्यक्तियों को विक्रय कर दिया है एवं क्रेताओं द्वारा अवैध निर्माण करवाया जा रहा है ? यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों एवं सरपंच के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि सरपंच ग्राम पंचायत पण्डेर ने पंचायत की निजी आय का गबन किया है ? यदि हां, तो सरकार ने अब तक उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो कार्यवाही नहीं करने के लिए कौन दोषी है ?

उत्तर

(1) जी हां । सरपंच, ग्राम पंचायत, पण्डेर द्वारा फर्जी पट्टे जारी किये गये हैं । जिन व्यक्तियों को फर्जी पट्टे जारी किये गये हैं, उनकी सूची संलग्न है ।

(2) फर्जी पट्टों को अन्य व्यक्तियों को विक्रय करने का कोई प्रकरण ध्यान में नहीं आया है । फर्जी पट्टे जारी करने वाले सरपंच के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है ।

(3) सरपंच, ग्राम पंचायत, पण्डेर ने निजी आय की राशि अन्य योजनाओं में स्वीकृत निर्माण कार्यों पर व्यय किया है । परन्तु व्यय राशि 5,00,169/– रुपये बतलाई है जबकि कनिष्ठ अभियन्ता के मूल्यांकन के आधार पर व्यय राशि 2,93,018/-रुपये आती है । इस तरह सरपंच ने 2,00,715/-रुपये का अधिक व्यय बतलाया है जो वसूली योग्य है । वसूली की कार्यवाही विकास अधिकारी द्वारा की जा रही है ।

Page No.229

२५८

कार्यालय पंचायत समिति जहाजपुर जिला-भीलवाड़ा (राज.)

सरपंच ग्राम पंचायत पण्डेर द्वारा जारी किये गये फर्जी पट्टों की सूची

क्र.स	नाम	ग्राम
1.	श्री किशन लाल सुवालका/मोहन लाल	पण्डेर
2.	,, नारायण/फगलू गोछा	,,
3.	,, मोतराम/दशोरिया कंजर	कंजर कालोनी पण्डेर

ह.
विकास अधिकारी
पंचायत समिति जहाजपुर
(भीलवाड़ा)

Page No.230

(247)

विधान सभा क्षेत्र गंगरार में दोषपूर्ण सड़क निर्माण

399. श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत चार वर्षों में विधान सभा क्षेत्र गंगरार में कृषि मण्डी समिति व विश्व बैंक योजना से किस-किस सड़क हेतु कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) चालू वित्तीय वर्ष में उक्त विधान सभा क्षेत्र में कौन-कौन सी सड़कों हेतु कितनी-कितनी राशि स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या पावली पंचायत मुख्यालय को डामर सड़क से जोड़ने की स्वीकृति प्रदान की गई थी ? यदि हां, तो कितनी राशि की ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त सड़क बनाते ही टूट गई ? यदि हां, तो जन प्रतिनिधि द्वारा शिकायत करने पर क्या कोई कार्यवाही की गई ?

(5) क्या सरकार उक्त सड़क के घटिया कार्य की जांच करवा कर दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र गंगरार में गत चार वर्षों में तीन सड़कें विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत तथा एक सड़क कृषि उपज मण्डी समिति कपासन के माध्यम से स्वीकृत हुई थी, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत स्वीकृत

सम्पर्क सड़क का नाम	लम्बाई (कि. मी.)	स्वीकृत राशि (लाख)
1	2	3
1. सं. सड़क सुवानिया	4.50	27.50
2. सं. सड़क चिताबली	3.50	17.50
3. सं. सड़क भालोता की खेड़ी	5.00	34.50
कृषि उपज मण्डी समिति, कपासन के माध्यम से स्वीकृत		
1. सं. सड़क पावली	1.02	5.04

(कृषि विपणन मंत्री)

(2) चालू वित्तीय वर्ष 1998–99 में उक्त विधान सभा क्षेत्र में एक सड़क छुगावली 5 कि. मी. लम्बाई की 30.00 लाख रुपये की लागत से तथा सोमर वाली की सेही 3 5 कि. मी. 14 42 लाख रुपये मण्डी समिति विकास कोष से प्रस्तावित की गई है।

(3) जी हां। राशि 5.04 लाख रुपये स्वीकृत की गयी थी।

(4) जी नहीं। यह सड़क जुलाई–97 में निर्माण पश्चात अगस्त–97 में सार्वजनिक निर्माण विभाग को सही हालत में सुपुर्द कर दी गयी थी। गांव के पास आंगनबाड़ी स्कूल के समीप ग्रामवासियों द्वारा हैण्ड पम्प के पानी के निकास हेतु सड़क को लगभग 2.5 फीट चोड़ाई एवं 9" इंच गहराई में काट दिया गया। इस बाबत किसी जन प्रतिनिधि से शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(5) उक्त सम्पर्क सड़क का कार्य घटिया नहीं करवाया गया था। अतः इस संबंध में कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है।

रेल्वे स्टेशन सालपुरा पर बस सुविधा

400. श्री प्रताप सिंह सिघवी (छबड़ा) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या परिवहन विभाग द्वारा सालपुरा रेल्वे स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों को छीपाबड़ोद, अकलेरा हरनावदा शाहजी तथा सारथल जाने के लिए पर्याप्त बस सुविधा उपलब्ध कराई गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। सालपुरा रेल्वे स्टेशन पर आने वाली ट्रेन के समय पर यात्रियों को छीपा बड़ोद, अकलेरा हरनावदा शाहजी तथा सारथल ग्रामों/कस्बों तक जाने के लिए निगम की उपलब्ध बस सुविधा का विवरण परिशिष्ट " 1 " पर संलग्न है तथा इन स्थानों से आने के लिए उपलब्ध बस सुविधा का विवरण परिशिष्ट " 2 " पर संलग्न है।

Page No.232

(249)

परिशिष्ट-1

सालपुरा रेल्वे स्टेशन से निगम द्वारा संचालित बस सेवा का मार्ग व रेल्वे स्टेशन से प्रस्थान समय

क्र.सं.	सालपुरा रेल्वे स्टेशन पर आने वाली ट्रेन का समय	निगम द्वारा संचालित बस सेवा रेल्वे स्टेशन से प्रस्थान समय	मार्ग
1	2	3	4
1.	07.25 (बीना से कोटा मार्ग की रेल सेवा)	07.45	बारां-मकलेरा वाया अटरू-सालपुरा-छीपाबड़ोद-सारथल
2.	10.50 (कोटा से बीना मार्ग की रेल सेवा)	11.00	बारां-मकलेरा-वाया अटरू-सालपुरा-छीपाबड़ोद-सारथल
3.	15.30 (बीना से कोटा मार्ग की रेल सेवा)	15.45	बारां-मकलेरा-वाया अटरू-सालपुरा-छीपाबड़ोद-सारथल
		16.00	बारां-हुरनावदा-वाया अटरू-सालपुरा-छीपाबड़ोद

(250)

1	2	3	4
4.	20.40 (कोटा से भोपाल वाया बीना गुना मार्ग की रेल सेवा)	20.45	बारां-मकलेरा वाया अटरू-सालपुरा-छीपाबड़ोद-सारथल
		21.00	बारां-छीपाबड़ोद वाया अटरू-सालपुरा
5.	00.45 (कोटा से कटनी मार्ग की रेल सेवा)	—	पर्याप्त यात्री उपलब्ध नहीं होने के कारण इस ट्रेन के समय पर निगम की कोई वाहन सेवा संचालित नहीं है।
6.	03.05 (कटनी से कोटा वाया गुना मार्ग की रेल सेवा)	—	पर्याप्त यात्री उपलब्ध नहीं होने के कारण इस ट्रेन के समय पर निगम की कोई वाहन सेवा संचालित नहीं है।

(258)

परिशिष्ट-2

सालपुरा रेल्वे स्टेशन से निगम द्वारा संचालित बस सेवा का मार्ग व रेल्वे स्टेशन पर आगमन समय

क्र.सं.	सालपुरा रेल्वे स्टेशन पर आने वाली ट्रेन का समय	निगम द्वारा संचालित बस सेवा रेल्वे स्टेशन पर आगमन समय	मार्ग
1	2	3	4
1.	07.25 (बीना से कोटा मार्ग की रेल सेवा)	06.00	छीपाबड़ोद-अलवर वाया सालपुरा-अटरू-बारां-कोटा
2.	10.50 (कोटा से बीना मार्ग की रेल सेवा)	10.00	अकलेरा-बारां वाया सारथल-छीपाबड़ोद-सालपुरा अटरू
		10.30	अकलेरा-बारां वाया सारथल-छीपाबड़ोद-सालपुरा-अटरू
3.	15.30 (बीना से कोटा मार्ग की रेल सेवा)	14.30	अकलेरा-बारां वाया सारथल-छीपाबड़ोद-सालपुरा-अटरू

Page No.235

352

1	2	3	4
4.	20.40 (कोटा से भोपाल वाया बीना गुना मार्ग की रेल सेवा)	20.00	अकलेरा-सालपुरा वाया सारथल-छीपाबड़ोद
5.	00.45 (कोटा से कटनी मार्ग की रेल सेवा)	—	पर्याप्त यात्री उप-लब्ध नहीं होने के कारण इस ट्रेन के समय पर निगम की कोई वाहन सेवा संचालित नहीं है।
6.	03.05 (कटनी से कोटा वाया गुना मार्ग की रेल सेवा)	—	पर्याप्त यात्री उप-लब्ध नहीं होने के कारण इस ट्रेन के समय पर निगम की कोई वाहन सेवा संचालित नहीं है।

253

फलदार वृक्षों का वितरण

401. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या कृषि विभाग द्वारा गत तीन वर्षों में राज्य के कृषकों को फलदार वृक्ष लगाने हेतु फलदार पौधों का वितरण किया है ? यदि हां, तो किस-किस कीमत पर किस-किस जिले में कितना-कितना ? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। गत तीन वर्षों में फलदार पौधों की कीमत का विवरण परिशिष्ट "अ" पर एवं जिलेवार वितरित पौधों का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

254

438-439]

क्र.सं.	जिला	आम	आंमला	अमरूद
1	2	3	4	5
1.	जयपुर	9.00	17.00	7.75
2.	अजमेर	9.15	17.60	7.85
3.	सीकर	8.97	17.00	
4.	दौसा	9.00	15.00	
5.	भरतपुर	8.50	16.50	7.25
6.	अलवर	9.00	17.00	8.00
7.	स.माधोपुर	10.00	20.00	8.00
8.	श्रीगंगानगर			
9.	हनुमानगढ़			
10.	टोंक	8.50	16.00	7.25
11.	कोटा	9.00	18.00	8.00
12.	बारां	10.50		
13.	झालावाड़			

255

[440-441

परिशिष्ट–प्र

राशि रुपये/पौधा

ता न	केला	अंजीर
6	27	28

256

[448-449

परिशिष्ट--घ

राशि रुपये/पौधा

आम देसी	फालसा	सीताफल
26	27	28
	4.50	
	4.05	
4.05		
		6.00

257

450-451]

क्र.सं.	जिला	ग्राम
1	2	3
16.	चित्तौड़गढ़	12.00
17.	भीलवाड़ा	11.00
18.	जोधपुर	
19.	पाली	17.00
20.	जालोर	

(258)

परिशिष्ट–ब

वर्ष 95-96 से 97-98 तक जिलेवार वितरित फलदार पौधों का विवरण

संख्या लाखों में

क.सं.	जिला	1995-96	1996-97	1997-98	योग वर्ष 95 से 97 तक
1	2	3	4	5	6
1.	अजमेर	1.85	0 85	1.50	4.20
2.	अलवर	0.98	1.81	1.40	4.19
3.	बांसवाड़ा	1.63	1.56	1.10	4.29
4.	बांरा	0.00	0.95	1.00	1.95
5.	बाड़मेर	0.02	0.22	0.17	0.41
6.	भरतपुर	2.23	2.30	2.20	6.73
7.	भीलवाड़ा	1.04	2.28	1.20	4.52
8.	बीकानेर	0.02	0.18	0.13	0.33
9.	बून्दी	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	चित्तौड़गढ़	1.75	2.27	2.20	6.22
11.	चूरू	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6
12.	दौसा	0.60	1.00	0.80	2.40
13.	धौलपुर	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	डूंगरपुर	0.21	0.16	0.25	0.62
15.	गंगानगर	0.51	0.98	3.54	5.03
16.	हनुमानगढ़	0.00	0.00	0.70	0.70
17.	जयपुर	5.45	2.66	3.30	11.41
18.	जैसलमेर	0.34	0.00	0.00	0.34
19.	जालोर	0.10	0.33	0.22	0.65
20.	झालावाड़	0.90	4.95	4.60	10.45
21.	झुन्झुनूं	0.46	0.20	0.38	1.04
22.	जोधपुर	1.83	1.98	2.45	6.26
23.	कोटा	1.18	2.00	2.20	5.38
24.	नागौर	0.29	0.21	0.33	0.83
25.	पाली	1.45	1.17	1.30	3.92
26.	राजसमंद	0.06	0.25	0.23	0.54

1	2	3	4	5	6
27.	सवाईमाधोपुर	0.70	1.00	0.80	2.50
28.	सीकर	2.70	2.36	2.40	7.46
29.	सिरोही	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	टोंक	1.20	1.52	1.50	4.22
31.	उदयपुर	2.10	1.60	1.50	5.20
32.	अन्य	0.00	3.39	0.00	3.39
	कुल	29.60	38.18	37.40	105.18

(26)

राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय डांगरवाड़ा (जयपुर) के प्रधानाध्यापक द्वारा अनियमितताएं

402. श्री गोपीराम जाट (आमेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय डांगरवाड़ा (जयपुर) में प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय परिसर के हरे वृक्षों को कटवाकर विक्रय राशि का गबन किया गया है ? यदि हां, तो कब कितनी राशि का ? अब तक उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रधानाध्यापक ने विकास शुल्क बगैर स्वीकृति के बालकों से वसूल की है ? यदि हां, तो क्यों व कितनी राशि तथा उक्त राशि का क्या उपयोग किया गया ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रकरण में अनियमितताओं के आरोपों के कारण वेतन वृद्धि रोकने एवं सेवा पुस्तिका में चेतावनी देने को प्रविष्ट करने का दण्ड निर्धारित किया गया था ? क्या उक्त दण्ड समाप्त कर दिये गये ? यदि हां, तो क्यों और नहीं, तो सरकार अब क्या कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। विद्यालय विकास समिति द्वारा ही अपने स्तर पर विकास शुल्क के रूप में कक्षा 3 से 5 तक 21/रु. तथा कक्षा 6 से 8 तक 31/-रुपये छात्रों से वसूल किये जाते हैं। यह राशि विद्यालय भवन निर्माण/विकास पर समिति द्वारा उपयोग में ली जाती है।

(3) जी नहीं। शाला प्रधान को अन्य प्रशासनिक अनियमितताओं के लिये परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया था।

तहसील उनियारा एवं देवली (टोंक) में वृक्षारोपण

403. श्री जगदीश प्रसाद मीणा (उनियारा) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील उनियारा एवं देवली जिला टोंक में गत पांच वर्षों में पौधा रोपण कार्यक्रम के तहत कितने पौधे रोपित किये गये ? उनमें से कितने सजीव हैं तथा कितने निर्जीव हो चुके हैं ? स्थान वार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) विभिन्न प्रकार के लगाये गये पौधों के नाम एवं संख्या की सूची सदन की मेज पर रखें।

(362)

उत्तर

(1) टोंक जिले की तहसील देवली एवं उनियारा में गत पांच वर्षों में विभागीय वृक्षारोपण क्षेत्रों में 15.335 लाख पौधे रोपित किये गये। लगायें गये पौधों में से 10.658 लाख पौध जीवित हैं, पाये गये वृक्षारोपण वार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उक्त तहसीलों के वृक्षारोपणों में लगाये गये पौधों की संख्या एवं प्रजाति के नाम का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

टोंक जिले की तहसील उनियारा एवं देवली में वर्ष 1993-94 से 1997-98 की अवधि में रोपित एवं जीवित पौधों की वृक्षारोपण स्थलवार सूची

वर्ष	नाम कर्यक्रम	प्रजातिवार रोपण प्रजाति	संख्या	जिवित पौधों की संख्या
1	2	3	4	5
तहसील उनियारा				
93-94	प्ला. ककोड़ बालाजी	विलायती बबूल	35000	21000
,,	हाथीभाटा पर्यटक स्थल	सफेदा, सिरस, नीम	3000	2362
,,	सुरेली	,,	21000	11760
,,	ठीकरिया	,,	33000	17820
,,	रामपुरा ककोड़	,,	27500	21450
94-95	कुम्हारिया	विलायती बबूल	55000	44000
95-96	शाहीपुरा	,,	55000	26400
,,	हरीपुरा	बेर	66000	34320
,,	सुरेली	बबूल	27500	12375
,,	कुम्हारिया II	बबूल	35000	28000
,,	कुम्हारिया III	बबूल,बेर	35000	28000
,,	कुम्हारिया II	बबूल	35000	27300

(263)

1	2	3	4	5
95-96	कुम्हारिया I	बबूल	35000	28700
,,	महमूद नगर	,,	35000	29750
,,	इस्लाम नगर	,,	35000	28000
,,	सिन्दोली	विलायती बबूल	35000	22750
,,	सतोली III	,,	17500	14000
96-97	करवाडिया	,,	35000	21000
,,	मोहम्मदपुरा I	रोझ कुमठा	35000	27400
,,	मोहम्मदपुरा II	,,	10000	6000
,,	देवली	,,	10000	7500
,,	चारनेट	कुमठा बबूल, टोटलिस	10000	4500
,,	रामपुरा ककोड	,, रोझ	10000	7000
,,	रामपुरा	,,	10000	7000
,,	कोटडी	विलायती बबूल	22000	19800
97-98	मोहम्मदपुरा III	शीशम, खेजड़ा, बबूल रोझ, कुमठा, बेर	55000	37400
,,	कपवास	टोटलिस	35000	29750
तहसील देवली				
93-94	प्ला. चन्दवाड	बबूल, कोटलिस विलायती बबूल	22000	12320
,,	बलसेना	,,	16500	13200
,,	देवडावास	टोटलिस,बबूल	33000	13200
,,	धाड	विलायती बबूल बेर, बबूल	22000	16500
,,	जरेली	बबूल बेर, विलायती बबूल	33000	21450

1	2	3	4	5
93-94	मावा देहड	विलायती बबूल	27500	17875
,,	डूनी	,, टोटलिस	38500	23100
,,	देवडावास भैरूजी	टोटलिस, कुमठा	27500	12375
94-95	नोन्दपुरा	बबूल, इजरायली बबूल	27500	17600
,,	डूनी	विलायती बबूल, कुमठा	27500	19250
95-96	नोगजा	विलायती बबूल, बबूल	55000	46750
,,	देवपुरा	,, कुमठा	44000	38720
,,	राजकोट	,, रोझ	55000	39600
,,	नया गांव गोठडा	विलायती बबूल, बबूल	22000	18040
,,	,, II	,,	16500	14520
,,	टोकरावास	,,	16500	12870
96-97	सरदारपुरा	विलायती बबूल, बबूल रोझ, कुमठा बेर	35000	22050
,,	राजकोट गोपालपुरा	,,	35000	23800
,,	मावा I	,,	10000	7000
,,	मावा II	,,	10000	7000
,,	मावा III	,,	10000	7000
,,	देवडावास	टोटलिस, कुमठा	10000	4800
,,	चांदली	विलायती बबूल	22000	19800
97-98	सरदारपुरा II	रोझ, कुमठा, बबूल	55000	39600
,,	कंवरपुरा I	,, चुरेल	35000	24500
,,	कंवरपुरा II	,,	10000	7600

(265)

विधान सभा क्षेत्र सराड़ा में प्राथमिक विद्यालयों का सृजन

404. श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) विधान सभा क्षेत्र सराड़ा(उदयपुर) में वर्ष 1993-94 से 1997-98 तक कितने प्राथमिक विद्यालय खोले गये ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या उक्त विद्यालय चालू है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सराड़ा जिला उदयपुर के अन्तर्गत पंचायत समिति सराड़ा में वर्ष 1993–94 से 1997-98 तक की अवधि में जो प्राथमिक विद्यालय खोले गये उनकी सूची संलग्न है । परिशिष्ट–1

(2) वर्ष 1993-94 से 1996-97 तक स्वीकृत समस्त प्राथमिक विद्यालय चालू हैं । वर्ष 1997-98 में शिक्षा कर्मी बोर्ड एवं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, दोनों विभागों द्वारा ग्राम रेबारी की ढाणी एवं मोटी कांकर में विद्यालय खोलने की स्वीकृति जारी की गई । ग्राम रेबारी की ढाणी में शिक्षा कर्मी योजनान्तर्गत विद्यालय दिनांक 27-11-97 को आरम्भ हो चुका है । ग्राम मोटी कांकर आवद में प्राथमिक विद्यालय आरम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है ।

परिशिष्ट-1

पंचायत समिति सराड़ा में वर्ष 1993-94 से 1997-98 तक खोले गये
प्राथमिक विद्यालयों के नामों की सूची

वर्ष 1993-94

1. ध्यावड़ी 2. मेन्दूड़ा 3. देवाला 4. बासर
5. नया कुआं 6. जाम्बूड़ा 7. लालादरा

वर्ष 1994-95

1. उदपुरिया 2. करणपुरिया 3. लालरिया

वर्ष 1995-96

1. सल्लाड़ा 2. खेतावतो का बाड़ा 3. डांगी खेड़ा
4. नांदवी 5. डाकन बावड़ी 6. अनूपुरिया

वर्ष 1996-97

1. कनकपुरा 2. भंवराफला 3. सुखेड़ा 4. बेड़ादरा

वर्ष 1997-98

1. मोटी कांकर जाबद 2. रेबारी की ढाणी-भैंसाण

(267)

पंचायत समिति ओसियां में सड़क निर्माण

405. श्री पूनमचन्द बिश्नोई (फलोदी): क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति ओसियां जिला जोधपुर में ग्राम तिवंरी से कस्बा बालेसर को एक डामर सड़क जाती है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त सड़क पर ग्राम तिवंरी की सरहद में 'इन्दो की ढाणी' स्थान से ग्राम 'बड़ाकोटेचा' को, एक सार्वजनिक रास्ता जिसका रिकार्ड में खसरा नम्बर 178 है, निकलता है, जो कि 6 कि.मी. लम्बा है ?

(3) क्या यह सही है कि इस रास्ते के दोनों तरफ बड़ी संख्या में कृषि के नलकूप हैं जिसमें फसलें और साग 'सब्जियां' पैदा होती हैं ?

(4) क्या यह सही है कि यह रास्ता बहुत रेतीला होने से इन नलकूपों पर खाद आदि ले जाने और नलकूपों पर से फसलें व कृषि उपजों को बाजार तक ले जाने में कठिनाई होती है ?

(5) क्या सरकार इस ग्राम रास्ते को पक्की डामर सड़क में क्रमोन्नत करने की स्वीकृति देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) यह सही है कि इस सड़क से एक रास्ता ग्राम बड़ा कोटेचा को जाता है, जिसकी लम्बाई 6.50 कि.मी. है।

(3) जी हां। यह सही है कि इस रास्ते के दोनों तरफ कृषकों के कुछ नलकूप हैं।

(4) इस रास्ते में कुछ स्थानों पर ग्रेवल सड़क है एवं कुछ लम्बाई में रेतीला क्षेत्र है जिससे यातायात सुचारू नहीं हो पाता है।

(5) वर्णित सड़क मण्डी समिति क्षेत्र में 11-3-96 की नीति के तहत 1 (घ) वरियता में आती है। इस वरियता का सड़क स्वीकृति के समय विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा। वर्तमान में 1 (ग) वरीयता की 10 सड़कें बनाया जाना शेष है।

परिवहन निगम की बसों का जनप्रतिनिधियों द्वारा जांच प्रकरण

406. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालोर) एवं श्री जयन्ति लाल (रेवदर) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने एक आदेश जारी कर राजस्थान विधान

(268)

(श्री ओमेश्वर गर्ग)

सभा के मा. सदस्यों को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों की जांच करने के अधिकार दिये थे ? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त आदेश के जारी होने के पश्चात् से अब तक कुल कितने विधायकों ने बसों का निरीक्षण किया तथा निरीक्षण के दौरान उन्होंने क्या पाया ? विधायकों द्वारा निगम को प्रेषित रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(3) उक्त रिपोर्टों पर निगम एवं सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । विधान सभा के माननीय सदस्यों को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों की जांच के सन्दर्भ में जारी किये गये आदेश दिनांक 31-5-78 एवं 3-2-97 की प्रतियां परिशिष्ट "1" एवं "2" पर संलग्न है ।

(2) उक्त आदेशों के जारी होने के पश्चात केवल 3 माननीय विधायकों द्वारा चार बसों का निरीक्षण किया गया है । निरीक्षण के दौरान पाये गये तथ्यों का विवरण परिशिष्ट "3" पर संलग्न है ।

उपरोक्त वाहनों की निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतियां परिशिष्ट "4" पर संलग्न है ।

(3) निरीक्षण रिपोर्टों पर की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "3" के कालम 7 पर अंकित है ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

राज्य में फव्वारा सिंचाई पर अनुदान

407. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1997-98 में राज्य के 21 हजार किसानों को फव्वारा सिंचाई अनुदान देने की घोषणा की गयी थी ? यदि हां, तो अब तक कुल कितने किसानों को उक्त अनुदान राशि उपलब्ध करवा दी गयी है ?

(2) अनुदान की राशि शेष किसानों को अब तक उपलब्ध नहीं कराये जाने के क्या कारण रहे हैं तथा उन्हे अब कब तक उक्त राशि उपलब्ध कराये जाने का विचार है ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि वर्ष 1997–98 में राज्य के 21000 किसानों को फव्वारा संयंत्र स्थापित करने पर अनुदान देने की घोषणा बजट में की गयी। वर्ष 97-98 में इस घोषणा के विपरीत निम्न प्रकार अनुदान दिया गया :—

क.सं.	विभाग का नाम	किसानों की संख्या जिन्हें अनुदान दिया गया	राशि (लाखो मे)
1.	कृषि विभाग	13796	1083.671
2.	भूमि विकास बैंक	5902	496.000
		19698.00	1579.671

(2) अनुदान की राशि शेष किसानों को अब तक उपलब्ध नहीं करा पाने के मुख्य कारण निम्न रहे हैं:—

1. कृषकों द्वारा पंजिकरण हेतु आवेदन पत्रावलियों में वांछित दस्तावेज समय पर प्रेषित नहीं करना।
2. बैंकों द्वारा अपने स्तर पर ऋण वितरण में देरी करना।
3. बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत कर फव्वारा सैटों की स्थापना एवं भौतिक सत्यापन के उपरांत अनुदान स्वीकृति हेतु पत्रावली विलम्ब से प्रेषित करना।
4. बजट आवंटन विलम्ब से प्राप्त होना।

नियमान्तर्गत आने वाली लम्बित पंजिकरण पत्रावलियों पर बजट आवटन होने पर अनुदान वित्तिय वर्ष 1998-99 में स्वीकृत करदी जावेगी।

राजकीय माध्यमिक विद्यालय भाद्राजून भवरानी (आहोर) का क्रमोन्नयन

408. श्री भगराज चौधरी (आहोर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला जालोर की पंचायत समिति आहोर के उच्च माध्यमिक विद्यालय, आहोर, गुडा-बालोतान एवं हरजी करीब 20 कि.मी. की दूरी में है?

(2) क्या यह सही है कि पंचायत

(श्री मगराज चौधरी)

समिति धाहोर में स्थित माध्यमिक विद्यालय माद्राजून एवं मवरानी से 35 एवं 40 कि. मी. की परिधी में कोई उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं है ?

(3) क्या यह सही है कि 1991 की जनगणना के अनुसार ग्राम माद्राजून एवं मवरानी बहुत ही बड़ी जनसख्या के ग्राम है ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त वर्णित माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों की सख्या क्रमोन्नत हेतु निर्धारित मानदण्ड के अनुसार है ? यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें चालू वित्तीय वर्ष में शीघ्र क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। राजकीय माध्यमिक विद्यालय माद्राजून से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आहोर 30 किलोमीटर पर तथा राजकीय माध्यमिक विद्यालय मवरानी से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धाहोर 35 किलोमीटर एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सणपर (बाड़मेर) 10 किलोमीटर पर स्थित है।

(3) जी हां। 1991 की जनसंख्या के अनुसार ग्राम माद्राजून एव मवरानी की आबादी क्रमश: 4158 एवं 5616 है।

(4) विद्यालय क्रमोन्नति के समय केवल छात्र संख्या को आधार नहीं माना जाता है, गांव की जनसंख्या, क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, क्षेत्र की मांग तथा उपलब्ध वित्तीय प्रावधानों को मध्य नजर रखते हुये विद्यालय क्रमोन्नति पर समग्र विचार किया जाता है।

(27V)

परिशिष्ट–2

(तारांकित प्रश्न संख्या 385 की सूची)

वर्ष 1993-94 से 1997-98 तक सम्प्रेषित प्राशार्थियों का जिले वार विवरण:—

क्र.सं.	रोजगार कार्यालय का नाम	1993-94 से 1997-98 तक सम्प्रेषित प्राशार्थियों की संख्या
1	2	3
1.	अजमेर	52615
2.	अलवर	45441
3.	बांसवाड़ा	13900
4.	बारां	8261
5.	बाड़मेर	11047
6.	भरतपुर	20589
7.	भीलवाड़ा	19147
8.	बीकानेर	19589
9.	बूंदी	8087
10.	चित्तौड़गढ़	20049
11.	चूरू	11387

(272)

1	2	3
12.	दौसा	6619
13.	धौलपुर	7259
14.	डूंगरपुर	13109
15.	हनुमानगढ़	5009
16.	जयपुर	59286
17.	जैसलमेर	11733
18.	जालौर	7505
19.	झालावाड़	11588
20.	झुन्झुनूं	24894
21.	जोधपुर	39946
22.	कोटा	25471
23.	नागौर	12638
24.	पाली	22433
25.	राजसमन्द	12951
26.	सवाई माधोपुर	13936
27.	सीकर	21938
	सिरोही	12752

(273)

1	2	3
29.	श्रीगंगानगर	24420
30.	टोंक	12100
31.	उदयपुर	35249
	योग	610948

परिशिष्ट–3

(अतारांकित प्रश्न संख्या 518 की सूची)

कर्मचारियों का नवीन वेतनमान, 1998 में जिनका वेतन स्थिरीकरण अभी होना है, उनकी सूची :—

क्र.सं.	संवर्ग कर्मचारी	संख्या
1.	कार्यालय सहायक	1
2.	वरिष्ठ लिपिक	1
3.	कनिष्ठ लिपिक	2
4.	वनपाल	1
5.	वन रक्षक	4
		9

परिशिष्ट–4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 519 का ब्योरा)

परिशिष्ट–1

क्र.सं.	योजना का नाम	जलग्रहण क्षेत्र का नाम	पंचायत समिति	स्वीकृत वर्ष (इस वर्ष)	वर्ष 1998-99 के वित्तीय लक्ष्य
1	2	3	4	5	6
1.	रा.ज.प्र.वि.	1. चंनपुर बरिया	करौली	1998-99	19.00
		2. कालागुडा	सपोटरा	" "	19.00
		3. चिनायटा	हिण्डोन	" "	19.00
		4. महुस्वा बिलई	टोडाभीम	" "	19.00
					76.00
2.	प्राश्वासित रो. योजना	1. मदनपुर	करौली	1997-98	
		1. मदनपुर-1		" "	6.00
		2. मदनपुर-2		" "	6.00

1	2	3	4	5	6
		3. मदनपुर-3	करौली	1997–98	6.00
		4. मदनपुर-4		,, ,,	6.00
					24.00
3.		बुगडार	सपोटरा	1997-98	
		1. बुगडार-1		,, ,,	6.00
		2. बुगडार-2		,, ,,	6.00
		3. बुगडार-3		,, ,,	6.00
		4. बुगडार-4		,, ,,	6.00
					24.00
4.		काचरोली	हिण्डौन	1997-98	
		1. काचरोली-1		,, ,,	4.80

1	2	3	4	5	6
		2. काचरोली-2	हिण्डोन	1997-98	4.80
		3. काचरोली-3		" "	4.80
		4. काचरोली-4		" "	4.80
		5. काचरोली-5		" "	4.80
					24.00
5.		राजोर मण्डेक	टोडाभीम	1997-98	
		1. राजोर मण्डेक-1		" "	4.00
		2. राजोर मण्डेक-2		" "	4.00
		3. राजोर मण्डेक-3		" "	4.00
		4. राजोर मण्डेक-4		" "	4.00
		5. राजोर मण्डेक-5		" "	4.00
		6. राजोर मण्डेक-6		" "	4.00
					24.00

परिशिष्ट–5

परिशिष्ट–I

(अतारांकित प्रश्न संख्या 520 की सूचना)

कृषि पर्यवेक्षक के कार्य एवं दायित्व

कृषि विस्तार कार्य में कृषि पर्यवेक्षक की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रशिक्षण एवं भ्रमण पर आधारित कृषि विस्तार की पद्धति व सिद्धान्तों को पूरी तरह समझकर अपने सम्पूर्ण कृषि पर्यवेक्षक क्षेत्र के आठ किसान मण्डलों में प्रत्येक मण्डल का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नियमित भ्रमण कर प्रशिक्षण में प्राप्त सामयिक उन्नत विधियों के ज्ञान का संदेश हर किसान तक पहुंचाना उनका आधारभूत दायित्व है। कृषि विस्तार के इस महत्वपूर्ण कार्य को कुशलता पूर्वक सम्पादित करने के लिये उनके दायित्व निम्न प्रकार हैं।

1. कृषि उत्पादन, सिंचाई, उद्यानिकी, रेशम की खेती, वानिकी, चारा विकास डेयरी, पशुपालन, जल व भूसंरक्षण आदि कार्यक्रमों के बारे में कृषकों को जानकारी देंगे एवं उनकी क्रियान्विति के लिये मुख्य रूप से उत्तरदायी होंगे। विशेष परिस्थितियों में निर्देशानुसार राष्ट्रीय एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी सम्पन्न करेंगे।

2. अपने क्षेत्र के आधारभूत आंकड़े संकलित करेंगे जिसमें श्रेणीवार कृषकों की संख्या, कृषि सम्बन्धित क्षेत्र के आधारभूत आंकड़े अंकित करेंगे एवं अपने क्षेत्र का मानचित्र तैयार कर क्षेत्र की सीमा, सड़कें, कृषि आदान वितरण केन्द्र, बैंक एवं अन्य संस्थाओं के मुख्यालय चिन्हित करेंगे। किसान मण्डलों के कृषकों की पूर्ण सूची रखेंगे व उनको आवश्यकतानुसार संशोधित कराने के प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

3. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किसान मण्डल की बैठकें व किसान सेवा केन्द्र का संचालन करेंगे।

सप्ताह	सोमवार	मंगलवार	बुधवार	गुरुवार	शुक्रवार	शनिवार
प्रथम	किसान मण्डल संख्या 1	किसान मण्डल संख्या 2	किसान मण्डल संख्या 3	किसान सेवा केन्द्र	प्रशिक्षण I किसान मण्डल 4	प्रशिक्षण II किसान मण्डल 4
द्वितीय	किसान मण्डल संख्या 5	किसान मण्डल संख्या 6	किसान मण्डल संख्या 7	किसान सेवा केन्द्र	किसान मण्डल संख्या 8	दूसरा शनिवार अवकाश
तृतीय	किसान मण्डल संख्या 1	किसान मण्डल संख्या 2	किसान मण्डल संख्या 3	किसान सेवा केन्द्र	किसान मण्डल संख्या 4	
चतुर्थ	किसान मण्डल संख्या 5	किसान मण्डल संख्या 6	किसान मण्डल संख्या 7	किसान सेवा केन्द्र	किसान मण्डल संख्या 8	

4. उप जिला स्तर के मासिक प्रशिक्षण में अनिवार्य रूप से भाग लेंगे। अपने क्षेत्र की समस्या एवं प्रगति से उच्च अधिकारियों को अवगत करायेंगे। समस्या के समाधान को कृषकों तक पहुंचायेंगे।

5. प्रत्येक पखवाड़े में एक रात्रि गोष्ठी आयोजित करेंगे तथा रात्रि के दौरान दूरदर्शन/आकाशवाणी से प्रसारित कार्यक्रमों पर चर्चा करेंगे।

6. अपने क्षेत्र में प्रत्येक किसान मण्डल की कृषि उत्पादन योजना तैयार करेंगे और उसके अनुरूप निर्धारित कृषि आदानों की, आपूर्ति सुनिश्चित कर प्रमुख

(279)

फसलों के उत्पादन/उत्पादकता के लक्ष्यों को विभिन्न निवेश एवं बिना निवेश के प्रभावी बिन्दुओं का अनुसरण करवाकर लक्ष्यों की प्राप्ति करेंगे ।

7. अपने क्षेत्र के किसान मण्डल के कृषकों से निर्धारित मापदण्डों के अनुसार नियमित सम्पर्क करेंगे । इसके अतिरिक्त अन्य कृषकों की सहभागी कृषि योजना एवं कृषि आदान योजना तैयार करेंगे और फसल/ऋतु के अन्त में उनकी व्यवहारिक क्रियान्विति की प्रगति की सूचना प्रेषित करेंगे ।

8. उपलब्ध सिंचाई के विभिन्न साधनों द्वारा सिंचाई जल के समुचित उपयोग की निर्धारित तकनीक व पद्धति द्वारा क्रियान्विति सुनिश्चित करेंगे एवं आने वाली कठिनाईयों से उच्च अधिकारियों को अवगत करायेंगे ।

9. प्रत्येक कृषि ऋतु (खरीफ व रबी) से पहले निम्नांकित तिथियों तक बीज; उर्वरक, पौध संरक्षण रसायनों की मांग तैयार कर सम्बन्धित सहकारी समिति एवं कृषि प्रसार अधिकारियों को अवगत करायेंगे । समय से व्यवस्था नहीं होने पर सहायक कृषि अधिकारी को सूचित करेंगे ।

क्र.सं.	आदान का नाम	खरीफ		रबी	
		अनुमानित	वास्तविक	अनुमानित	वास्तविक
1.	बीज	10 सितम्बर	10 फरवरी	10 मई	10 अगस्त
2.	उर्वरक	10 सितम्बर	10 फरवरी	10 मई	10 अगस्त
3.	पौध संरक्षण रसायन	10 सितम्बर	10 फरवरी	10 मई	10 अगस्त

नोट:—सरसों, चने की अग्रिम बुवाई वाले क्षेत्रों में कृषि आदानों की मांग 25 जुलाई तक प्रेषित करनी है ।

10. अपने क्षेत्र के किसानों को कृषि साधनों की व्यवस्था और कृषकों के

(280)

लिये अल्प एवं मध्यकालीन ऋण हेतु आवेदन पत्र तैयार करने में सहायता करेंगे। जहां ग्राम सेवा सहकारी समिति काम नहीं कर रही हो वहां किसानों को आदान जुटाने हेतु अन्य संस्थाओं से ऋण सुलभ कराने में सहायता करेंगे।

11. कृषि औजारों और पौध संरक्षण उपकरणों की मांग तैयार कर प्रस्तुत करेंगे।

12. मिट्टी व पानी के नमूने जांच हेतु एकत्रित करेंगे। खरीफ के लिये 15 अप्रेल तथा रबी के लिये 31 अगस्त तक मिट्टी व पानी के नमूने संकलित कर उप जिला कृषि कार्यालय को पठायेंगे एवं विश्लेषण रिपोर्ट के आधार पर कृषि आदानों का उपयोग कृषकों द्वारा करवायेंगे।

13. बीज उपचार, सफेद लट, दीमक, कातरा, सरसों में चेंपा, चने में सूण्डी व अन्य महामारी के नियन्त्रण के लिये अभियान आयोजित करेंगे।

14. अपने क्षेत्र के किसानों के यहां गड्ढों में कम्पोस्ट तैयार करवायेंगे। पौध संरक्षण व अनाज भण्डारण की नवीन विधियों को अपनाने हेतु कृषकों को प्रेरित करेंगे। क्षेत्र के प्रत्येक किसान मण्डल में कम से कम 5 कृषकों के कृषि प्रक्षेत्रों पर सघन क्षेत्रों में शुष्क खेती की पद्धति का अनुसरण करायेंगे।

15. अपने क्षेत्र हेतु आवंटित सभी तरह के मिनिकिट व प्रदर्शनों का अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के खेतों पर नियमानुसार आयोजन करायेंगे एवं अन्य सभी प्रकार के प्रदर्शनों को भी नियमानुसार आयोजित करेंगे।

16. खरीफ में 20 अगस्त एवं रबी में 15 जनवरी तक प्रदर्शन आदि प्रचार प्रसार हेतु क्षेत्र दिवसों के आयोजन की तिथि से सहायक कृषि अधिकारी को अवगत कराते हुये आयोजन करायेंगे।

17. निर्देशानुसार आवंटित फसल कटाई प्रयोग सम्पन्न करवाकर समय पर परिणाम भेजेंगे।

18. नियमित रूप से दैनन्दिनी का संधारण करेंगे। इसके अतिरिक्त फसल मौसम व कीट व्याधि प्रकोप की सूचना, प्रदर्शन पंजिका, कृषि सम्बन्धी समस्याओं, फसल ऋतुवार प्रभावी बिन्दु पंजिका एवं प्रगति पंजिका का संधारण करेंगे।

19. ग्राम पंचायत, सहकारी समिति, नवयुवक मण्डल, महिला संगठन आदि संस्थाओं की बैठक में भाग लेंगे। मई व सितम्बर माह में ग्राम पंचायत में आयोजित होने वाली ग्राम सभा की बैठक में अनिवार्य रूप से भाग लेंगे।

20. अधिकारियों व विशेषज्ञों द्वारा दिये सुझावों व मार्गदर्शी बिन्दुओं की क्रियान्विति का हरसम्भव प्रयत्न करेंगे।

21. किसान मण्डल का गठन, बड़े छोटे कृषकों में से, संख्या के अनुपात में 20 ऐसे इच्छुक कृषकों के समूह का चयन करेंगे जो व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से प्रचार कर खेती व अन्य साधनों से आर्थिक दशा सुधारना चाहते हैं। प्रत्येक मण्डल में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सचिव का चयन, मण्डल के सदस्यों द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक कृषि पर्यवेक्षक द्वारा अपने क्षेत्र में आठ किसान मण्डलों का गठन किया जायेगा।

22. किसान मण्डल की बैठक एक पक्ष में एक बार सम्बन्धित मण्डल क्षेत्र/गांव में सुविधानुसार स्थान पर होगी। बैठक में पिछले पखवाड़े के कार्यों की समीक्षा की जायेगी एवं आगामी पखवाड़े में अपनायी जाने वाली उन्नत कृषि विधियों पर विचार विमर्श के बाद प्रक्रिया तय कर क्रियान्वित की जावेगी।

23. रबी/खरीफ फसलों की बुवाई के समय पिछली रबी/खरीफ की उत्पादकता की समीक्षा की जायेगी एवं आगामी बोयी जाने वाली फसलों की बुवाई के विषय में विचार विमर्श कर रूप रेखा बनाई जायेगी।

24. मण्डल क्षेत्र में अधिकतम एवं न्यूनतम उपज प्राप्त करने वाले कृषकों द्वारा अपनाई जाने वाली निम्न कृषि क्रियाओं पर समीक्षात्मक चर्चा की जाये एवं विवरण संधारित किया जाये।

नाम फसल	नाम कृषक	उत्पादन प्रति हैक्टेयर
1	2	3

1. पूर्व फसल 2. जुताई संख्या
3. बीज की किस्म (अ) प्रमाणित/अप्रमाणित (ब) बीज दर
4. बुवाई का समय 5. देशी/कम्पोस्ट खाद का उपयोग
6. उर्वरक उपयोग (अ) बुवाई पूर्व 1 2 3
(ब) खड़ी फसल में
7. बीज उपचार (अ) फफूंदनाशी (ब) कीटनाशी (स) कल्चर
8. सिंचाई संख्या (1) देने का समय (2) फसल की अवस्था
9. निराई गुड़ाई संख्या निराई गुड़ाई का समय
10. कीट एवं रोग नियन्त्रण हेतु अपनाये गये पौध संरक्षण उपाय

किसान सेवा केन्द्र

25. कृषि पर्यवेक्षक अपने मुख्यालय पर प्रत्येक गुरुवार को किसान सेवा केन्द्र का संचालन करेंगे जिसमें आने वाले सभी किसानों को उन्नत कृषि, सामाजिक वानिकी, जल एवं भूसंरक्षण, उद्यानिकी, डेयरी एवं पशुपालन, राज्य की विकास योजनाओं आदि की तकनीकी जानकारी देंगे एवं समस्याओं का निराकरण करेंगे। यह केन्द्र कृषि चिकित्सालय का कार्य करेंगे।

26. ऐसी समस्याएं जिनका निराकरण कृषि पर्यवेक्षक के स्तर पर नहीं हो उन्हें उच्चाधिकारियों को भेजेंगे व समाधान आने पर कृषक को जानकारी प्रदान करेंगे। इस हेतु निम्न रजिस्टर का संधारण करेंगे।

283

क्र.सं.	कृषक का नाम मय वल्दियत	कृषक द्वारा प्रस्तुत समस्या का विवरण	कृषि पर्यवेक्षक द्वारा सुझाये गये निराकरण का विवरण	समस्या हल न होने पर उच्चाधिकारियों को प्रेषित करने का विवरण	उच्चाधिकारियों से प्राप्त समाधान का विवरण	सुझाव व विशेष विवरण

27. विभागीय प्रदर्शन व कृषि सम्बन्धी साहित्य का वितरण किसान सेवा केन्द्र से किया जायेगा।

28. किसान सेवा केन्द्र में किसान मण्डल के सदस्यों के अलावा कोई भी कृषक उन्नत कृषि विधियों की जानकारी/कृषि समस्या के समाधान हेतु आ सकेगा। कृषि पर्यवेक्षक द्वारा उन्हें जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी।

(234)

सहायक कृषि अधिकारी के कार्य एवं दायित्व

अपने क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक क्षेत्रों में विस्तार कार्यों की सफल क्रियान्विति के लिये सहायक कृषि अधिकारियों के निम्न दायित्व होंगे।

1. अपने क्षेत्र में कृषि पर्यवेक्षकों के लिये निहित कार्यों के लिये उत्तरदायी होंगे। कृषि पर्यवेक्षक के लिये तकनीकी एवं प्रशासनिक कार्यों में सहयोग करते हुए मुख्य मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेंगे।

2. अपने क्षेत्र के कृषि सम्बन्धी समस्त आधारभूत आंकड़ों की पंजिका संधारित करेंगे साथ ही क्षेत्र का मानचित्र भी रखेंगे जिसमें ग्राम विस्तार कार्यकर्ता मुख्यालय, सीमायें, कृषि आदान वितरण केन्द्र, पंचायत मुख्यालयों एवं बैंकों के मुख्यालयों को चिन्हित करेंगे।

3. प्रत्येक माह में अपने क्षेत्र का भ्रमण कर कृषि पर्यवेक्षक द्वारा दी गई तकनीकी सिफारिशों की ग्राह्यता का विश्लेषण करेंगे। कृषि पर्यवेक्षक की व्यवहारिक एवं तकनीकी दक्षता बढ़ाने के लिये समय समय पर प्रशिक्षण के साथ व्यवहारिक प्रदर्शन भी आयोजित करेंगे। सोमवार एवं गुरुवार को किसान सेवा केन्द्रों पर उपस्थित रहेंगे तथा अपने क्षेत्र के 6 विभिन्न किसान मण्डलों की बैठक में माह में एक बार भाग लेकर किसानों को उन्नत कृषि तकनीकी ज्ञान देंगे व कृषि सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण करेंगे।

मुख्यालय के किसान सेवा केन्द्र पर माह में एक दिन उपस्थित रहने के अलावा अपने क्षेत्र के अन्य तीन किसान सेवा केन्द्रों का भ्रमण करेंगे।

वार	प्रथम सप्ताह	द्वितीय सप्ताह	तीसरा सप्ताह	चौथा सप्ताह
1	2	3	4	5
सोमवार	किसान मण्डल मुख्यालय कृषि पर्यवेक्षक-1		किसान सेवा केन्द्र मुख्यालय	किसान सेवा केन्द्र मुख्यालय

1	2	3	4	5
मंगलवार				किसान मण्डल कृषि पर्यवेक्षक अ-3, ब-2
बुधवार	किसान मण्डल कृषि पर्यवेक्षक अ-2, ब-3 रात्रि विश्राम	किसान मण्डल कृषि पर्यवेक्षक अ-4, ब-5 रात्रि विश्राम, रात्रि गोष्ठी	किसान मण्डल कृषि पर्यवेक्षक-6 रात्रि विश्राम, रात्रि गोष्ठी	किसान मण्डल अ-5, ब-4
गुरुवार	किसान सेवा केन्द्र कृषि पर्यवेक्षक अ-2, ब-3	किसान सेवा केन्द्र कृषि पर्यवेक्षक अ-4 ब-5	किसान सेवा केन्द्र कृषि पर्यवेक्षक-6	किसान सेवा केन्द्र कृषि पर्यवेक्षक मुख्यालय
शुक्रवार	मासिक प्रशिक्षण ग्रुप-1 या			
शनिवार	मासिक प्रशिक्षण ग्रुप-2			

नोट :— उपर्युक्त भ्रमण कार्यक्रम उदाहरण स्वरूप हैं।

अ— माह जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितम्बर, नवम्बर

ब— माह फरवरी, अप्रेल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसम्बर

4. मासिक प्रशिक्षण में भाग लेकर कृषि पर्यवेक्षक से प्राप्त प्रगति का संकलन कर टिप्पणी उप जिला कृषि कार्यालय को देंगे एवं क्षेत्र की समस्याएं समाधान हेतु रखेंगे।

5. क्षेत्र स्तर की ग्राम स्तर योजना के आधार पर अपने क्षेत्र की कृषि योजना तैयार करेंगे और उसके अनुरूप निर्धारित कृषि आदानों की लक्ष्यों के अनुसार व्यवस्था करेंगे ।

6. प्रमुख फसलों के उत्पादन/उत्पादकता के लक्ष्यों के विभिन्न निवेश एवं बिना निवेश के प्रभावी बिन्दुओं का कृषि पर्यवेक्षक के माध्यम से कृषकों से अनुसरण करवाकर लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे । प्रभावी बिन्दुवार प्रगति का संकलन करने के लिये पंजिका का संधारण करेंगे जिसमें कृषि पर्यवेक्षकवार प्रगति प्रत्येक कृषि ऋतु को संकलित करके अंकित की जावेगी ।

7. उपलब्ध सिंचाई के विभिन्न साधनों द्वारा जल के समुचित उपयोग की योजना बनायेंगे व उनका क्रियान्वयन करवायेंगे । क्षेत्र के सिंचाई बांधों, तालाबों के उपलब्ध जल, भूमि की किस्म आदि को ध्यान में रखकर फसल पद्धति तैयार कर उसके अनुसार कृषि पर्यवेक्षक के माध्यम से क्रियान्विति सुनिश्चित करेंगे ।

8. निम्नलिखित तिथियों तक अलग अलग फसल ऋतु के लिये कृषि आदानों की मांग एकत्रित कर उप जिला एवं सहकारी संस्थाओं को प्रेषित करते हुए सम्बन्धित सहकारी संस्थाओं/कृषि सेवा केन्द्रों एवं निजी विक्रेताओं के माध्यम से अग्रिम वितरण व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे ।

क्र.सं.	आदान का नाम	खरीफ		रबी	
		अनुमानित	वास्तविक	अनुमानित	वास्तविक
1.	बीज	15 सितम्बर	15 फरवरी	15 मई	15 अगस्त
2.	उर्वरक	15 सितम्बर	15 फरवरी	15 मई	15 अगस्त
3.	पौध संरक्षण रसायन	15 सितम्बर	15 फरवरी	15 मई	15 अगस्त

नोट :- सरसों, चने की अग्रिम बुवाई वाले क्षेत्रों में कृषि आदानों की मांग 30 जुलाई तक प्रेषित करनी है।

9. अपने क्षेत्र के आदानों की मांग पूर्ती एवं ऋण व्यवस्था के लिये सहकारी समितियों, सी. सी. बैंक, व्यवसायिक बैंकों से नियमित सम्पर्क करते हुये व्यवस्था करायेंगे।

10. माह अप्रेल, मई, सितम्बर अक्टूबर में कृषि पर्यवेक्षक के निर्धारित मण्डल सदस्यों की संख्या के 5 प्रतिशत कृषकों के फार्म प्लान अपने सम्मुख तैयार करवायेंगे एवं फसल ऋतु की समाप्ति पर प्रगति का आंकलन करेंगे।

11. कृषि पर्यवेक्षक के माध्यम से उनके क्षेत्र में शुष्क खेती कार्यक्रम कम्पोनेन्ट प्लान तैयार करेंगे। पौध संरक्षण एवं अनाज भण्डारण की तकनीक अपनाने की क्रियान्विति करेंगे।

12. क्षेत्र में कीट व्याधि प्रकोप, मौसम व फसल की स्थिति का व्यवहारिक सर्वेक्षण करेंगे व तदनुसार कृषकों को उचित मार्ग दर्शन देंगे। सम्बन्धित समस्याओं का संकलन कर विषय विशेषज्ञ, सहायक निदेशक को तत्काल अवगत कराकर सूचना सुनिश्चित करेंगे। इसके लिये सहायक कृषि अधिकारी अपने पास एक पंजिका का संधारण करेंगे जिसमें इन समस्याओं के भेजने का विवरण एवं प्राप्त निदान का उल्लेख करेंगे।

13. परिक्षणों, प्रदर्शनों, मिनिकिट्स हेतु स्थान व कृषकों के चयन में कृषि पर्यवेक्षक को मार्गदर्शन देंगे जिसके परिणाम खरीफ में 30 नवम्बर तक रबी में 15 जून तक उप जिला/जिला कृषि कार्यालय को प्रेषित करेंगे। स्वयं द्वारा क्षेत्र के 20 प्रतिशत मिनिकिट्स/प्रदर्शनों के निरीक्षण किये जावेंगे व कम से कम दो प्रदर्शन अपने स्तर पर आयोजित करवायेंगे।

14. कृषि पर्यवेक्षक द्वारा निर्धारित किसान दिवसों की पूर्व व्यवस्था कर भाग लेंगे और इसकी पूर्व सूचना जिला कृषि कार्यालय को देंगे।

15. 50 प्रतिशत नियमित फसल कटाई प्रयोग स्वयं की मोजूदगी में आवश्यक रूप से सम्पन्न करायेंगे व प्रयोगों से प्राप्त उपज एवं अन्य सम्बन्धित सूचनाएं प्रमाणित करेंगे।

588

16. प्रत्येक कृषि पर्यवेक्षक क्षेत्र के विभिन्न कार्यक्रमों व उसकी प्रगति की वर्ष में दो बार (ऋतुवार) समीक्षा करेंगे। कृषि आदानों की दी गई प्रगति का 20 प्रतिशत निरीक्षण/सत्यापन करेंगे।

17. उद्यान सम्बन्धी कार्यों जैसे बगीचों के लिये चयन, पौधों की मांग, गड्ढे खुदवाकर रोपण व उनकी देखभाल के कार्य आदि के लिये कृषि पर्यवेक्षक व कृषकों को तकनीकी ज्ञान देंगे। सब्जी, मसालों व फूलों की खेती को प्रोत्साहन देने के लिये कृषकों को प्रेरणा देंगे।

18. जिला कृषि कार्यालय को निम्न विशेष परिस्थितियों की सूचना तुरन्त प्रेषित करेंगे।

(1) आदान की कमी।

(2) रोग, कीट महामारी।

(3) प्राकृतिक प्रकोप पाला वृष्टि, अति वृष्टि आदि।

(4) अन्य आवश्यक सूचना।

19. दैनन्दिनी संधारित करेंगे जिसमें भ्रमण के समय क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक के कार्य एवं दिये गये सुझावों का उल्लेख करेंगे। कृषि पर्यवेक्षक की दैनन्दिनी में भी उनके कार्य के सम्बन्ध में टिप्पणी एवं सुझाव अंकित किये जावेंगे।

20. भ्रमण के दौरान सहकारी समिति/ग्राम पंचायत/किसान मण्डल/नवयुवक मण्डल व महिला मण्डल के पदाधिकारियों से सम्पर्क कर उन्हें विभागीय योजनाओं की जानकारी देंगे। भ्रमण के दौरान ग्राम पंचायत की बैठक में भाग लेंगे। इसके अतिरिक्त अपने क्षेत्र की पंचायत समिति की बैठक में भाग लेंगे।

21. प्रत्येक माह में अपने क्षेत्र में कम से कम 5 रात्रि विश्राम करेंगे एवं इस दौरान कृषि पर्यवेक्षक द्वारा आयोजित सायकालीन रात्रि गोष्ठी में भाग लेकर कृषि की उन्नत विधियों तथा दूरदर्शन/आकाशवाणी/वीडियो फिल्म के जरिये कृषि विधियों की चर्चा करेंगे।

22. एक कृषि पर्यवेक्षक के सभी मण्डलों में एकरूपता नहीं होती है इसलिये एक कृषि पर्यवेक्षक का कोई भी मण्डल सहायक कृषि अधिकारी के तकनीकी मार्गदर्शन एवं क्षेत्र विशेष की समस्या निवारण की दृष्टि से छूटना नहीं चाहिए। अतः सहायक कृषि अधिकारी अपने क्षेत्र के सभी कृषि पर्यवेक्षकों के एक ऋतु (6 माह) में सभी मण्डल का भ्रमण करेंगे जिसमें कम से कम 56 भ्रमण दिवस होंगे। इसमें मुख्यालय के 8 किलो मीटर वाले ग्राम भी सम्मिलित हैं।

परिशिष्ट–6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 525 के नियम की प्रति)

CHAPTER-VII

I-Establishment

Rule 125 : Alterations of Establishment : All proposals for additions to establishment whether permanent or temporary, or for any increase in the emoluments of existing posts, shall be scrutinised with the greatest care by Heads of Departments and other authorities concerned. In submitting such proposals, the instructions contained in the following rules shall be carefully observed.

Rule 126 : Procedure for submission of proposals for new Establishment, etc. : (1) When the entertainment of a new establishment or a change, temporary or permanent, or revision of existing establishment is proposed in an office, a letter fully explaining the proposals and the conditions which have given rise to them, shall be submitted to the competent authority.

(2) The letter referred to in sub para (1), shall set out-

(i) The present cost, either of the section or sections affected, or of the total establishment as the circumstances of the case indicate to be necessary ;

(ii) Details of the pay of the post or posts and the number of posts which it is proposed to add or modify ; and

(iii) As accurate an estimate as possible of the extra cost involved including the expenditure on allowanses, whether fixed or variable, and how the expenditure is proposed to be met, whether it can be met within grant or appropriation of the year or by reappropriation.

(iv) Expenditure in respect of any claims to pension and/or gratuity, that may arise in consequence of the proposals with reference to Pension Rules.

(3) The cost of existing or proposed establishment shall be worked out on the basis of following formula :

$$\text{Average} = \frac{\text{Minimum of the time scale} + \text{Maximum of the time scale}}{2}$$

(4) The time scale, minimum rates of pay, increments. etc. , shall also be mentioned in the proposals.

Rule 127 : Adjustment in Appointments : In the case of non-gazetted establishments, divided into separate units or cadres carrying different scales of pay, an authority competent to make appointments in that.establishment on both the units or cadres may make excess appointments in a lower unit or cadre of the same service against an equal or greater number of vacancies left unfilled in the same unit or cadre of the same service.

II-TRANSFER OF CHARGE.

Rule 128 : Transfer of Head of Office/Drawing and Disbursing Officer : (1) A report of transfer of Government servant

Page No.274

(358)

who is Head of Office/Drawing and Disbursing Officer, duly made and signed both by the relieved and relieving Government servent shall be sent on the same day to the Treasury Officer, Bank and the Head of the Department or other Controlling authorities.

Transfer of Collector/Treasury Officer : (2) The report of transfer of charge of the Collector and the Treasury Officer shall be made in Form G.A. 43 and sent to the Accountant General, Rajasthan and Bank/ Sub-Treasuries and to the Controlling authorities.

परिशिष्ट-7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 526 की सूची)

डूंगरपुर जिले के जिला विद्यालयों में कमरों की कमी है का विवरण

क्र.सं.	नाम विद्यालय	क्र.सं.	नाम विद्यालय
1	2	1	2
	माध्यमिक विद्यालय		उच्च प्राथमिक विद्यालय
1.	रास्तापाल	1.	ओडवाड़िया
2.	कराबड़ा	2.	तोजवाड़
3.	डूंका	3.	माथुगामड़ा पाल
4.	सुरातापाल	4.	माथुगामड़ा खास
5.	बालिका, सिमलवाड़ा	5.	बड़ा मोरेया

1	2	1	2
6.	पिपलदा	32.	गोल
7.	बसीपाल	33.	मेखरेड़
8.	घावड़ी	34.	साकरखेंया
9.	देव सोमनाथ	35.	गणेशपुर
10.	दोवड़ा	36.	पाडलाथूर
11.	सिदड़ी खेरवाड़ा	37.	उस्मानीया
12.	भाटड़ा सिदड़ी	38.	दोलपुरा
13.	पालमाण्डव	39.	गामड़ी निठाऊमा
14.	खेमपुर	40.	धमरतिया
15.	रोगेला	41.	माढोली
16.	जोगीवाड़ा	42.	खेड़ा घासपुर
17.	वलोता	43.	नान्दली सागोर
18.	पाडली गुजरेश्वर	44.	पचलासा बड़ा
19.	ढोल कुजेला	45.	म्याला
20.	चोकी	46.	छदेरड़ा
21.	नया सूराता	47.	खामन
22.	घटाऊ	48.	सागोट
23.	ददोड़ीया	49.	बिलूंडा
24.	डूीराता	50.	वसुन्धरा छोटी
25.	लोलकपुर	51.	बालिका पोण्डावर
26.	ढोलवर	52.	घोडा बड़ा
27.	भोजातो का जोडा	53.	निति फला
28.	खोमाड़पाल	54.	गलन्दर
29.	सरतु	55.	पाल पादर
30.	बालिका, कनबा	56.	रेटा
31.	बालिका जोथरी	57.	बड़ा पाल

1	2	1	2
58.	बरोटी छपली	76.	बिजूड़ा
59.	मालमाथा	77.	मझोला
60.	करोली	78.	नन्दोड़
61.	झोभवा	79.	डेचा
62.	पाडिबाट	80.	बगेरी
63.	सुन्दरपुर	81.	पारड़ा मेहता
64.	बेड	82.	मोकना
65.	झेलाणा	83.	हंयाणा
66.	जालूकुपा	84.	बरसिंगपुर
67.	पादरड़ी	85.	शिवराजपुर
68.	पोडापाल	86.	पाड़ोली
69.	काकरादरा	87.	पादरड़ी छोटी
70.	रामपुर मेवाड़ा	88.	विराट
71.	धामोद	89.	बोड़ाफला
72.	कुम्बेला	90.	रणोली
73.	बीरपुर	91.	सेलोता
74.	लाम्बा भाटड़ा	92.	कलातड़
75.	गेड		

(294)

परिशिष्ट–8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 535 के आदेश की प्रति)

परिशिष्ट "अ"

राजस्थान सरकार

महिला एवं बाल विकास विभाग

क्रमांक:-प.11(3)25/मो./मबावि/95/78406 जयपुर, दिनांक 30-11-95

आदेश

विभाग द्वारा पूर्व में जारी किये गये समस्त आदेशों को निरस्त करते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं के चयन के लिए नियमानुसार चयन समिति निर्धारित की जाती है :–

1. बाल विकास परियोजना अधिकारी — अध्यक्ष
2. जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि (दिन विशेष को आसानी से उपलब्ध होने वाले निर्वाचित प्रतिनिधि जैसे :– सांसद/विधायक/जिला प्रमुख/प्रधान/जिला परिषद् अथवा पंचायत समिति/जो उस के सदस्य/सरपंच/वार्ड पंच आदि) गांव से संबंधित हो । — सदस्य
3. सम्बन्धित परिक्षेत्र की महिला पर्यवेक्षक — सदस्य

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका हेतु केवल ग्राम की स्थानीय महिलाओं का ही चयन किया जावे । महिलाओं की आयु 21 से 45 वर्ष के मध्य हो सकती है । चयनित महिलाएं यथा सम्भव कम से कम मिडिल पास हो, उच्च शैक्षणिक योग्यता वाली महिलाओं को प्राथमिकता प्रदान की जावे । शिक्षित विकलांग, विधवा एवं तलाकशुदा महिलाओं का कार्यकर्ता/सहायिका के चयन में विशेष ध्यान रखा जावे । आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका राज्य सरकार की कर्मचारी नहीं है, उन्हें मानदेय के आधार पर

(295)

आंगनवाडी केन्द्र का संचालन करने की अनुमति प्रदान की जाती है । अतः उनका चयन निम्न प्रक्रिया से किया जावे :—

1. सम्बन्धित महिला पर्यवेक्षक, प्राथमिक स्कूल के अध्यापक, ए. एन. एम. एवं स्थानीय महिला जन प्रतिनिधि मिलकर प्रत्येक केन्द्र के लिए 10–15 महिलाओं से वार्ता कर योग्य महिलाओं के नाम एकत्रित करेंगी ।

2. ऐसी महिलाओं की सूची तैयार की जावें जो शिक्षित हो, बच्चों को उचित नेतृत्व देने की क्षमता हो, गांव वालों का विश्वास एवं सहयोग प्राप्त हो, गांव के पिछड़े एवं कमजोर वर्ग के साथ भेदभाव नहीं करें एवं अपना कार्य पूर्ण लगन एवं निष्ठा के साथ कर सकें ।

3. निर्धारित चयन समिति निश्चित तिथि को गांव में आकर तैयार सूची में से किसी योग्यतम महिला का चयन कार्यकर्ता/सहायिका के किया जावे ।

4. क्षेत्रीय उप निदेशक बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत सूची को जांच कर अनुमोदन प्रदान करेंगे एवं किसी कार्यकर्ता को लेकर विवाद हो तो क्षेत्रीय उप निदेशक का निर्णय अंतिम होगा । साथ ही समय-समय पर गांव में उपस्थित होकर चयन प्रक्रिया की आकस्मिक (सेम्पल) जांच भी करेंगे ।

5. जिन आंगनवाडी कार्यकर्ताओं को पूर्व में अनियमितताओं के कारण हटाया गया हो उन्हें पुनः कार्यकर्ता हेतु चयनित नहीं किया जावे ।

आदेश जारी होने की तिथि से आंगनवाडी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं के चयन हेतु उपरोक्तनुसार पद्धति की अनुपालना सुनिश्चित की जावे ।

ह०
निदेशक एवं शासन उप सचिव
महिला एवं बाल विकास विभाग
राजस्थान — जयपुर

29

कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, दौसा

क्रमांक:-- प्राश संस्था/मबावि/98/382 दिनांक 14-7-98

कार्यालय आदेश

निदेशालय महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान-जयपुर के परिपत्र क्रमांक एफ.2/बजट/पसु/सी एसएस/मबावि/97/43238 दिनांक 22-7-97 के अनुसार संलग्न सूची के अनुसार 5 वर्ष पूर्ण करने वाली कार्यकर्ताओं को उनके सम्मुख अंकित तिथि से 31/- रुपये प्रति माह की दर से मानदेय वृद्धि एतद्द्वारा स्वीकृत की जाती है।

ह.
बाल विकास परियोजना अधिकारी,
दौसा

कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, दौसा
पांच वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण करने वाली कार्यकर्ताओं की सूची

क्र.सं.	कार्यकर्ता	केन्द्र	पांच वर्ष पूर्ण होने की तिथि
1	2	3	4
1.	मधु सोनी	कुण्डल	8-12-97
2.	मनोहरी	कुण्डल	10-12-97
3.	सोमवती	खोहराखुर्द	10-12-97
4.	गीता	सीण्डोली	10-12-97
5.	शकुन्तला	भंडोली	8-12-97
6.	वीरबा	कालोता	9-12-97

297

1	2	3	4
7.	कुसुमकवंर	खोरांकला	8-12-97
8.	हीरा	लोटवाडा	10-12-97
9.	सावित्री	कालीपहाड़ी	8–12–97
10.	सावित्री	प्रेमपुरा	,,
11.	किशनी	हाज्या का बास	,,
12.	पूर्णा	महेशरा कला	,,
13.	तेजीबाई	महेशरा कला	,,
14.	सावित्री	नांगल राजा.	2-1-98
15.	सुशीला	नांगल राजा.	2-1-98
16.	उर्मिला	प्यारीवास	4-1-98
17.	बच्ची मीना	कानपुरा	2-1-98
18.	मोती मीना	रामसिंहपुरा	4-1-98
19.	मंजु शर्मा	मटवास	4-1-98
20.	गीता	ठिकरिया	12-1-98
21.	त्रिवेणी	पावण्ड	7-1-98
22.	वनिता	खोहला खुर्द	2–1–98
23.	चंदो	राजपुरा	4-1-98
24.	तुलसी	अभयपुरा	7-1-98
25.	हेमलता	सवाईपुरा	2-1-98
26.	आशा सैन	मानपुरिया	2-1-98
27.	पुष्पा दुब्बे	भाण्डारेज	5-12-97
28.	बुदी शर्मा	भाण्डारेज	5-12-97
29.	शांति	,,	,,
30.	मधुराव	,,	,,
31.	संतोष देवी	,,	,,
32.	रेवती पटवा	,,	,,
33.	उमा	कुंथला	14-1-98

1	2	3	4
34.	सावित्री	सेंथल	14-1-98
35.	गीता	"	"
36.	मंजू सोनी	काबलेश्वर	18-1-98
37.	शारदा	बिशनपुरा	19-1-98
38.	मीरा	गोविन्दपुरा	1-7-98
39.	दुर्गा	रामपुरा	26-1-98
40.	आशा	महेशरा खुर्द	26-1-98
41.	कमला	खुरीखुर्द	"
42.	शकुन्तला	जसोता	"
43.	लड्डू देवी	सीतापुरा	"
44.	रेखा	बांपी	"
45.	सुमीत्रा	खुरीकला	26-5-98
46.	गायत्री	खारताला	1-7-98
47.	उषा	दादनका	1-7-98
48.	प्रेम देवी	चोरड़ी	2-7-98
49.	रतनकवंर	पीलवा	1-7-98
50.	गुड्डी देवी	बालूदा	18-6-98
51.	शकुन्तला	खावारावजी	12-7-98
52.	रतनकवंर	बासना	19-6-98
53.	कमला	लाडखी का बास	3-7-98
54.	पुष्पादेवी	कालाखो	26-6-98
55.	सन्तोष	कालाखो	26-6-98
56.	मानगी	कडमल का बास	"
57.	गीता	कोटापटटी	16-7-98
58.	प्रेमदेवी	मूडलामूतपुरा	26-6-98

299

1	2	3	4
59.	सरला	बनियाना	19–1–98
60.	कृष्णा	गणेशपुरा	26-6-98
61.	रजनी	पालावास	"
62.	चांदबाई शर्मा	बड़ागांव	"
63.	शकुन्तला	चूड़ियावास	2–1–98
64.	सुनिता	सिगवाड़ा	9–[illegible]8
65.	निर्मला	पापड़दा	5-1-98
66.	कमला	पापड़दा	5-1-98
67.	बसंती	लाड़ली का बास	"
68.	सावित्री सैन	बालूदा	6-1-98
69.	मीनाक्षी	भाण्डारेज	6-1-98
70.	कांता जैन	श्यालावास	4-1-98
71.	गायत्री	खवारावजी	8-1-98
72.	विजयलक्ष्मी	खवारावजी	8-1-98
73.	स्वरूपकंवर	"	"
74.	शीला	महाराजपुरा	25-1-98
75.	जमना राजपूत	पूर्वियावास	4-1-98
76.	ललीता	पूर्वियावास	4-1-98
77.	प्रेमलता	लवाण	"
78.	प्रेमलता	देवरी	"
79.	विमला शर्मा	खानपुरा	8–1–98
80.	त्रिवेणी	रजवास	4-1-98
81.	उर्मिला	रजवास	4-1-98